राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8) सप्तम् विधान सभा के आठवें सत्र का पच्चीसवां दिवस (संख्या 17

1) (2

शुक्रवार

दिनांक 30 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री भगवान दास शास्त्री।

अजमेर नगर की नालियों एवं सड़कों की दुर्दशा

266. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आगामी अप्रेल, 1984 को अजमेर नगर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में विश्व विख्यात उर्स का मेला प्रारम्भ होगा?

(2) क्या यह भी सही है कि वार्ड पुराने 4,5,6,7 चारों वार्ड मेला क्षेत्र से सम्बन्धित हैं जिसमें नालियां टूटी हुई हैं, सड़कों की दुर्दशा हो रही है, उन पर डामर का अभाव है तथा सफाई व्यवस्था का भी अभाव है? यदि हां, तो नगर परिषद् द्वारा इन समस्याओं का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा और इस कार्य में कितनी धन राशि व्यय होगी? कृपया पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, गृह (श्री प्रद्युम्न सिंह) :

(1) जी हां।

(2) पुराने वार्ड नं० 4,5,6,7 मेला क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। जिन स्थानों पर सड़कें नालियां जो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनकी मरम्मत का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो इसी माह के अन्त तक पूरा कर दिया जायेगा। सड़क, नालियों की मरम्मत, सफाई व रोशनी की विशेष व्यवस्था पर लगभग 75 हजार रुपये की राशि व्यय होने का अनुमान है। पूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री भगवान दास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सत्य है कि प्रति वर्ष जो मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स होता है उसमें दो लाख यात्रियों का आवागमन होता है?

(श्री भगवानदास शास्त्री)

उस पर केवल 75 हजार का खर्च माने और वह भी 10–15 रोज पहले खर्च किया जाय तो क्या यह उचित खर्चा है। यू०आई०टी० और नगर परिषद् दोनों को उससे कुल मिलाकर टोटल 10 लाख से ज्यादा की आमदनी होती है और पब्लिक में दो करोड़ का बिजनेस होता है। मेरे कहने का मतलब है जहां इन्दर कोट है वहां पक्के लेट्रीन फ्लश के बनायें, साढ़े 6 इन्च की पाइप लाइन डालें, जैसी पूरे शहर में पड़ती है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जितनी धनराशि की आवश्यकता होती है, वह देते हैं। जो यात्री वहां आते हैं उनके लिये जो कुछ करना होता है वह करते हैं। दो लाख यात्रियों को खर्च से जोड़ना उचित नहीं रहेगा। नगर परिषद् का पूरा ब्योरा मैंने रख दिया है। सफाई है, राशनिंग है, डी०डी०टी० पाउडर, कीट नाशक औषधियां है, मैन खर्चा इन पर होता है। जहां सड़क टूटी हुई हैं उनकी मरम्मत कराई जा रही है, जहां नालियां टूटी हुई हैं, उनकी मरम्मत कराई जा रही है। जो आवश्यक खर्चा होता है वही किया जाता है। 2 लाख यात्री आते है उनसे इतना पैसा मिलता है, इसका कोइ मेल नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री भगवान दास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को निवेदन कर देना चाहता हूं कि सफाई व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी नगर परिषद् की होती है। मैं आपको बताऊं कि उचित व्यवस्था न होने से कोई न कोई छूत की बीमारी अजमेर नगर में इस मेले के अवसर पर फैल जाती है और यात्रियों को और नागरिकों को कष्ट भुगतना पड़ता है, ऐसी आपके पास कोई सूचना है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जी नहीं।

श्री भगवान दास शास्त्री : ऐसी सूचना नहीं है तो मैं करबद्ध प्रार्थना करता करूंगा, दरगाह के क्षेत्र में जहां घनी आबादी है वहां 65 छोटी छोटी नालियां हैं, जो 75 हजार खर्च किया जा रहा है टूटी हुई सड़कों और नालियों पर, क्या वह पर्याप्त है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, 75 हजार रुपये का जो खर्चा है वह जिन मदों पर खर्च होगा, उसके बारे में मैंने निवेदन कर दिया। इसका मेले से कोई सम्बन्ध नहीं है। इन्दर कोट और नया बाजार में 30 हजार रुपया सड़क चौड़ी करने पर खर्चा कर रहे है, जो इसमें मिला नहीं है।

जहां तक छूत की बीमारी का सवाल है, माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, मेरा निवेदन है कि हैल्थ डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वाल्व रहता है। उससे मिलकर सुचारु व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न। श्री मेघराज तावड़।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न न० 293 नम्बर भी इसी तरह का है। अतः उसका भी साथ ही जवाब दिला दें।

श्री अध्यक्ष : 293 का उत्तर भी साथ में दे दिया जाय।

उदयपुर, पाली व सिरोही जिलों जंगलों की गेम सैंक्चुरी

267. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर, पाली व सिरोही जिलों में कौन-कौन सा जंगल, गेम सैंक्चुरी में लिया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त तीन जिलों में गेम सैंक्चुरी अन्तर्गत रेवेन्यू गांव भी आते हैं? यदि हां, तो कितने?

रामगढ़ गेम सैंक्चुरी

293. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) व **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बूंदी जिले में स्थापित की गई रामगढ़ गेम सैंक्चुरी कहां से कहां तक कायम की गई है तथा इससे कितने गांव प्रभावित होंगे?

(2) क्या सरकार जनहित को मद्दे-नजर रखते हुए उक्त क्षेत्र में गेम सैंक्चुरी कायम करने के विचार को त्यागेगी?

राज्य मंत्री, वन (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर) : (1) उदयपुर, पाली एवं सिरोही जिलों के जो जंगली अभयारण्य क्षेत्रों में पड़ते हैं उन की सूची सदन पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। तीनों जिलों के 78 राजस्व गांव इन अभयारण्य क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

(1) बूंदी जिले में रामगढ़ अभयारण्य बूंदी से जैतपुर तक स्थापित किया गया है। इससे 9 गांव प्रभावित होंगे।

(2) उपरोक्त अभयारण्य क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। इसे निरस्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री से जानना चाहूंगा कि अभयारण्य में जो गांव उदयपुर, सिरोही और पाली में लिये गये हैं वह टोटल आदिवासी इलाका है और जंगल में पहले से बसा हुआ है। अब आपने यह गेम सैंक्चुरी कायम की हैं, इनसे वहां के रहने वाले काश्तकारों को किसी भी तरह की सुविधा नहीं है उल्टे उनकी गाय, बकरी, भैंस अन्दर चली जाती है। जो कोट लगा हुआ है उससे 100 गज भी दूर नहीं है।

(श्री मेघराज तावड़)

ऐसी स्थिति में वे अपनी गायों को कहां चरायेंगे ? क्या राज्य सरकार उनको पैतृक अधिकार देने का विचार रखती है ?

दूसरे वहां 78 रेवेन्यू गांव है उसके पास गेम सैंक्चुरी है वहां टोटल आदिवासी है और जंगल में रहते हैं। वहां और कोई रह नहीं सकता। उनके साथ बार बार मार पिटाई होती रहती है। इस तरह से केसेज बनते हैं। मेरा मतलब है डबल तरह से वे परेशान होते हैं। उनके खिलाफ कोर्ट में भी और जगलात विभाग में भी केस चल रहे हैं। मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं क्या सरकार पैतृक अधिकार देने का इरादा रखती है और उनकी गाय, बकरी वगैरह के लिये कोई छूट देना चाहती है ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जो अभयारण्य का विवरण मैंने माननीय सदस्य को दिया है वह अभी कोई नया नहीं बनाया गया है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता दूं, कुम्भलगढ़ की जो गेम सैंक्चुरी है वह 1971 में बनी थी, राजसमन्द की गेम सैंक्चुरी 1955 में बनी थी, माउन्ट आबू की 1960 में बनी थी, सीताबाड़ी की 1982 में बनी थी और फलवारी का नाथ 1984 में बनी है। जहां तक इनको अधिकार और रेवेन्यू गांवों का सवाल....

श्री अध्यक्ष : शुरू में जब बनी थी तो क्षेत्र कम था क्या या अब उसको ज्यादा फैला दिया है और कुछ ज्यादा सख्ती भी कर दी गई है ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : कोई बढ़ाया नहीं गया है....

श्री अध्यक्ष : क्षेत्रफल बढ़ाने का प्रश्न नहीं है। नियन्त्रण ज्यादा कड़ा कर दिया होगा।

श्री मेघराज तावड़ : यही किया है, अध्यक्ष महोदय।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : ऐसा कोई केस नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आशंका व्यक्त की है, इनके जो अधिकार और सुविधायें हैं उनका कानून बना हुआ है। फोरेस्ट सैटलमेन्ट रूल्स के अन्दर आते हैं। जब भी किसी एरिया को फोरेस्ट घोषित करते हैं तो वह निर्धारित किये जाते हैं। उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में कलेक्टर के पास अपील होती है और राज्य सरकार को अपील होती है। उसके तहत जब यह अभयारण्य बना था तब निर्धारण किया गया था। काफी लम्बी सूची है। माननीय सदस्य की जो आशंका है उसमें मैं माउन्ट आबू....

श्री अध्यक्ष : इनका कहना है कि पशुओं को चरने के लिए नहीं जाने देते हैं। सैंक्चुरी की सीमा आबादी के 100 गज में ही आयी हुई है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जो आशंका है इस तरह की कोई समस्या नहीं है।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ जवाब दे दें मैं क्लियर कर देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री मेघराज तावड़ : और क्लियर कर देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आशंका इस बात की नहीं है। जैसा आपने बताया, एक साथ नहीं बनी हैं, नये नहीं बने हैं तो 1978 की मुझे याद है जब एरिया गेम सैंक्चुरी में लाया जा रहा था तब गांव के लोगों ने यह आशंका प्रकट की थी और वह झगड़ा करने के लिए तैयार थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो सर्वे कर रहे हैं, अभी नहीं ले रहे हैं। इस तरह से अंधकार में रख कर गेम सैंक्चुरी बन गयी। आज भी वहां लोग झगड़ा कर रहे हैं। रिजर्व फोरेस्ट की जो बाउण्ड्री कर रहे हैं उसमें उनसे झगड़ा कर रहे हैं। कई जगह कोट गिरा भी दिये हैं और झगड़ा चल रहा है। अभी आपको अलखारामजी बतायेंगे, वह मौके पर गये है। पहले कानून में तो 70 या 65 में ले लिया और आज की तारीख में नियंत्रण सख्ती से कर रहे हैं। जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आज की तारीख में इतने सख्त बने हुए हैं कानून कि बकरी, गाय, भैंस वहां जाती हैं तो उनके मालिकों पर जुर्माना अलग करते हैं और मारपीट अलग करते हैं। मवेशियों के साथ जो आदिवासी जंगल में रहते हैं वह कहां जायं। आप मेरे साथ चलिये, मैं आपको जगह बताने के लिए तैयार हूं। जहां गेम सैंक्चुरी है वहां आप गांव वालों से उनकी परेशानियां सुन लीजिए, गांव वालों को क्या वहां तकलीफ है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जब भी अभयारण्य बने तब जो अधिकार और जो सुविधाएं, राइट और कन्सेशन्स, वहां के रहने वाले लोगों को प्राप्त थे और जो निर्धारित प्रक्रिया पारित करने के बाद निश्चित की गयी उसमें मैं उदाहरण के तौर पर आबू का बताना चाहता हूं। जब आबू का अभयारण्य घोषित किया गया तो उनको यह अधिकार प्रदान किये गये। इसलिये माननीय सदस्य जिस प्रकार की आशंका व्यक्त करते हैं ऐसी कोई आशंका की बात नहीं है।

श्री मेघराज तावड़ : फिर आशंका कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : उत्तर पूरा नहीं हुआ है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जो सुविधा और अधिकार दिये गये हैं उनको अगर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी नहीं दे रहे हैं और विरुद्ध आचरण कर रहे हैं तो मैं देख लूंगा। मैं बताना चाह रहा था कि आबू में वन खण्ड में आने वाले धार्मिक स्थानों पर साधू-महात्माओं को आने जाने का अधिकार होगा, समस्त धार्मिक स्थानों हेतु वन खण्ड से फल वगैरह आवश्यकता-

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

नुसार लाने का अधिकार होगा, अन्दर आये हुए ...

श्री मेघराज तावड़ : आवश्यकता से क्या मतलब ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने आपकी बात सुनी है।

वन खण्ड के अन्दर आये हुए रास्ते एवं पगडण्डी पर जाने और वहा आवागमन का अधिकार होगा, जलाशयों में ग्राम जनता को और मवेशियों को पानी पीने का अधिकार होगा, वन खण्डों की सीमा में पशु घुसने पर पशु स्वामियों का अधिकार होगा, अन्दर आयी काश्त भूमि का सम्बन्ध राजस्व विभाग से रहेगा, जो राजस्व की जमीन है वह राजस्व के पास ही रहेगी। जनता को पशु चराने व जलाने की लकड़ी सिर भार से लाने का अधिकार होगा। इमारती व कृषि कार्य हेतु इमारती लकड़ी नियमानुसार दी जायेगी। कोई हर 3 साल बाद इमारती लकड़ी हम आदिवासी लोगों को देते हैं। जहां भी अभयारण्य स्थापित हुए हैं, इस प्रकार के अधिकार और सुविधाएं निर्धारित की हुई हैं। अगर उन्हें नहीं दी जा रही है तो मैं स्वयं देख लूंगा।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और।

मैंने यह कहा है कि आपने तो यह पढ़कर बता दिया लेकिन आदिवासी अनपढ़ होते हैं और कायदा कानून नहीं जानते हैं। क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, जब वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाते हैं तो आपके अधिकारी उन्हें परेशान करते है। मुझे माउण्ट आबू का मालूम है, जब वह बकरी ले जाते हैं तो उनकी रखवाली जरूर रखते हैं। चूंकि सरकार ने बन्दूक का तो लाइसेंस कर दिया वह तो रखने नहीं देते इसलिए कुल्हाड़ी ले जाते हैं। तीर कमान को भी आप आर्म्स एक्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब शेर ऊपर पड़ता है तो क्या उन लोगो की रक्षा पुलिस करेगी, आपकी पुलिस उनको बचायेगी ? उनकी कुल्हाड़ी मारपीट कर ले ली। कुल्हाड़ी उनके पास नहीं होती तो वह रीछ को नहीं मार सकते। दूसरे, अध्यक्ष महोदय, आदिवासी पढ़े हुए नहीं हैं इसलिए कानून कायदे नहीं जानते....

श्री अध्यक्ष : उनको कानून की जानकारी आप करवाओ, भाषण दो। जो गृह मन्त्री जी ने पढ़ा है वह जाकर पढ़ कर उनको सुनाओ।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष, महोदय, इसीलिए सारे स्कूल खोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत कानून तो जानो।

मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि मकान ढकने के लिए इमारती लकड़ी की जरूरत वाले मेरे क्षेत्र कोटड़ी और गोगुन्दा में ऐसे 100 मकान हैं जिनको ढकने के

(श्री मेघराज तावड़)

लिए इमारती लकड़ी की परमिशन नहीं दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मेघराज तावड़ : लकड़ी लेने के लिए आप जनरल आदेश इश्यू करो। जहां वह रह रहे हैं वहां अगर बाउण्ड्री के अन्दर मवेशी जाते हैं तो उनको ढील दी जाय क्योंकि मवेशी पेड़ तो नहीं खा जाते। जंगल में पशु नहीं जाने के लिए चराई के नियम कठोर कर रखे हैं ताकि जंगल में पशु नहीं जा सकें। उनके पैतृक अधिकार हैं कि वे जलाने के लिए लकड़ी ला सकते हैं, उनके मवेशी जा सकते हैं, बकरियां जा सकती हैं तो उसके लिए क्या प्रयत्न करने की सोच रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा, आपने प्रश्न के जवाब में दिया है कि इतने लोग प्रभावित हो गये हैं। इतने लोग बाग इसकी बाउण्ड्री में आते हैं और उसके पास पड़ोस में वन क्षेत्र में पशुपालक और छोटे छोटे कृषक हैं। तो इस तरह के 108 गांव प्रभावित होते हैं इस गेम सैंक्चुरी से। पशुपालकों को चराई के किये वहां नहीं जाने देते हैं। पशुओं और जिन छोटे छोटे भूखण्डों पर वर्षों से खेती करते आ रहे है उन्हीं से उनकी जीविका चलती है लेकिन उनके पशुओं को नहीं चरने देते। परिणामस्वरूप लोग जमीनों को छोड़ रहे हैं। गांव छोड़ने के लिए उन्हें बाध्य कर रहे हैं कर्मचारी। इसलिए जो गेम सैंक्चुरी स्थापित की है इससे वहां के लोगों में रोष है। वह कहते हैं कि हमारा तो सारा जीवन समाप्त हो जायेगा। क्या यह सही है कि लोग बाग उनको चरने नहीं दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो गया। श्री कमला भाई। एक प्रश्न।

श्री कमला भाई मीणा (बसाड़िया) : माननीय मन्त्री महोदय ने जो बताया कि आदिवासियों को ये अधिकार जंगल से लकड़ी लाने और घास लाने के दिये हुए हैं, यह सरासर झूठी बातें हैं। मैं आपको साफ बताऊं कि 1952 में माणिक्य लाल जी वर्मा ने आदिवासियों को जो छूट जंगल में दिलायी वह सभी छूट आज आदिवासियों को नहीं मिल रही हैं। आज गेम सैंक्चुरी के बारे बताया कि जयसमन्द का कितना है, ऐसे ही बताया कि सीतामाता के अन्दर जो गेम सैंक्चुरी बनायी गयी है, मवेशी जंगल में नहीं जा सकते और लकड़ी नहीं ला सकते। मेरे यहां एक आदिवासी के खेत में फसल लगी हुई थी उसमें जंगली जानवर सूअर दाखिल हुआ तो उसने फसल बचाने के लिए उसको मारा, उस आदिवासी को आज तंग किया जा रहा है। आज वहां की जनता त्राहि त्राहि कर रही है। वह सूखी लकड़ी नहीं ले जा सकता है। मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना

(श्री कमला भाई मीणा)

चाहता हूं कि क्या उन लोगों को राहत दी जायगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जिन जिन अभयारण्यों में जो जो अधिकार और जो सुविधायें निर्धारित की गई हैं उन सभी की सूची बना कर सारी सम्बन्धित पंचायतों को, पंचायत समितियों को और माननीय सदस्यों को भिजवा दूंगा ताकि वह वहां के लोगों को बता सकें कि ये उनके अधिकार और सुविधायें हैं। बाकी और जो दूसरी बातें कही गई हैं, नियमानुसार उनको भी मैं देख लूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, लोग पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं तो उनको पकड़ लेते हैं, उनसे हजार हजार रुपया वसूल करते हैं। इससे गांव वालों में बड़ा आक्रोश है....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री हरिसिंह। भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। बैठ जावें।

श्री हरिसिंह।

प्रदेश में दी गई आयुर्वेदिक औषधियां

268. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या आयुर्वेदिक राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में 31-1-84 तक किस-किस जिले को कितनी कितनी राशि की औषधियां प्रयोगार्थ दी गई हैं?

राज्य मन्त्री, आयुर्वेद (श्री दिनेश डांगी) : वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में 31 जनवरी, 1984 तक वितरित की गई औषधियों का जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने जो विवरण रखा है सदन के पटल पर, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका जिलेवार औषधियों का कोई क्राइटेरिया निर्धारित है या नहीं ? वह क्राइटेरिया उस जिले की पापुलेशन के आधार पर, जिले के क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित है या वहां के औषधालयों की संख्या पर निर्धारित है ? जो क्राइटेरिया निर्धारित कर रखा है उसके अनुसार उनको कम या अधिक औषधियां दी गई हैं ? जो औषधियां दी गई क्या वे जिलों में ही पड़ी रहीं ? सारी औषधियों औषधालयों तक पहुँची ही नहीं है। तीसरी बात यह कि राज्य सरकार का जो बजट है इसको

(श्री हरिसिंह)

खरीदने का, आपने कितना लेप्स किया है ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामढ़ग) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है, साथ ही जवाब आ जायगा।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिए....

श्री अध्यक्ष : मैं अलग से अवसर दूंगा, पहले जवाब आने दीजिए।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, विभागीय औषधालयों को उनके पिछले वर्ष की रोगी संख्या के आधार पर निम्न मापदण्ड से औषधियां दी जाती हैं :—

बहिरंग चिकित्सा—30 पैसे प्रतिदिन प्रति रोगी।

अन्तरंग चिकित्सा—2) रु० प्रतिदिन प्रति रोगी।

श्री हरिसिंह : यह जो क्राइटेरिया है इसके आधार पर औषधियां नहीं पहुंची हैं।

श्री दिनेश डांगी : मैंने निवेदन किया कि गये साल के रोगियों की जितनी संख्या है उसके आधार पर बजट देते हैं और मापदण्ड के अनुसार औषधियां दी जाती हैं। औषधियां क्रय करने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि हमारी स्वयं की रसायनशाला है जिसमें औषधियां बनती हैं। भरतपुर में भी रसायनशाला है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री भारद्वाज।

श्री हरिसिंह : जो बजट निर्धारित किया जाता है वह पूरा यूटिलाइज किया या नहीं किया ? यह बताइये।

श्री दिनेश डांगी : पूरा यूटिलाइज नहीं हो सका है।

श्री हरिसिंह : कितना कम है ?

श्री दिनेश डांगी : यह अलग से जानकारी दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न। भारद्वाज।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जितना पैसा बजट में आयुर्वेद औषधालयों के लिए रखा गया है, क्या यह सच है कि उसका आधे से भी कम हिस्सा काम में लिया गया ? एक बात।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि आपने टेंडर वगैरह काल किये, उसके बाद टेंडर आये, फिर भी औषधियों नहीं खरीदी गई। औषधियां और महंगी हो गई और लोगों ने दी नहीं। आपके सैक्रेटरी के स्तर पर सारा का सारा समय निकल गया और लोगों को औषधियां नहीं पहुँचीं।

तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि आयुर्वेद परामर्शदात्री मण्डल ने यह सुझाव दिया था कि इस सारी दिक्कत से बचने के लिए एक औषध निगम की स्थापना की जावे जिसके जरिये तुरन्त औषधियों की व्यवस्था की जा सके। महंगाई वगैरह की वजह से जो औषधियां सप्लाई नहीं होती हैं तो निगम तुरन्त ही, जैसा भी उचित समझे, निर्णय करके औषधियां खरीदकर लोगों को औषधियां मुहैया करा सके। इस बारे में सरकार का क्या विचार है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें।

चौथा मैं यह पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : कि जो आयुर्वेद औषधालय हैं, आपके दवाखाने हैं उन में औषधियां नहीं पहुँच कर आपके जिलों में ही पड़ी रहीं और लोगों को औषधियां नहीं मिलीं जिससे लोगों में आयुर्वेद के प्रति अश्रद्धा पैदा हुई। गांवों में जहां पर चिकित्सा की अन्य कोई सुविधा नहीं हैं वहां पर औषधियां नहीं मिलने से क्या लोगों को असुविधा नहीं हुई?

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आपको अलग से समय दूंगा।

श्री विनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही नहीं है कि बजट से आधे से कम दवाइयां पहुँचाइ गई हैं। आधे से ज्यादा पहुँचाई हैं। 1983-84 में 32,15,598-86 की दवाइयां पहुँचाई गई हैं....

श्री दाऊदयाल जोशी : कितने में से?

श्री विनेश डांगी : 56 लाख में से।

श्री दाऊदयाल जोशी : 56 नहीं 59 लाख में से।

श्री विनेश डांगी : दूसरा इनका प्रश्न है, आपने कहा कि दवाइयों के भाव बढ़ जाते हैं। यह बात सही है। अध्यक्ष महोदय, आप भी मन्त्री मण्डल में रहे हैं, आप जानते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में इतना ज्यादा समय लग जाता है....

श्री अध्यक्ष : हमारे टाइम में इतनी कीमतें नहीं बढ़ती थीं।

श्री दिनेश डांगी : मैं बताना चाहता हूं कि दो महीने पहले इलायची का भाव चार सौ रुपया किलो था और आज पांच सौ रुपया किलो है। जब भाव बढ़ जाते हैं तो सप्लाई करने वाले नट जायेंगे, तब हम क्या कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री दिनेश डांगी : क्योंकि, अध्यक्ष, महोदय, हमारी रसायनशालाओं में जो औषधियां बनती हैं उनके लिए कच्चा माल खरीदा जाता है। किसी औषधि में अगर आठ घटक हैं, उनमें से छः घटक आ गये और दो घटक नहीं आये तो दवाई नहीं बन सकती और दवाई सप्लाई नहीं हो सकती। दूसरा, माननीय सदस्य ने जिले में औषधियां रह जाने के सम्बन्ध में कहा। औषधियां हमारे डिपोज पर पहुंच जाती हैं और वे लोग आकर ले जाते हैं। इसलिए पड़ी रहने का प्रश्न नहीं है।

जहां तक आपने निगम बनाने का सुझाव दिया है, मैंने निगम बनाने का मेरा सुझाव सचिवालय में रखा है। अब वह फाइनेंस में जायेगा। फाइनेंस अगर मान लेता है तो यहां पर भी गुजरात की तरह से निगम बन सकता है। अगर निगम बन जाता है तो उस निगम के अन्तर्गत सारी रसायनशालायें आ जायेंगी और कई तरह की दवाइयां खरीदने में जो दिक्कत आती है, अभी हम बाजार से नहीं खरीद सकते, वह सब समस्या हल हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न यह भी था कि औषधियां खरीदीं लेकिन उनको भी नहीं पहुंचाया।

श्री दिनेश डांगी : यह बात नहीं है। औषधियां खरीदें और वह रह जायें, यह सवाल ही नहीं है।

श्री हरिसिंह : नहीं पहुंची हैं। अध्यक्ष महोदय, वह जिले में तो पहुंच गई लेकिन आयुर्वेद औषधालयों में नहीं पहुंचीं। आप यह बतायें कि आपने कितनी खरीदी और कितनी औषधालयों में पहुंची ?

श्री दिनेश डांगी : रसायनशालाओं में जितनी औषधियां बनी हैं वहां से जितनी जगह डिपो खोल रखे हैं बजट के हिसाब से उनको दे दी है और वे ले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी, संक्षेप में।

श्री दाऊदयाल जोशी : मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह सही नहीं है। 1982–83 में 59,71,062.36 का बजट था और इस साल 32,15,559.89 का बजट है....

श्री अध्यक्ष : बढ़े हुए भाव से।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जयपुर में पिछले साल 5,79,412) रु० था इस बार 2 लाख की दवाइयां पहुंची हैं। भरतपुर से आने

(श्री दाऊदयाल जोशी)

वाले माननीय सदस्य की जो पीड़ा है उनके यहां पर भरतपुर में 2,28,291 के बजाय 84,786 रु० की दवाइयां पहुँची हैं। इसके साथ ही भीलवाड़ा में 3,19,000) के बजाय 1,93,000) की औषधियां पहुँची हैं। जोधपुर में 2,17,000 का बजट था उसके बजाय 94,000 की दवाईयां पहुँची। मेरा निवेदन करना यह है कि जो आयुर्वेदिक चिकित्सा के शिविर लगते हैं उनमें पिछले साल जो 2,11,249) रु० की औषधियां दी गई थी उसके बजाय इस साल 80,300) रु० की दवाइयां ही दी गई है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इतना अन्तर क्यों हैं ?

दूसरा आपने कहा कि इसका प्रतिशत यह है, जब कि कोटा जिले के बारे में मेरा आज का ही प्रश्न उसका आपने जवाब दिया है कि प्रशासनिक व्यय पर 3.76 रु० प्रतिदिन प्रति रोगी व्यय आता है और रोगी को जो औषधियां दी जाती है वह 14 पैसे की दी जाती हैं। प्रशासनिक व्यय तो 3.76 रु. प्रति रोगी प्रतिदिन और औषधियों का व्यय 14 पैसे, तो यह असमानता क्यों कर रहे हैं ?

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में यह कह दिया है, 82–83 के आंकड़े है उनमें 31 जनवरी तक के आंकड़े हैं। कोटा में 109840.10 रु. की औषधियां हैं उस पर 158438.75 ...

श्री अध्यक्ष : यह तो माननीय सदस्य की वजह से ज्यादा ले गये।

श्री दिनेश डांगी : फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं लेकिन औषधि निर्माण में एक भी घटक की कमी पड़ जाय तो सप्लाई करने में दिक्कत हो जाती है इसलिये इसमें और समय दिया जाय ऐसा करने जा रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दाऊदयाल जोशी : छबड़ा में प्रति रोगी 9 पैसे की दवाई क्यों दी गई है जब कि यहां 2.33 रु. की दी गई ? इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य।

अगला प्रश्न। श्री सुजानसिंह।

तहसील बहरोड़ के गांवों में पशु चिकित्सालय खोलना

269. **श्री सुजानसिंह यादव** (बहरोड़) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार वर्ष 84–85 में ग्राम हुडिया कलां, डूमरौली एवं कोडरना तहसील बहरोड़ में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है।

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्रीराम गोटेवाला) : वर्ष 84–85 के प्रस्तावों में नये पशु चिकित्सालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः ग्राम हुडिया कलां, डूमरोली एवं कोडरना तहसील बहरोड़ में पशु चिकित्सालय खोले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं वह राजस्थान का सिंह द्वार है और दो तरफ हरियाणा से जुड़ा हुआ है। वहां हम लोग पानी बिजली की व्यवस्था में तो उनके मुकाबले मे आ चुके हैं मगर मेरे इलाके का यह दर्द मैंने मंत्री महोदय के सामने रखा है कि हरियाणा में जितने गांव हैं उनमें पशु औषधालय हैं। हमारे इलाके के जो आदमी उन गांवों के पशु औषधालय में जाते हैं तो हमारे आदमियों से दुर्भावना से कहते हैं कि पिछड़े हुए इलाके के लोग आ गये हैं, इनका इलाज जल्दी करें। मैं माननीय मंत्री महोदय से विधान सभा में निवेदन करना चाहता हूं कि यह दुर्भाग्य की बात है, कि मेरे इलाके के साथ इस तरह का व्यवहार हो।

श्री अध्यक्ष : आपने स्पष्ट नाम लिख रखे हैं इसलिये यह बात कहना मुश्किल हो जायेगी।

श्री सुजानसिंह यादव : यह तीनों ही गांव ऐसे हैं जो हरियाणा से लगते हैं, अध्यक्ष महोदय, जिनमें 25–30 किलो मीटर तक पशु चिकित्सालय, औषधालय है नहीं। इसलिये 84–85 में औषधालय खोलें तो इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा, मुझे तो उम्मीद यह थी, जो औषधालय दिये गये हैं उनके लिये धन्यवाद देने जा रहे हैं। जहां हरियाणा में 23 हजार पशुओं पर औषधालय है वहां 13200 के ऊपर बहरोड़ में एक पशु चिकित्सालय है। राजस्थान में कहीं किसी जगह ऐसा नहीं होगा। राजस्थान का टोटल एवरेज 30 हजार पर आता है। माननीय सदस्य ने तीन गांव ऐसे बताये हैं जो हरियाणा के बिल्कुल नजदीक सीमा पर हैं जहां पशुओं की संख्या बिल्कुल कम है। जैसा मैंने निवेदन किया, 200 औषधालयों का प्रावधान किया है और चिकित्सालय का एक भी प्रावधान नहीं है। माननीय सदस्य ने चिकित्सालय के लिये पूछा है। मैंने निवेदन किया कि इस साल हमारा कोई प्रावधान नहीं है इसलिये मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की पूर्ति करने में असमर्थ हूं।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, 83–84 में जो पशु चिकित्सालय खोले उसका क्या क्राइटेरिया रहा है। 50–50 हजार पशुओं की संख्या पर चिकित्सालय नहीं खोले गये और ऐसी जगह जहां 13–13 हजार पशु हैं वहां खोल दिये गये....

श्री भैरूलाल भारद्वाज : क्या ऐसा भी कोई चुनाव क्षेत्र है जहां एक भी औषधालय नहीं हो ?

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं तो सदन को जनता की भावनाओं से अवगत कराना चाहता था। हम हरियाणा से लगे हुए हैं। महेन्द्रगढ़ जिला हरियाणा में पिछड़ा हुआ इलाका है इसलिये वहां की सरकार ने उनको हर तरह की सुविधा दी है। मेरा इलाका उससे जुड़ा हुआ है इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि वहां का ध्यान रखें तो आपको धन्यवाद दूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जो खोले उसके लिये तो धन्यवाद दे दो।

श्री सुजानसिंह यादव : अब ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं होती। मेरा जो अधिकार है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप औषधालय ही दे दीजिये, चिकित्सालय न हो तो....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री चाव खां।

सड़कों के निर्माण के लिये पारित प्रस्ताव

270. **श्री चाव खां** (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 25-1-84 को भरतपुर में विधायकों व सांसदों की बैठक में सभी क्षेत्र में 45 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिये प्रस्ताव पास किये गये ?

(2) क्या वह प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा मंजूर हो चुके हैं ? यदि हां, तो कृपया क्षेत्रवार सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सड़कों पर कब से काम शुरू करा दिया जायेगा ? क्या कामां में 15 किलोमीटर सड़क प्रतिवर्ष बनाये जाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो सर्व प्रथम किस स्थल से और कहां तक की सड़क का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ हो जायेगा ?

राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम मीणा) : (1,2 एवं 3) दिनांक 25 जनवरी, 1984 को जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की एक बैठक भरतपुर में आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में सड़क बनाने हेतु प्रस्ताव किये गये। राज्य में मास्टर प्लान के अन्तर्गत सड़क बनाने की योजना विचाराधीन है अतः स्वीकृत सड़कों की सूची और कार्य प्रारंभ कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें, मुख्य मंत्री की 3 तारीख को भरतपुर में मीटिंग हुई उसमें सड़कों के बारे में प्रस्ताव किया गया। उसके बाद मीटिंग बुलाई जिसमें एम.एल.ए

(श्री चाव खां)

और अन्य सदस्य मौजूद थे उसमें भी 15 किलोमीटर सड़क करने का प्रस्ताव लिया गया। तो क्या वह सड़क पूरी हो चुकी है? और नहीं हुई, तो कब तक पूरी हो जायेगी?

श्री चेतराम मीणा : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जो विचाराधीन है। इसलिये अभी शुरू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव है उसके ऊपर भी सरकार सड़क बनाने को तैयार नहीं....

(व्यवधान)

श्री चेतराम मीणा : प्रस्ताव विचाराधीन है। स्वीकृति नहीं हुई है।

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार मंत्री महोदय को लिख कर दिया है और मुख्य मंत्री महोदय के सामने 3 तारीख को भी लिख कर दिया कि यह इतनी रद्दी सड़क है जो कामां से 3 किलोमीटर की दूरी पर है इसके लिये क्या सरकार सड़क बनाने का इरादा रखती है?

(व्यवधान)

श्री चेतराम मीणा : जिस सड़क के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं उसके बारे में पर्टिक्यूलर सड़क की सूचना तो मुझे नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने सदन के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना की थी कि इस बारे में अपने सुझाव दें। यदि माननीय सदस्य ने प्रथम प्राथमिकता में यह सड़क दी है तो उस पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा।

प्रश्न संख्या 271

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 272

श्री राधेश्याम !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 273

श्री भगवानदास डोसी !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री महाराम चौधरी।

नागौर निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था

274. **श्री महाराम चौधरी (नागौर) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री महाराम चौधरी)

(1) निर्वाचन क्षेत्र नागौर व नागौर शहर में अब तक किन किन अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के मोहल्ले में पेयजल पहुँचा दिया है ? कितने मोहल्लों को और पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सर्वेक्षण किया गया है ? कितने मोहल्ले पूर्णतया लाभान्वित हैं ? कृपया पूर्ण विवरण ग्रामवार व मोहल्लेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार कब तक अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लिये इन समस्त मोहल्लों में पेयजल पहुँचा देगी ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री देवेन्द्र सिंह) : (1) निर्वाचन क्षेत्र नागौर व नागौर शहर में जिन अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मोहल्लों के लिये पेयजल की व्यवस्था कर दी गई है उनकी ग्रामवार एवं मोहल्लेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। ये इनके सभी मोहल्ले पेयजल व्यवस्था से लाभान्वित हैं। नागौर निर्वाचन क्षेत्र के शेष अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मोहल्लों के लिये पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु अलग से कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(2) नागौर निर्वाचन क्षेत्र के शेष 29 गांवों के लिये भी पेयजल योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति कर दी गई है। वित्तीय साधनों की उपलब्धि के अनुसार इन गांवों में पेयजल की व्यवस्था की जावेगी जिससे कि इन गांवों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित एवं जन जाति के मोहल्लों को भी लाभ पहुँचेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह हैण्ड पम्प पेयजल उपलब्ध कराने के लिये हैं। क्या जो हैण्ड पम्प हैं उनका पानी पीने योग्य है ?

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन हैण्ड पम्पों का पानी पीने योग्य है उन पर निशान लगा हुआ है।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्टिक्यूजर नाम लेकर पूछना चाहता हूं, क्या गिडली गांव में जो हैण्ड पम्प है उसका पानी पीने योग्य है ?

श्री देवेन्द्र सिंह : पर्टिक्यूलर गांव के बारे में प्रश्न में नहीं पूछा गया है अतः सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुझ को जानकारी है। बुड़ला गांव में जो हैण्ड पम्प है उसका पानी पीने योग्य नहीं है। जिला स्तर पर इसका टेस्टिंग किया जा चुका है कि वास्तव में यह पीने योग्य पानी नहीं है। फिर गुड़ला गांव की हरिजन बस्ती में हैण्ड पम्प उपलब्ध होना बताया गया है, वह गलत नहीं है।

श्री देवेन्द्र सिंह : इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : यह अलग प्रश्न है। माननीय सदस्य यह पूछते हैं कि जो केमिकल एनेलिसिस हुआ है लेबोरेटरी में उसके क्या रिजल्ट्स आये हैं उसकी सूचना उपलब्ध करा दी जाती। आपने प्रश्न में पूछा है, "निर्वाचन क्षेत्र नागौर व नागौर शहर में" तो क्या नागौर नागौर निर्वाचन क्षेत्र से अलग थोड़े ही है।

श्री महाराम चौधरी : मैंने इसमें सम्मिलित हरिजन मोहल्लों के बारे में पूछा है।

श्री अध्यक्ष : आप किसी एक गांव का नाम लेकर पूछते तो वह सूचना उस गांव के बारे में उपलब्ध करा दी जाती।

श्री महाराम चौधरी : मैं यह पूछना चाहता हूं कि हरिजन मोहल्लों के अन्दर बहुत से हैण्ड पम्प बंद पड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, यह जो लिस्ट दी गयी है इसके अन्दर साफ लिखा है जो बड़े बड़े गांव हैं, जिनमें पेयजल योजना निर्माणाधीन है उनके लिये कोई प्रावधान है ही नहीं। क्या इससे यह समझ लिया जाये कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो हरिजनों के मोहल्ले में 50-60 घर हैं उनके अन्दर नीति के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। जो बड़े बड़े गांव हैं करडू, गुड़ा, मालपूड़ा, ये सब बड़े गांव हैं। विभिन्न हरिजन मोहल्ले में 50-60 घर हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री महाराम चौधरी : मेरे पूछने का मतलब यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हरिजन बस्ती है उसके अन्दर पानी उपलब्ध कराया जायेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। जो ढाणियां हैं वे बड़ी बड़ी हैं उनमें कोई राजपूतों की है, कोई जाटों की है, कोई विश्नोइयों की है और कोई कोई हरिजनों की हैं। इसमें जो आप करडू गांव का नाम ले रहे हैं वह मेरे गांव के पास ही है। इन ढाणियों को पानी दिया गया है वह पी. एन. आई. की स्कीम के अन्तर्गत दिया गया है इनके लिये अलग से पालिसी नहीं है। भारत सरकार से बराबर कोशिश कर रहे हैं कि इन ढाणियों को कवर करें और लाभान्वित करें, इसके लिये ज्यादा से ज्यादा धनराशि उपलब्ध करायी जानी चाहिये। इन बड़ी बड़ी ढाणियों के अंदर 500-400 की पापुलेशन है। यह नीतिगत प्रश्न है। सरकार की नीति है कि कम से कम एक सोर्स पानी का उपलब्ध करा दिया जाये। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन ढाणियों को कवर करने के सम्बन्ध में हम प्रयत्न करेंगे। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार विचार कर रही है। यह प्रश्न टिका हुआ है हम को साधन उपलब्ध होते रहें —

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री रघुवीरसिंह कौशल ।

पटेल नगर (जयपुर) कच्ची बस्ती में भूखण्डों का आवंटन

275. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) : क्या नगर आयोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1982–83 में पटेल नगर कच्ची बस्ती निवासियों को भूखण्डों के आवंटन किये हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर तथा किस वर्ष को मापदण्ड मान कर आवंटन किये गये ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्राधिकरण द्वारा निजी मकान मालिकों, बगैर शादीशुदा तथा नाबालिग बच्चों को भी भूखण्ड आवंटित किये हैं ? जिसकी शिकायतें वहां के निवासियों द्वारा मौके पर की गई हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री प्रद्युम्न सिंह) । (1) जी हां । भूखण्ड आवंटन का आधार बस्ती निवासियों के पास उपलब्ध 21.8.71 से पूर्व निवास प्रमाण एवं वर्ष 1971 व 1981 में जिलाधीश जयपुर द्वारा करवाये गये सर्वेक्षण में नाम होना है ।

(2) जी नहीं । बस्ती में दिनांक 4, 5, व 6 अप्रेल, 1983 को किस व्यक्ति को कौन सा भूखण्ड दिया जावे, के निर्धारण के लिये कैम्प रखा गया था । उक्त कैम्प में कुछ व्यक्तियों के बारे में मौखिक शिकायतें बस्ती वासियों द्वारा की गई थीं जिसकी जांच दिनांक 20.5.83 को तत्कालीन उपसचिव (आर) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की गई । जांच के निष्कर्ष के आधार पर ही भूखण्ड आवंटन किये गये ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, लिखित में भी जिन्होंने शिकायत की हैं उनको बिना बुलाये मनमाने ढंग से अलाटमेन्ट कर दिया गया है । मैं निवेदन करूं कि 1971 में जो काबिज थे और जिन्हें आवंटन किया गया था उनको 100 वर्ग गज के प्लाट का आवंटन किया गया था । आवंटन सूची में जिनका नाम था, उनको अब 50 वर्ग गज के प्लाट के आवंटन पत्र जारी किये गये हैं । आवंटन सूची में 100 वर्ग गज और आवंटन पत्र में 50 वर्ग गज । इस प्रकार की कई अनियमितता हुई हैं । यह पूरी सूची है । जिनको आवंटन पत्र 100 वर्ग गज के जारी हुए और जिनको आवंटन पत्र 50 वर्ग गज के जारी हुए उनकी सूची मेरे पास है । मैं आपको निवेदन करूं कि नाबालिग लड़कों, एक ही बाप के पुत्रों, जिनके पास में मकान है जिनके मकान झोटवाडा में हैं, जिनके मकान नम्बर दिये हैं उनको भी प्लाट अलाट कर दिये गये हैं प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा । अध्यक्ष महोदय, रामदेव पुत्र पन्नालाल है । यह इस वस्ती में कहीं

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

रहता नहीं है। यह फर्जी अलाटमेन्ट है। इसका मतलब है, प्राधिकरण द्वारा किसी को नाजायज कब्जा कराना था। इसमें यह नाबालिग लड़के हैं इन सब को अलाटमेन्ट किया गया है। झोटवाड़ा रोड पर मकान है। नाम है कन्हैयालाल। इसको भी अलाटमेन्ट किया गया है। इसका मकान है। जो एक ही बाप के पांच बेटे हैं उनको भी अलाटमेन्ट किया गया है। इनकी लिखित में शिकायत है। इन लिखित शिकायत पर कोई कार्यवाही न कर मनमाने ढंग से, पैसा लेकर, प्रभावित होकर, लोगों को गलत अलाटमेन्ट कर दिये गये हैं और शिकायतकर्ता को नहीं बुलाया गया है। एक नाम है बालूराम, इनके चार पुत्र हैं, नंद किशोर, नानगराम। एक ही परिवार है। चौमूं रोड पर इनके स्वयं के मकान बने हुए हैं। ऐसे लोगों, जो अनधिकृत हैं, को अलाटमेन्ट हो गया है। जो 1971 से पहले के काबिज हैं, जिनको आवंटन सूची में 100 वर्ग गज प्लाट दिये गये हैं उनको 50 वर्ग गज के प्लाट दिये गये हैं। जिनके मकान हैं उनको भी प्लाट दिये गये हैं। शिकायत होने के बाद भी और शिकायतकर्ता को नहीं बुलाया गया। मेरे पास यह सूची है। अध्यक्ष महोदय, जयराम प्रसाद, लादूराम, सत्तुराम, इनको 100 वर्ग गज के प्लाट अलाटेड हैं। यह सूची मेरे पास है। क्या मंत्री महोदय इस प्रकार की मनमानी करने वाले अधिकारी को सस्पेण्ड करेंगे जिसने जान-बूझ करके यह कार्यवाही की है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक यह प्रश्न है कि जिसका 100 वर्ग गज की सूची में नाम था उसको 50 वर्ग गज के प्लाट का ही आवंटन किया गया है, यह एक गंभीर मामला है। मैं इसकी जांच करूंगा।

जहां तक किसी अधिकारी को सस्पेण्ड करने का प्रश्न है, जब तक इसकी जांच नहीं हो जाये, यह संभव नहीं है। किसी के एलीगेशन के आधार पर सस्पेण्ड करना मुनासिब नहीं है। नम्बर एक।

दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया, यह बात सही है कि मौके पर जांच के लिए जो शिकायत की गई, उस शिकायत की जांच की गई और जांच के उपरान्त कोई तथ्य सही नहीं पाये गये। इस पर यह कहा गया कि शिकायतकर्ता को नहीं बुलाया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मौके पर जांच की गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि उनके रिश्तेदारों के मकान उनके नाबालिग लड़कों को आवंटित कर दिये गये। इसके लिए यह शिकायत की गई कि यह अविवाहित है, इनको देने का कोई नियम नहीं है।

श्री गोपाल पचेरवाल : पुष्पाजी अविवाहित हैं इनके पास जमीन कैसे है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, उसके उपरान्त इसकी जांच की है। अध्यक्ष महोदय, उस अधिकारी को मैं जानता हूं, बहुत अच्छी आफिसर हैं, शान्ती व्यास है,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कानून के दायरे से हिलती-डुलती नहीं है। उन्होंने इसकी जांच की थी। उनका इस विभाग से ट्रान्सफर भी हो गया है। उनके कार्य से मैं सन्तुष्ट था। इन सब जांच के बावजूद भी कोई शिकायत यदि रह गई है तो माननीय सदस्य लिखित में शिकायत दे दें, मैं इसकी विस्तार से जांच निश्चित से करवाऊंगा। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री राजबहादुर : मेरा एक निवेदन है कि प्रश्न संख्या 289 को पहले देख लें। श्री व्यास के नाम का शिलालेख हटवाया, इसके बारे में स्पष्ट हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : यह तो बहुत दूर है। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। ऐसी कोई परम्परा भी नहीं है।

प्रश्न संख्या 276

अगला प्रश्न। श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर।

श्री बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से....

(व्यवधान)

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हंसराज शर्मा।

राज्य में आयुर्वेद औषधालयों के भवन

277. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में आयुर्वेद के औषधालय जो चल रहे हैं उनमें बहुत से भवन आज भी विभाग के नाम पर नहीं हैं? यदि हां, तो जनवरी, 1984 तक राजस्थान में कुल कितने भवन विभाग के हैं तथा दानदाताओं के नाम पर कितने हैं तथा यह भवन कब-कब से काम में लिये जा रहे हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रति वर्ष उन औषधालय भवनों के रख रखाव का बजट दिया जाता है? यदि हां, तो जो भवन विभाग के नाम पर नहीं हैं उनके रख रखाव के लिए क्या प्रावधान है और अब तक उन पर सरकार द्वारा गत तीन सालों में कितनी राशि खर्च की गई है?

(3) क्या यह भी सही है कि कई स्थानों पर दानदाताओं द्वारा खातेदारी की भूमि दी गई थी और आज भी उसका लगान देना पड़ता है और वह भूमि उनकी खातेदारी में चल रही है? यदि हां, तो किस किस जिले में कितने कितने औषधालय इस प्रकार के बने हुए हैं और अभी तक विभाग द्वारा उनको अपने नाम नहीं किराये जाने का क्या कारण है?

(श्री हंसराज शर्मा)

(4) क्या यह भी सही है कि जिला सवाई माधोपुर को सन् 1983 में औषधालयों के संधारण हेतु राशि दी गई थी? यदि हां, तो जिले के लिए कुल कितनी राशि दी गई थी तथा उसका उपयोग किस किस स्थान पर किया गया है ?

राज्य मन्त्री, आयुर्वेद (श्री दिनेश डांगी) : (1) जी हां। जनवरी, 1984 तक 799 भवन ऐसे थे जो कि या तो विभाग द्वारा निर्मित कराये गये थे या जिनकी रजिस्ट्रीयां विभाग के नाम हो चुकी थीं। अभी भी 604 भवन ऐसे हैं, जिनकी रजिस्ट्रीयां विभाग के नाम दानदाताओं ने नहीं करायी है तथा काफी लम्बे समय से विभाग इनका उपयोग कर रहा है।

(2) जिन भवनो की रजिस्ट्रियां विभाग के नाम हो चुकी हैं या जो राजकीय भवन हैं, उनके रख–रखाव व मरम्मत के लिये बजट में प्रावधान किया जाता है। जिन भवनों की रजिस्ट्रीयां अभी तक भी विभाग के नाम दानदाताओं ने नहीं करायी है, प्रायः उनकी मरम्मत व रख-रखाव के लिये कोई बजट नहीं दिया जाता है। गत तीन वर्षों में हुए व्यय की सूचना निम्न प्रकार है—

वर्ष	व्यय राशि
1980–81	41,190–00
1981–82	37,625–00
1982–83	28,761–00

(3) जी नहीं। विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार किसी भी दानदाता द्वारा ऐसी खातेदारी भूमि औषधालय भवन निर्माण हेतु दान में नहीं दी गई है जिस पर दानदाता द्वारा कोई लगान दिया जाता हो।

(4) जी हां। वित्तीय वर्ष 1983–84 में सवाईमाधोपुर जिले के औषधालय भवनों के संधारण हेतु 6960–00 का बजट स्वीकृत किया किया गया है। औषधालय वार स्वीकृत धनराशि का विवरण परिशिष्ट–1 में सदन के पटल पर रख दिया गया है। खर्च का विवरण वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद ही दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

श्री हंसराज शर्मा : माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि 604 भवन ऐसे है जिनकी रजिस्ट्रीयां विभाग के नाम दानदाताओ ने नहीं करायी है। इन भवनो का विभाग कब से उपयोग कर रहा है?

दूसरा प्रश्न यह है कि जिन भवनों की रजिस्ट्रियां अभी तक भी विभाग के नाम दानदाताओं ने नहीं करायी है उनके मेन्टीनेन्स के लिए राज्य सरकार को कितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ती है ?

तीसरा प्रश्न यह है जब से आप उपयोग कर रहे हैं उनका मेन्टीनेन्स नहीं होने की वजह से, रख-रखाव नहीं होने की वजह से क्या उनकी स्थिति दयनीय हो गई है ? यदि हाँ, तो उनको ठीक करायें।

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी ।

श्री दिनेश डांगी : 799 भवन ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रीयां विभाग के नाम हो चुकी हैं। 604 भवन ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रीयां विभाग के नाम नहीं हैं। ये भवन अलग अलग समय के हैं····

श्री अध्यक्ष : जितने भी भवन बनाये हैं सभी में यही समस्याएं सामने आती है।

श्री दिनेश डांगी : इसका इलाज क्या है।

श्री अध्यक्ष : इसका इलाज तो आप ही करेंगे।

श्री दिनेश डांगी : यह तो दानदाताओं की मर्जी है। कुछ दानदाताओं ने अपनी निजी शर्तें लगा रखी हैं उस कारण भी रजिस्ट्रियां नहीं हो पाती हैं। कई ऐसे भवन हैं जो 20,000 से ज्यादा के नहीं हैं। इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है कि 50,000 तक रजिस्ट्री को डायरेक्टर को पावर दे दी जाये।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि आयुर्वेद भवनों की मरम्मत के लिए जो सूची दी है, जैसे सवाई-माधोपुर के लिए आपने 6960–00 रुपये का बजट स्वीकृत किया है। अध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर जिले के गांव बहरावड़ा कलां के लिए 200/–, बहरावड़ां खुर्द 150/–रुपये, छोटी उदई 100/–रुपये, महस्वा के लिए 50/–रुपये मरम्मत के लिए रखे हैं। इस बारे में मेरा निवेदन है कि इतनी कम राशि में कोई भी पुताई, मरम्मत का काम नहीं हो सकता।

श्री दिनेश डांगी : जितना भी बजट में प्रावधान था, उसके अनुसार किया गया है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री देवदत्त तिवाड़ी।

तिलवाड़ा पशु मेले के विकास पर व्यय

278. **श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर)** : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछले बीस वर्षों में तिलवाड़ा जिला बाड़मेर के पशु मेले के विकास के लिए कोई पैसा व्यय नहीं किया गया है ? यदि कोई पैसा व्यय किया गया है, तो कृपया वर्ष 1964 से 1984 तक की वर्षवार कुल आय और उन्हीं वर्षों में मेला स्थल पर विकास पर व्यय के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार को राज्य स्तरीय मेलों की शुद्ध आय का 25 प्रतिशत मेला स्थल विकास पर व्यय करने का प्रावधान है?

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

(3) क्या सरकार उक्त मेला स्थल पर विद्युत व्यवस्था करने का प्रबन्ध करेगी ?

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्री श्रीराम गोटेवाला) : (1) जी नहीं।

(2) वर्ष 1964 से 84 तक वर्षवार आय का ब्योरे की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। विकास कार्यों पर जो खर्चा वर्ष 1977, 1981 से 1984 तक किया गया है उसका विवरण सूची में ही दर्शाया गया है।

(3) राजस्थान पशु मेला अधिनियम एवं नियम के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(4) जी, हां।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

(12.00 मध्याह्न)

श्री देवदत्त तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह जानकारी करना चाहूंगा, तिलवाड़ा मेला बाड़मेर जिले का बहुत बड़ा मेला है, बाड़मेर जिले का ही नहीं सारे राजस्थान का एक बहुत बड़ा मेला है। फिर भी पशुओं के लिये पेयजल और किसानों के लिये पेयजल और बिजली के लिये कोई भी अच्छी व्यवस्था आज तक नहीं की है जब कि यह सूची निश्चित रूप से यह बताती है कि लाखों रुपये सरकार ने इससे कमाये हैं। इस वर्ष भी केवल 4 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। यह बहुत थोड़ा है। ऐसे मेलों के लिये तो आपको अच्छा प्रावधान करना चाहिए। इसको समुन्नत करेंगे तो यह बहुत अच्छा मेला होगा। गुजरात तक जानवर जाते हैं और यह बहुत ही अच्छा मेला है। इसको और अच्छा बनाने के लिये आप क्या करना चाहते हैं ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस मेले के संबंध में जो कुछ कहा है मैं उससे सहमत हूं। मैंने जो आय–व्यय के आंकड़े दिये हैं वे इस बात को साफ दर्शाते हैं कि 1981 में 1 लाख 91 हजार 261 रु. 10 पैसे की आय हुयी और 44 हजार 837 रुपये का व्यय किया गया....

श्री देवदत्त तिवाड़ी : एक मिनट।

20 वर्षों का मैंने इसलिये ही पूछा है। एक वर्ष का तो आपने बता दिया उसमें ज्यादा खर्च हुआ उससे क्या होता है....

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य थोड़ी तसल्ली रखें तो मैं यह निवेदन कर दूं कि लगातार मेले की सुव्यवस्था करने के लिये योजनाबद्ध तरीके से इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य स्वयं

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

जानते हैं मैं स्वयं भी उस मेले में जाकर ग्राया हूं। नदी के बीच में मेला भरता है। मल्लीनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। मल्लीनाथ के मंदिर के साथ उसकी धार्मिक भावनायें जुड़ी हुयी हैं इसलिये न वहां का स्थान चेंज कर सकते हैं, न दूसरी कोई व्यवस्था ढंग की वहां पर करवा सकते हैं। मैं माननीय सदस्य को इतना ग्राश्वस्त करना चाहता हूं कि बिजली ग्रौर पानी की समुचित व्यवस्था की जायेगी। ग्रध्यक्ष महोदय, जैसा ग्राप स्वयं जानते हैं, ग्राप वहां की सारी व्यवस्थाग्रों से परिचित हैं वह नदी के बीच में भरता है इसलिये हम कोई भवन भी नहीं बना सकते हैं ग्रौर न कुछ कर सकते हैं। क्योंकि किसी दिन पानी ग्रा जाये तो सारा का सारा निर्माण कार्य बह जायेगा। मैं स्वयं एक तारीख को वहां जा रहा हूं। ग्रापको इतना ही ग्राश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बारे में सोच रही है कि मेले से जितनी ग्रामदनी होती है उसका करीब 25 प्रतिशत इस मेले में सुव्यवस्था करने के लिये, ग्रच्छी व्यवस्था के लिये व्यय करने का प्रावधान रखे।

श्री ग्रध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुग्रा।

श्री राजबहादुर : मैंने प्रश्न 289 के लिये कहा था।

श्री ग्रध्यक्ष : सम्भव नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री राजबहादुर : स्थगित कर दें।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रन्य किसी तरीके से उठायें। कई माध्यम हैं हमारे प्रश्नों के बारे में। प्रश्न काल समाप्त हुग्रा।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों को तारांकित प्रश्नोत्तर

तलावड़ा-सेनायपुर पक्की सड़क का निर्माण कार्य

271 **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाईमाधोपुर कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा तहसील खण्डार के ग्राम तलावड़ा-सेनायपुर पक्की सड़क की कब स्वीकृति दी गई ?

(2) ग्रब तक इस सड़क के पूर्ण नहीं होने के क्या कारण रहे एवं राज्य सरकार ने इसको पूर्ण करवाने के लिए ग्रब तक क्या प्रयास किये ?

(3) क्या ग्रब राज्य सरकार इस ग्रपूर्ण सड़क को पूरा करवाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो क्या इस वित्तीय वर्ष में कार्य ग्रारम्भ कर दिया जावेगा ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तलावड़ा से नायपुर सड़क की स्वीकृति वर्ष 1975–76 में की गई थी।

(2) ठेकेदार द्वारा कार्य बन्द कर दिये जाने एवं डिस्ट्रिक्ट एवं सैशन कोर्ट सवाईमाधोपुर में उन द्वारा वाद दायर कर देने के कारण अभी तक सड़क को पूर्ण कराने की कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी।

(3) जी हां। सड़क के अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने हेतु इस वित्तीय वर्ष में निविदायें आमन्त्रित कर ली गई हैं। शेष कार्य 1984–85 में पूरा होने की सम्भावना है।

गंगानगर सहकारिता क्षेत्र में स्पिनिंग मिल

272. श्री राधेश्याम (गंगानगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्रीगंगानगर में सहकारिता क्षेत्र में एन. सी. डी. सी. के सहयोग से एक स्पिनिंग मिल लगाने का प्रस्ताव है ? क्या इस परियोजना हेतु तकनीकी सर्वे भी हो चुका है ? यदि हां, तो कृपया योजना का विवरण एवं प्रारूप की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सहकारिता क्षेत्र में स्थापित होने वाली उक्त स्पिनिंग मिल को रीको द्वारा भूमि उपलब्ध कराई गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(3) क्या राज्य सरकार प्रस्तावित स्पिनिंग मिल के कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) एन. सी. डी. सी. के सहयोग से राज्य में अब तक कितनी स्पिनिंग मिलें अथवा उद्योग सहकारिता क्षेत्र में लगाये गये हैं ? कृपया उनके उत्पादन एवं प्रगति के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गंगानगर जिले में एक स्पिनिंग मिल राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के सहयोग से एन. सी. डी. सी. तृतीय योजना के अन्तर्गत स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय होने पर योजना का विवरण आदि बनाया जावेगा। आल इण्डिया फैडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, द्वारा राजस्थान में कपास की उपलब्धता के बारे में सर्वेक्षण किया गया था।

(2) जी नहीं।

(3) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से स्पिनिंग मिल की स्थापना के संबंध में

(सहकारिता मन्त्री)

निर्णय प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा सकेगी ।

(4) एन. सी. डी. सी. के सहयोग से संलग्न तालिका के परिशिष्ट "अ" के अनुसार स्पिनिंग मिल अथवा उद्योग लगाये गये हैं। जिनके वर्ष 82–83 के उत्पादन एवं प्रगति के आंकड़े अंकित कर दिये गये हैं ।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

चौहटन विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य उप-केन्द्र

273. श्री भगवान दास डोसी (चौहटन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चौहटन विधान सभा क्षेत्र में कितने स्वास्थ्य उप केन्द्र स्वीकृत हैं ?

(2) उक्त केन्द्रों में कितनी ए. एन. एम कार्यरत हैं ?

(3) क्या उक्त केन्द्रों में ए. एन. एम. के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो इनकी पूर्ति कब तक करदी जावेगी ?

उत्तर

(1) चौहटन विधान सभा में कुल 22 उप केन्द्र स्वीकृत हैं ।

(2) उपरोक्त 22 उपकेन्द्रों में से 10 में प्रसाविकायें कार्यरत हैं ।

(3) जी हां । प्रशिक्षित स्टाफ की कमी है । कुछ पद मई-जून 84 तक भरे जा सकेंगे ।

वन भूमि पर नाजायज कब्जे

276. श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (मावली) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वन भूमि पर दिसम्बर, 1983 तक कुल कितने नाजायज कब्जे कितने क्षेत्र पर हैं ?

(2) इन नाजायज कब्जों के आधार पर कितने परिवारों से कितनी धनराशि पैनल्टी के रूप में वसूल की गई है ?

(3) जिस भूमि को किसानों, आदिवासियों ने आबाद कर दी है, सिंचाई साधन जुटा लिये हैं, मकान बना लिये हैं उस जमीन को नियमित करने हेतु राज्य सरकार कोई नीति निर्धारित कर कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वन भूमि पर दिसम्बर, 1983 तक कुल 24188 नाजायज कब्जे 18439–25 हैक्टेयर क्षेत्र पर थे ।

(राज्य मन्त्री, वन)

(2) नाजायज कब्जों के आधार पर 20579 प्रकरणों में 10,67,017 रु. शास्ति वसूल की गई हैं।

(3) प्रचलित राज्यादेशों के अनुसार 1 जनवरी, 1971 से पूर्व के नाजायज कब्जों का नियमन किया जा सकता है। जिनके नियमन हेतु कार्यवाही की जा रही है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (केन्द्रीय अधिनियम) के राजस्थान में लागू होने के पश्चात् अब किसी भी वन भूमि को भारत सरकार की अनुमति के बगैर अन्य कार्यों के लिए प्रयोग में नहीं लिया जा सकता है और न ही अतिक्रमण आदि के नियमन की कार्यवाही की जा सकती है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान के सभी जिलों के समाचार–पत्रों की मान्यता

323. श्री बंशी लाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के सभी जिलों से सन् 1981–82, 1982–83 तथा 1983–84 में किन-किन समाचार पत्रों के सम्पादकों ने विज्ञापन की मान्यता प्राप्त करने की दृष्टि से आवेदन किये और इनमें से किन-किन समाचार पत्रों को मान्यता मिल गई ? कौन कौन ऐसे हैं जिनको मान्यता न देकर उनकी पत्रावलियां निरस्त करदी गई ?

(2) ऐसे समाचार पत्रों की मान्यता निरस्त करने के पीछे कारण क्या रहे हैं ?

(3) जिन्हें मान्यता दी गई उनकी प्रतियां कितनी निकलती हैं और किन-किन शहरों में जाती हैं।

(4) क्या समाचार पत्रों की जिन शहरों में प्रतियां जाती हैं उसकी भौतिक जांच कराई गई है ? यदि नहीं, तो किस आधार पर पत्र को मान्यता दी गई ? कृपया सविवरण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची "क" तथा "ख" संलग्न है।

(2) सूची "ख" में उल्लिखित है।

(3) सूची "क" में उल्लिखित है।

(4) जी हां।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

वर्ष 1980 से फरवरी 1984 तक आमेर व जयपुर में हुए "अग्निकाण्ड"

342. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(सुश्री पुष्पा जैन)

(1) 1980 से फरवरी 1984 तक आमेर एवं जयपुर तहसील के कितने गांवों में "अग्नि काण्ड" हुए व उनका कितना कितना नुकसान आंका गया ?

(2) इन परिवारों को राज्य सरकार के किस-किस मद से कितनी सहायता दी गई ?

उत्तर

(1) सन् 1980 से फरवरी 1984 तक जयपुर जिले की तहसील आमेर एवं जयपुर में जो अग्नि काण्ड हुए उनके बाबत सूचना निम्न प्रकार है :—

नाम तहसील	प्रभावित गांवों की संख्या	प्रभावित परिवारों की संख्या	नुकसान की अनुमानित राशि (लाख रु. में)
आमेर	198	624	43.64
जयपुर	219	757	42.66

(2) अग्नि काण्ड पीड़ित परिवारों में से जिन्हें सहायता पाने योग्य माना गया उनको मद संख्या 289–प्राकृतिक आपदाओं से तहसील आमेर में रु. 2,24,838/– एवं तहसील जयपुर में रु. 2,74,827/– सहायता के रूप में स्वीकृत किये गये। अन्य विभागों की मदों से यदि कोई सहायता दी गयी हो तो उसकी जानकारी सहायता विभाग को नहीं है।

हैण्डलूम कपड़े की खरीद पर भारत सरकार द्वारा 20 प्रतिशत का पुनर्भरण

325. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान हाथ करघा-परियोजना मण्डल जयपुर द्वारा बेचे जाने वाले हैण्डलूम कपड़े पर पांच सौ रुपये से कम खरीददार को भारत सरकार द्वारा 20 प्रतिशत का पुनर्भरण किया जाता है

(2) क्या यह भी सही है कि यह पुनर्भरण सरकारी, अर्धसरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं को नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या मण्डल ने इस निषेध के बावजूद नगर परिषद् जयपुर व ऐसे अन्य विभागों को बेचे गये कपड़े पर भी यह 20 प्रतिशत की पुनर्भरण राशि भारत सरकार से प्राप्त की है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। बिक्री 500 रुपये से कम हो अथवा अधिक हो, छूट सभी को मिलती है जिसका आधा पुनर्भरण भारत सरकार द्वारा तथा आधा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यह छूट 20 प्रतिशत

(उद्योग मन्त्री)

की दर से विशेष रूप से घोषित अवधि में एक बिल की बिक्री पर दी जाती है किन्तु छूट की अधिकतम सीमा सूती वस्त्र पर 100 रुपया, रेशमी वस्त्रों पर 200 रुपया एवं ऊनी वस्त्रों पर 300 रुपया है।

(2) जी नहीं। इस प्रकार का कोई निर्देश नहीं है।

शिव टिन फैक्ट्री, दौसा को प्लेट्स का आवंटन

326 **श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) एवं सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शिव टिन फैक्ट्री, दौसा को टिन प्लेट्स का आवंटन किया गया ? यदि हां, तो किस-किस वर्ष में कितना ?

(2) क्या यह सही है कि इन टिन प्लेट्स को काले बाजार में बेचा गया है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई जांच कराई गई है ? यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

(3) क्या यह सही है कि यह फैक्ट्री सन् 1979 में बन्द करदी गई परन्तु इसके उपरांत भी इनको टिन प्लेट्स का आवंटन किया गया ? यदि हां, तो क्यों, कितना और कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि इन टिन प्लेट्स से उत्पादित माल के विक्रय के संबंध में दिये गये विवरण का कोई सत्यापन नहीं कराया गया ? यदि नहीं, तो यह सत्यापन किसके द्वारा तथा कब कराया गया है और सत्यापन के क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) मैसर्स शिव टिन फैक्ट्री, दौसा को टिन प्लेट्स का आवंटन भारत सरकार द्वारा नियुक्त एजेन्सी टिन प्लेट कम्पनी कलकत्ता द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	टिन प्लेट की मात्रा (मैं. टनों में)
1973–74	8.7
1974–75	35.2
1975–76	191.2
1976–77	148.0
1977–78	96.4
1978–79	49.8
1979–80	156.0
1980–81	—
1981–82	111.8
1982–83	492.0
1983–84	769.0

(2) इकाई के विरुद्ध टिन प्लेट्स की कालाबाजारी की शिकायत प्राप्त होने पर

(ঠ

(उद्योग मन्त्री)

जांच की गई। जांच में कालाबाजारी का आरोप सही नहीं पाया गया।

(3) उद्योग विभाग द्वारा मै. शिव टिन फैक्ट्री, दौसा को निर्माण हेतु अवंटित गर्डर का सही उपयोग नहीं किये जाने के कारण इस इकाई को दिनांक 16.11.79 को अपंजीकृत किया गया किन्तु इकाई द्वारा राज्य सरकार को अपील करने पर रिवीजन आदेश दि. 24.10.80 के फलस्वरूप दिनांक 26.11.80 को अपंजीकृत आदेश वापिस लिया गया। अपंजीकृत आदेश वापिस लेने के कारण आवंटन प्राप्त हुआ जिसकी सूचना प्रश्न भाग 1 के उत्तर में अंकित है।

(4) इकाई को प्राप्त कच्चे माल की उपयोगिता का सत्यापन उद्योग विभाग द्वारा किया गया। इकाई के द्वारा उत्पादित माल को विभिन्न इकाइयों को विक्रय का सत्यापन उद्योग विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

योजना अन्तर्गत जिलों को दी गई राशि

327. **श्री देवदत्त तिवाड़ी** (बाडमेर): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य के विभिन्न जिलों में राजकीय योजना के अन्तर्गत कितनी राशि राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दी गई है तथा उसमें कितनी व्यय हुई है ? कृपया जिलेवार पृथक् पृथक् आंकड़े देने का कष्ट करें।

उत्तर

राज्य योजना के अन्तर्गत विभिन्न जिलों को वर्ष 1983–84 की आवंटित राशि की सूचना संलग्न है।

जिलेवार व्यय के आंकड़े वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

पाली जिले की पंचायत समितियों में व्यय की गई धनराशि

328. **श्री भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची): क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, देसूरी व रानी पंचायत समितियों में जून 1980 से दिसम्बर 1983 के दौरान विभिन्न कार्यों पर कितनी धन राशि खर्च की गयी ? ग्राम पंचायत व कार्य के नाम वार धन राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कार्य वर्तमान में किस स्थिति में है ?

(श्री भैरूं सिंह गुर्जर)

(3) किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की जानी प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) वर्ष जून, 80 से दिसम्बर, 83 तक पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, देसरी व रानी से कराये गये कार्यों (डी. डी. पी. । डी. पी. ए. पी. । बॉयोगैस माडा । एन.आर. ई. पी.) एवं उन पर व्यय की राशि का विवरण संलग्न सूचियों में प्रेषित है ।

(2) विभागीय सूचनाओं के अनुसार कार्य पूर्ण । अपूर्ण की सूचना उल्लिखित सूचियों में दर्शाई गई है ।

(3) कार्यों पर प्रस्तावित व्यय राशि का विवरण प्रत्येक कार्य के आगे संलग्न सूचियों में अंकित किया गया है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

सहकारी गृह निर्माण समितियों के पंजीयन, हेतु पैण्डिंग दरख्वास्तें

329. **श्री आत्माराम** (हनुमानगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

किस-किस जिले में कितनी–कितनी दरख्वास्तें सहकारी गृह निर्माण समितियों के पंजीयन के लिये पैण्डिंग पड़ी हैं और कब से व क्यों ?

उत्तर

केवल चूरू, पाली जयपुर एवं कोटा जिले में क्रमशः 2,1,3 एवं 2 गृह निर्माण सहकारी समितियों के पत्रादि पंजीयन हेतु विचाराधीन है जिनका विवरण सलग्न है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

केन्द्रीय सहकारी बैंक अजमेर के अधीन ऋणदात्री सहकारी समितियां

330. **श्री तुलसीराम** (केकड़ी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्रीय सहकारी बैंक अजमेर के अधीन कुल कितनी प्राथमिक ऋणदात्री सहकारी समितियां कार्यरत हैं और इनके माध्यम से सहकारिता वर्ष 1982–83 में कितना-कितना अल्पकालीन ऋण प्रत्येक द्वारा वितरित किया गया था ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस सहकारिता वर्ष 1982-83 में वितरित अल्पकालीन ऋण के विरुद्ध प्रत्येक ऋणदात्री सहकारी समिति ने अब तक कितनी-कितनी वसूली कर ली है ? इस वसूली में से कितनी राशि सामान्य ब्याज

(श्री तुलसीराम)

से व कितनी राशि दांडिक ब्याज से वसूल हुई है ?

(3) सहकारिता वर्ष 1982-83 में वितरित अल्पकालीन ऋण में से कितना अवधि पार हो चुका है और उसे किस प्रक्रिया से कितने दांडिक ब्याज सहित वसूल किया जायगा ?

उत्तर

(1) केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. अजमेर के अधीन कुल 162 प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां कार्यरत हैं। इनमें से 117 समितियों के माध्यम से सहकारिता वर्ष 82–83 में 120.55 लाख रुपये का अल्पकालीन ऋण वितरित किया गया था। ऋण वितरण की समितिवार सूची परिशिष्ट (ए) पर संलग्न है।

(2) सहकारिता वर्ष 82–83 में वितरित अल्पकालीन ऋण में से सहकारी समितियों से अब तक 31.75 लाख की वसूली हुई है। इस वसूली में से 19.27 लाख रुपये सामान्य ब्याज दर एवं 52.48 लाख दण्डनीय ब्याज दर से वसूल हुए हैं। समितिवार सूचना परिशिष्ट (ए) पर संलग्न है।

(3) सहकारिता वर्ष 82–83 में वितरित अल्पकालीन ऋण में से 48.64 लाख रुपये अवधिपार हो चुके हैं। उक्त राशि को सामान्य ब्याज के अतिरिक्त 3 प्रतिशत वार्षिक दण्डनीय ब्याज के साथ वसूल किया जावेगा। अवधिपार ऋण की वसूली राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 117 व 118 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

कोटा सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार हेतु बनी पर्चेज कमेटी

331. **श्री मालाराम** (खेतड़ी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. कोटा द्वारा उपहार एवं जनता दुकानों के काउन्टर से विक्रय हेतु माल खरीदने के लिये कोई पर्चेज कमेटी बनी हुई नहीं है ? यदि हां, तो अब तक माल किस प्रक्रिया से खरीदा जा रहा है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस तरह खरीदा गया माल नहीं बिकने से भण्डार में डम्प हो रहा है ? यदि हां, तो एक वर्ष पहले का खरीदा हुआ कौन-कौनसा माल कितनी कीमत का भण्डारों में पड़ा है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इस तरह खरीदे गये माल को भारी डिस्काउन्ट पर भी

(श्री मालाराम)

बेचा गया ? यदि हां, तो कौन-कौनसा माल कब-कब कितने-कितने डिस्काउन्ट पर बेचा गया और उससे भण्डार को कितनी हानि हुई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विवरण का प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी नहीं। विवरण का प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी नहीं। विवरण का प्रश्न नहीं उठता।

कोटा सहकारी उपभोक्ता होल-सेल भण्डार के कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप

332. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कोटा सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. कोटा के कर्मचारियों के विरुद्ध शार्टेज, गबन व अन्य आर्थिक अनियमितताओं के आरोप आडिट रिपोर्ट्स, इन्सपेक्शन रिपोर्ट्स, भौतिक सत्यापन एवं जांचों से सामने आये हैं ? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या शार्टेज, गबन तथा आर्थिक अनियमितता कब-कब से है और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

आदर्शनगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड अजमेर की सदस्या द्वारा शिकायतें

333. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आदर्शनगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, अजमेर की एक सदस्या ने समिति में व्याप्त अनियमितताओं, भ्रष्टाचार आदि की समय-समय पर सरकार व रजिस्ट्रार को शिकायतें प्रेषित की हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग ने इन शिकायतों की जांच हेतु दिनांक 3-6-1982 को सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, अजमेर को शिकायतों की बिन्दुवार जांच कर 15 दिन में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे और जांच में संबंधित सदस्या का सहयोग लेने की अपेक्षा भी की थी ?

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) क्या यह जांच की जाकर रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे और उस पर अब तक का क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो अभी तक जांच नहीं करने के दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी और अब जांच कब तक करा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट 31.5.83 को सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, अजमेर को प्राप्त हो चुकी है। रिपोर्ट में कुछ अनियमिततायें जैसे समय पर वार्षिक आम सभा नहीं बुलाना, सहायक रजिस्टार के निर्देशों के बार बार लिखने के बावजूद पालना नहीं करना, समिति में बिना सुरक्षित एवं अन्य कोषों का सृजन किये लाभांश वितरण करना, अवधिपार ऋणों की समय पर वसूली नहीं करना, अंशकालिक कर्मचारी की नियुक्ति तथा वर्ष 71-72 की आडिट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होना प्रकाश में आई हैं। तथ्यात्मक जांच में गबन व धन के दुरुपयोग की कोई बात नहीं बताई गई है। शिकायत प्राप्त होने पर समिति की प्रबन्धकारिणी का चुनाव करवाया दिया गया था। जिससे काफी शिकायतें स्वतः ही समाप्त हो गई थीं। बकाया की वसूली हेतु राजस्थान सह. संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 117, 118 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

नागौर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक में कर्मचारियों के रिक्त पद

334. **श्री रामधन (लाडनूं)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या नागौर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक में कर्मचारियों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने तथा इनकी पूर्ति कब तक करदी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि सहकारी बैंक कर्मचारीगण वसूली करते समय किसानों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि स्टाफ की कमी के कारण ही वसूली की गति धीमी है तथा ऋण वितरण में भी इसी कारण विलम्ब होता है ?

(4) क्या यह भी सही है कि बैंक की शाखा लाडनूं द्वारा पिछली साल समय पर ऋण नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० में 9 अधिकारियों, 9 लिपिकों, 4

(सहकारिता मन्त्री)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व 1 शीघ्र लिपिक के पद रिक्त हैं। इनकी पूर्ति हेतु शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। स्टाफ की कमी के कारण वसूली की गति धीमी नहीं हुई है तथा ऋण वितरण में भी विलम्ब नहीं हुआ है।

(4) जी नहीं। बैंक की शाखा लाडनू द्वारा पिछले साल समय पर ऋण वितरण कर वर्ष 1982–83 में 15.39 लाख का ऋण वितरण किया गया।

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर के वाहन

335. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर के पास वर्तमान कितने वाहन, कारें, जीपें, मेटाडोर, ट्रक, मोटर साइकिलें आदि हैं और ये कब कब खरीदी गई थीं?

(2) दिनांक 1-4-81 से दिनांक 31-1-84 तक ये वाहन कुल कितने चल चुके हैं, किस किस ने इनका उपयोग किया है और इनके पेट्रोल, डीजल तथा मरम्मत पर कुल कितना खर्चा किया गया है? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि० के पास निम्न वाहनें हैं, जिनकी खरीद की दिनांक उनके सामने अंकित है:—

क्र. सं.	वाहन	वाहन संख्या	दिनांक खरीद
1.	कार	आरएसबी–5091	19–11–79
2.	कार	आरआरबी–7909	15–7–81
3.	एफ. सी.	आरएसबी–5984	15–11–79
4.	डिलीवरी वाहन	आरआरबी–9766	30–7–81
5.	थ्री व्हीलर	आरएसजी–2366	1–3–77
6.	एफ. सी.	आरएसजी–8058	20–6–78
7.	मेटाडोर	आरएसबी–1916	25–[illegible]–79
8.	एफ. सी.	आरएसबी–6840	15–11–75
9.	थ्री व्हीलर	आरएसबी–7253	6–6–79

संघ के पास कोई मोटर साइकिल नहीं है।

(2) विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

सीकर जिले में हुए डकेती, मारपीट आदि के मामले

336. **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जनवरी 1983 से दिसम्बर 1983 तक सीकर जिले में हत्या, चोरी, डकेती, मारपीट, बलात्कार व हरिजनों पर अत्याचार के कितने मामले प्रकाश में आये ?

(2) उक्त मामलों में कितने मामलों में चालान हुआ, कितनों में एफ. आर. दी गई और कितने विचाराधीन है ?

(3) उक्त मामलों का पिछले पांच वर्षों के प्रति वर्ष से क्या अनुपात है ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना संलग्न सूची अ, ब और स में अंकित है।

(2) संलग्न सूची में अंकित है।

(3) वर्ष 1979 से 1983 तक पांच वर्षों का प्रति वर्ष की आनुपातिक स्थिति वृद्धि एवं कमी बाबत तालिका संलग्न है।

(सूची के किये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

डग (झालावाड़) जिले में हत्यायें

337. **श्री बालचन्द्र आर्य** (डग) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनवरी 1984 में झालावाड जिले के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र डग में किन-किन लोगों की कितनी हत्यायें हुई ?

(2) उनमें कौन-कौन अपराधी पकड़े गये ? कृपया मृतकों के नाम, जाति तथा हत्या के पीछे उद्देश्य का विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) मृतकों के परिवार को सरकार ने क्या सहायता प्रदान की ?

(4) इन प्रकारणों की नवीनतम स्थिति क्या है ?

उत्तर

(1) जनवरी 1984 में झालावाड़ जिले के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र डग में श्री मोतीलाल राजपूत, निवासी पीपल्दा थाना गंगधार व श्री किशनलाल मेहर, निवासी मेहरपुरा थाना भवानी मण्डी की हत्याओं के दो मामले पंजीबद्ध हुये।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) मृतक श्री किशन लाल मेहर की पत्नी को जिलाधीश द्वारा 1500/–रु० की आर्थिक सहायता दिये जाने के निर्देश दिनांक 7–3–84 को तहसीलदार पचपहाड़ को दिये जा चुके हैं।

(4) दोनों अभियोगों का चालान पेश अदालत किया जा चुका है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

हाडेचा (जालोर) के मंदिर व मकानों में चोरी

338. **श्री राम रघुनाथ चौधरी** (डेगाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम हाडेचा जिला जालोर में एक मन्दिर एवं दो निजी मकानों में चोरियां हुई थीं ? अगर हां, तो कब कब और उक्त चोरियों में कितना कितना माल चोरी गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त तीनों चोरियों में जिला पुलिस को अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है ? अगर हां, तो क्यों ? अब कब तक कामयाबी हासिल होने की संभावना है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) विवरण सूची में अंकित है।

(सूची व विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

पड़ासोली ग्राम में चोरी

339. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पिछले 3 वर्षों में ग्राम पड़ासोली बस्ती में कोई चोरी या डकेती हुई थी ? यदि हां, तो किसके व कितना माल गया था ?

(2) इस सम्बन्ध में किन–किन व्यक्तियों को कब-कब पकड़ा गया व किन-किन व्यक्तियों से कितना-कितना माल बरामद किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पड़ासोली व बस्सी में पिछले तीन वर्षों में कोई डकेती की वारदात नहीं हुई। ग्राम पड़ासोली में कोई चोरी की वारदात नहीं हुई। बस्सी कस्बा में हुई चोरियों की सूचना संलग्न है।

(2) वांछित सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

प्रदेश की आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार

340. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में जनवरी 1980 से फरवरी 1984 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार के कितने केस दर्ज हुए ?

(2) राज्य में जनवरी 1980 से फरवरी 1984 तक हत्या के कितने मामले

(श्री गोपाल पचेरवाल)

दर्ज हुए ? इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व आदिवासियों की हत्या के कितने हैं ?

उत्तर

(1) इस अवधि में कुल 337 मामले दर्ज हुए।

(2) इस अवधि में कुल 2806 मामले दर्ज हुए जिनमें से 189 मामले अनुसूचित जाति एवं जनजाति से सम्बन्धित हैं।

नावां (नागौर) के निवासी की पत्नी का अपहरण

341. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम नारायणपुरा तहसील नावां जिला नागौर के निवासी मांगूराम नाई की पत्नी विमला का 30-11-83 को जबरन अपहरण कर लिया गया ?

(2) क्या इस केस की एफ. आई. आर. कुचामन शहर थाना में दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो वर्तमान में इस केस की क्या परिस्थिति है ? क्या इसका चालान अदालत में पेश कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या अपहरण में सरकारी कर्मचारी श्री झांवरमल सेन और श्री रामनिवास नाई भी शामिल बताये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कोई प्रशासनिक कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

इस बारे में थाना कुचामन सिटी में प्रथम सूचना दर्ज हुयी थी। अनुसंधान से मामला झूठा पाये जाने पर अन्तिम रिपोर्ट अदम वकू दिनांक 16-2-84 को दी गई है।

जयपुर नेशनल हाई-वे 8 पर हुई दुर्घटनायें

342. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) 1980 से 1984 तक अजमेर से जयपुर के मध्य नेशनल हाई-वे नं. 8 पर कुल कितनी वाहन दुर्घटना दर्ज हुई ?

(2) इन दुर्घटनाओं में कितने लोग जख्मी हुए और कितने लोगों की मृत्यु हुई ? विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि इस मार्ग पर वाहन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण चालकों द्वारा शराब पीकर वाहन चलाना पाया गया है ?

उत्तर

(1) 1980 से 1984 तक कुल 634 वाहन दुर्घटनायें हुईं।

(2) इनमें 769 व्यक्ति जख्मी हुए व 255 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(3) जी नहीं।

चम्बल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत लिफ्ट माइनरें

343. श्री रघुबीर सिंह कौशल (बारां) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चम्बल प्रोजेक्ट डिवीजन I के अन्तर्गत कितनी लिफ्ट माइनरें बनाई गई हैं, जो चालू भी की जा चुकी हैं किन्तु कृषि भूमि के मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है इसके क्या कारण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इसका मुआवजा कब तक दे दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि अन्ता जलोत्थान योजना के अन्तर्गत एक्वायर की गई जमीन का भुगतान अभी तक किसानों को नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? मुआवजे का भुगतान कब तक किया जायेगा ?

उत्तर

(1) चम्बल प्रोजेक्ट डिवीजन के अन्तर्गत चार लिफ्ट योजनाएं बनवाई गई हैं जिनके नाम हैं :—

(अ) अन्ता लिफ्ट स्कीम ब्लाक नं. 9

(ब) अन्ता लिफ्ट स्कीम ब्लाक नं. 18

(स पचेल लिफ्ट स्कीम ब्लाक नं. 19 एवं

(द) झालीपुरा लिफ्ट स्कीम ब्लाक नं. 16

इनका कार्य वर्ष 78-79 में शुरू हुआ था और वर्तमान में चारों योजनाएं पूर्ण होकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। इन चारों योजनाओं के निर्माण हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि के अवाप्ति प्रस्ताव भूमि अवाप्ति अधिकारी, चम्बल परियोजना कोटा को भेजे जा चुके हैं। उपयोग में ली गई कुल 121 एकड़ भूमि में से 21 एकड़ भूमि के अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी कोटा से प्राप्त हुये थे जिनका माह मार्च 83 में ही भुगतान किया जा चुका है। अवशेष भूमि के अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी कोटा से प्राप्त नहीं हुये है।

(2) अवशेष भूमि के अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी चम्बल परियोजना कोटा से प्राप्त होने के पश्चात् ही सम्बन्धित कृषकों को भुगतान करना संभव होगा।

(3) अन्ता नाम की उपरोक्त दोनों जलोत्थान योजनाओं के निर्माण हेतु अवाप्त

(सिंचाई मन्त्री)

की गई 111 एकड़ भूमि में से 16 एकड़ भूमि के मुआवजे का भुगतान माह मार्च, 83 में किया जा चुका है। अवशेष भूमि के मुआवजे का भुगतान भूमि अवाप्ति अधिकारी चम्बल परियोजना कोटा से अवार्ड प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जा सकता है।

प्रदेश में 20 सूत्री कार्यक्रम में सिंचाई बांधों के लक्ष्य

344. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई बांधों से अतिरिक्त सिंचाई के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे ? यदि हां, तो कृपया प्रोजेक्ट एवं जिलावार निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। वर्ष 1982–83 के लक्ष्य एवं उपलब्धियों की सूचना संलग्न है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

उदयपुर में ड्रेनेज एवं सीवरेज योजना का निर्माण

345. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (सराड़ा) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर में ड्रेनेज एवं सीवरेज योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है ? यदि हां, तो कृपया इस योजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं प्रारूप की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इस योजना का निर्माण कब प्रारम्भ किया गया है और इसे कब पूरा करना था तथा अब यह कब पूरा हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, योजना की संक्षिप्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट व संक्षिप्त प्रारूप सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) योजना का निर्माण कार्य अप्रेल, 1981 से प्रारम्भ किया गया जो कि 31–3–84 तक समाप्त होना था। अब यह कार्य 30–6–85 तक पूर्ण करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(संक्षिप्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट व संक्षिप्त प्रारूप के लिये कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

कोटा चम्बल बेराज का पानी

346. **श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार ने अब तक चम्बल पर कोटा बेराज के नीचे चंबल नदी में उपलब्ध पानी का निकटवर्ती क्षेत्रों में

(श्री राजबहादुर)

सिंचाई साधनों में वृद्धि करने हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो कहां कहां और क्या क्या ?

(2) कोटा बैराज के नीचे चम्बल में बारह महीनों में जल की कितनी मात्रा उपलब्ध है और उसमें से पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश ने कितनी अपने उपयोग में ले ली है ? क्या मध्य प्रदेश सरकार ने चम्बल के इस पानी को अपने उपयोग में लाने के पूर्व राजस्थान सरकार से कोई अनुमति प्राप्त की अथवा कोई परामर्श भी किया ? यदि नहीं, तो राजस्थान सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति उठाई गई ?

उत्तर

(1) जी हां। कोटा बैराज के नीचे चंबल नदी में उपलब्ध पानी को सिंचाई साधनों में वृद्धि करने की दृष्टि से पीपल्दा लिफ्ट व धोलपुर लिफ्ट का सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा इन्द्रा लिफ्ट पर सर्वे किया जा रहा है।

(2) चम्बल नदी पर लगभग 10 वर्षों से पानी की मात्रा का अवलोकन किया गया है जिसके आधार पर साल के विभिन्न महीनों में निम्न प्रकार पानी की उपलब्धि है—

क्र. सं.	माह का नाम	उपलब्ध पानी की मात्रा
1.	जनवरी	13
2.	फरवरी	4.64
3.	मार्च	37.87
4.	अप्रेल	222.26
5.	मई	178.95
6.	जून	140.73
7.	जुलाई	1880.96
8.	अगस्त	4326.79
9.	सितम्बर	2452.64
10.	अक्टूबर	378.33
11.	नवम्बर	174.62
12.	दिसम्बर	122.35

जहां तक इस विभाग को ज्ञात है कोटा बैराज के नीचे चम्बल नदी पर मध्य प्रदेश सरकार ने कोई परियोजना नहीं बनाई है। इसलिए राजस्थान की ओर से इस सम्बन्ध में आपत्ति उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रावी व्यास एवं सतलज नदियों का बरसात का पानी

347. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार के पास यह जानकारी है कि रावी, व्यास एवं सतलज नदियों का बरसात के मौसम में, बाढ़ का

(श्री राजबहादुर)

पानी भारी मात्रा में पाकिस्तान में बह जाता है और उस पानी का भारत के भाग में होते हुए भी भारत द्वारा कोई उपयोग नहीं होता ? यदि स्थिति ऐसी है तो क्या राजस्थान की मरुभूमि एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों को इस बेकार बह जाने वाले पानी से लाभान्वित करते हुये, हरा भरा बनाने की किसी योजना पर राज्य सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

रावी नदी पर बांध ना होने के कारण इस नदी का बरसात के मौसम का पानी पाकिस्तान चला जाता है। इस नदी पर थीन बांध बन रहा है। इसके पूरा हो जाने के पश्चात् इस नदी का पानी पाकिस्तान जाने से रोका जा सकेगा। व्यास नदी का पानी खरीफ मौसम में वर्ष 1978 से नीचे दिये गये आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान गया है।

वर्ष	पानी एम. सी. एफ. में जो फिरोजपुर से पाकिस्तान गया है।
खरीफ 1978	12.890
खरीफ 1979	.1.014
खरीफ 1980	1.936
खरीफ 1981	0.556
खरीफ 1982	1.217

वर्ष 1978 में पोंग बांध व भाखड़ा बांध दोनों पूरे भर जाने के पश्चात् ही इतना अधिक पानी फिरोजपुर से पाकिस्तान गया। क्योंकि उस वर्ष वर्षा बहुत अधिक हुई थी। सामान्यतया फिरोजपुर से नीचे जाने वाला पानी सतलज एवं व्यास नदियों में भाखड़ा एवं पोंग बांधों से नीचे हुई उपलब्धि का होता है।

प्रदेश में पेयजल मुहैया कराने हेतु लगाये गये हैंड पम्प

348. श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने पूरे राज्य में जनता को शुद्ध पानी मुहैया कराने के लिए कितने हैण्ड पम्प लगाये, किस-किस जिले में कितने-कितने ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में हैण्ड पम्पों में कितनी धनराशि खर्च की गई ?

(3) पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में कितने व नगरपालिका क्षेत्र में कितने हैण्ड पम्प लगाये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) हैण्ड पम्प दुरुस्ती का कार्य राज्य सरकार ने किस एजेन्सी को सौंप रखा है ? क्या समय-समय पर हैण्ड पम्प की देख रेख की जाती है ? नहीं, तो क्यों ?

(श्री फतेसिंह)

(5) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ क्षेत्र में 50% हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं ? यदि हां, तो कब तक दुरुस्त कर दिये जायेंगे ?

(6) क्या हैण्ड पम्प दुरुस्त करने के लिये सामान पंचायत समितियों को दिये गये हैं ? नहीं, तो क्यों ? कब तक दे दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने जनवरी 1984 तक राज्य में करीब 41,629 हैण्ड पम्प लगाये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य में हैण्ड पम्पों में लगभग रु. 35.00 करोड़ खर्च हुए हैं।

(3) राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 39,306 हैण्ड पम्प व नगरपालिका क्षेत्रों में लगभग 2323 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) हैण्ड पम्पों की दुरुस्ती का कार्य राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को सौंपा गया है, परन्तु उनके पास प्रशिक्षित व्यक्तियों व आवश्यक औजारों के न होने से उनके द्वारा दुरुस्ती का कार्य कई जगहों पर अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है। उन जगहों पर दुरुस्ती का कार्य जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा किया जा रहा है।

(5) जी नहीं। इस समय अधिकांश हैण्ड पम्प चालू हालत में कर दिये गये हैं।

(6) हैण्ड पम्प मिस्त्रियों को आवश्यक औजार दिलवाने की प्रक्रिया जारी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

मूण्डवा (नागौर) में हैण्ड पम्प योजना

349. श्री महाराम चौधरी (नागौर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति मूण्डवा एवं पंचायत समिति, नागौर के गांवों में हैण्ड पम्प योजना से पीने का पानी उपलब्ध कराया गया है ? यदि हां, तो निम्न सूचना सदन की मेज पर रखें। ग्राम का नाम, स्थान जहां हैण्ड पम्प लगाया गया है, प्रत्येक हैण्ड पम्प की कुल लागत, सफल या असफल, किस-किस हैण्ड पम्प को कितनी-कितनी बार ठीक किया गया, किस-किस हैण्ड पम्प पर ठीक कराने की कितनी-कितनी लागत आई; पानी की जाँच कराई गई या नहीं कि पानी पीने योग्य है या नहीं ?

उत्तर

जी हां, सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

जहाजपुर सिंचाई परियोजना

350. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र में 1982-83 एवं 1983-84 में किस-किस सिंचाई परियोजना पर कितनी राशि का प्रावधान किया गया ? क्या प्रावधान के अनुसार उस योजना पर राशि व्यय की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित नवीन योजनाओं की तकनीकी जांच करके योजनाएं तैयार की गई हैं ? यदि हां, तो कौन-सी योजनाएं कितनी लागत की तैयार की गई हैं और उसकी स्वीकृति कब दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई परियोजनाएं सम्भावित हैं ? यदि हां, तो सहायक अभियन्ता का पद सर्वे हेतु जहाजपुर में सृजित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में भण्डार का नाका लघु सिंचाई योजना पर क्रमशः 0.50 लाख रु. व 3.00 लाख रु. का प्रावधान किया गया। वर्ष 1982-83 में इस योजना पर 0.50 लाख रु. व्यय किये गये व वर्ष 1983-84 में भी आवंटित राशि का पूरा उपयोग कर लिया जावेगा।

(2) जी हां, कुछ नवीन योजनाएं तकनीकी जांच करके तैयार की गई है जिनकी सूची "क" संलग्न है। इन योजनाओं की जांच चालू है, सही पाये जाने पर एवं आवश्यक धन राशि उपलब्ध होने पर उनकी स्वीकृति हो सकेगी।

(3) जी नहीं, जहाजपुर एवं माण्डलगढ़ निर्वाचन क्षेत्र दोनों में ही सिंचाई परियोजनाएं अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के अनुपात में अधिक सम्भावित हैं। अभी तक जहाजपुर सहायक अभियन्ता सर्वे का कोई नया पद सृजित करने का प्रस्ताव नहीं है। भीलवाड़ा में सर्वे उपखण्ड उपलब्ध है उसी के द्वारा सर्वे करवाया जायेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

टौंक जिले की फसल व जमीन को बरसाती पानी से नुकसान

351. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि वर्षा के समय टौंक जिले की निवाई पंचायत समिति में खडदेवत, सीदड़ा और ढाणी जुगलपुरा ग्राम पंचायतों के ग्रामों को निवाई पहाड़ के पानी

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

से फसल, जमीन एवं मकानों को नुकसान पहुँचता है ? यदि हां, तो सरकार ने इसे रोकने की दृष्टि से क्या प्रयास किये हैं ? यदि नहीं, तो अब कब तक करने का विचार है ?

उत्तर

वर्षाकाल में निवाई कस्बे के पश्चिम में स्थित पहाड़ियों की पश्चिमी ढलानों से बह कर आता हुआ पानी निकटवर्ती ग्राम सींदड़ा, खण्डदेवत एवं ढाणी जुगलपुरा के क्षेत्र में फैल जाता है एवं वहां स्थित जमीनों व मकानों इत्यादि को प्रभावित करता है। सिंचाई विभाग द्वारा इस क्षेत्र की विस्तृत सर्वेक्षण की जा रही है। कार्य को करवाने का निर्णय सर्वेक्षण की तकनीकी जांच एवं आवश्यक धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

बागीडोरा (बांसवाड़ा) के निर्माणाधीन डेम की स्वीकृति

352. **श्री बहादुर सिंह (दानपुर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले की तहसील बागीडोरा में निर्माणाधीन डेम बारीगमा घोटिया अम्बा डेम कब स्वीकृत हुआ ?

(2) उक्त डेम के निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई ?

(3) पूर्व में निर्माणाधीन बांध का कार्य किन कारणों से रोका गया ?

(4) कार्य रुकने के कारण उक्त योजना के निर्माण व्यय में कितनी बढ़ोतरी हुई ?

(5) उक्त बांध का निर्माण कार्य किन किन ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है ?

(6) क्या उक्त ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो प्रति मजदूर कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या उक्त ठेकेदारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी नहीं दिये जाने के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) बारीगामा (घोटिया आम्बा) बांध की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 24.9.1979 को हुई।

(2) उक्त बांध के निर्माण हेतु 15·89 लाख रुपयों की प्रशासनिक स्वीकृति की गई है।

(3) इस बांध का निर्माण कार्य ठेके पर दिया गया था। जिसे ठेकेदार अधूरा छोड़कर चले गये, अतः बन्द हो गया था।

(4) कार्य रुकने के कारण इस योजना के निर्माण व्यय में बढ़ोतरी नहीं होगी। क्योंकि

(सिंचाई मन्त्री)

यह कार्य मूल ठेकेदार के हर्जे खर्चे पर ही पूर्ण कराया जा रहा है।

(5) इस बांध का कार्य मैसर्स कल्पना कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, उदयपुर द्वारा पूरा बनाया जा रहा है।

(6) जी हां, ठेकेदार द्वारा न्यूनतम मजदूरी 9/– प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जा रहा है।

(7) प्रश्न नहीं उठता।

सुमेरपुर (पाली) की पेयजल योजना

353. **श्री गोकुल चन्द शर्मा** (सुमेरपुर) एवं **श्री भैरू सिंह गुर्जर** (खारची) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सुमेरपुर जिला पाली के लिए पेयजल योजना स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो यह योजना कब तक बन कर तैयार हो जायेगी?

(2) क्या यह भी सही है कि सुमेरपुर पेयजल योजना के लिए शिवगंज रिजर्वायर से पानी प्राप्त होगा तथा इसका नियंत्रण अधिशासी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिरोही के पास रहेगा? यदि हां, तो प्रशासनिक दृष्टि से क्या यह व्यवस्था सुमेरपुर के नागरिकों के लिए हानिकारक नहीं होगी?

उत्तर

(1) जी हां। इस योजना के वर्ष 1984-85 में पूर्ण होने की सम्भावना हैं।

(2) जी नही। इस योजना का प्रशासनिक नियन्त्रण अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग खण्ड पाली के अन्तर्गत रहेगा।

मालारी (पाली) में हैण्ड पम्प योजना की स्वीकृति

354. **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांव मालारी जिला पाली में हैण्ड पम्प योजना के अन्तर्गत हैण्ड पम्प लगे हुए हैं? अगर हां, तो कितने?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गाँव के सभी हैण्ड पम्प गत दो वर्षों से खराब पड़े हुए हैं? अगर हाँ, तो क्यों?

(3) इन हैण्ड पम्पों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम मालारी, जिला पाली में तीन हैण्ड पम्प लगे हुए हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री)

(2) जी नहीं, तीन में से दो हैण्ड पम्प चालू हालत में हैं तथा इनकी खराब होने पर समय-समय पर मरम्मत भी की गई है। एक हैण्ड पम्प बोरिंग में पानी सूख जाने के कारण बेकार हो गया तथा अब मरम्मत योग्य नहीं है।

(3) इस भाग का जवाब प्रश्न 2 के जवाब में आ चुका है।

उप-खण्ड प्रतापगढ़ में पेयजल समस्या

355. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उपखण्ड प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में कितने गांव पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त हैं व कितने समस्या रहित ?

(2) समस्याग्रस्त एवं समस्या रहित गांवों में से वर्ष 1984–85 में कितने गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा दिया जायेगा ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) समस्याग्रस्त गांवों को कब तक पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) उपखण्ड प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में वर्ष 1971 की जनगणनानुसार आबादीयुक्त गांवों में से पेयजल की दृष्टि से 120 गांव समस्याग्रस्त हैं एवं 360 गांव समस्या रहित हैं।

(2) फरवरी 84 तक कुल 108 समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है, शेष 12 गांवों में से ग्यारह गांवों में कार्य प्रगति पर है। समस्या रहित गांवों के लिये पेयजल योजना अभी स्वीकृत नहीं की गयी है। 12 समस्याग्रस्त गांवों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) इस प्रकार शेष समस्याग्रस्त कुल 12 गांवों में से 11 गांवों में हैण्ड पम्प ड्रिलिंग का कार्य प्रगति पर है जिसे एक दो माह में पूर्ण करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। शेष एक गांव की जल योजना को भी शीघ्र पूर्ण करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 25 देखें)

ग्राम खूंदरोठ, माजरा जोनायचा कलां, तलवाना आदि में पेयजल व्यवस्था

356. **श्री सुजानसिंह यादव** (बहरोड़) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार ग्राम खूंदरोठ, माजरा, जोनायचा कलां, तलवाना एवं रेवाना में पेयजल की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

ग्राम रेवाना, तलवाना व माजरा समस्याग्रस्त ग्राम हैं। इन गांवों के लिये पेयजल योजनाएं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी हैं व इन ग्रामों में वर्ष 84–85 में बजट प्रावधान के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। ग्राम जोनायचा कलां व खुदरोठ समस्या रहित ग्राम हैं इनके लिए कोई पेयजल योजना स्वीकृत नहीं है।

प्रदेश में नई खोली गई डिस्पेंसरियां

357. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में वर्ष 1982–83 तथा 1983–84 में कितनी नई डिस्पेंसरियां खोली गई हैं? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1982–83 में कोई डिस्पेंसरी नहीं खोली गई है। वर्ष 1983–84 में स्वीकृत डिस्पेन्सरियों की जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखदी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 26 देखें)

टोंक एलोपैथिक अस्पतालों में सामान की खरीद

358. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) व **श्री हीरा लाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री बाल चन्द्र आर्य** (डग) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कोटा नगर में स्थित विभिन्न एलोपैथिक अस्पतालों के लिए गत 2 वर्षों में क्या-क्या सामान कितने-कितने मूल्य का खरीदा गया ?

उत्तर

कोटा नगर में स्थित विभिन्न एलोपैथिक अस्पतालों हेतु गत दो वर्षों में दवाइयां व साज-सामान निम्न प्रकार से क्रय किया गया :—

सामान	वर्ष 82–83	वर्ष 83–84
दवाइयां	18, 86, 850	15, 25,000
साज-सामान	4, 50, 230	2, 20, 400

रावतभाटा में राजकीय अस्पताल

359. **श्री घनश्याम जैन** (बेगूं) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) रावत भाटा में कितनी शैया वाला राजकीय अस्पताल है ?

(श्री घनश्याम जैन)

(2) क्या रावत भाटा की 25,000 की जनसंख्या को देखते हुए इसे क्रमोन्नत करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) रावत भाटा में एक बिना रोगी शैयाओं की राजकीय डिस्पेन्सरी है।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अधीक्षक सवाई मानसिंह अस्पताल के विरुद्ध जांच

360. **श्री माधूसिंह (बांदीकुई)** : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सवाई मानसिंह अस्पताल के वर्तमान अधीक्षक के विरुद्ध चीफ अकाउन्ट आफिसर ने आर्थिक अनियमितताओं से सम्बन्धित कोई जांच की है ? यदि हां, तो कुल कितने मामलों में व उनमें से कितने मामलों में वे दोषी पाये गये ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। मुख्य लेखाधिकारी व महालेखाकार लेखों की आन्तरिक जांच करते हैं। उनके द्वारा वित्तीय अनियमितताओं पर टिप्पणी दी जाती है, अधिकारी विशेष पर नहीं।

प्रतापगढ़ चिकित्सालय में रोगी शैयाओं की कमी

361. **श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सामान्य चिकित्सालय प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में रोगियों को रखने हेतु शैयाओं की बहुत कमी है तथा आउट डोर का भी अभाव है ? यदि हां, तो राज्य सरकार चिकित्सालय भवन के विस्तार एवं आउट डोर विंग का निर्माण कब तक करा देगी ?

उत्तर

जी नहीं, रोगी शैयाओं की वर्तमान में कमी नहीं है। भवन निर्माण व्यवस्था जन सहयोग में दान प्रस्ताव प्राप्त होने पर या समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर किया जाना संभव हो सकेगा।

'प्रशासन शहरों की ओर' कार्यक्रम (सवाईमाधोपुर) में सड़कों तथा नालियों पर कार्य

362. **श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर)** : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 'प्रशासन शहरों की ओर' कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरपालिक क्षेत्र सवाईमाधोपुर में रोडों तथा नालियों का काम कराया गया था ? यदि

(श्री हंसराज शर्मा)

हां, तो किस-किस वार्ड में कितनी धनराशि खर्च की गई थी और क्या वह काम पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त कार्यक्रम के तहत कवि सम्मेलन व मुशायरा आदि के भी प्रोग्राम रखे गये थे ? यदि हां, तो इन कार्यक्रमों पर कुल कितना खर्चा किया गया था और उस का भुगतान किस मद में से किस के आदेश से किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। सड़क एवं नालियों पर किये गये व्यय राशि का वार्ड वाइज विवरण संलग्न है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कवि सम्मेलन तथा मुशायरा के कार्यक्रम पृथक से रखे गये थे।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 27 देखें)

नगरपालिका कानोड़ में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी

363. **श्री नरपतराम बरवड़** (सूर सागर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका कानोड़, जिला उदयपुर में कितने कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत हैं ? कृपया नाम, पद सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नगरपालिका कानोड़ पंचायत समिति भीण्डर, जिला उदयपुर में कोई फर्जी नियुक्ति की शिकायत सरकार के पास आयी है ? यदि हां, तो कब और क्या तथा सरकार ने इस प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त नगरपालिका की वर्ष 1978 से 84 तक आय-व्यय के लेखे में काफी आडिट आक्षेप हुए है ? यदि हां, तो सरकार ने इन आक्षेपों पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) नगरपालिका कानोड़ में कुल 32 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं। नाम पद सहित सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) फर्जी नियुक्ति के बारे में शिकायत की जानकारी नहीं है।

(3) जी हां। अभी तक 27 आक्षेप कार्यवाही की जाने के कारण निरस्त हो गये हैं। शेष पर नगरपालिका द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 28 देखें)

सांचौर नगरपालिका अध्यक्ष का त्याग-पत्र

364 **श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नगरपालिका सांचोर(जिला जालोर) के अध्यक्ष श्री केशर खां ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है ? यदि हां, तो यह त्याग-पत्र कब दिया गया और उसे अभी स्वीकार नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

जी हां, दिनांक 12-10-83 को त्याग-पत्र दिया गया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

माल की ढाणी (सांगानेर) में एकत्रित पानी

365. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सांगानेर स्थित माल की ढाणी वार्ड न. 10 व 11 में कागज के कारखानों व शहर का पानी जाकर निरंतर एकत्रित होते रहने की शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई है ?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस पानी के निकास के लिए अब तक क्या कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या इस मोहल्ले से सम्बन्धित नाली निर्माण वर्ष 1978-79 में प्रारंभ करवाया गया था ?

(4) अब सरकार इस गंभीर मानवीय समस्या को कब तक निपटा देगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नगरपालिका ने पानी के निकास हेतु तकमीना बनाया था परन्तु भूमि का धरातल नीचा होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। अब सार्वजनिक निर्माण विभाग की तकनीकी राय लेकर शीघ्र कार्यवाही का जावेगी।

(3) जी नहीं।

(4) नगरपालिका द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहयोग से नाली निर्माण का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

'प्रशासन शहरों की ओर' अभियान के तहत नागौर में हुये कार्य

366. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री महाराम चौधरी)

(1) 'प्रशासन शहरों की ओर' अभियान के दौरान नागौर कस्बे में नगरपालिका क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या-क्या काम किये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कस्बे की आवासीय व्यवस्था एवं नगर विकास के लिए अनधिकृत निर्माण अव्यवस्थित कच्ची बस्ती या गन्दी बस्तियों में सुधार किया गया ? यदि हां, तो कृपया बस्ती का नाम व काम का व्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर नगरपालिक द्वारा 'प्रशासन शहरों को ओर' अभियान के दौरान आवासीय भूमि आवंटन, कच्ची बस्तियों के मामलों की जांच, अनियमित भूमि पर कब्जे, भवन निर्माण, सफाई, नल एवं बिजली संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान किये गये। किये गये कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी हां। अनुसूचित जाति, जनजाति कच्ची बस्ती में किये गये कार्यों का व्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(व्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 29 देखें)

नगरपालिका कानोड़ पं. स. भीण्डर में विवादग्रस्त सराय

367. **श्री भैरूसिंह गुर्जर** (खोरची) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका कानोड़ पंचायत समिति भीण्डर जिला उदयपुर में एक विवादग्रस्त सराय जो जन सहयोग से निर्माणाधीन है उसका कोई विवाद राज्य सरकार के पास विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो उक्त सराय किस स्थान पर निर्माणाधीन है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस सराय को गिराने के आदेश तहसीलदार, बल्लभनगर व जिलाधीश, उदयपुर द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो इस बारे में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(4) क्या इस जन सहयोग से निर्माणाधीन की जा रही सराय को सरकार अंशदान देकर पूर्ण निर्माण कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हाँ। जिलाधीश के यहाँ विचाराधीन है।

(2) उक्त विवादास्पद सराय बस स्टेण्ड पर है। जानकारी सदन की मेज पर रखदी गई है।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(3) जी हां। अभी मामला जिलाधीश के यहां विचाराधीन है।

(4) अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है।

(जानकारी के लिये कृपया परिशिष्ट 30 देखें)

नगर परिषद् उदयपुर द्वारा कीटाणुनाशक पदार्थों का क्रय

368. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर परिषद् उदयपुर ने अप्रेल 1982 से जनवरी 1984 तक कितना फिनाइल, नुआन, डी. डी. टी. एवं अन्य कीटाणुनाशक पदार्थ क्रय किये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सम्पूर्ण शहर की नालियों एव गलियों में भी कभी इनका प्रयोग किया जाता है ? यदि हां, तो जनवरी 1983 से जनवरी 1984 के मध्य विभिन्न वार्डों में कब-कब इसका प्रयोग किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि 10% का भी उपयोग शहर के लिए नहीं किया जाता तथा इसे पुनः बाजार में बेचकर धन कमाया जाता है ?

उत्तर

(1) नगरपरिषद, उदयपुर द्वारा अप्रेल, 82 से जनवरी, 84 तक फिनाइल, नुआन, डी. डी. टी. आदि क्रय किये गये हैं, उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी हां। उक्त कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नियमित रूप से सामान्यतः सप्ताह में दो बार शहर की नालियों एवं गलियों में प्रत्येक सैक्टर व वार्ड में किया जाता रहा है।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 31 देखें)

जयपुर विकास प्राधिकरण के तहत मास्टर प्लान

369. **श्री रामकंवार बैरवा** (फागी): क्या नगर आयोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के लिये जाने वाले गांवों को सम्मिलित कर मास्टर प्लान बना लिया गया है ? यदि हां, तो कृपया प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विकास प्राधिकरण द्वारा पक्के निर्मित मकानों की

(श्री रामकंवार बैरवा)

तोड़फोड़ से जनता में असंतोष व्याप्त है ? यदि हां, तो सरकार इस व्यवस्था के निराकरण हेतु क्या कदम उठायेगी ?

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर की किस-किस कालोनी व गृह निर्माण सहकारी समिति को अब तक मान्यता दे दी गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र का मास्टर प्लान नहीं बनाया गया है।

(2) जी नहीं। प्राधिकरण द्वारा केवल अनधिकृत निर्माणों को नियमानुसार हटाया जाता है। जनता में असंतोष व्याप्त नहीं है।

(3) प्रश्न स्पष्ट नहीं है। अतः उत्तर देना संभव नहीं है।

मुख्य मन्त्री द्वारा लक्ष्मीनारायण पुरी, मंडी खटीकान की सड़क को सूरजपोल से जोड़ने की घोषणा

370. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या नगर आयोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 16-4-1983को जयपुर में स्वर्गीय श्री राम किशोर व्यास की मूर्ति अनावरण करते समय मुख्य मन्त्री द्वारा लक्ष्मी नारायण पुरी, मंडी खटीकान की सड़क को सूरजपोल बाजार से जोड़ने की घोषणा की गई थी ?

(2) यदि हां, तो क्या घोषणा अनुसार उक्त कालोनियों को सड़क द्वारा एक दूसरे से जोड़ दिया गया है ?

(3) यदि नहीं, तो किन कारणों से और कब तक उक्त घोषणा की क्रियान्विति कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल मौजूदा चालू सड़क का नामकरण करने की घोषणा की थी।

(2) सड़क का कार्य शहर के परकोटे तक कर दिया गया है। इस सड़क को आगे सूरजपोल बाजार से जोड़ना बाकी है।

(3) सूरजपोल बाजार में गलता रोड के उत्तर में बहुत पुराने बसे कुछ मकानों के बीच में आने के कारण कार्य में बाधा है। इन मकानों का अधिग्रहण कर लेने के बाद ही आगे का कार्य सम्भव होगा।

नगर सुधार न्यास, अजमेर के अध्यक्ष व अधिकारियों द्वारा न्यास के वाहनों का प्रयोग

371. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या नगर आयोजन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कैलाश मेघवाल)

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, अजमेर के अध्यक्ष, न्यासियों व अधिकारियों द्वारा न्यास के वाहन के प्रयोग हेतु बने नियमों के अन्तर्गत वाहन अजमेर नगर परिषद् सीमा से बाहर बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के ले जाये गये हैं ?

(2) यदि नहीं, तो दिनांक 1-4-1981 से दिनांक 29-2-1984 तक नगर परिषद् सीमा से किस-किस वाहन को कब-कब बाहर ले जाया गया और उसकी स्वीकृति कब-कब राज्य सरकार द्वारा दी गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कुछ मामलों में स्वीकृति दे दी गई है और कुछ स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं।

(2) दिनांक 1-4-81 से 29-2-84 तक न्यास वाहन नगर परिषद सीमा से बाहर ले जाये गये उसको तथा स्वीकृति सम्बन्धित विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 32 देखें)

जयपुर में गेटोर रोड की क्लोजर (फारेस्ट वाल) की मरम्मत

372. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में गेटोर रोड (ब्रह्मपुरी) से परसुराम पुरी तक समस्त क्लोजर (फारेस्ट वाल) लगभग समाप्त प्रायः हो गई है ? यदि हां, तो इसकी कब तक मरम्मत करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि नाहरगढ़ पहाड़ियों पर लगातार पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ? सराकर इस अवैध कटाई को रोकने के लिए क्या-क्या उपाय करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, दीवार की मरम्मत का कार्य धनराशि उपलब्ध होने पर कराया जावेगा।

(2) जी नही, जंगल की सुरक्षा हेतु स्टाफ तैनात है. जो अवैध कटान की रोकथाम करता है। शहर के निकटवर्ती क्षेत्र होने के कारण चोरी छिपे लोग कभी-कभी जलाऊ लकड़ियां ले जाते हैं जिन्हें पकड़ कर उनके विरुद्ध वन अपराध बनाये जाते हैं।

जयपुर में सड़क के किनारों पर वृक्षारोपण की योजना

373. श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामकंवार बैरवा)

(1) क्या सरकार जिला जयपुर में चन्दलाई से तितरिया की सड़क के किनारों पर वृक्षारोपण की योजना रखती है ?

(2) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सरकार की नीति के अनुसार राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर वृक्षारोपण कार्य को प्राथमिकता दी जाती है।

तहसील पीपल्दा के ग्राम अयानी में आयुर्वेद औषधालय की मांग

374. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम अयानी तहसील पीपल्दा में आयुर्वेदिक औषधालय खुलवाने की मांग वहाँ की जनता समय-समय पर करती रही है ?

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में ग्राम अयानी में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) ग्राम अयानी पंचायत समिति इटावा में आता है। इस पंचायत समिति में पूर्व से ही 10 से अधिक औषधालय संचालित होने के कारण औषधालय खोलने की विभागीय नीति में यह मामला नहीं आता है।

सरकार द्वारा तहसील बहरोड़ के ग्रामों में आयुर्वेदिक औषधालय खोलना

375. **श्री सुजानसिंह यादव** (बहरोड़) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार वर्ष 1984-85 में ग्राम कायसा, घीलोठ, श्रीयानी तहसील बहरोड़ में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हाँ।

वर्ष 84-85 में इन स्थानों पर नवीन औषधालय खोलते समय विचार किया जा सकता है, यदि मापदण्ड के अनुसार खोलने योग्य हों।

उप निदेशक आयुर्वेद विभाग कोटा द्वारा अनियमित नियुक्तियां

376. **श्री दाऊ दयाल जोशी** (दीगोद): क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री दाऊदयाल जोशी)

(1) क्या यह सही है कि सन् 1980 में उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग कोटा के पद पर श्री महावीर प्रसाद भारद्वाज कार्यरत थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि अपने उक्त पद के सेवाकाल में श्री भारद्वाज ने अपने आदेश क्रमांक 2989/3004 दिनांक 7-1-83 द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कुछ नियुक्तियां की थीं जो अनियमित थीं ?

(3) क्या इस अनियमितता का राज्य सरकार को पता है ? यदि हां, तो इन अनियमित नियुक्तियों के मामले में श्री भारद्वाज के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। किन्तु नियुक्ति आदेश के क्रमांक 2989/3004 दिनांक 7-1-83 न होकर, क्रमांक 2987-3004 दिनांक 7-1-80 थे।

(3) जी हां। अनियमितता की जानकारी प्राप्त होने के बाद आवश्यक जांच कराकर श्री भारद्वाज के विरुद्ध सी. सी. ए. रूल्स 16 के अधीन विभागीय जांच की कार्यवाही किया जाना विचाराधीन है।

पाली जिले में खोले गये नये आयुर्वेदिक औषधालय

377. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में जून' 1980 से दिसम्बर 1983 के दौरान कितने नये आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये ? स्थान वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) आगामी वर्ष में जिले में कितने व कहां कहां औषधालय खोले जाने प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

(1) पाली जिले में जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 की अवधि में कुल 4 आयुर्वेद औषधालय निम्न स्थानों पर खोले गये हैं :—

(1) सुरायता

(2) कोठार

(3) निम्बेड़ा

(4) जवाई बांध

राज्य में वर्ष 1981-82, 1982-83 एवं 1983-84 (माह दिसम्बर तक) मई 1983 में नवीन आयुर्वेद औषधालय खोलने की एक सूची स्वीकृत हुई थी जो रोक दी गई थी तथा पुनः माह फरवरी 1984 में जारी कर दी गई है।

(राज्य मन्त्री, आयुर्वेद)

(2) वर्ष 1983–84 में माह फरवरी 1984 में अब तक पाली जिले में निम्न स्थानों पर नवीन औषधालय स्वीकृत किये गये हैं :—

क्र. सं.	नाम स्थान	चिकित्सा पद्धति
1.	गुरडाई	आयुर्वेद
2.	बांसिया	आयुर्वेद
3.	ढालोप	आयुर्वेद
4.	पाली	आयुर्वेद
5.	सेवाज	आयुर्वेद
6.	भीमालियां	आयुर्वेद
7.	कांवलियां	आयुर्वेद
8.	बासनी दधवाडियान	आयुर्वेद
9.	पाली शहर	यूनानी

आगामी वर्ष 1984–85 में कितने औषधालय कहां-कहां पर खोले जावेंगे, यह अभी निश्चित नहीं है।

जिला बीकानेर, चूरू, जोधपुर आदि में पशु चिकित्सालय

378. **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) : क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, गंगानगर, जयपुर में किस-किस स्थान पर कितनी पशु संख्या पर एक पशु चिकित्सालय है ? कृपया उपरोक्त जिलेवार पशु चिकित्सालयों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उपरोक्त जिलों में 1981–82, 1982–83 व 1983–84 में कहां कहाँ पशु चिकित्सालय खोले गये व वर्ष 1984–85 में कहाँ-कहाँ नए पशु चिकित्सालय खोलने प्रस्तावित हैं ? कृपया तहसील व स्थानवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) उपरोक्त जिलों में गाय, भैंस, ऊंट व बकरियों की कुल कितनी संख्या है ? कृपया प्रत्येक पशु की तहसीलवार संख्या सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, गंगानगर, तथा जयपुर में कार्यरत पशु चिकित्सा संस्थाओं एवं पशु संख्या पर एक पशु चिकित्सा संस्था उपलब्ध है। सूची संलग्न है।

(2) वर्ष 1982–83 में कोई भी नई पशु चिकित्सा संस्था नहीं खोली गई थी। वर्ष 81–82 एवं 1983–84 में उपरोक्त जिलों में खोली गई पशु चिकित्सा संस्थाओं की सूची (ख) संलग्न है।

(3) वर्ष 84–85 में नये पशु चिकित्सालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है। उपरोक्त जिलों में गाय भैंस, ऊंट एवं बकरियों की कुल संख्या की जिलेवार सूची (ग)

(राज्य मन्त्री, पशुपालन)

संलग्न है। तहसीलवार आंकड़े अभी संकलित कर प्रकाशित नहीं किये गये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 33 देखें)

तहसील बेगूं में कार्यरत पशु चिकित्सालय

379. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील बेगूं में कहां-कहां पर पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार पशुओं की संख्या, कार्यरत पशु चिकित्सालयों की दूरी को देखते हुए जावदा, जवाहरनगर, मोतीपुरा बोरख में पशु चिकित्सालय खोलना आवश्यक समझती है ? यदि हां, तो कब तक खोलने का इरादा है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) तहसील बेगूं में बेगूं बडोदिया, भैंसरोड़गढ़, पारसोली में पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं।

(2) तहसील बेगूं में पशु संख्या के हिसाब से छठी योजना के अन्त तक तीन पशु चिकित्सा संस्था स्थापित किये जाने का लक्ष्य था, जिनकी पूर्ति की जा चुकी है। इसके अलावा ग्राम बोराव में पशु चिकित्सालय भैंसरोड़गढ का उपकेन्द्र स्थापित किया जाकर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ग्राम जावदा, जवाहरनगर एवं मोतीपुरा में फिलहाल पृथक से पशु चिकित्सालय संस्था खोला जाना संभव नहीं है।

कोटपूतली राजनोता आदि सड़क पर सीलिंग चिन्ह

380. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटपूतली राजनोता, नांगल पंडितपुरा सड़क पर सीलिंग के चिन्ह 5 से 7 फीट ऊंचे पाये गये ? क्या इन्हें किसी अधिकारी द्वारा काम प्रारम्भ होने से पहले चैक किया गया ? अगर नहीं, तो क्यों ? व दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई ? यदि हां, तो क्या ?

(2) यह कार्य कब पूर्ण हुआ ? क्या फाइनल बिल का भुगतान हुआ ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इस कार्य की अनियमितताओं की जांच के लिए बार-बार कमेटी बनाई गई ? यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हुये ? क्या जिस अधिदर्शक ने इस कार्य में अनियमितता बरती वह अब भी कोटपूतली में है ? इस अधिदर्शक के पिछले दो साल में कब-कब और कहां-कहां स्थानान्तरण हुए ?

उत्तर

(1) उक्त सड़क पर सोलिंग पत्थर के कुछ चट्टों की ऊंचाई 5से 7 फीट की पाई गई। अधिदर्शक द्वारा नाप की गई, परन्तु उसकी चैंकिग किसी अधिकारी द्वारा नहीं की गई। नियमानुसार प्रत्येक नाप की चैकिग अधिकारी द्वारा किया जाना अनिवार्य नहीं है। अभी जांच पूर्ण नहीं हुई है। जांच पूर्ण हो जाने के पश्चात् दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) यह कार्य 10-10-1981 को पूर्ण हुआ। फाइनल बिल का भुगतान, जांच पूर्ण ना होने के कारण नहीं हुआ है।

(3) इस कार्य की अनियमितताओं की जांच के लिये एक कमेटी 6-8-83 को बनाई गई तथा दूसरी 11-1-84 को बनाई गई। कमेटी द्वारा की जाने वाली जाँच के परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुये हैं। चूंकि जांच अभी पूर्ण नही हुई है, यह कहना संभव नहीं है कि किस अधिदर्शक ने अनियमितता बरती और इसलिये उसके स्थानान्तरण के बारे में विवरण दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

बीकानेर में बाढ़ अनुदान राहत के तहत सड़कों के कार्य

381. श्री सुरजा राम (नोखा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले वर्षों सन् 1982-83 1983-84 के दौरान बीकानेर नगर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बाढ़ अनुदान राहत के तहत किन-किन सड़कों के कार्यों पर कितनी-कितनी धनराशि किन-किन मदों पर खर्च की गई है?

(2) नवनिर्मित सड़कों की अब क्या स्थिति है?

उत्तर

(1) वांछित विवरण (प्रपत्र "क") सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) मरम्मत की गई सड़कों की स्थिति सामान्यत: संतोषजनक है। परन्तु कुछ स्थानों पर सविरेज लाइन आदि डालने के कारण यातायात में असुविधा हो रही है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 34 देखें)

कोटा स्वास्थ्य उपकेन्द्र का अधूरा निर्माण कार्य

382. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्र यह बताने की कृपा करेंगे :—

बिजोरा तहसील मांगरोल जिला-कोटा स्वास्थ्य उप केन्द्र का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ हुआ था? विधान सभा के गत सत्र में इसे कब तक पूर्ण करा देने का आश्वासन दिया गया था? अब कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

उत्तर

भिजोरा तहसील मांगरोल जिला कोटा स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह निर्माण कार्य दिनांक 6-11-80 की संवेदक को आवंटित किया गया था। विधान सभा के बजट सत्र 1983 में इस कार्य को माह 6/83 तक पूर्ण करने की संभावना बताई गई थी। अब इस कार्य को अप्रेल, 1984 तक पूर्ण किये जाने की संभावना है।

टोंक जिले में तारामीरा, चना आदि पर हुआ नुकसान

383. **श्री महावीर प्रसाद जैन(टोंक):** क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

टोंक जिले में विभिन्न बीमारियों के कारण तारामीरा, चना आदि में विभिन्न स्थानों पर कितना कितना नुकसान हुआ एवं विभाग ने फसल को बचाने हेतु क्या क्या प्रयत्न किस किस समय पर किये ?

उत्तर

तारामीरा फसल में बीमारी नहीं लगी। नुकशान होने का प्रश्न नहीं है।

जिले की टोंक, अलीगढ़, निवाई, मालपुरा, टोडारायसिंह व देवली पंचायत समितियों में चने के कुछ क्षेत्र में उकटा (विल्ट) रोग का प्रकोप पाया गया जिससे प्रभावित क्षेत्र में 5 से 8 प्रतिशत नुकसान होने का अनुमान है। उकटा रोग का खड़ी फसल में प्रकोप होने के बाद नियन्त्रण सम्भव नहीं है।

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में अकाल राहत कार्यों के तहत बनाये गये विभागीय खडीन

384. **श्री अमीन खां (शिव) :** क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में सन् 1980 से 1983 तक कितने खडीन विभागीय व अकाल राहत कार्यों के तहत बनाये गये ? कृपया तहसीलवार सूची मय लागत के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या तकनीकी तौर पर उक्त खडीन सही बने ? यदि हाँ, तो कितने ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जिलों में जो खडीन गलत बने उनकी जांच की जाकर दोषी अधिकारियों को दंडित किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि विभाग द्वारा जिला बाड़मेर में सन् 1980 से 1983 तक विभागीय कार्यों के तहत 19 तथा अकाल राहत कार्यों के तहत 86 खडीनों का कार्य पूरा किया गया जिनकी सूची तालिका क्रमश: (क)

(राज्य मन्त्री कृषि)

व (ख) में सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जिला जैसलमेर में विभागीय कार्यों के तहत 28 खडीनों का कार्य पूरा किया गया जिसकी सूची तालिका (ग) में सदन की मेज पर रखदी गयी है। यह जांच का विषय है।

(3) उपरोक्त के पश्चात् संभव है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 35 देखें)

अनुपस्थिति–अनुमति

श्री शोभराजमल को 30 मार्च, 1984 से सत्रावसान तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री शोभराजमल, सदस्य विधान सभा ने 30-3-84 से सत्रावसान तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठक से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सरकार एवं मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा आदेश देने के बावजूद अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशाषी अभियन्ता नगर खण्ड, कोटा द्वारा दो वर्ष से मस्टेर रोल पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को स्थाई न करने के विषय में,

(2) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को रियायती दर पर आवासीय भू-खण्ड न देने के विषय में,

(3) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अध्यक्ष, नगर पालिका बून्दी द्वारा गत 23 फरवरी को इस्तीफा देने के बाद अभी तक उसे स्वीकार न करने के विषय में,

(4) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र की तहसील कोलायत नं. 1-2-3-4 में किसानों पर गलत तावान लगाकर जबरन बसूली करने के विषय में;

(5) श्री चन्द्रवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम–जयमलसर, तहसील बीकानेर में सरकारी अस्पताल को सरकारी भवन से हटाकर एक निजी भवन के विषय में,

(6) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 17 मार्च को रांगड़ी चौक, बीकानेर में श्रीमती कमला पुत्री तेजराम की दहेज की मांग के कारण की गई हत्या के विषय में।

(7) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 24 मार्च को अजमेर क्लब, अजमेर में सार्वजनिक रूप से तस्करी से लाई गई शराब के उपयोग के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(8) श्री बालचन्द आर्यवीर व श्री अनंग कुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ शहर व डग कस्बे में अस्पताल में डाक्टर व दवाई न मिलने के विषय में।

इस विषय पर माननीय सदस्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की बजट की मांगों के समय चर्चा कर सकते हैं। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। इस पर अभी कोई चर्चा नहीं की जायेगी।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री देवीसिंह भाटी, राजस्थान नहर व मुख्य शाखाओं पर पेयजल के अभाव में पशुओं की मृत्यु।

सरकार ने सूचित किया है कि उपयुक्त स्थानों पर खेलियां बनाई गयी हैं और आगामी वर्ष में भी और अधिक खेलियां बनाई जायेंगी।

(2) श्री राम किशोर मीणा, विद्युत विभाग द्वारा दौसा में शिव टीन फैक्ट्री के एक मकान को 5 हजार रुपये महीने पर किराये पर लेने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि विभाग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) द्वारा मूल्यांकन करवा कर इस मकान को 1980 रुपये प्रति माह किराये पर लिया गया है न कि 5 हजार रुपये प्रति माह पर।

(3) सर्वश्री हरीश शर्मा, दाऊदयाल जोशी, हीरालाल आर्य, बालचन्द आर्यवीर सिंचित क्षेत्रीय विकास कोटा से हटाये गये कर्मचारियों को जैसलमेर में काम पर रखने के विषय में।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि यह निर्णय लिया गया था कि जो श्रमिक काम के माप के आधार पर वेतन लेने को तैयार हों और उसकी लिखित में सहमति दें, उन्हें राजस्थान नहर परियोजना पर लगाया जायेगा। इनमें से जो श्रमिक जैसलमेर गये उन्होंने इस शर्त को स्वीकार करने के लिये लिखित सहमति देने से इन्कार कर दिया। भविष्य में भी यदि वे इस शर्त को मान लेंगे तो उन्हें राजस्थान नहर परियोजना पर लगाया जाना सम्भव होगा।

(4) श्री चुन्नीलाल जेलिया व श्री हंसराज शर्मा, ग्राम-पंचायत–तल वड़ा, पंचायत समिति खण्डार में दो सरपंचों के एक साथ काम करने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि एक सरपंच को चुने जाने पर शपथ दिलाकर चार्ज दिलवाया गया और दूसरे व्यक्ति को रिट याचिका पर उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में निर्वाचित घोषित सरपंच ही कार्य कर रहा है।

अत: मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री महावीर प्रसाद जैन, टोंक तहसील की ग्राम पंचायत वजीरपुरा की डूब में आने वाली जमीन का मुआवजा आदि न देना।

इस सम्बन्ध में सरकार से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसका अध्ययन किया गया। मैं इस प्रस्ताव को स्वीकृति योग्य नहीं मानता।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, 6 तारीख को मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था, बीकानेर जिला पुलिस द्वारा मुसलमान परिवारों में से जबर्दस्ती एक परिवार को पाकिस्तान में धकेल दिया गया है और दूसरे परिवार के पीछे पड़ी हुई है। उनको जबर्दस्ती पाकिस्तान में धकेलना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज उनकी तारीख पेशी है, बीकानेर के अन्दर। उनको अदालत में हाजिर नहीं होने देने की रात में ही मुझे सूचना मिली है। पुलिस ने चारों तरफ से उनका घेरा डाला हुआ है। जबर्दस्ती उनको उठा कर पाकिस्तान में डाल कर आयेंगे। अध्यक्ष महोदय, अब किससे कहें, यह संकट ग्रस्त है, कौन प्रोटेक्ट करेगा ?

श्री अध्यक्ष : प्रोटेक्ट तो कानून करता है....

श्री देवीसिंह भाटी : कानून कैसे करता है, अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में आपके माध्यम से जब हमने 6 तारीख को स्थगन प्रस्ताव....

श्री अध्यक्ष : अगली बैठक तक इसकी सूचना निश्चित हमारे यहां आयगी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आज कल उनकी तारीख पेशी है, उनकी जमानत जब्त हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। राज्य सरकार ने देरी की है हमको सूचना उपलब्ध करवाने में लेकिन अगली बैठक तक इस बारे में सूचना दे दी जाय, ऐसा आदेश दे दिया जायगा।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यदि आप महसूस करते हैं कि....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

- **श्री देवीसिंह भाटी** : राज्य सरकार ने सूचना देने में देरी की है तो कम से कम उन्हें तो आप देखिये। अध्यक्ष महोदय, वे तो मारे जायेंगे, परन्तु इस बेरहम राज्य सरकार को तो कुछ नहीं होगा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कानून में कार्यवाही होगी। बहुत अधिक कर सकते है हम तो ...

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपकी वजह से....

श्री अध्यक्ष : इससे आप परिचित हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपकी वजह से ही तो हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, नहीं तो ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं कि हमको हिंसात्मक मजबूरन कार्यवाही करनी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। हिंसा की वात यहां न करें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या करें, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : देर हुई है, माननीय सदस्य, यह प्रबन्ध किया जायगा कि इसका उत्तर शीघ्र राज्य सरकार दे दे।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, मैंने कह ही दिया, विनम्र निवेदन किया है, अर्ज किया है, भीलवाड़ा जिले में 100 से ऊपर खसरे से मौत हो चुकी हैं। अभी-अभी मुझे तार मिला, सारी सूचनाएं हैं। प्रस्ताव हमने दे रखा है, वहाँ उपचार की व्यवस्था नहीं है। यह बीमारी चित्तौड़ और दूसरे इलाकों में भी फैल रही है और विशेष रूप से कोटड़ी और भीलवाड़ा कांस्टीट्यूएंसी है, भीलवाड़ा पंचायत समिति और कोटड़ी दोनों प्रभावित हैं। सौ से ऊपर बच्चे हैं जो खसरे की बीमारी से भीलवाड़ा जिले में मारे जा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप....

श्री बंसीलाल पटवा : आप हमको प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मेडिकल विभाग सोया हुआ है —

श्री अध्यक्ष : जब मैं अपने चैम्बर में जाऊं तो कृपया आने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री बंसीलाल पटवा : मेरा निवेदन है, इस बारे में सरकार से वक्तव्य दिलायें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री बंसीलाल पटवा : व्यवस्था कराइये। दवाइयों की व्यवस्था नहीं। वहाँ पर तीन मेडिकलऑफिसर ना कारा साबित हो चुके हैं, कहते हैं कि मेरा पास दवाइयां नहीं हैं....

श्री अध्यक्ष : थोड़ी देर बाद में आप मेरे चैम्बर में मुझसे मिलने की कृपा करें।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। भाषण न दें। बैठ जायें।

श्री बंसीलाल पटवा : भीलवाड़ा जिले में खसरे की बीमारी के बारे म, अध्यक्ष महोदय, आप सरकार से वक्तव्य दिलायें, व्यवस्था कराइये, वहां हालत खराब है। मेरा यह निवेदन है इस बारे में।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया कि आप बैठ जायं। जब मैं यहां से अपने चैम्बर में जाऊं तो मिलने का कष्ट करें। मैं मंत्रीजी को, अन्य व्यक्तियों को बुला लूंगा। इस बारे में यथा संभव कुछ न कुछ प्रबन्ध किया जायगा। अगर आप सरकार का वक्तव्य....

श्री बंसीलाल पटवा : सरकार उदासीन क्यों है ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, एक सैकंड के लिये मुझे आप अवसर दीजिये। मैं इस चीजको इसलिये महत्वपूर्ण कह रहा हूं कि एक सप्ताह में इतने बच्चों की मृत्यु हो गयी, लगातार बीमारी चल रही है, लेकिन यहां पर ये....

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न गम्भीर है। मैं समझ गया इस बात को, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वे उस दवाई की मांग कर रहे हैं। उसके जो टीके लगते हैं वे बहुत मंहगे होने के कारण सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। इसलिये मैंने ...

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं। माननीय सदस्य, कृपया तुरन्त यहां कोई ...

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। आप व्यर्थ में समय बर्बाद कर रहे हैं।

कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

कृपया ग्रहण करें। सभी बैठ जायं।

आप कुछ कहना चाहते हैं क्या ?

श्री खेतसिंह राठौड़ (चिकित्सा मंत्री) : यों तो परम्परा यह रही है कि यदि आप आज्ञा देंगे तो मैं स्टेटमेंट सदन में प्रस्तुत कर दूंगा। ये अभी जो उत्तेजित हो रहे हैं इनको शान्त करने के लिये निवेदन कर देना चाहता हूं कि....

(व्यवधान)

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठ जायं। मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं, माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बीमारी के बारे में ही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, किसी और विषय पर नहीं बोल रहा हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे ही अखबारों में यह खबर आयी, उसके पूर्व ही हमको मालूम हो गया था कि वहां कुछ मृत्यु हो चुकी हैं। डायरेक्टर मेडिकल एण्ड हेल्थ सर्विसेज से मैंने उसी वक्त कहा, उन्होंने उदयपुर के इस बीमारी के जो एक्सपर्ट डाक्टर हैं उनको भी भीलवाड़ा भेज दिया है। डिप्टी डायरेक्टर, मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसज, भीलवाड़ा को भी वहां भेज दिया है। वहां जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है हैल्थ के, जिनका ताल्लुक है उन सबको कह दिया गया है। यहां से हम दवाइयों का प्रबन्ध कर रहे हैं। मैंने स्वयं भीलवाड़ा के सी. एम. ओ. से बात की। उनको कहा, तुमने यह कह कर स्टेटमेंट दे दिया कि ये दवाइयां महंगी हैं, इंजेक्शन महंगा है, इसलिये हम उनको खरीद नहीं सकते और इसलिये हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। मैंने कहा कि हमने जो लाखों रुपये का प्रावधान कर रखा है दवाइयों के लिये उसमें से खर्च करने में तुम्हें क्या दिक्कत थी? उसने कहा कि यह स्टेटमेंट जो छपा है यह सही नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा है। यह उसने कहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उसके अलावा भी मैंने डायरेक्टर को यह हिदायत दी है कि मेहरबानी करके यहां से और एडिशनल फंड आप मुहैया कीजिये। मैंने उनसे यह कहा है कि देवेन्द्रसिंह आज जा रहे हैं भीलवाड़ा, आप स्वयं तशरीफ ले जाइये। वहां जा करके जांच करके कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता था, श्रीमान्....

श्री बंशीलाल पटवा : डाक्टरों की टीम भेजी आपने क्या ?....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब भी यदि कोई माननीय सदस्यों की शिकायत बनी हुई है तो कृपया....

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। भाषणबाजी नहीं हो। माननीय सदस्य, बैठ जायं।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री बंसीलाल पटवा : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव को मैंने अस्वीकार कर दिया है उनके नाम मैं पुकारूंगा। कृपया अपनी बात दो-दो मिनट में समाप्त करने की कृपा करें।

श्री देवीसिंह भाटी : राजस्थान नहर व मुख्य शाखाओं पर पेय जल का अभाव।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मुख्य नहर के दोनों किनारों पर पशुओं के पेय जल के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में मैंने 8 मार्च को स्थगन प्रस्ताव दिया। सरकार की तत्परता देखिये, 28 तारीख को आपके पास उत्तर आया। इस बीच में हजारों गायें और मर चुकी हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि राजस्थान नहर के काफी हिस्से में हमने खेलियां बनायीं, पशुओं के पेय जल की व्यवस्था कर दी है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मुख्य नहर आर. डी. 931 के बाद में एक जगह भी ऐसी नहीं है जहां पशुओं के पीने के लिये कहीं खेड़ी बनी हो, कहीं भी पानी पड़ा हो। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि उस मुख्य नहर की गहराई 27 फीट है। जब पशु प्यासा होता है और कहीं पानी नजर नहीं आता है तब वह सीधे अन्दर चला जाता है और अन्दर जाने के बाद बाहर निकल नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि वहां पशु खुले में चरते हैं। एक-एक पशु के पीछे आदमी नहीं रहता। जब पशु प्यासा होता है उस स्थिति में वह सीधे नहर के ऊपर जाता है और नहर में जाकर मर जाता है। अध्यक्ष महोदय, कई बार राज्य सरकार के ध्यान में लाने के लिये मैंने यह बात लिखी, बार-बार निवेदन किया, परन्तु राज्य सरकार इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रही है। अध्यक्ष महोदय, करोड़ों रुपये जहां राजस्थान में राज्य सरकार लगा रही है राजस्थान नहर के ऊपर, अध्यक्ष महोदय, अगर कुछ एक हजार रुपये यह खेडियों के निर्माण में, हाई टैंक या साइफन में लगा कर पेयजल व्यवस्था कर दे, अध्यक्ष महोदय, तो हमारा पशुधन जिनके ऊपर आज गरीब परिवारों का सारा आर्थिक जीवन चल रहा है, बच सकता है। अध्यक्ष महोदय, इसकी ओर राज्य सरकार कतई ध्यान नहीं दे रही है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मुख्य नहर ही नहीं, इसकी शाखाएं, इसकी उप-शाखाएं, कहीं भी आप जाइये, पशुओं के पीने के पानी के लिए कहीं भी व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वह पशु आखिर कहां पीयें? अगर आदमी साथ जाकर स्वयं पिलाना चाहे तो बाल्टी से खींचकर भी नहीं पानी पिला सकता है। गत दिनों, राजस्थान मुख्य नहर 3 जनवरी से बंद हुई तो डेढ़ महीने तक बद रही, मामूली पानी पड़ा रहा। उसके अन्दर सैकड़ों गायें, बछड़े, दुधारू पशु डूब-डूब कर मरे। अध्यक्ष महोदय, बार-बार निवेदन किया गया कि आप इसके ऊपर और ज्यादा खर्च करिये मत, सिर्फ पाइप डाल दीजिए, कम से कम बाहर खुले में पानी पड़ा रहे तो पशु अपना पानी पी लें और अपनी मौत से बच जाय। अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान सरकार, यह डूबे हुए राजस्थान नहर मंत्री, राजस्थान नहर के इंजीनियर्स, कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। अध्यक्ष

(श्री देवीसिंह भाटी)

महोदय, आज वह गरीब लोग कहां जायें ? आपने नहर तो ला दी पर उस नहर के साथ उनका भी ख्याल रखो जिनके लिए नहर लाये हो। सबसे पहले तो उनको मारने जा रहे हैं और फिर कहते हो, दूसरों को लाकर बसा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आसन के माध्यम से राज्य सरकार से यही निवेदन करना है, अगर समय पर आप पशुओं के लिए खेलों की व्यवस्था कर देते हैं तो मेहरबानी है वरना मजबूरी में हमें यह नहर तोड़नी पड़ेगी, जिससे सबको नुकसान होगा।

श्री परसराम मदेरणा : डेढ़ सौ जो पशु मरे वह प्यास के कारण से मर गये या पानी को देखकर पीने के लिए कूद गये ?

श्री देवीसिंह भाटी : दोनों स्थिति बनी कोई कमजोर पशु थे....

श्री अध्यक्ष : जो कमजोर पशु थे वह तो प्यासे मर गये, जो हिम्मत वाले थे वह अंदर गये और डूब गये।

श्री रामकिशोर मीणा।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था, उसमें, अध्यक्ष महोदय, एक दूसरा उदाहरण भी दिया था, आपने शिव टिन फैक्ट्री का ही नाम दिया। इसी तरह से धौलपुर में भूमि विकास बैंक ने....

श्री अध्यक्ष : अब आप, इसमें 5000 से 1900 आ गया तो धौलपुर पधार गये।

श्री रामकिशोर मीणा : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में निवेदन करूं, शुरुआत में इसका 5000 का था, स्थगन देने में...।

(व्यवधान)

इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह विवादास्पद फैक्ट्री है, इसके ऊपर कई केसेज चल रहे हैं। प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से यह दोनों फैक्ट्री आज बंद है, और इसका कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट की बगैर परमिशन के न तो किराये पर दे सकते हैं, कानून को ताक में रखकर, वहां पर एक शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति की फैक्ट्री थी, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया, इसका अलॉटमेण्ट····

श्री अध्यक्ष : आप इसका धरातल बदल रहे हैं।

श्री रामकिशोर मीणा : नहीं इसमें यह तो नहीं ले सकते क्योंकि कोर्ट का केस चल रहा है, हाई कोर्ट में पेण्डिंग है, और कोर्ट की जब तक परमिशन नहीं होती····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य यह था कि भवन दो हजार, डेढ़ हजार रुपये किराये का है, वह पांच हजार रुपये में किराये लिया गया। सही स्थिति यह निकली कि 1980 रुपये में लिया गया है। अब वह कानून या किसी दूसरी जगह भी इसी तरह से किया जा रहा है, वह सब अलग प्रश्न हैं····

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड को यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, इस सम्बन्ध में कोर्ट के आदेशों का, अदालतों के आदेशों का पालन नहीं होता है तो अधिकारी नहीं कर सकते हैं। अध्यथ महोदय, एक के ऊपर एक इस तरह करते जा रहे है, फिर भी विभाग में इसकी जरूरत नहीं थी, अपना अलग भवन आज भी वहां पर, जीर्प, ट्रक्स खड़े करने के अलावा कोई काम नहीं है। इस तरह की कार्यवाहियां की गयीं, प्रभावशाली व्यक्तियों को नाजायज तरीके से लाभ देने के लिए, और उनको खुश करने के लिए इस तरह की कार्यवाहियां की गयीं, जो कि बहुत ही अनुचित हैं। इस तरह की हमारी व्यवस्था है, अध्यक्ष महोदय, यह तो मैने सिर्फ एक उदाहरण दिया है. इसी तरह धौलपुर में भी किया गया, पहले 400 रुपये था, उसके बाद में 2700 रुपये महीने पर लिया गया।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य। आपने अपने स्थगन प्रस्ताव में कोई एक विषय उदाहरण के रूप में····

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, इसमें ही नीचे दूसरी लाइन है। अध्यक्ष महोदय, उसमें यह था, भूमि विकास बैंक, धौलपुर ने जो पहले 400 रुपये मासिक पर भवन ले रखा था वह पर्याप्त था, प्रभावशाली व्यक्तियों को नाजायज लाभ पहुंचाने हेतु 2700 रुपये मासिक पर दूसरा मकान ले लिया ...

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन प्रस्ताव में एक ही विषय होना चाहिए। इसमें दूसरी तराजू निकल गयी और ···

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, अब····

श्री रामकिशोर मिणा : इसको रोका जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को अन्य किसी तरीके से उठाया जाय, यदि ऐसा हो रहा है तो····

श्री चुन्नी लाल जेलिया। ग्राम पंचायत तलावड़ा में 2 सरपंच कार्य कर रहे हैं, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

यह तो अदालतों के आदेश से हुआ है।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं कि जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समिति खण्डार के अन्दर ग्राम पंचायत तलावड़ा में, एक ही ग्राम पंचायत में दो सरपंचों द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिससे वहां के क्षेत्र का विकास रुका हुआ है, इस संबध में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय, तलवड़ा के सरपंच के खिलाफ अदालत में एक केस चला, अदालत के केस के आधार पर वह सरपंच कोर्ट से केस हार गया, जिस तारीख को हारा, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसके दूसरे रोज, जो एक वोट से हारा था उस व्यक्ति को तहसीलदार खण्डार ने शपथ ग्रहण करा

(श्री हंसराज शर्मा)

दी, शपथ ग्रहण कराके तुरन्त उसी वक्त उसको 9 हजार रुपये का चैक विकास कार्य के लिए दे दिया। जो हारने वाला सरपंच था वह हाई कार्ट में गया, उसी रोज हाई कार्ट से स्टे लेकर वहां पहुँचा। जिस समय वह वहां पहुँचा, उसके बाद तहसीलदार और विकास अधिकारी ने उनको यह आदेश दिया कि क्योंकि आपके खिलाफ कोर्ट में निर्णय हो गया है इसलिए आप ग्राम पंचायत तलावड़ा का सम्पूर्ण कार्य-चार्ज इस व्यक्ति को दे दीजिए। तत्पश्चात् हाईकोर्ट के स्टे-निर्णय के आधार पर उन से निवेदन किया, क्योंकि हाई कोर्ट में यथा स्थिति का स्टे दे दिया है, जिससे मैं चार्ज नहीं दे सकता। उसके आधार पर वह ग्राम पंचायत का कार्य आज तक भी करता आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस व्यक्ति को तहसीलदार ने शपथ ग्रहण करा दी थी और नौ हजार रुपये का चैक दे दिया था, वह भी अलग से पैरेलल पंचायत चला रहा है, वह भी काम कर रहा है। इसलिए ग्राम जनता में इस से परेशानियाँ हो रही हैं, कि पहले वाले सरपंच के माध्यम से काम कराया जाय या दूसरे के माध्यम से। साथ ही साथ उन दोनों के संघर्ष में उस गाँव का सम्पूर्ण विकास रुका पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसके पश्चात् पंचायत समिति खण्डार की किसी भी मीटिंग में किसी भी सरपंच को, जो बाद में बना उसको भी, जो पहले बना उसको भी, किसी को भी नहीं बुलाया गया है। उसके बाद में पंचायत समिति की स्टेण्डिंग कमेटियों की मीटिंग होने वाली थी, उस मीटिंग में भी नहीं बुलाया गया। हाई कोर्ट से फिर स्टे चला गया, क्योंकि उनको हाई कोर्ट से स्टे हो चुका है इसलिए इनको विधिवत बुलाया जाय। लेकिन आज दिन तक स्टेण्डिंग कमेटी के चुनाव नहीं हुए। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सम्पूर्ण मामले की जांच की जाय। जो वास्तव में सही सरपंच है, उसके द्वारा विकास के कार्य कराये जायें। इस मामले में विकास अधिकारी के खिलाफ, तहसीलदार के खिलाफ कन्टैम्प्ट आॅफ कोर्ट हाई कोर्ट में चल रहा है। यह तो एक प्रक्रिया है, केस है, मुकदमा चलता रहेगा। लेकिन वहां के विकास कार्य रुके हुए हैं। इसलिए जिन लोगों ने गलती की है, फैसले के दूसरे रोज ही सवेरे जाकर तहसीलदार से तत्परता से तुरन्त ही शपथ ग्रहण करवा लो और तुरन्त ही उसको एक चैक दे दिया। यह अवैध रूप से, गलत तरीके से किया गया है। इसलिए वहां के विकास कार्य रुके पड़े हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जांच कराई जाय।

श्री अध्यक्ष : 9 हजार का चैक दिया, वह तो खर्च करने दो उसको।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो 9 हजार उसको दिये हैं, उसके बाद न तो पहले वाले सरपंच को मिल रहा है, न उसको मिल रहा है। सरकार की तरफ से

(श्री हंसराज शर्मा)

संपूर्ण विकास का पैसा मिलने वाला था, उस पर पाबन्दी लगा दी गयी है, न उसको मिलता है, न उसको मिलता है। दोनों लड़ रहे हैं और पब्लिक को दण्ड मिल रहा है। नानी खसम करे और दोहिते को दण्ड। क्यों? हमारे गांव में एक कहावत है, नानी खसम करे और उसका जो दण्ड है, वह दोहिते को भुगतान पड़े। पब्लिक पर यह जुल्म क्यों है? इसलिए मैं चाहूंगा कि इस मामले की अविलम्ब जांच की जाय। जो भी व्यक्ति वहां कार्य में योग्य है उसको तुरन्त चार्ज दिलाकर वहां का विकास कार्य कराया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद, वजीरपुरा को डूब में आने वालों को मुआवजा आदि न देना।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत वजीरपुरा में पलाड़ा एक ग्राम है। पलाड़ा ग्राम में एक तालाब बना हुआ है। उसके नीचे तालाब के पेटे में एक गांव बसा हुआ था। उस तालाब की पाल को सिंचाई विभाग वालों ने ऊंचा कर दिया तो गांव डूब में आ गया। जब गांव डूब में आ गया तो उनको दूसरी भूमि पर बसाया गया। जब ऑब्जेक्शन हुआ तो तहसीलदार की रिकमण्डेशन पर, सरपंच की रिकमण्डेशन पर और वहां के एस. डी. ओ. की रिकमण्डेशन पर कलेक्टर ने आदेश दिये...

श्री अध्यक्ष : यह कितने साल पहले पाल ऊंची की गई थी?

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सन् 1972 में पाल ऊंची की गई थी। डूब में जो परिवार आये उनके वहां पर घर नष्ट हो गये। घर नष्ट होने पर जो मुआवजा देना चाहिये वह मुआवजा तो दिया ही नहीं गया लेकिन वहां पर उनको बसाया गया गोचर भूमि में आबादी भूमि में ट्रान्सफर करके। गोचर भूमि आबादी भूमि में ट्रान्सफर कर दी और उन लोगों को वहां पर बसा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, उन लोगों को बसाकर केवल वह लोग दबे रहें इसलिये पंचायत समिति में रिजोल्यूशन लिया, उसमें कोई कोरम नहीं था, केवल सरपंच की नियत पर कि यह लोग दबे रहें, उनसे एक रुपये के हिसाब से लिया जायेगा। इस प्रकार का रिजोल्यूशन उनको दिखाने के लिये सन् 1972 में ले लिया और रिजोल्यूशन लेकर पटके रखा ताकि वह गांव वाले दबे रहें और उनके सामने नहीं बोलें। पंचायत को कोई अधिकार नहीं हैं कि उनसे किसी प्रकार की राशि ली जाय। एक तरफ तो कम्पेनशेसन नहीं दिया और दूसरी तरफ दबाया गया। उनको जमीन के बजाय दूसरी जमीन दी उनको वहां पर बसा दिया। किसी भी प्रकार का पंचायत को अधिकार नहीं है कि डूब में आये हुये जिन लोगों को जहां पर बसाया गया है उन लोगों से किसी प्रकार का चार्ज करे। उसके बाद में उनसे चार्ज लिया जा रहा है, नये सिरे से कार्यवाही की जाकर उनके ऊपर नोटिसेज जारी किये जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि तुम्हारे मकान कुर्क किये जायेंगे, तुम्हारी गाय-भैंस कुर्क की जायेंगी इसलिये यह

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

पैसा जमा कराओ। उनके साथ ज्यादतियां और जुल्म किये जा रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : इस पर विचार स्थगित करके पुनर्व्यवस्था दूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : शासकीय कार्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी....

(व्यवधान)

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री भैरूंलाल भारद्वाज का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष : वैद्य भैरूंलाल भारद्वाज।

एक माननीय सदस्य : हमारे जे. डी. ए. के कर्मचारियों के सम्बन्ध में....

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा....

श्री अध्यक्ष : पहले इनको अवसर दे दिया है। इनके बाद आपको अवसर दूंगा।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय। अभी तीन दिन पहले ही 28-3-1984 को प्रश्नकाल के दौरान जो कुछ बातें हुई और अखबारों में अलग अलग छपा उससे मेरे बारे में कई तरह की भ्रान्तियां हुई हैं। जो प्रश्न पर हुआ है उसकी नकल भी आपके यहां से जो जाती है वह मेरे पास मौजूद है। यद्यपि उसमें वह बातें नहीं हैं फिर भी अखबारों में एक तो समाचार जगत, राजस्थान पत्रिका और राष्ट्रदूत में अलग अलग कुछ बातें छपी हैं इसलिये उनका स्पष्टी करण करना मेरे लिये बहुत जरूरी हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें यह उजला अरोड़ा के नाम से....

श्री अध्यक्ष : डाक्टर श्रीमती उजला अरोड़ा, माननीय सदस्या।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय सदस्या उजला अरोड़ा के नाम से समाचार जगत में तो यह निकला, एशियाड के समय इन्होंने ऋण लिया है, एक होटल बनाया है और बोरियां बिस्तर पर्यटन निगम के बांधकर यहां से रवाना करना चाहते हैं। फिर इन्होंने यह कहा है कि पंचायत समिति के निर्णय के विरुद्ध भी होटल बनाने की अनुमति दी गई। तीसरी बात इन्होंने यह कही है कि साहब, लड़कों को मानने को तैयार नहीं हो तो मैं इस लड़के को गोद लेना चाहती हूं।

इसी प्रकार से यदुनाथसिंह जी ने होटल निगम....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्पष्टीकरण जो दिया जाता है। व्यक्तिगत कोई आरोप लगाये गये हों तो उसका उत्तर दिया जाता है। उस पर चर्चा नहीं होती है। माननीय सदस्य।

श्री भैरू लाल भारद्वाज : हां, इसके सम्बन्ध में जो छपा है उसका ही स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : कोई व्यक्तिगत आरोप हो तो....

श्री भैरू लाल भारद्वाज : व्यक्तिगत ही आरोप हैं। इन अखबारों को कोई पढ़ें तो यही आरोप निकलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जानकारी के तौर पर बताना चाहता हूं कि जमवा रामगढ़ बन्धे पर मेरे लड़के, जिसका नाम शिवाजी भारद्वाज है, जिसकी उम्र 25 साल है, जो बी. एस सी. पास करके तीन साल से कोई काम नहीं कर रहा था, ने अपना काम करने के लिये एक रेस्टोरेन्ट बनाया। होटल बनाया नहीं है। बनाने का इरादा है। कब बनायेगा, मुझे पता नहीं। लीज पर जमीन ली है। किसी पंचायत समिति ने कोई अनुमति नहीं दी हो, यह बात नहीं है। कलेक्टर ने जाप्ते के हिसाब से जमीन लीज पर दी है। एक खातेदार ने कुआं और जमीन 1 लाख 3 हजार में बेचकर बाकायदा रजिस्ट्री कराकर वह पैसा लिया है। उसमें केवल रेस्टोरेन्ट....

श्री हीरालाल आर्य : यह सब तो आपको पता है। होटल चल रहा है। यह आपको पता नहीं है....

श्री भैरू लाल भारद्वाज : बीच में नहीं बोलें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरू लाल भारद्वाज : बीच में रोले की वजह से तो कई बातें मैं उस दिन नहीं सुन सका था। अध्यक्ष महोदय, किसी का भी लड़का और किसी एम. एल. ए. का लड़का कमा के खाता हो तो कोई गलती हो तो आप बता दें। नियमानुसार जहां तक होटल बनाने का और ऋण लेने का सवाल है यह बिलकुल × × × बात है और....

श्री अध्यक्ष : असत्य बात है। × × × शब्द कार्यवाही से हटा दिया जाय।

श्री भैरू लाल भारद्वाज : यह सब गलत बात है। असत्य बात है।

जहां तक इन्होंने यह कहा है कि वहां पर साइकिल स्टेण्ड और कार स्टेण्ड चलाता है। यह भी बिलकुल असत्य बात है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो कहती हैं कि लड़का मेरा नहीं है। यह मैंने कभी नहीं कहा। यह इस कार्यवाही में भी लिखा है। लड़की की बात तो रोले में मैंने सुनी नहीं।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि लड़के के लिये मैंने मेरा जो स्पष्टीकरण था वह दे दिया ।

जहां तक लड़के को गोद लेने का सवाल है, जो माननीय उजला जी ने कहा है उसके सम्बन्ध में 3 शर्तों के अनुसार मैं उनको गोद दे सकता हूं....

श्री अध्यक्ष : बिना शर्तों के तो लड़का कौन देता है किसी को ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : एक तो यह शर्त है कि अगर मेरे लड़के को गोद लेना चाहती हैं तो वह प्रतिक्रियावादी पार्टी भा. ज. पा. से सम्बन्ध तोड़ें । दूसरा मेरा सुझाव यह है कि ××× और तीसरा यह है कि यह मेरे लड़के को लें तो उससे नाजायज कार्यवाही न लें, नाजायज काम न लें । अगर यह तीनों शर्तों इन्हें मंजूर हों तो मेरा लड़का इनको देने को तैयार हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषय से हट रहे हैं । यह उचित नहीं है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपना स्पष्टीकरण दिया यह तो ठीक बात है परन्तु श्री भारद्वाज जी ने माननीय सदस्या पर जो चार्ज लगाया है वह बहुत आपत्तिजनक है । ××× कहने का क्या मतलब है आपका ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : ××× मेरा लड़का गोद लेगी तो उनमें झगड़ा होगा नहीं क्या ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य, कार्यवाही के अन्दर कोई गलत शब्द होंगे तो उन शब्दों को कार्यवाही से हटा दिया जायगा । माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मेरा बेटा गोद लेने के लिये पहले ××× उसके बाद मेरा बेटा गोद लेने की बात करें....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । कार्यवाही से हटा दिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : यह स्थिति होगी तो ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मेरा लड़का गोद लेना चाहती है तो ये शर्तें हैं । इन शर्तों के मंजूर होने के बाद....

(व्यवधान)

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि चर्चा में संयम बरतें। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आप एक साथ बोलते हो मेरी समझ में नहीं आता। एक–एक बोलो....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अगर आप इस हाउस का उपयोग इस प्रकार के गन्दे शब्दों से करोगे तो फिर हम भी इस हाउस का उपयोग इनसे भी गन्दे शब्दों से करेंगे। यह कोई तरीका है....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैंने कोई गन्दे शब्द नहीं कहे....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप एक माननीय सदस्य होकर यह बात कहना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अगर किसी को गोद लेना चाहती है तो आपको यही कहेंगे....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ×××

श्री बंसीलाल पटवा : ×××

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बैठ जायं।

श्री राजबहादुर।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री भैरूंलाल भारद्वाज जी से अपील करूंगा कि वह खेद प्रकट कर दें। इस प्रकार के शब्द शोभायमान नहीं है। किसी बहिन के लिये तलाक लें, यह जो कुछ कहा है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो.

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ×××

श्री भंवरलाल शर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं।

(व्यवधान)

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो

अनेक माननीय सदस्य : XXX

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य बैठ जायं । ऑर्डर, ऑर्डर ।

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 12.41 बजे आधे घण्टे के लिए स्थगित की हुई)

विधान सभा की बैठक पुनः म. प. 1.13 बजे प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही पुनः आधा घन्टे के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 1.13 बजे आधे घण्टे के किये स्थगित हुई)

विधान सभा की बैठक पुनः म. प. 1.42 बजे प्रारम्भ हुई

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : श्री वैद्य भैरूंलाल भारद्वाज ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ कहा उसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है कि जिसके बारे में किसी तरह की कोई आपत्ति हो, नहीं तो शब्द कोष मंगाकर उठाकर देख लीजिए । मैं उर्दू पढ़ा हुआ व्यक्ति हूं । मेरी सैकण्ड लैंग्वेज उर्दू थी । मैंने यह जो कहा, वह इस दृष्टि से कहा था....

श्री अध्यक्ष : विस्तार में नहीं जायें ज्यादा ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी मन्शा तो माननीय सदस्य के ऊपर कोई दुर्भावना व्यक्त करने की नहीं थी । मैंने केवल यह कहा था ...

श्री अध्यक्ष : वह तो आपने कहा था । वह मैंने सुन लिया सब ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : +++ का मतलब छोड़ना है । मैंने गोद लिये बच्चे के लिए ।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

लड़के के लिए कहा था। लड़के के छोड़ने की बात कही थी....

श्री अध्यक्ष : विस्तार में न जायें, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : ××× जैसा शब्द आम तौर पर जरा जरा सी बात पर कहते हैं गांव में, जा थारे कोनी आवे ××× थारे आ बैठो। ऐसे हमारे यहां तो ××× शब्द रोज रोज काम में आता है, ऐसे साधारण शब्द को भी समझने में उन्होंने कोई दूसरा अर्थ लगाया हो तो मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का।

श्री राजबहादुर : आपने अर्थ दूसरा लगाया इसका।

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री यदुनाथ सिंह : चर्चा तो होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : लेकिन जो कुछ कहा है वह स्पष्ट होना चाहिए। वह कहते हैं, अगर आपने यह समझा है तो मुझे इस पर अफसोस है।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, इसका मतलब तो यह है....

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या है मतलब।

श्री अध्यक्ष : कि आपको यदि ठेस पहुंची है....

(व्यवधान)

इस विस्तार में नहीं जायें। उनके कहने का आशय यह है कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह किसी दुर्भावना से नहीं कहा। उसका अन्यथा अर्थ समझ लिया गया है तो उन्होंने कहा है कि उनको उसके लिए खेद है। खेद कह दिया।

श्री दाऊ दलाय जोशी : 'खेद' कहां है?

श्री अध्यक्ष : अफसोस है। आर्डर आर्डर, इसको ज्यादा नहीं बढायें, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्षमा मांगनी पड़ेगी, क्षमा। अफसोस नहीं बल्कि क्षमा मांगनी पड़ेगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सदन की समझ पर अफसोस जाहिर किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आपने ऐसा नहीं समझा ...

श्री अध्यक्ष : अफसोस का मतलब खेद होता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमारी समझ पर और आपकी समझ पर भी उन्होंने अफसोस जाहिर किया है कि....

श्री अध्यक्ष : अफसोस और खेद एक ही बात है।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

79

श्री महावीर प्रसाद जैन : उनको कोई खेद नहीं है । न उनको अफसोस हुआ है, न उनको, माननीय अध्यक्ष महोदय, खेद हुआ है । उनको तो हमारी समझ पर खेद हुआ है ।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षमा याचना कर लें हाउस से ।

श्री अध्यक्ष : कृपया पर्याप्त है यह । माननीय सदस्य, यह अलग एक बात आ गयी । उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमारी और आपकी समझ पर उन्होंने अफसोस जाहिर किया है. हमारे यहां तो यह होता है और मुझे बड़ा अफसोस है । यह कहा है ।

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा समाप्त हो गयी । आर्डर । कृपया बैठ कायें ।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे टाइम दें ।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं तो प्रस्ताव कर रहा हूं । मेरा प्रस्ताव है । मैं तो प्रस्ताव कर रहा हूं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मंत्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कि हमारे दल के माननीय सदस्य ने अफसोस जाहिर कर दिया, यदि आप यह महसूस करते हैं, अगर आप इस शब्द को इस अर्थ को गलत समझे हैं तो । मैं मुख्य सचेतक की हैसियत से इस दल की तरफ से और माननीय सदस्य की तरफ से....।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सचेतक जी बोल रहे हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर आप यह गलत समझे हैं....

अनेक माननीय सदस्य : नहीं नहीं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और आप यह समझे हैं कि यह ××× शब्द है यह ठीक तरीके से प्रयोग नहीं हुआ है....

एक माननीय सदस्य : आप क्या समझे हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह ठीक तरीके से प्रयोग नहीं हुआ है और इससे आपके दिल को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । पर्याप्त है वयोवृद्ध सदस्य हैं । माननीय सदस्य, इस तरह का यह विषय है, कृपया इस पर चर्चा समाप्त कीजिए ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री राजबहादुर : ठीक है । अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात को बढ़ाना नहीं चाहता लेकिन क्लियर बात यह है कि....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री राजबहादुर : अव्वल तो जो कुछ भी कहा गया उसको जस्टीफाई करने की कोशिश की गयी, तलाक का मतलब यह है और खेद का मतलब यह नहीं है । फिर यह कहा गया कि अगर आप यह समझे हैं, अगर आप इतने नासमझ हैं तो मैं अफसोस जाहिर करता हूं । यह कोई अपोलोजी नहीं हुई, हमारी गलती है, हमारी कमी है, आपकी गलत समझ है ।

एक माननीय सदस्य : यह आप लोगों के खिलाफ है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह अच्छा नहीं है आपका तरीका ।

श्री राजबहादुर : आप कृपा करके क्षमा याचना करते । मैं तो आपसे बड़ी विनती करके कहता हूं, अपील करके कि बहन के ऊपर लांछन लगाया है तो आप एपोलाइज करिये, खेद प्रकट करिये कि आपका मतलब यह नहीं था । आप लांछन नहीं लगाना चाहते थे । यह कहिये, लांछन लगाना नहीं चाहते थे ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जो खेद प्रकट किया माननीय भैरूलाल जी भारद्वाज ने और इसके बाद खेतसिंह जी, जो दल के मुख्य सचेतक हैं, ने पूरे दल की ओर से और माननीय सदस्य की ओर से यहां क्षमा याचना कर ली है, खेद प्रकट कर दिया है, कुछ भी कर दिया है....

एक माननीय सदस्य : क्षमा याचना कहां की है ?

श्री दीपेन्द्र सिंह : क्षमा याचना की है ।

श्री अध्यक्ष : वह अपने शब्दों का चाहे जैसे प्रयोग करें ।

श्री गोकुल चन्द्र शर्मा : अफसोस का मतलब भी खेद है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मैं माननीय सदस्य....

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप इस तरह की बात करके सदन की गरिमा को ठेस पहुँचाना चाहते हो तो हम डिबेट करना चाहते हैं । डिबेट करिये । क्या करते हैं आप इस तरह दबाकर । यह कहना चाहें एक तरफ तो आप सदन की गरिमा को गिराने की बात करते है और जब हम कहते हैं तो आप इस तरह की बातें करते हो । इस पर बहस होनी चाहिए, बहस कर लें कि कौन सी बात हुई है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस तरह की बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें । आर्डर आर्डर ।

(श्री अध्यक्ष)

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सदन में सभी माननीय सदस्यों को विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता है। अपनी तरफ से कोई भी माननीय सदस्य पार्लियामेन्ट्री भाषा,संसदीय भाषा के अन्दर कोई बात कहें, उनको कहने का अधिकार है। उन्होंने अपनी बात कही है अब उसका प्रतिकार हो, उसको विरोध हो, यह अलग बात है। सदन के समक्ष जो चर्चा होती है उसको सुन कर के सदन अपना नतीजा निकालता है। यह बात यहीं समाप्त होती है।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक निवेदन यह है कि जो बातें कही हैं उन बात की कार्यवाही एक्सपंज कर दें। आप इतना तो कर दें कि कार्यवाही से एक्सपंज कर दें इसको।

श्री अध्यक्ष : वह मैं देख लूंगा। मैंने पहले ही व्यवस्था दे दी है। सदन की कार्यवाही देखकर, उसके बाद में इस पर निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब तो यह हुआ कि कोई भी सदस्य × × × और फिर खेद व्यक्त कर ले, क्षमा व्यक्त कर ले। जब तक सजा नहीं दी जायेगी किसी सदस्य को तो, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : उसके लिए प्रावधान है, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : अलग प्रावधान है तो मैं प्रस्ताव कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव मंजूर किया जाय। मेरे प्रस्ताव पर सदन विचार करें।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव नियमानुसार दिया जाता है।

श्री देवीसिंह भाटी : कौनसा पहाड़ टूट पड़ा था, जब मैं एक प्लेट लगाकर आया था मेरी भावनाओं को सिर्फ व्यक्त करने के लिए। उस वक्त एक एक माननीय सदस्य उछल पड़े थे। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त किसी ने मेरी भावनाओं को देखा? वह तो सदस्यता खतम करने चले थे। अध्यक्ष महोदय, उस समय मैंने खेद प्रकट किया था फिर भी इन्होंने सस्पेन्शन का प्रस्ताव लाकर मुझे यहां से सस्पेण्ड किया था, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। कृपया बैठ जायें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आपके कारनामे ऐसे हैं।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष की आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(82)

श्री देवीसिंह भाटी : × ×× कारनामे किस बात के। भावना में आकर मैंने कहा था, कोई गलत नहीं कहा था लेकिन आपने मेजोरिटी के आधार पर निर्ममता से ऐसा प्रस्ताव लाकर वह प्रस्ताव पास किया मेजोरिटी के आधार पर कोई मेरी भावनाओं को नहीं देखा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। शासकीय कार्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठ जायें।

एक माननीय सदस्य : × × ×

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा था।

श्री अध्यक्ष : आधा समय गया। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, गम्भीर मामला था वह। मेरा नाम पुकारा था, आप भूल गये इस चक्कर में।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सी. ए. डी. के स्थगन प्रस्ताव पर जब आप व्यवस्था दे रहे थे तब माननीय सदस्य का नाम आपने पुकारा था सी. ए. डी. पर।

श्री अध्यक्ष : नहीं पुकारा था। उसके बाद में दूसरा कार्य हाथ में ले लिया गया। दूसरा आया था; स्पष्टीकरण का अवसर दिया था, चर्चा समाप्त कर दी गयी इसलिए उस पर....

श्री महावीर प्रसाद जैन : बीच में ही....

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं। आर्डर प्लीज। नाम पुकारा उस वक्त आप उपस्थित नहीं थे।

श्री हीरालाल आर्य : नहीं, हम तो सब थे, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री हीरालाल आर्य : सी. ए. डी. के तहत....

श्री हरीश शर्मा : मैं उठा था, साहब, सी. ए. डी. के कर्मचारियों के बारे में।

श्री अध्यक्ष : सर्वश्री हरीश शर्मा, दाऊदयाल जोशी, हीरालाल आर्य, बालचन्द आर्यवीर। इनके नाम से सूची में नम्बर 3 पर आपका प्रस्ताव था उस पर नाम पुकारा गया, जब कोई माननीय सदस्य उठा नहीं था....

श्री महावीर प्रसाद जैन : हुआ था।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य । आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य । उसके पश्चात नम्बर 4, श्री चुन्नीलाल जेलिया व हंसराज शर्मा का नाम पुकारा गया । किसी पंचायत में, एक पंचायत में दो सरपंच कार्य रहे हैं उस पर माननीय सदस्य ने चर्चा की । उसके पश्चात् श्री महावीर प्रसाद, सदस्य के किसी गांव की आबादी भूमि के डूब में आने का एक प्रस्ताव था, उस पर मैंने आपको····

श्री हरीश शर्मा : आपने नाम नहीं पुकारा था ···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री अध्यक्ष : मैंने कुछ दो मिनट के लिए कहने को निवेदन किया था आपसे । आपने कुछ तथ्य सामने रखे । मुझे तथ्यों में कुछ सच्चाई लगी । इसलिए मैंने आपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करके उसके पश्चात् जब यह कार्य समाप्त हो गया श्री भारद्वाज को पुकारा । इसलिए आज यह सम्भव नहीं है । अगली टर्न पर मैं आपको अवसर दे दूंगा इस प्रस्ताव पर जितने भी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे···

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । आज तो अवसर नहीं दे सकता । कार्य सूची का अगला विषय ।

(व्यवधान)

मैं तो यह कह रहा हूं कि 3 तारीख को मैं आपको जितने माननीय सदस्य इस संबंध में बोलना चाहेंगे मैं अवसर दे दूंगा ।

घोषणा

शासकीय व अशासकीय संकल्प व विधेयक पर विचार के लिये समय का नियतन

शासकीय कार्य–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सम्बन्ध में सरकारी संकल्प व विचार । आज माननीय सदस्य जानते हैं कि शुक्रवार का दिन है, आधा दिन गैर सरकारी संकल्प कार्य के लिए दिया जाएगा । आज सरकारी कार्य की सूची में एक संकल्प है और दूसरा एक विधेयक है । इसलिए इनके लिए एक एक घण्टे का समय निश्चित किया जाता है । अवशेष समय जो रहेगा और समय बढ़ा करके भी गैर सरकारी संकल्प है उसको हाथ में लिया जाएगा ।

अब मैं माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी का नाम पुकारता है, वह संकल्प प्रस्तुत करेंगे ।

व्यवस्था का प्रश्न

शासकीय संकल्प का हिन्दी पाठ

श्री गुलाब चन्द कटारिया : श्रीमान, पाइन्ट आफ आर्डर । व्यवस्था का प्रश्न है ।

यह जो संकल्प हमारे सामने पेश किया गया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का, उसका जो ओरिजिनल बिल हमारे पास आया है वह सारा अंग्रेजी में है । इसका हिन्दी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अनुवाद हमें प्राप्त नहीं हुआ। मैं आपसे चाहूंगा, हम इस बारे में निर्णय करने जा रहे हैं तो कम से कम इसकी टर्म और कण्डीशन को हम सब सदस्य ठीक प्रकार से पढ़ सकें और उसके बारे में अपना विचार दे सके, मेरी ऐसी मान्यता है कि आप इसकी व्यवस्था कराइये।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मन्त्री, स्वायत्त शासन) : अध्यक्ष महोदय, आज तो संकल्प है। हमने तो उस मॉडल बिल की कापी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यहां प्रस्तुत की है। बाद में यह पार्लियामेन्ट में प्रस्तुत होगा।

श्री अध्यक्ष : वहां से पारित हो गया क्या ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : नहीं, पारित होने का प्रश्न ही नहीं है। यहां से प्रस्ताव जाएगा उसके बाद वहां पर उस पर सोचा जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, इस संकल्प के द्वारा हम सारी चीज को समझ नहीं पा रहे हे। वास्तव में इसमें क्या क्या चीज होने वाली है क्या उसका रूप होगा, उसमें हमारा क्या हिस्सा रहेगा। इससे तो केवल इतना सा स्पष्ट हो रहा है कि एक संकल्प इस बारे में आ रहा है। इससे क्या होने वाला है इसका कुछ पता नहीं है। या तो मन्त्री महोदय इसके बारे में वह सारे बिन्दु समझा दें।

श्री अध्यक्ष : आपके दल में अंग्रेजी जानने वाले माननीय सदस्य हैं। उनसे वह जानकारी ले लें। काफी पहले सूचित किया गया था माननीय सदस्यों को। क्योंकि केन्द्रीय सरकार है वह विधेयक आदि अंग्रेजी में ही पारित करती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प आ रहा है वह केन्द्रीय सरकार का नहीं आ रहा है, वह राजस्थान सरकार का आ रहा है और राज्य सरकार ...

श्री प्रद्युम्नसिंह : संकल्प हिन्दी में ही है। अगर कोई माननीय सदस्य विचार प्रगट करेंगे तो मैं उसके ऊपर निश्चित रूप से तैयारी में हूं, उत्तर दूंगा मैं इसके बारे में।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपको कठिनाई यह हो रही है कि आप अंग्रेजी में दे रहे हैं ...

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह तो खाली जिद का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : मंशा क्या है, उसको समझ नहीं पायेंगे, यह है आपका एतराज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हिन्दी अनुवाद आवश्यक है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इसमें लगभग 15-20 पेज हैं...

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल कैपिटल जोन के बारे में भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि पिछले दस वर्षों से इस सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। पार्लियामेन्ट में भी हुई है। तो यह कोई आज नया मसला नहीं है लेकिन कुल मिला कर नेशनल कैपिटल जोन में कौन सी स्टेट्स आयेंगी, तीन चार स्टेट हैं और नेशनल कैपिटल जोन बनने के बाद कुछ क्षेत्रों का, सब क्षेत्रों का विकास किस तरह से होगा, एक बिल लाए हैं। यह जरूरी नहीं है कि वह बिल वहां जा कर के ही का वही उसी तरह से पारित हो। लेकिन उस बिल का क्या उद्देश्य है इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को जानकारी हो जाय इसलिए यह बिल, आज इम्पार्टेंट बिल है, वह आपके सम्मुख दे दिया गया है। इसका हिन्दी अनुवाद तो नहीं है। लेकिन जो पार्लियामेंट में ओरिजिनल बिल इंगलिश में पास होगा और वहां पर पारित होगा और पार्लियामेन्ट को पास करना है। आज हमको जो कुछ भी करना है वह यह करना है कि हिन्दुस्तान के संविधान के आर्टिकल 252 के अन्तर्गत यह जो संकल्प हमारे सामने है उसको पारित करना है ताकि पार्लियामेन्ट इस सम्बन्ध में एक अधिनियम बना सके, कानून के अन्तर्गत विधि के अनुसार वह अधिनियम कर सके। इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि एक सकल्प नहीं, पूर्व में भी इस तरह से पार्लियामेन्ट को यह पावर्स दी गई हैं। अगर पार्लियामेन्ट इन पावर्स का इस्तेमाल नहीं करती है तो पार्लियामेन्ट के सामने राष्ट्र के किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए आर्टिकल 246 और 250 में प्रावधान है। लेकिन 246 को नहीं लाकर पहले कसेंट स्टेट्स की ले ली जाय ताकि पार्लियामेन्ट सक्षम हो जाय इस तरह का कानून बनाने में, यह प्रश्न है। आज हम संकल्प कर रहे हैं वह यह है कि पार्लियामेन्ट कानून बनावे।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य कटारिया साहब ने जो बात कही है उसमें उन्होंने कहा है कि बिल तो पूरा अंग्रेजी में है, लोक सभा बिल अंग्रेजी में पास होगा इसमें दिक्कत नहीं है लेकिन यहां पर जो माननीय सदस्य पास कर रहे हैं, यहां बैठे हैं वे क्या पास कर रहे हैं यह जानकारी जरूरी चाहिए कि हमसे आप क्या पास करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष : इतने अनभिज्ञ हैं क्या ?

श्री बुलाकी दास कल्ला (राज्य मन्त्री, शिक्षा) : आपके दल के नेता ने तो कहा है कि आप विशेषज्ञ हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं अनभिज्ञ नहीं हूं, विशेषज्ञ हूं यह बात ठीक है। अन्य माननीय सदस्यों का जहां तक सवाल है, कई तो अंग्रेजी पढ़ ही नहीं सकते। वैसे जितने भी बिल अगर वह अंग्रेजी का है तो हिन्दी अनुवाद कर के आप देते हैं वह काहे के लिए देते हैं। वह इसलिए देते हैं कि प्रत्येक माननीय सदस्य उसकी भावनाओं को समझ ले, उसकी भाषा को समझ ले और

(श्री भंवरलाल शर्मा)

समझ कर यहां पर विचार रख सके। तो मेरा निवेदन है कि यह बिल इसलिये ला रहे हैं कि उस पर हर एक माननीय सदस्य विचार रख सके तो विचार रखने के लिए सुविधा चाहिए। किस विषय पर विचार रखेंगे, उसमें क्या संशोधन दिया जा सकता है। क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। ये तभी दिये जा सकते हैं जब प्रत्येक माननीय सदस्य उसे पढ़कर समझ सके।

श्री परसराम मदेरणा : राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के विकास को आयोजित करना। यह है इसमें।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो आपने उसका एक हैडिंग दे दिया। पर उसमें है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : संकल्प हिन्दी में है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर ऐसे आप बोलेंगे, फिर मैं बोलूंगा, फिर आप बोलते रहेंगे तो कैसे चलेगा। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप जरा मुझे बोल लेने दें। बात तो आपकी ही चलेगी। पर मुझे कहने तो दें।

, मेरा यह निवेदन है कि माननीय सदस्यों को जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या बिल पास कर रहे हैं।—

श्री प्रद्युम्न सिंह : बिल पास नहीं कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : संकल्प पास कर रहे हैं। प्रत्येक बिल, जो अंग्रेजी में होते हैं, का हिन्दी अनुवाद हमारे पास भेजते हैं यह जानते हुए व यह मान कर कि अधिकांश लोग उस अंग्रेजी का अध्ययन नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। हमारी भाषा हिन्दी भाषा है। हम हिन्दी भाषा समझते हैं। इसमे मेरा और इनका सवाल नहीं है। प्रत्येक माननीय सदस्य को जानकारी चाहिए, जो कुछ यहां हो रहा है वह उनकी जानकारी में रहे ताकि वे डिबेट में भाग ले सकें। मेरा यह निवेदन है कि इसका हिन्दी अनुवाद भेज दीजिए, उसके बाद विचार हेतु ले लीजिए। इसमें कौन सी परेशानी की बात है। अगर सभी जानकारी करके आ जायेंगे, अध्ययन करके आ जायेंगे तो ज्यादा उपयोग होगा, ज्यादा लाभ होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री गुलाबचन्द कटारिया ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि क्योंकि इस संकल्प के साथ जो बिल प्रस्तुत किया गया है, जो माननीय सदस्यों को दिया है वह अंग्रेजी में है। क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य अंग्रेजी नहीं जानते इसलिए इसका हिन्दी में अनुवाद करवा कर पहले माननीय सदस्यों को वितरित करना चाहिए तत्पश्चात् इस संकल्प को विचारार्थ लिया जाना चाहिए।

(2 00 म प)

आप अपने राजस्थान के इतिहास से अच्छी तरह परिचित हैं। बहुत से अधिनियम और नियम आज भी अंग्रेजी में हैं।

(श्री अध्यक्ष)

अपनी विधान सभा में भी कुछ-वर्षों पूर्व तक जो अधिनियम बनाये जाते थे वे अंग्रेजी में हैं। तो यह आवश्यक नहीं है। हालांकि यह अच्छा होता कि सभी माननीय सदस्य इसको समझ सकते लेकिन हमारे यहां पार्टी सिस्टम है जिसके अन्दर किसी संकल्प का अथवा किसी विधेयक का क्या उद्देश्य है उससे आम तौर से हम परिचित होते हैं। जहां तक जितने भी कानून होते हैं उनमें बहुत से पार्लियामेंट बनाती है, वे अंग्रेजी में बनते है। फिर इस उदाहरण पर तो यह कहा जा सकता है कि उनको भी हिन्दी में बनाना चाहिये। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो व्यवस्था का प्रश्न है, यह व्यवस्था का प्रश्न....

श्री भवरलाल शर्मा : प्रारूप तो अंग्रेजी में बनेगा, अध्यक्ष महोदय। सवाल इसका नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया। आर्डर प्लीज।

मैं समझ गया। अंग्रेजी में कानून बनेगा। यह जरूरी नहीं है कि जो कानून बनेगा वह हू-ब-हू उसी स्वरूप में सामने हो फिर हम संकल्प पारित करें। यह आवश्यक नहीं है क्योंकि हमारी संघीय शासन प्रणाली है उसके अन्दर सभी राज्यों की विधान सभाएं आती हैं जिनसे भी इस तरह के संकल्प पर सहमति प्राप्त करनी होती है। इसलिये यह संकल्प हमारे सामने आया है।

माननीय कटारिया जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, इन कारणों से मैं उसको निरस्त करता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह।

शासकीय संकल्प

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास को आयोजित करने और उसका पर्यवेक्षण करने के लिये केन्द्रीय स्तर पर कानूनी बोर्ड की स्थापना

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : संकल्प।

"यत: इस विधान सभा का विचार है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान के दिल्ली के साथ लगने वाले क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाले राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के विकास को आयोजित करने और उसका पर्यवेक्षण करने के लिये केन्द्रीय स्तर पर एक कानूनी बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिये।

और यत: क्षेत्रीय आयोजनाओं को तैयार करने और उप क्षेत्रीय आयोजनाओं के क्रियान्वयन को समन्वित करने और उक्त प्रदेश में विकास परियोजनाओं के वित्त प्रबन्ध की देखभाल करने के लिये कानूनी बोर्ड की स्थापना करना एक ऐसा मामला है जिसके संबंध में राज्यों के लिये विधि का निर्माण करने के लिये संसद, संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में जैसा उप-

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बंधित है, उसके सिवाय अशक्त नहीं है।

और यतः इस विधान सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि राजस्थान राज्य में पूर्वोक्त मामलों का विधि द्वारा विनियमन संसद द्वारा किया जाना चाहिये।

अतः संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड(1) के अनुसरण में, यह विधान सभा, एतद्द्वारा, यह संकल्प करती है कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के विकास को आयोजित करने और उसका पर्यवेक्षण करने, प्रादेशिक आयोजनाएं तैयार करने, प्रादेशिक और उप प्रादेशिक आयोजनाओं का समन्वय, प्रवर्तन और कार्यान्वयन करने तथा उक्त राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश की विकास परियोजनाओं के वित्त-प्रबंध की व्यवस्था और देखभाल करने के लिये एक कानूनी बोर्ड की स्थापना को राजस्थान राज्य में संसद् के द्वारा विधि द्वारा विनियमित किया जाना चाहिये।"

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो हिन्दी अनुवाद किया है अंग्रेजी का उसमें आपने लिखा है, हम कानूनी बोर्ड की स्थापना करना चाहते है। यह आपका हिन्दी अनुवाद जो है इसमें आपने लिखा है, "नेशलन केपीटल" रीजनल प्लानिंग बोर्ड। अब यह प्लानिंग बोर्ड है या कानूनी बोर्ड बना रहे हैं? यह है क्या? मतलब हिन्दी में लिखा, कानूनी बोर्ड बनाना चाहते हैं और अंग्रेजी में लिखा है, नेशनल केपीटल रीजनल प्लानिंग बोर्ड। अब यह कानूनी बोर्ड है या प्लानिंग बोर्ड है, क्या है?

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : Board to be constituted by making law.

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वह ठीक है लेकिन आखिर प्लानिंग बोर्ड है तो हम प्लानिंग बोर्ड को हिन्दी करके लिखते तो एतराज नहीं था।

श्री अध्यक्ष : अब तो इस पर चर्चा प्रारम्भ कर दीजिये। जो भी कोई कमी-खामी हो और जो सुधार के सुझाव हों, वह देते रहियेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह कानूनी बोर्ड बनाया गया या क्या? क्लियर कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : वह चर्चा में आयेगा। वाद–विवाद में हिस्सा लें तो जो भी बातें हैं....

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो ठीक है लेकिन यह तो पता लगे कि किस पर विचार रखें।

श्री अध्यक्ष : वह बाद में बतायेंगे। उन्होंने प्रस्तुत कर दिया जब उत्तर देंगे तब बता देंगे।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर, श्री राज बहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं बहुत हृदय के साथ स्वागत करता हूं इस संकल्प का। बहुत दिनों से इसकी बात थी, बहुत विलंब इसमें हुआ है। हमारा प्रदेश पिछड़ा है। और प्रदेशों ने इसका पूरा लाभ उठाया है हरियाणा में और उत्तर प्रदेश ने। मैं विनती करता हूं कि इसको पारित किया जाय लेकिन पारित करते समय यह भी देखा जाय कि कौन कौन से क्षेत्र और है कि जो नेशनल केपिटल रीजन में आ सकते हैं और जिससे लाभ हो सकता है। क्योंकि विकास का बहुत उत्तम और सराहनीय कदम होगा यह। इस विकास के कदम से कुछ लोग वंचित न रहें, कुछ क्षेत्र वंचित न रहें। तो इसके संबंध में मैं बाद में कहूंगा, मैंने एक संशोधन भी रखा है। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं क्योंकि मैं आज ही देख पाया इस संकल्प को इसलिये मैंने आते ही आते इस संकल्प पर संशोधन रखा है उस पर विचार करलें। लेकिन मैं एक बात मंत्री महोदय, संबंधित प्रभारी मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो आपने संकल्प रखा है उसके पहले पैराग्राफ में कुछ शब्दों का थोड़ा बहुत लगता है, कुछ कंफ्यूजन सा है। ऐसा लगता है कि कोई हमारे प्रदेश का भाग किसी दूसरे प्रदेश में टेरीटरी दिल्ली में मिलाया जा रहा है। तो इसको आप दुबारा देख लें। जो आप बिल लाये हैं वह आर्टिकल 259 में लाये हैं। 252 के अन्तर्गत लाये हैं। आप. आर्टिकल 3 में नहीं लाये हैं। आर्टिकल 3 में यह है कि एक क्षेत्र का या एक प्रदेश का पार्ट दूसरे क्षेत्र में मिलाया जा सकता है। लेकिन वह मतलब नहीं है। हम किसी अलवर की तहसीलों को या भरतपुर की तहसीलों को दिल्ली में नहीं मिला रहे हैं। इसलिये जरा इसकी अशुद्धियों का शुद्धिकरण कर लीजिये। लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है, मैं पढ़ दूं "अतः इस विधान सभा का विचार है" "विचार" की जगह "अभिमत" होना चाहिये था। खैर यह तो छोटी सी बात है। ज्यादा मैं इसमें नहीं जाता। "विचार है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान के दिल्ली के साथ लगने वाले क्षेत्रों को समाविष्ट करने" अब क्षेत्रों का समावेश करने का मतलब यह है कि दिल्ली के साथ लगने वाले उन क्षेत्रों को समाविष्ट काहे में करेंगे। अब उस बोर्ड के परपज को यहां लाना चाहिये था। बोर्ड के पर्पज के लिये हम समाविष्ट कर रहे हैं वह तो ठीक है लेकिन इसमे कुछ शब्दों की रचना ऐसी है, मैं कोई निरर्थक नहीं कह रहा लेकिन मैं कहता हूं कि स्पष्ट होना चाहिये कि हम कोई क्षेत्रों का ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम कोर्डिनेशन बोर्ड, जो कानून के द्वारा बनाया जायेगा। कानून से मतलब यह नहीं है कि कानूनी या गैर कानूनी कोई बात है, कानून के अन्तर्गत जो बनाया जायेगा इसका मतलब कानूनन है। इसलिये प्लानिंग बोर्ड की कोर्डिनेशन कमेटी रखी है वह ठीक है। अब मैं बहुत विस्तार में न जाकर यह कहना चाहता हूं कि जो भी आज देश का विकास करने की योजनाएं

(श्री राजबहादुर)

हैं, जो चेष्टाएं हैं उनके अन्तर्गत यह निश्चित बात है कि बड़ा भारी बहाव है, माइग्रेशन है विलेजेज से और स्माल टाउन्स से दिल्ली की तरफ। दिल्ली चोक हो चुका है। पानी की सप्लाई, और आवश्यकताओं की सप्लाई वहां पर खतम सी हो चुकी है। इसलिये कुछ वर्ष पहले यह तय किया गया था कि एक लैण्ड के अन्तर्गत जो पोर्ट होता है उसको ड्राई पोर्ट कहते हैं वह बनाया जाय और उसके लिये अपने यहां क्षेत्र में भरतपुर के, जयपुर के हिस्से का नाम भी था, प्रस्ताव भी था। वह गया था लेकिन उसकी मंशा भी यही थी कि जिससे दिल्ली में सारा केन्द्रित न हो जाय, दिल्ली का भार और क्षेत्रों पर पड़ सके तो मैं आपको एक इसका पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जो शिड्यूल में पहले तो यह है, शिड्यूल ही पढ़ देता हूं मैं। शिड्यूल में अगर आप देखेंगे, हरियाणा को, all of district Gurganva आ रही है इसके अन्दर। all of district Gurganva में सारी तहसीलें, गुड़गांवा, फिरोजपुर, पलवल, रिवाड़ी और वल्लभगढ़ सारी तहसीलें आ गई इसके अन्दर। all of district Rohtak. सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, प्रद्युम्नसिंह जी, यह महसूस कर रहा हूं मैं, आप सुन नहीं रहे हैं हमारी बात।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सुन रहा हूं, साहब, अनफार्चुनेटली, एकाग्रित कहें तो पाइन्ट बता दूं।

श्री राजबहादुर : मैं आपको कह रहा हूं, कृपा करके देख लें कि हरियाणा में पूरा डिस्ट्रिक्ट गिनवा रखा है सब तहसीलों के साथ, पूरी डिस्ट्रिक्ट रोहतक का है। गुड़गांवा और रोहतक के बाद राजस्थान ही समीपतम है, राजस्थान के आपने खाली अलवर जिले की पांच तहसीलें ली हैं बहरोड़, मंडावर, किशनगढ़, तिजारा और पार्ट आफ अलवर। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मुझे ताज्जुब यह है, हमारा कामां तहसील दिल्ली से ठीक 77 मील पर है, अलवर जो है 102 मील पर है। मैं नहीं कहता कि अलवर को नहीं रखा जाये। अलवर कम कर दिया जायें। बल्कि यह कहता हूं कि एक 77 मील के दायरे में जो चीज आती है, कामां का कस्बा आता है, डीग का कस्बा 90 मील के अन्दर है। भरतपुर 120 मील के दायरे में है। इन तीनों तहसीलों के लिये आप जरूर इन्सिस्ट करें, गवर्नमेन्ट इन्सिस्ट करे कि आप किसी तरह से इसको इस नेशनल केपिटल रीजन में शामिल करें। और इसका प्रावधान भी है। जो आपका सैक्शन 1 इस प्रपोज्ड बिल का, उसकी धारा सब सैक्शन 2 है, उसके ए, बी को और आपका ध्यान दिलाता हूं 2–ए में लिखा है It extends to the National Capital Region as specified in Schedule–I

शिड्यूल वन मैंने पढ़ कर सुनाया है आपको और बी में है The Central Govt. with the consent of the participating States concerned and the Union Territory and in consultation with the Board, may by a

(श्री राजबहादुर)

notification, add to or exclude from Schedule–I any area, from time to time. जब यह प्रोविजन मौजूद है इसके अन्दर तो क्या कारण है जो 77 मील के दायरे में आता है कामां का कस्बा, 90 मील के दायरे में आता है आपका डीग का कस्बा और डीग की सारी तहसील, इधर कुम्हेर मुश्किल से 95 मील पर है या 100 मील पर होगा और भरतपुर 110 मील पर होगा। ये सारे कस्बे मिला कर सब के सब नेशनल केपिटल रीजन में आ सकते हैं और आपकी बहुत-सी समस्याएं विकास की दूर हो सकती हैं। आज इन कस्बों की म्यूनिसिपैलिटीज का हाल खराब है। सड़कों का हाल खराब है। जो नागरिक सुविधाएं हैं वह न्यूनतम हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारी नगर-पालिकाएं नहीं नर्कपालिकाएं हैं। अगर यह नेशनल केपिटल रीजन में आ जाती हैं तो ड्राई पोर्ट की बहुत पुरानी स्कीम है, वह भी इसमें आ सकती है। मैं आग्रह करूंगा, जो संशोधन रखा है, वह मैं पढ़ कर सुनाता हूं। वह इस प्रकार है, लाइन 12 व 13 जो हैं आपकी आप जरा पढ़ लें, आपका जो प्रस्ताव है इसके पैराग्राफ 3 को, पेज दो पर है इसमें, पेज दो पढ़िये, मैं सारा न पढ़ कर थोड़ा पढ़ कर सुनाता हूं। "अतः संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में, यह विधान सभा, एतद् द्वारा, यह सकल्प करती है कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के विकास को आयोजित करने और उसका पर्यवेक्षण करने, प्रादेशिक आयोजनाएं तैयार करने... राजस्थान राज्य में संसद के द्वारा विधि द्वारा विनियमित किया जाना चाहिये।" तो यह तो है लाइन 12 वीं आपकी। मैंने कहा कि आप लाइन 13 में जो शब्द हैं, वे काट दें। लाइन 13 में सारे शब्द काट दें और उसके स्थान पर यह लिख दें, मैं अभी बताता हूं लाइन 12 व 13 का संशोधन मैंने किया है आखिर में, आपके पास संशोधन शायद पहुँच गया होगा। नहीं पहुँचा हो तो कापी मेरे पास और भी है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य, कौनसा शब्द हटाने का सुझाव दे रहे हैं।

श्री राजबहादुर : मैं बताता हूं अभी आपको, मेरा संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है। आज 30 मार्च 84 की कार्यसूची के दूसरे पृष्ठ पर, दूसरे आइटम में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सम्बन्ध में सरकारी प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। कार्यसूची के पृष्ठ 2 की पंक्ति 12 में शब्द "द्वारा" के बाद पंक्ति 12 हटायी जाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें "इस संशोधन सहित विनियमित किया जाना चाहिये" बोर्ड के संशोधन सहित विनियमित किया जाना चाहिये कि विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाना है उसके शिड्यूल एक में तीसरा पैराग्राफ जो राजस्थान सम्बन्धी है उसमें निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें। निम्नलिखित शब्द क्या हैं। तीन तहसीलों के नाम हैं। एक है, कामां तहसील पूरी, डीग

(श्री राजबहादुर)

तहसील पूरी, भरतपुर तहसील पूरी। यहां पर प्रद्युम्नसिंह जी मांग कर रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं, नगर भी आ सकता है उसमें लेकिन आप कम से कम तीन तहसीलें सम्मिलित करा दें, बाद में और भी करा सकते हैं। तीन तहसीलें तो होनी चाहिये। समूचा जिला भरतपुर करें तो और भी अच्छा है। समूचा जिला अलवर करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है किन्तु तीन तहसील तो आप सम्मिलित कराइये। समूचा जिला जैसे गुड़गांव का, रोहतक का शामिल किया गया है हरियाणा के, उसी तरह से समूचा जिला अलवर का, समूचा जिला भरतपुर हो जाये।

श्री परसराम मदेरणा : यो तो भरतपुर के ड्राई पोर्ट की बात भी कही गई ...

श्री राजबहादुर : ठीक है, आई थी लेकिन वह तब परमिट करना है जब आप इसको शामिल करें नेशनल केपिटल रीजन में। नेशनल केपिटल रीजन में अगर आप शामिल करेंगे तो ड्राई पोर्ट की बात अवश्य आ जायेगी। अगर आप तहसीलों के द्वारा ही जाते हैं तो केवल 5 तहसीलें अलवर की ली हैं। आपको पूरा लाभ मिल सकता है। सेनिटेशन में, ड्रेनेज में, सीवरेज में, ब्यूटिफिकेशन आफ दी टाउन में, construction of roads, setting up of industrial complexes, providing of all necessary facilities and inputs of the industrialisation; यह सारी चीजें आ सकती हैं। और जो रीयल मकसद नेशनल केपिटल रीजन का है, वह यह है कि किसी प्रकार से दिल्ली के ऊपर वजन अब ज्याद न बढ़े। दिल्ली पर बहुत वजन पड़ गया है और बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली की आबादी आज 60 लाख है, करीब 3 लाख थी आजादी के वक्त। आज 60 लाख हो गई है। लोगों का कहना यह है कि अगली सेन्सस में एक करोड़ को टच कर जायेगी। अगर इस एक करोड़ को बचाना है तो आपको दूसरे मेगनेटिक सेन्टर बनाने पड़ेंगे। अगर जब तक मेगनेटिक सेन्टर नहीं बनेंगे पापुलेशन के लिये सारी फैसिलिटिज के साथ, सारी सुविधाओं के साथ, सारी नागरिक सुविधाओं के साथ, सारे विकास की सुविधाओं के साथ, सारी पानी, बिजली, ट्रान्सपोर्टेशन की सुविधाओं के साथ, इस वक्त तक जो नेशनल केपिटल देहली है उसका बोझ कम नहीं हो सकता। इसलिये एक बड़ा औचित्यपूर्ण हमारा केस है। हमारे क्षेत्र नेशनल केपिटल रीजन में बहुत थोड़े रखे गये हैं। ताज्जुब यह है मथुरा को कैसे छोड़ दिया उन्होंने, भरतपुर-देहली के बीच में मथुरा भी आता है जब कि वह 90 मील है, भले ही यू. पी. में हो, सारे रीजन से मतलब उनका है। कोई हम किसी स्टेट के पार्ट को दूसरी स्टेट में मिला नहीं रहे हैं। बल्कि यह कर रहे हैं कि मेगनेटिक सेन्टर पापुलेशन की ग्रोथ के लिये हैं। जो हमारे विलेजेज से, हमारी ग्रामीण जनता में से बेरोजगारी और अन्य कारणों से लोग जाते हैं बड़े शहरों को, पहले तो अहमदाबाद तक जाते थे हमारे यहां के आदमी और

(श्री राजबहादुर)

वहां की मिलों में नौकर होते हैं लेकिन आज तो दिल्ली और आगरा और दूसरी जगह जाने को तैयार बैठे रहते हैं और वहीं जाकर रोजगार पाते हैं। आपके जयपुर तक के लोग वहां पहुंच गये हैं। इसलिये इन सारी बातों को देखते हुए अगर आप चाहते हैं कि पापुलेशन का, अनएम्पलायमेंट का प्रेशर कम हो आपके ऊपर तो जितना बड़ा विस्तार क्षेत्र का, नेशनल केपिटल रीजन का कर सकते हैं उतना ही आपको लाभ होने वाला है। मैं आशा करता हूं कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और इन विचारों से सहमति प्रकट करेंगे। इन विचारों का विरोध करने का कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता। यदि किसी कारण जनसेलेन्स आती हो मैं समझता हूं कि वह हाफ हार्टेड मेजर होगा, हाफ हार्टेड चीज होगी। यह ऐसा सुनहरा अवसर है कि इसमें आज के लिये ही नहीं बल्कि कल की आने वाली पीढ़ी के लिये और आने वाली पीढ़ियों के लिये एक रास्ता खोलते है सारे क्षेत्र के लिये। मैं प्रद्युम्न सिंहजी से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा बजाय डिस्कशन के, डिस्कशन बाद में कर लेंगे, इस वक्त मेरी बात सुन लें। मैं कोई बड़े अनोखे प्रश्न नहीं रख रहा हूं, आज के लिये नहीं....

श्री प्रद्युम्न सिंह : I am having the advice and counsel of my senior colleague here.

श्री राजबहादुर : आज के लिये नहीं, आने वाली संतति और पीढ़ियों के लिये काम है। इसलिये जैसा मैंने कहा, अनएम्पलायमेन्ट का, विकास का, और आपके पापुलेशन कन्सेन्ट्रेशन का, सब समस्याओं को देखते हुए आप को इसमें इन्सिस्ट करना चाहिये कि नेशनल केपिटल रीजन का क्षेत्र बढ़े, और क्षेत्र बढ़ाने के लिये खुद बिल में प्रोविजन है सैक्शन 2, सैक्शन 1, सब सैक्शन 2 बी में, इसका आप उपयोग करें अभी से और अपना केस भी पुट कर दें कि हमारे रीजन बहुत थोड़े रखे हैं आपने। गुड़गांवा और रोहतक, हरियाणा के दोनों जिले लेकर आपने हरियाणा का एक तिहाई पार्ट ले लिया है। दोनों जिले मिला कर, रोहतक और गुड़गांवा का एक तिहाई हो जाता है वह, तो सारी पापुलेशन कवर करली है, विलेजेज कवर हो गये। कोई चीज, कोई एक्सेप्शन नहीं है वहां पर। आपके यहां तो खाली तहसीलें हैं, शायद वह भी और पांच तहसीलें हैं अलवर की। इसलिये मैं समझता हूं कि आप मेरी इस बात को स्वीकार करेंगे और संशोधन को स्वीकार करेंगे क्योंकि संशोधन स्वीकार करने का मतलब यह है बिल जब पास होगा, तो राजस्थान विधान सभा का यह मत उसमें प्रकट, व्यक्त होगा कि आप बिल तो पास करिये लेकिन इस क्षेत्र को बढ़ाइये। इस क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव यदि यहां से हो जाता है तो मेरे साथी जो इस सदन में बैठे हैं सब के सब समर्थन करेंगे तो इसको बल मिलेगा। कोई कारण नहीं है इसका। आप प्रस्ताव को पास करिये। संकल्प को पास करिये। लेकिन साथ साथ यह है कि जो विस्तार आप कर रहे हैं क्षेत्र का, नेशनल केपिटल रीजन का उस क्षेत्र को

(श्री राजबहादुर)

बढ़ा कर पास करिये। यही मेरी विनती है।

(2.21 म. प.)

(श्री सूर्यकुमार, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : माननीय श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, आज हमारे सामने एक संकल्प रखा गया है। यह संकल्प जितना जिस भाषा में यहां पर रखा गया है और इसमे जो ध्वनि निकलती है, प्राइमाफेसी ऐसा नहीं है। माननीयसभापति महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी, माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इसलिए आकर्षित करना चाहूंगा कि यह संविधान की धारा 252 के सब आर्टीकल 1 के तहत केन्द्र सरकार को राजस्थान के भू-भाग के बारे में नियन्त्रण और व्यवस्था करने का अधिकार हम दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इसका मतलब यह होगा कि यह जो माननीय भरतपुर से आने वाले विधायक ने कुछ हिस्से सुझाये हैं, और कुछ भू-भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है जो इसके बाद अंतिम होगा, लेकिन इसके मायने यह होंगे हमारे वह भू-भाग फॉर ऑल प्रेक्टिकल पर्पजेज सारे केन्द्र सरकार के अधिकार में चले जायेंगे। कितने ही कानून वहां राजस्थान के सस्पेण्ड होंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एक्ट है वह वहां सस्पेण्ड होगा। राजस्थान का लैण्ड रेवेन्यू एक्ट है वह वहां पर सस्पेण्ड होगा। राजस्थान के डवलपमेन्ट के दूसरे जो कानून हैं वह वहां पर सस्पेण्ड होंगे। मास्टर प्लान में कोई योजना आई हुई है तो वह वहां पर सस्पेण्ड होगी। आपके दूसरे विकास के कार्यक्रम के अपने जो कानून हैं वे सारे कानून वहां पर सस्पेण्ड होंगे। यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर केन्द्रीय, राष्ट्रीय राजधानी की दृष्टि से विकास के कार्य होंगे। यह दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जब केन्द्र की और राज्य की बात होती है, माननीय सभापति महोदय, तो हमको एक दृष्टि से देखना पड़ेगा कि क्या इस संकल्प को पास करने से हमारे राजस्थान के हितों की बलि तो नहीं दी जा रही है। राजस्थान के हितों की बलि नहीं दी जाकर अगर राष्ट्रीय हित साधन होता है तो कोई एतराज नहीं हो सकता है। इसलिये यह जो आप एक संकल्प ले आये हैं, यह संकल्प अपने आप में परिपूर्ण इसलिए नहीं है। मैं चाहता था कि आज सदन के सामने, जिस सदन से आप आज यह संकल्प पास होने के बाद राजस्थान के पूर्वी भाग का जो भू-भाग है उस पर केन्द्रीय सरकार के कानून लागू करने का, विकास करने का सारा अधिकार देने वाले हो उस भू-भाग में एक तरह से एजीटेशन होगा। इतना गम्भीर, इतना बड़ा निर्णय आप राजस्थान की विधान सभा में लेना चाहते हैं तो, माननीय सभापति महोदय, सरकार के लिए लाजमी

(श्री कैलाश मेघवाल)

था कि सरकार एक पूरी स्कीम हमारे सामने रखती। यह मोडल एक्ट अपने आप में कोई संकेत नहीं देता है। आपके मुख्य मंत्रियों का जो एक सम्मेलन हुआ था। 24-4-82 को दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ, जिसका रेफरेन्स आपके इस मोडल बिल में है। फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम जो दिया है, वह जिस मीटिंग के आधार पर तैयार किया गया है, वह 24-4-82 की मीटिंग है जिसमें हरियाणा के मुख्य मंत्री थे, राजस्थान के मुख्य मंत्री थे, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, केन्द्र के गवर्नर थे जो कि चीफ एक्टिंग कौंसलर होते हैं और केन्द्रीय आवास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री थे। इन सब ने जब यह निर्णय लिया और वहां पर हमारे मुख्य मत्रीजी ने इस बात को स्वीकार किया कि राजस्थान का यह भू भाग हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मिलाने के लिए सहमत हैं। मैं चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी, उस मीटिंग, उस बैठक की जो मिनट हैं, उस बैठक के जो निर्णय हैं, उस बैठक में जो भी तय किया गया था, वह सदन के सामने स्पष्ट रूप से रखते आप कि यह रूपरेखा तय की गई है। वह रूपरेखा मुख्य मंत्रीजी ने किन शर्तों पर तय की, यह उन्होंने आज तक हमको नहीं बताया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, इस माडल एक्ट का सैक्शन-31 आप देखिये। बहुत इम्पोर्टेन्ट है। उस मोडल एक्ट के सैक्शन-31 का सब सैक्शन-2 क्या बोलता है—"The Fund shall consist of contributions from the Central and State budgets and such other sources as may be decided by the Central Government wi h the consent of the participating Stat s and the Union Territory. The Central Government may provide loan contribution to the Board towards this Fund after considering the request made by the Board in this regard." यह मैंने आपके सामने इसलिए पढ़ कर, सभापति महोदय, ध्यान आकर्षित किया कि फण्डस कहां से आयेंगे ? राजस्थान सरकार को भी राजस्थान के बजट से फण्ड्स देने पड़ेंगे और सरकार ही बजट देगी और बाकी लोन होगा। अब मेरा एक सीधा सा सवाल है, माननीय सभापति महोदय, वह सवाल इस लिए मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह खर्चा जिस तरह की आपकी स्थिति है, केन्द्र में आपको संकेत, निर्देश दे दिये जायेंगे, हुकम दे दिये जायेंगे कि राजस्थान के बजट में इतना पैसा तुम उस क्षेत्र के लिए रखो। क्या तय हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं और इसलिए पूछना चाहता हूं कि....

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं कहना चाहूंगा। What is the meaning of the word 'consent'? कन्सेंट वर्ड आपने खुद ही पढ़ कर सुनाया है — What is the use of interpreting in different way ? What is 'consent' there ? It will be the consent of the State Government.

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय प्रद्युम्न सिंह जी को एक बार किसी स्कूल ग्रौर कॉलिज में जाना पड़ेगा मुझे समझाने के पहले, इसलिए कि ग्राप इस सैक्शन को पढ़ लीजिये वह पहला जो भाग है इस सैक्शन का वह भाग तो साफ है कि केन्द्र का ग्रौर स्टेट का कन्ट्रीब्यूशन होगा, दोनों बजट में प्रावधान होगा। दूसरा भाग है उसमें पार्टीसिपेटिंग स्टेट की कन्सेंट से कोई दूसरे फण्डस् कहां से लाये जायेंगे ग्रौर कौन से होंगे। यह है, माननीय सभापति महोदय। इसलिये राज्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, राज्य मंत्रीजी, ग्राप खुद समझे ही नहीं हैं, ग्रापने सैक्शन को पढ़ा भी नहीं हैं ग्रौर मुझे समझाने से पहले ग्रगर ग्राप ठीक ढंग की बात करते तो मैं मानता भी सही।

श्री परसराम मदेरणा : इन्होंने तो सैक्शन नहीं पढ़ा। बिल के क्लाजेज की बात कर रहे हैं। मैं एक निवेदन करूं ग्रापसे, ग्रगर ग्राप इस बिल का ग्राब्जेक्ट पढ़ लेते, मैं उसी के लिये कह रहा हूं, पहले ग्राप पढ़ लेते, यह बिल किस लिए लाया गया है, इसके कार्य क्षेत्र में क्या चीज ग्रा रही है। इसमें है, यह बिल ग्रापके पास भी है।

श्री कैलाश मेघवाल : हां है।

श्री परसराम मदेरणा : Whereas it has been proposed to make provision for a coordinating machinery on the Central level for planning, monitoring and development of the National Capital Region at the regional level and to evolve harmonised policies for land use and development of infrastructure so as to avoid haphazard developments in the region."

भरतपुर से ग्राने वाले माननीय सदस्य, जहां पॉपुलेशन का जबर्दस्त माइग्रेशन शहरों की ग्रोर हो रहा है, उसको रोक कर डवलपमेन्ट उस क्षेत्र का हो, यह तो यह चाहते हैं। यह चाहते हैं, इस नेशनल केपिटल रीजन में कुछ ग्रौर क्षेत्र भी लिया जाना चाहिये। ग्राप तो कह रहे हैं ग्रौर क्षेत्र लेने की बात, ग्रौर ग्राप जैसे वकालत कर रहे हैं, हम कोई इस प्रकार का, राजस्थान का हिस्सा कोई ग्रनेक्स कर रहे हैं, कोई दूसरा फार ग्रॉल पर्पजेज उसका जुरिडिक्शन उसका कन्ट्रोल उस एरिया का, किसी तीसरे राज्य का हो रहा है यह बहुत ही सिम्पल मेटर है। चूंकि इसमें विकास करना है, एक काग्राडिनेटेड डवलपमेन्ट होना चाहिए। एक बोर्ड स्टेट्यूटरी होना चाहिये। प्रश्न इतना ही है, यह संकल्प सदन पास करके पॉलियामेन्ट को एम्पावर कर दे, ग्रौर सक्षम बना दें, कि ऐसा कानून बना दे।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने बहस में हस्तक्षेप करते हुए जितना साधारण कहा है, मैं एक सीधा सवाल पूछ लूं। क्या इस रिजोल्यूशन के पास होने के बाद यह जो भू भाग है, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

(श्री कैलाश मेघवाल)

में मिलाया जायेगा, उनमें आपके राजस्थान के कई कानूनों का अपने आप निरस्तीकरण हो हो जायेगा या नहीं ? सीधा सवाल इसलिये पूछना है जब केन्द्रीय राष्ट्रीय राजधानी का एक बोर्ड बनेगा, बोर्ड बनेगा, यह सही है....

श्री सभापति : आप अपनी बात कहें। आप जारी रखें। अपनी बात कहें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं चाहता हूं कि सार्थक हो। मैं यह भी चाहता हूं कि मेरे मन में या मेरे समझने में कहीं कोई गलती है तो वह भी समझूं। मैं यह भी चाहता हूं कि सिंचाई मंत्रीजी या राज्य मंत्रीजी अगर इसको ठीक ढंग से नहीं समझे हैं तो उनको समझाया। जाये। तभी मैं सोचता हूं....

श्री परसराम मदेरणा : राज्य मंत्रीजी तो समझे हैं, लेकिन आप हमको भी समझायें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मोडल एक्ट के सेक्शन की उप धारा रखी है, 3 में राजस्थान के बजट का हिस्सा आपको देना पड़ेगा। मैं इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूं कि आगे सब रीजनल प्लान बनने वाला है। केन्द्रीय सरकार कोई बहुत बड़ी मेहरबानी नहीं कर रही है। मैं माननीय भरतपुर से आने वाले विधायक से निवेदन करना चाहता हूं, आप देखिये, इसमें एक सेक्शन आया है कि सब रीजनल प्लान भी बनाये जायेंगे, और सब रीजनल प्लान की सारी एक्जीक्यूशन की जिम्मेदारी आपकी होगी आपका यह बोर्ड तो एप्रूव कर देगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड जो भी आप कहोगे, वह तो एप्रूव कर देगा और सब-रीजनल को बनाने की, एग्जीक्यूट करने को, उसको लागू करने की, उस पर खर्चा करने की सारी जिम्मेदारी आपके इस मोडल एक्ट के द्वारा सरकार के ऊपर डाली गयी है, पार्टीसिपेटिंग स्टेट के ऊपर है। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय तो सब-रीजनल प्लान तो बड़ा सुहावना लगेगा और केन्द्र के निर्देश होंगे, उस केन्द्र के निर्देश को, हुक्म को न तो सिंचाई मंत्री रोक पायेंगे, न हमारे आज के राज्य मन्त्री रोक पायेंगे और उस पक्ष में बैठने वाला कोई भी मुख्य मन्त्री होगा कठपुतली की तरह, वह भी उसको स्वीकार करके आ जायगा।

श्री राजबहादुर : मैं मेघवाल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सब-रीजनल प्लान बनता भी है, उसकी जिम्मेदारी एग्जीक्यूशन करने की, इम्पलीमेंटेशन की राज्य सरकार पर आती भी है तो इसमें क्या बुराई है ? अगर विधिवत और प्रगति के साथ विकास होता है किसी एरिया का और उसके लिये डिबेंचर लिये गये, जो भी आर्थिक सम्भावनाएं से है, जो भी आर्थिक साधन हैं, इसको भी केन्द्र बहुत कुछ सब्सक्राइब कर सकता है और एल. आई. सी. भी कर सकता है। मेरी तो शिकायत आपसे यह है कि एल. आई. सी.

(श्री राजबहादुर)

का आपने उपयोग नहीं किया है। एल. आई. सी. का उपयोग नहीं किया। एल. आई. सी. साधनों के लिये, विकास योजनाओं के लिये इतना कुछ धन दे सकता है तो, मेघवाल जी, हमारे लिये आप थोड़ी सहानुभूति रखिये। हम लोग जो क्षेत्र में बसने वाले हैं, अगर ऐसा सब-रीजनल प्लान होता है तो मैं स्वागत करूंगा उसका। इसमें आम के आम और गुठली के दाम। देने वाला कोई और है और करने वाले हम होंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। वहां नियन्त्रण आपका होना चाहिए, इस विधान सभा का होना चाहिए, ताकि कोई गड़बड़ न हो, कोई रुपया मारा न जाये, कोई भ्रष्टाचार न हो। यह चीज अलग है कि लीकेजेज स्टॉप किये जायं। लेकिन यह निश्चित बात है कि Sub-regional plan is not a bad thing.

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मेरी जो आशंका है वह आशंका प्रकट हो चुकी है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उनका स्वागत करना वाजिब है। इसलिये उन्होंने स्वागत किया है कि उनके क्षेत्र के और उसके आसपास के क्षेत्र के बहुत विकास की सम्भावनाएं इस रिजोल्यूशन के पास होने के बाद दिल्ली में जो बोर्ड का गठन होगा उस बोर्ड के गठन के तहत विकास के जिस तरह के प्रोजेक्ट प्लान, जिस तरह के रीजनल प्लान और जिस तरह के सब-रीजनल प्लान बना कर होगा उससे उस क्षेत्र का विकास तो, माननीय सभापति महोदय, बहुत होगा....

श्री राजबहादुर : क्या बुराई है ?

श्री कैलाश मेघवाल : बुराई नहीं है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रीय राजधानी को एक आधार बना कर बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान के बजट का केवल एक क्षेत्र में खर्च होगा। जो हम बार बार कहते हैं कि राजस्थान का विकास सन्तुलित होना चाहिए, हर क्षेत्र को पूरा पैसा मिलना चाहिए, हर क्षेत्र के विकास की सम्भावनाओं को....

श्री राजबहादुर : हमारी भावना यह है कि सौतेला व्यवहार हुआ है पूर्वी राजस्थान के साथ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री राजबहादुर : जो विकास होना चाहिए वह नहीं हुआ। जो सम्भावनाएं थीं वह नहीं हुई हैं। अगर ऐसा होता भी है तो क्या बुराई है ?

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा ऐसा ख्याल मैं हार्श वर्ड कहना नहीं चाहता था लेकिन भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ। आपने तो दिल्ली में बैठकर हुकूमत की है 25 साल तक, 30 साल

(श्री कैलाश मेघवाल)

तक और सौतेला व्यवहार किया है। तो भरतपुर को इस बात के लिये अफसोस जाहिर करना चाहिए कि उनके जो एक रिप्रेजेन्टेटिव हैं वह कमजोर था। आप इससे क्यों बचना चाहते हैं। आप चार छः, पांच महीने पहले।

श्री राजबहादुर : मैं व्यक्तिगत आरोपों का जवाब कभी नहीं देता।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसलिये कह रहा हूं, आपने कहा कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। मैं तो एक सीधी बात कह रहा हूं, मैं स्पष्टीकरण चाह रहा हूं यहां पर कि राजस्थान के दूसरे हिस्सों की की कीमत पर अगर इस भू-भाग का डवलपमेंट करने की ध्वनि आती है, तो मैं, राज्य मन्त्री जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सदन में स्पष्ट रूप से सारी बात रखिये। यह संकल्प इतना आसान आप लाये। उतना आसान तो नहीं है। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि सेक्शन 19 में यह कहा गया है कि सब-रीजनल प्लान, सब-रीजनल प्लान किसको कहा गया। माननीय सभापति महोदय, जो हिस्सा राजस्थान का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मिलेगा वह राजस्थान का सब-रीजन है, जो हरियाणा का मिलेगा वह हरियाणा का सब-रीजन है, जो उत्तर प्रदेश का मिलेगा वह उत्तर प्रदेश का सब-रीजन है और जो केन्द्रीय टेरीटरी है दिल्ली की तो दिल्ली की टेरीटरी है ही है। इसमें प्रावधान यह है कि सब-रीजनल प्लान अलग अलग बनेंगे और बनने के बाद उनका सारा एक्जीक्यूशन राज्य की सरकार करेगी। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि केवल इस भू-भाग को खुशनुमा एक महल बनाने के लिये, या इस भू-भाग को बहुत अधिक विकसित करने के लिये राष्ट्रीय राजधानी के नाम पर राजस्थान के दूसरे हिस्सों की बलि नहीं दी जा सकती। यह मेरी भावना है और मैं चाहता हूं, इसलिये मैंने निवेदन किया, मैं बाबूजी से भी निवेदन करूंगा, आपका तो केन्द्र में बड़ा दखल रहा है, भरतपुर से आने वाले माननीय विधायक का, आप दिल्ली में जाकर इस सारी योजना की क्रियान्विति दिल्ली की मशीनरी से कराइये। हम स्वागत करेंगे।

श्री सभापति : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, नहीं हम नहीं लड़ने आये। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं यहां क्षेत्र की बात आ गई है वह आप भी समझ रहे हैं, आप उसका लाभ उठायेंगे। मैं निवेदन यह कर रहा था, माननीय सभापति महोदय, इसके बाद एक प्रावधान इसमें और है उस प्रावधान की ओर भी मैं आपका ध्यान....

श्री परसराम मदेरणा : क्षेत्रीयता से ऊपर उठें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं क्षेत्रीयवाद से ऊपर हूं, सारे राजस्थान का समान रूप में विकास चाहता हूं। केवल एक तरफ आप अगर भोपालगढ़ ही भोपालगढ़ में पैसा ले जाओगे तो नहीं ले जाने देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : भोपालगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो पश्चिमी राजस्थान का रहने वाला हूं लेकिन यह मैं समझता हूं कि राजस्थान का हिस्सा भरतपुर और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट, अलवर और झुन्झुनू डिस्ट्रिक्ट भी हिस्सा है और उनका विकास भी निश्चित तौर पर बराबर का होना चाहिए। कोई भी सरकार वैध है स्टेट में, कोई भी सरकार इस सर्वोच्च सदन के प्रति उत्तरदायी है। अगर वह स्टेप मदरली ट्रीटमेंट करती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है किसी क्षेत्र का तो यह उसके लिये शोभनीय नहीं है, और कांग्रेस सरकार तो नहीं कर रही है। जो कुछ भी कर रहे थे, केन्द्र में कौन बैठे थे, कौन नहीं बैठे थे लेकिन अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ट्रेजरी बेंचेज पर थे। उन्होंने जैसा आचरण किया है उस तरह का आचरण कांग्रेस की सरकार नहीं करेगी।

श्री राजबहादुर : मैं स्पष्टीकरण के लिये कह दूं अजमेर में दो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की, दोनों की दोनों भरतपुर के लिये मंजूर होकर आई थीं और अजमेर में लगीं, दोनों।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, कैसा आचरण किया? मेरा तो आचरण, माननीय सिंचाई मन्त्री जी, जैसा रहा, आप भी जानते हैं। अगर आप से पूछ लिया जाय तो एक पाइन्ट का उत्तर पूछ दो।

श्री परसराम मदेरणा : हम तो इधर बैठते थे, माननीय सदस्य, हमारे निर्वाचन क्षेत्र के प्रति जनता पार्टी की सरकार हमेशा पक्षपात करती थी, हमेशा हमको बलि पर चढ़ाया।

श्री कैलाश मेघवाल : यह बिल्कुल गलत आरोप है, माननीय सभापति महोदय, और मैं इस आरोप का पुरजोर शब्दों में विरोध करते हुए कहना चाहता हूं....

श्री परसराम मदेरणा : आप तो करते हो लेकिन मैं आज नहीं कह रहा हूं यह बात, क्योंकि मैं यहां बैठा हूं लेकिन मैं जब वहां पर बैठा हुआ था तो मैंने बराबर यह आरोप उस वक्त की जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ लगाये थे वह सही थे और आज भी सही हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : आरोप आधारहीन है, आज भी आपके पास ऐसा कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर आप इस आरोप को साबित कर सकें। यह आरोप आपका राजनैतिक दुर्भावनावश है और जो मैं कह रहा हूं उसके तर्क को दिशाहीन करने के लिये आप कह रहे हैं जो कि विरोध पक्ष से समर्थन आपको थोड़ा बहुत मिल गया है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिये निवेदन कर रहा था, इसमें एक क्लॉज और

(श्री कैलाश मेघवाल)

है और वह क्लॉज कब का है उसकी तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा इस बोर्ड का फण्ड बनेगा उस फण्ड में राजस्थान का हिस्सा जायेगा। उस फण्ड में राजस्थान की सहमति से और दूसरे प्रावधान होंगे, लोन भी लिया जायेगा लेकिन जब डिजोल्व होगा मान लो कभी, इसमें प्रावधान क्या है सैक्शन 33 के, जब डिजोल्व हो जायगा तो डिजोल्व होने के बाद सारी प्रापर्टी केन्द्रीय सरकार की हो जायेगी। मैं पूछना चाहता हूं जो बोर्ड राजस्थान के बजट से बनता है, जिस बोर्ड में राजस्थान के खजाने का पैसा जायेगा, राजस्थान की जनता का पैसा जायेगा, उस राजस्थान की जनता का पैसा, अगर वह डिजोल्व होता है, इसमें प्रावधान है कि या तो उद्देश्यों की पूर्ति हो जाये, दो प्रावधान हैं, माननीय सभापति महोदय, या तो उद्देश्यों की पूर्ति हो जाये या यह उद्देश्य असफल रहने पर डिजोल्व करना पड़े तो उस समय जो फण्ड होंगे, उनका क्या होगा। इसमें साफ तौर से यह लिख रखा है कि वह सारा फण्ड केन्द्रीय सरकार का होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस आसान तरीके से इस संकल्प को यहां पास कराना चाहते हैं। क्यों नहीं आपने इसमें प्रोटेस्ट किया कि डिजोल्व होने पर बोर्ड का जो फण्ड होगा उसमें राजस्थान का जो हिस्सा होगा आनुपातिक दृष्टि से आपको राजस्थान को देना पड़ेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जरा संक्षेप में आप अपनी बात को कहें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इतने सारे प्रावधान हैं यह मोडल एक्ट इस रिजोल्यूशन की एक सपोर्टिंग एवीडेंस है कि आखिर इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के द्वारा क्या होने जा रहा है। अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजस्थान की सरकार राजस्थान के हितों की बलि करना चाहती है। मैंने यही कहा, आप स्पष्ट कीजिये। स्वागत तो मैं भी करूंगा लेकिन स्वागत करूंगा मैं कंडीशनल। मैं नहीं चाहता कि राजस्थान के हितों की बलि दी जाय। राजस्थान के बजट को वह खर्च करें, मैं यह भी नहीं चाहता कि वह नहीं करें। मैं यह भी नहीं चाहता, राजस्थान के अन्य हिस्सों के मुकाबले इस क्षेत्र में ज्यादा पैसा खर्च हो। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें रिपोर्ट बनेगी, माननीय सभापति महोदय, एनुअल रिपोर्ट, आज हमसे तो रिजोल्यूशन करा रहे हैं, यह एनुअल रिपोर्ट का प्रावधान है, यह एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट की मेज पर रखी जायगी। यह प्रावधान किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पार्लियामेंट की मेज पर जायगी क्योंकि पार्लियामेंट के अन्तर्गत आने वाली दिल्ली की टेरिटरी है। दिल्ली जो केन्द्र शासित क्षेत्र है उस क्षेत्र के आधार पर पार्लियामेंट में वह रिपोर्ट रखी जायगी और वह रिपोर्ट राजस्थान की विधान सभा में नहीं रखी जायेगी। यह इसमें प्रावधान है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर आप मोडल एक्ट आया है इस मोडल एक्ट के आधार पर क्यों नहीं रखी जायगी। जिस बोर्ड में हमारा पैसा होगा,

(श्री कैलाश मेघवाल)

जिस बोर्ड में हमारा हिस्सा होगा, जिस बोर्ड में हमारे भू-भाग की तरक्की करने के अधिकार होंगे उस बोर्ड में जब केन्द्र की राजधानी का क्षेत्र है वह तो पार्लियामेंट में रखी जायगी और वह रिपोर्ट राजस्थान की विधान सभा की टेबल पर क्यों नहीं रखी जायगी जिस विधान सभा से आप इस बोर्ड के लिये पैसा स्वीकार कराओगे। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि इसमें कुछ खामियां हैं, आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहिये, ये वास्तव में कमियां रही हैं, इन कमियों को, इनको प्लीड करने की बात कीजिये, इनको मीट करने की बात मत कीजिये। मैं तो यह पाइन्ट आउट कर रहा था आपको....

श्री परसराम मदेरणा : बोर्ड के लिये कौन सा पैसा है ? आप कह रहे हो, बोर्ड के लिये पैसा ले रहे हैं, बोर्ड के लिये कौन सा पैसा है ?

श्री कैलाश मेघवाल : बोर्ड का जो फण्ड बढ़ेगा, फण्ड आफ द बोर्ड में आप देखिये कि फण्ड की रचना क्या है, कहां-कहां से आयगा पैसा ?

श्री परसराम मदेरणा : वह तो आपके क्षेत्र के अन्दर जब आप विकास करेंगे और बोर्ड के अन्दर सर्वे और प्लान होकर उस एरिया के डवलपमेंट की बात बोर्ड कहता है कि यहां पर इस क्षेत्र जो राजस्थान में है, का इतना डवलपमेंट तो यह बोर्ड करेगा, स्टेट्यूटरी और बाकी जो है, कुछ सेवाएं हैं जो आप उपलब्ध कीजिये। आप उस क्षेत्र की आधी सेवाएं उपलब्ध कर रहे हो। अगर उसमें कोई कमी रही है तो वह आप ध्यान आकर्षित कर सकते हैं कि इसमें और कीजिये

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं सिंचाई मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा, एक बार सारी स्कीम और फ्री-मोडल एक्ट को पढ़ लीजिये। शायद आप नहीं पढ़ें। नहीं आपने पढ़ा नहीं है और यदि आपने पढ़ा है तो इतना हेप-हैजर्ड वे में पढ़ा है। वैसे आपकी समझ और ग्रास्पिंग कैपेसिटी प्रशंसनीय है।

श्री परसराम मदेरणा : बिल्कुल मैंने पढ़ लिया है।

श्री कैलाश मेघवाल : लेकिन आज मुझे लग रहा है कि बिल्कुल हैपहैजर्ड वे में आपने उसको पढ़ लिया है और इसलिये आप इस तरह के चूंकि एक फण्ड बनेगा, आपने कहा कि फण्ड बोर्ड का क्या मिलेगा, बोर्ड का फण्ड बनेगा और फण्ड के तीन सोर्स होंगे। केन्द्रीय सरकार का पैसा होगा, राजस्थान के बजट का पैसा होगा और लोन होगा, इसके बाद उनका कहना है कि सब-रीजनल प्लान वह किसमें खर्च होगा, माननीय सभापति महोदय, उस फण्ड का पैसा तो रीजनल प्लान में खर्च होगा। इसको इसीलिये मैंने कहा कि कमी है इसमें। इसमें रीजनल प्लान्स हैं, इसमें सब रीजनल प्लान्स हैं और इसीलिये उन्होंने साफ कहा

(श्री कैलाश मेघवाल)
है कि रीजनल प्लान्स पर तो पैसा तो, जो बोर्ड का केन्द्रीयकृत फण्ड होगा इसमें से खर्च होगा और जो सब-रीजनल प्लान्स होंगे उन पर बोर्ड तो एप्रूव कर देगा और पैसा राजस्थान की सरकार का खर्च होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो सारी बातें उठी हैं इनको आप ठीक करने के लिये राज्य सरकार को या उनको कुछ सुझाव तो दीजिये।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। आप तो समाप्त कर ही चुके थे। विराज ही गये थे।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं बैठा नहीं था।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसलिये ये सारी बातें आपके सामने रख रहा हूं, ये सारी बातें हैं इन बातों को मैं चाहता हूं कि माननीय प्रभारी मन्त्री जी ये कुछ मुद्दे मैंने जो उठाये हैं इन मुद्दों का जवाब दें। आखिर में मैं एक संक्शन की ओर आपका ध्यान और आकर्षित कर लेना चाहता हूं। वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, माननीय सभापति महोदय, क्योंकि इन्होंने ध्यान से पढ़ा ही नहीं है। कम से कम मेरे ध्यानाकर्षित करने से पढ़ेंगे। संक्शन 30 है। यह आपके मोडल एक्ट का संक्शन 30, माननीय सभापति महोदय, All rules and regulations, माननीय राज्य मन्त्री जी और माननीय सिंचाई मन्त्री जी....

श्री सभापति : आप कहिये अपनी बात को।

श्री कैलाश मेघवाल : आप इसको संक्शन 30 को देखिये न आप। मैं सुझाव दे रहा हूं, संक्शन 30 में क्या है

All rules and regulations made under the Act shall be laid for not less than a period of thirty days before each House of Parliament as soon as may be after they are made and shall be subject to such modifications as Parliament may make during the session in which they are so laid or the session immediately following.

अमेंड तो वह करें, मैं यह चाहता हूं कि आप राजस्थान की विधान सभा के पटल पर क्यों नहीं रखना चाहते। राजस्थान से जिनका सम्बन्ध है, राजस्थान के भू-भाग पर जो लागू होते हैं, राजस्थान का पैसा जहां पर होगा उसके नीति नियमन के लिये, उसके विकास के लिये, उसके खर्च के लिये, उसके एक्जीक्यूशन के लिये जो राजस्थान की विधान सभा पैसा पास करेगी वह रूल्स और रेगुलेशन्स आप राजस्थान की विधान सभा के पटल पर रखने का विचार क्यों नहीं करना चाहते? इसलिये, माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय

(श्री कैलाश मेघवाल)

राजधानी बने और राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र भी विकसित हो और वह जो तर्क है, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखे हैं उनसे मुझे असहमति नहीं है लेकिन मैंने जो सुझाव दिये हैं इन सुझावों के आधार पर इस संकल्प की इन बातों को व्याख्या करते हुए इस सदन को विश्वास में लीजिये और उसके बाद यह रिजोल्यूशन पास कराइये। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : यह जो संकल्प इस सदन में प्रस्तुत हुआ है उसकी भावना का मैं समर्थन करना चाहता हूं। एक लम्बे अर्से से इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि देहली जो कि एक फास्ट डवलपिंग टाउन है उसमें आबादी का दवाब बढ़ता जा रहा है और नतीजा यह होता है कि उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसमें लोग इन्डस्ट्रीज, आफिसेज, रेजिडेंशियल हाउसेज बनाते चले जा रहे हैं और इस प्रकार से बनते चले जा रहे हैं कि आवश्यकता इस बात की हो गयी है कि एक प्लान्ड वे में सब रीजन का डवलपमेंट हो। इसी भावना के साथ में केन्द्रीय सरकार ने यह बात महसूस की कि एक कैपिटल रीजन बनाया जाय, उसको डिफाइन किया जाय और उसमें जो भी विकास हो वह एक प्लान्ड वे में होना चाहिये। इसी हेतु हम एक बोर्ड बनाना चाहते हैं जो कि स्टेटयूटरी बोर्ड होगा, स्टेच्यूटरी को ऑर्डिनेटिंग बोर्ड होगा। उन्होंने इसमें जो रीजन हैं, कैपिटल रीजन हैं उसको भी डिफाइन किया है। यह एक्ट बनाने के लिये जैसा कि संकल्प के अन्दर भी दर्ज है आवश्यकता इस बात की है कि सदन से उसकी अनुमति ली जाय। मैं एक बात प्रारम्भ में ही निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार बनाना चाहती है स्टेट्यूटरी कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड। कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड इसलिये बनानी चाहती है कि जितनी भी उसके अन्दर गतिविधियां है उनका वह कोऑर्डिनेशन करे। यह जो रीजन है वह रहेगा तो राजस्थान के अन्दर ही, विभिन्न स्टेट्स हैं उनमें ही रहेंगे। लेकिन उन सबकी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने के लिये एक स्टेट्यूटरी कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड केन्द्र बनाना चाहती है। हम संकल्प क्या करने जा रहे हैं, श्रीमन्, हम संकल्प इसमें जो शब्द दिया है वह दिया है, हम एक कानून बोर्ड बनाना चाहते हैं। मुझे इसमें थोड़ी आपत्ति है जबकि केन्द्रीय सरकार एक स्टेट्यूटरी कोऑर्डिनेशन बनाना चाहती है और हम अनुमति दे रहे हैं केवल स्टेट्यूटरी बोर्ड की। या तो आप कह दीजिये कि स्टेट्यूटरी बोर्ड में और स्टेट्यूटरी कोऑर्डिनेशन बोर्ड में कोई फर्क ही नहीं है। यदि फर्क है इन शब्दों के अन्दर, फर्क इसलिये होना चाहिये कि लेजिस्लेचर की मंशा हमेशा यह हुआ करती है कि हर शब्द की अपनी कोई मन्शा होती है, हर शब्द जो प्रयोग किया जाता है वह न तो एक्स्ट्रा प्रयोग किया जाता है और न एक शब्द का इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है कि उसके विभिन्न मतलब निकाले जा सकें। या तो जो एक्ट बनेगा उसमें यह

(श्री हरिसिंह)

सब कोग्रोडिनेटिंग शब्द कह दीजिये फालतू है, एक्स्ट्रा है। अगर एक्स्ट्रा नहीं है, श्रीमन् तो इसका मतलब है कि स्टेट्युटरी कोग्रोर्डिनेटिंग बोर्ड की अगर हम उनको अनुमति नहीं देते हैं केवल स्टेट्युटरी बोर्ड की अनुमति देते हैं तो उनकी जो मन्शा है वह इस संकल्प से पूरी नहीं होगी। इसलिये मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप इसमें केवल कानूनी बोर्ड नहीं रखें, कानूनी संबंधी बोर्ड, जो कुछ भी उसकी हिन्दी हो सकती है, स्टेट्युटरी शब्द वह आपको लिखना पड़ेगा। आपने इसके अन्दर लिख दिया कि किन-किन पर्पजेज के लिये बोर्ड बनेगा, उससे मतलब पूरा नहीं होगा क्योंकि वह तो एक्ट बनायेंगे, एक्ट की यहां पर हम व्याख्या नहीं कर रहे। उस एक्ट के अन्दर कोई भी चीज वह कम कर सकेंगे, कोई भी चीज बढ़ा सकेंगे। जब यह बात होगी तो एक्ट का हम विश्लेषण नहीं कर रहे। उसके अन्दर न कोई हम बढ़ा सकते हैं, न घटा सकते हैं। हम तो केवल शुद्ध शब्दों के लिये यह कहना चाहते हैं कि हम उनको एक कानूनी बोर्ड की अनुमति दे रहे हैं, हम देना चाहते हैं केवल कोग्रोर्डिनेटिंग कानूनी बोर्ड की। कानूनी बोर्ड के अन्दर तो और भी चीज बढ़ा सकते हैं, हम तो केवल इतनी अनुमति देना चाहते हैं कि वह केवल कोग्रोर्डिनेट कर सकें गतिविधियों को। अगर इस प्रकार का बोर्ड बनाना चाहते हैं तो यह बात आवश्यक है कि हम यहां पर इस संकल्प के अन्दर लिखें कि हम स्टेट्युटरी कोग्रोर्डिनेटिंग बोर्ड बनाने की अनुमति देते हैं। एक तो मेरा निवेदन है सरकार से, इसमें कोई कंजूसी बरतने की बात नहीं है, केवल एक शब्द बढ़ाने वाली बात है और शब्द बढ़ा करके....

श्री परसराम मदेरणा : जो शब्द जरूरी है जोड़ देंगे।

श्री हरिसिंह : धन्यवाद।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी मैं पूर्ण रूप से उससे सहमत हूं कि राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकर के सामने यह बात जानी चाहिये कि राज्य सरकार किन-किन क्षेत्रों को उस रीजन के अन्दर लेना चाहती है? किन-किन रीजन्स का, एरिया का वह डवलपमेंट करना चाहती है। उन्होंने इसमें व्याख्या की है केपिटल रीजन की, तो हम अपनी तरफ से क्यों न सुझाव दें कि अलवर की तहसीलों के साथ-साथ जो भरतपुर जिले की व अलवर की जो तहसीलें इसमें उपयोगी हो सकती हैं उनको भी केपिटल रीजन के अन्दर लिया जाय। बिल्कुल सही बात है जब कामां अलवर के और देहली के बीच में आ करके पड़ता है तो उस एरिया को भी ले लेंगे तो राज्य सरकार के लिये इस बात की दिक्कत भी आगे पेश आयेगी कि जो प्लान बनेगा इसका वह ढंग से प्लान नहीं बन सकेगा। इस पूरे क्षेत्र, काम्पेक्ट एरिया के लिये जो कि उसके साथ साथ इसका डवलपमेंट जरूरी है उसको भी अगर शामिल कर लिया जायगा तो उसका एक अच्छा

(श्री हरिसिंह)

सुनियोजित प्लान बन सकेगा और हमारे लिये, राजस्थान के लिये भी एक हितकारी बात होगी कि जो रीजन पिछड़े हुए हैं, केपिटल रीजन में आ करके उनको लाभ मिल सकता है, केन्द्रीय सरकार की मदद से डवलपमेंट हो सकता है, उनका डवलपमेंट हम कर सकेंगे। मेरा यही निवेदन है कि इसमें जो केपिटल रीजन का एरिया दिया हुआ है शिड्यूल में उसमें भरतपुर है, पूरे जिले को भी आप ले लें, कोई बड़ी बात नहीं है। या और भी उसके अन्दर क्या लेना चाहते है आप इसको पूर्ण विचार करने के बाद में ये सब शामिल किये जायं और ये प्रस्ताव में ही दर्ज कर दिये जायं या किस प्रकार से आप देना चाहें। यह भावना राजस्थान सरकार की ओर से उनके पास पहुँचनी चाहिए। यही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदय, नेशनल केपिटल के बारे में जो विचार रखे कि हम नेशनल केपिटल बनाना चाहते हैं, और इस कारण से बनाना चाहते हैं दिल्ली की समस्याओं को हम हल करना चाहते हैं। इसका जो कन्स्ट्रक्शन ऑफ दी बोर्ड है, यह बोर्ड कुल 16 लोगों का बनेगा, उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे और तीनों राज्यों के चीफ मिनिस्टर होंगे, दो दो मैम्बर चारों स्टेट के होंगे 8 वह होंगे और तीन सेंटर के होंगे, जो किसी टाउन प्लानिंग में एक्सपर्ट होंगे। लेकिन जो दो लोग हमारी स्टेट का वहां रिप्रेजेण्टेशन करेंगे, या बाकी स्टेट्स का रिप्रेजेण्टेशन करेंगे, वह कौन होंगे, किस प्रकार के लोग होंगे? क्या यह बोर्ड रेगुलर फंक्शन करेगा? या इसकी कोई और बॉडी होगी जो इस सारे कार्य को देखने की कोई एजेन्सी होगी, जिस एजेन्सी के थ्रू यह बोर्ड इस काम को करेगा? मैंने जो कुछ भी इसमें पढ़ा, इसमें मुझे यह नहीं लगा कि इसके बाद वाली कौनसी एजेन्सी होगी जिस एजेन्सी के थ्रू यह सारे काम होंगे। इसके साथ ही, जैसे आपने कहा, आप इसका विकास करना चाहते हैं, बहुत चिन्तित हैं, आप विकास कर सकते हैं। कोई हर्जा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि यह बोर्ड आपको जो तय करके दे देगा कि हमको तो इस क्षेत्र में साठ की सड़कें बनानी हैं क्योंकि दिल्ली के बहुत नजदीक है, इसलिए आपकी स्टेट का इतना पैसा हमको मिलना चाहिए। तो हमको उतना पैसा देना पड़ेगा। इसके बारे में क्या हमारी कोई सीमा है, कोई लिमिट है, हम अपने बजट के इस पर्सेंटेज से अधिक इस काम में खर्च नहीं करेंगे? अगर आप यह मार्क नहीं करेंगे तो यह जो बोर्ड हैं, जो लोग इसमें बैठेंगे सब आसमान में उड़ने वाले लोग होंगे जिनको धरती का ही पता नहीं होगा। हमारे आदिवासी क्षेत्र में कुम्भलगढ़ में बैठा हुआ आदमी क्या कल्पना करता है और दिल्ली की राजधानी की हवा का आदमी क्या कल्पना करता है वह अपने मन से, अपने हिसाब से प्लानिंग करके इसको सुन्दर

107

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बनाने के कारण से अपने बजट का अधिकांश हिस्सा मजबूरन हमको देना पड़ेगा। चूंकि बोर्ड तय कर लेगा वह हमको देना है। हम ना नहीं कर सकते। यही स्थिति, आपके सैक्शन 22 वाली है—The implementation of the plan, आपको करना ही है। क्या हमारी सरकार इस बात के लिए ना कर सकेगी? राजस्थान जैसे गरीब स्टेट की यह हिम्मत नहीं है कि वह हरियाणा से मुकाबला कर सके, या वह दिल्ली की जो है उस से कर सके। उसके जो सोर्सेज हैं, पैसे के सोर्सेज हैं, या उनकी पर केपिटा इनकम है, वह राजस्थान से दुगुनी से अधिक है। उसके कम्पेरीजन में इस जगह को डवलप करने के लिए राजस्थान अपना चाहे जितना पैसा इस क्षेत्र में दे देगा? क्या हम इसके बारे में सोचते हैं कि इस एरिया पर हमारा क्या कण्ट्रोल रहेगा, इस क्षेत्र में हमारी क्या दखलंदाजी रहेगा, या इस क्षेत्र में होने वाली आमदनी में वह जो होने वाला है, उसमें राजस्थान का किस प्रकार से हिस्सा रहेगा, यह सारे ऐसे प्रश्न चिन्ह हैं। वैसे बड़ी आसानी से सारे का न तो कोई ठीक तरह से पढ़ पाये, न ठीक तरह से समझ पाये, आपने इसको अंग्रेजी में रख दिया इसलिए मुश्किल से 5-10 लोगों ने पढ़ा होगा, और आप राजस्थान के सब लोगों की छाप लगाकर केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार सौंप रहे हैं कि हम तैयार हैं, आप इस बिल को पास करो, राजस्थान इसके लिए तैयार है। मैं चाहता था, इस पर ठीक तरह से डिस्कशन होता, इस डिस्कशन के आधार पर हम यह चाहते हैं कि वास्तव में जो प्रेशर है, उस प्रेशर को कम करने के लिए अगर हमारे स्टेट का हिस्सा डवलप होता है, उसके कारण से विकसित होता है और हम उस पैसे को कम करके हमारे एरिया को भी डवलप करें, तो उसमें तो कोई एतराज नहीं है। उसकी कोई सीमा तो निर्धारित करो, उसका कोई आधार तो तय हो। उन लोगों के बजट के अनुपात में क्या राजस्थान जैसे गरीब मुल्क के बजट में से उसके कम्पेरीजन में पैसा देकर या उसके लोन या सारी चीजों को उठा करके बर्दाश्त कर सकेंगे। जितनी हमारी गुदड़ी है, जो हमारा क्षेत्र है, उसी के अनुसार सीमा बांधने के लिए सक्षम हैं क्या? क्या हम इसको बांध सकेंगे? क्या हमारा इस पर किसी प्रकार को कण्ट्रोल रहेगा? बाद में इसके ऊपर हम जितने सुझाव दे पायेंगे या बात रखेंगे उस बात को मनवाने के लिए क्या हमारे पास कोई आधार रहेगा? क्योंकि हमारी संख्या तो केवल तीन होगी, हमारी तीन संख्या के आधार पर, जो बाकी के लोग उसमें होंगे उनके ऊपर दबाव डालकर अपनी बात को, अपनी मजबूरियों को, अपनी सीमाओं को मनवा सकेंगे? इसके बारे में आप विचार करके इसको करिये। यदि आप समझ गये हों तो पूरे डिटेल में आप हमको समझा दीजिए। यह वास्तव में प्रोविजन्स का लम्बा चौड़ा पोथा है, इसका एक एक भाग है वह अपने आप में काफी महत्व रखता है। लेकिन उसको बिना ठीक तरह से समझे हुए आप यह सोचें कि ठीक है, छाप लगाकर भेज दें, पास कर देंगे, यह कोई उचित नहीं है।

श्री सभापति : संक्षेप में, माननीय सदस्य,

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सभापति महोदय, Nobody can talk relevance for more than five minutes.

इसलिए ज्यादा बोलेगा वह रेलेवेन्स बोलेगा ही नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मेघवाल जी की यह जलन कि किसी क्षेत्र विशेष का इस केपिटल रीजन की वजह से विकास होगा, यह उनके व्यक्तित्व के विपरीत बात है। सभापति महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि किसी क्षेत्र का विकास इस केपिटल रीजन से होगा....

श्री कैलाश मेघवाल : मैं तो चाहता हूं कि केन्द्र सरकार से पैसा लो। अपनी सरकार से बतावें कि हमारे पास पैसा नहीं है। सारा पैसा केन्द्र सरकार खर्च करे, यह कोशिश कीजिए। इसमें यह सिफारिश की जानी चाहिए।

श्री यदुनाथ सिंह : यह कह रहे हैं कि पूरा पैसा केन्द्र सरकार से लें। सभापति महोदय, सवाल यह नहीं है कि केन्द्र सरकार कितना कण्ट्रीब्यूट करेगी, राज्य सरकार कितना करेगी। हमारे प्लान कौन बनायेगा, रीजनल प्लान बनेंगे उनको क्जीक्यूट कौन करेगा, कैसे करेगा यह सब माइनर चीजें हैं। समय समय पर रैक्टिफाई होती रहेंगी।

सवाल यह है, सभापति महोदय, जिस प्रकार की नीतियां इस देश में रहीं उनके रहते आज जिस प्रकार गांव से शहर की ओर आदमी चलता चला जा रहा है यही हालत रही तो दिल्ली जैसे शहर की आबादी 2 हजार तक एक करोड़ तक पहुँच ही रही है बल्कि एक करोड़ को भी एक्सीड कर जायेगी। वहां जिस प्रकार की समस्याएं है, ड्रेनेज की ओर हर तरह की सड़कों की....

श्री परसराम मदेरणा : एक करोड़ से भी एक्सीड हो जायेगी।

श्री यदुनाथ सिंह : वह तो एक्सीड हो जायेगी। एक्सीड हो जायेगी तो बहुत अव्यवस्था हो जायेगी। बिल्कुल कानून और व्यवस्था समाप्त हो जायेगी। सर्विसेज हो नहीं पायेंगी ढंग से। उन सर्विसेज को बांटकर सुविधाओं को दूर दूर तक बसाने का जो इरादा है वह अच्छा इरादा है। सभापति महोदय, प्रश्न यह पैदा होता है, अभी कटारिया जी कह रहे थे पर कैपिटा एक्सपेण्डीचर क्या होगा ? आज तक भरतपुर जिले में राजस्थान में पर कैपिटा एक्सपेण्डीचर सबसे मिनिमम रहा है। इस बारे में आप क्यों नहीं बोले ? पर कैपिटा एक्सपेण्डीचर मिनिमम, क्योंकि वहां कन्सेन्ट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इतना है कि पर कैपिटा एक्सपेण्डीचर आता ही बहुत कम है। इसलिए, सभापति महोदय, स्कूल बनेंगे, सड़कें बनेंगी। एक भी मीटर कैनाल भरतपुर में आजादी के बाद नहीं बनी है। इस बात को क्यों नहीं कहते हो कि वहां पैसा कभी नहीं लगा। कहने का मतलब यह है,

(श्री यदुनाथ सिंह)

सभापति महोदय, क्षेत्र का विकास होगा क्षेत्र में स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे सड़कें बनेंगी, बड़े बड़े शहरों में जो सुविधायें हैं वह सुविधायें हमारे क्षेत्र में भी आयेंगी। इसलिए इसमें विरोध करने का प्रश्न नहीं है।

लेकिन फिर भी, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा, जो क्षेत्र है इसका वह धौलपुर तक, क्योंकि जो प्लान बना रहे है वह आने वाले 100 सालों के लिए बनाने जा रहे हैं, एक क्षेत्र को निश्चित तौर पर शिड्यूल में बढ़ाया जाय, धौलपुर जिला, भरतपुर जिला, सवाईमाधोपुर का कुछ हिस्सा, अलवर जिला, इस हिस्से को केपिटल रीजन में लेना ही पड़ेगा। जब तक इसको नहीं लेंगे तो फिर 50 साल बाद केपिटल रीजन बढ़ायेंगे। इसलिए यह सुझाव भी हमको केन्द्र को भेजने चाहिये। इसको आप खूब पास करिये। यह छोटी मोटी बातें हैं, बोर्ड में कौन होगा, किसका होगा। यह छोटी छोटी बातें हैं, समय समय पर रेक्टिफाई होती रहती हैं। बड़ी बात नहीं हैं।

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय की तरफ से एक घण्टे का समय निश्चित है....

श्री यदुनाथ सिंह : इनका क्षेत्र भी लिया जाय, कह रहे हैं यह बात।

श्री समरथ लाल (राजगढ़) : सभापति महोदय, जिस योजना के अन्तर्गत जो एरिया राजस्थान के अलवर जिले से लिया गया हैं, उसमें माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इस सन्दर्भ में भरतपुर का हिस्सा भी लिया जाय और अलवर जिले का जो शेष हिस्सा रहा है वह पूरा अलवर जिला लिया जाय। मैं इस सन्दर्भ में यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, अलवर जिले की जो तहसीलें इसमें ली गयी हैं बहरोड़, मण्डावर, किशनगढ़, तिजारा, पार्ट ऑफ अलवर तहसील, इसके अलावा अलवर जिले के अन्दर बानसूर, थानागाजी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, कठूमर, यह तहसीलें रही हैं। यह तहसीलें जो ली जा रही हैं इस एरिया के अन्दर, उससे कम विकास का काम इन तहसीलों में हुआ है।

इसके अलावा बानसूर, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़ तहसीलों के अन्दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग करीब 40 प्रतिशत और 52 प्रतिशत की जनसंख्या में निवास करते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, सभापति महोदय, इन तहसीलों को उसमें जरूर शामिल किया जाना चाहिये। अब इन तहसीलो को क्यों नहीं शामिल किया गया, मैं समझता हूं कि हमारे अलवर जिले के जो एम. पी. हैं, लोक सभा के सदस्य श्री रामसिंह जी यादव, वह यादव जाति से सम्बन्ध रखते है। जितनी भी तहसीलें इसमें आई हैं उस क्षेत्र के अन्दर, उसके अन्दर यादव जाति के लोग निवास करत हैं। शेष जो तहसीलें रही हैं इनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं। हो

(श्री समरथलाल)

सकता है उनका यह सुझाव हो लेकिन, माननीय मंत्री महोदय, आप तो इस प्रकार का भेदभाव न बरतें, यह सदन इस प्रकार का भेदभाव न बरते। मेरा आपसे यह निवेदन करना है कि इस एरिया के अन्दर बानसूर, थानागाजी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, रामगढ़ तो बिलकुल अलवर और दिल्ली के बीच में है, अलवर का एरिया तो ले लिया और रामगढ़ को रह गया। तो मेरा यह निवेदन करना है कि शेष जो अलवर जिला है उस को भी इसमें शामिल किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य गलत कह रहे हैं। यह तिजारा तहसील जो है उसमें बाहुल्य मेवों का इलाका है, अहीरो का तो नाम ही हैं। अहिरों की पापुलेशन तो बहुत कम है। यह गलत बतला रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : है तो सही ?

श्री सुजानसिंह यादव : जो चार्जेज लगाये हैं माननीय सदस्य ने वह बिल्कुल गलत लगाये हैं। ये आंकड़ों से बाहर की बात कही है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री सुजानसिंह यादव : माननीय सदस्य से यह निवेदन करूं कि बहरोड़, तिजारा और मण्डावर का विकास हो जाय तो आपको उसमें क्या तकलीफ है ?

श्री यदुनाथ सिंह : करें तो सही ?

श्री सुजानसिंह यादव : आपको अपनी बात कहनी चाहिये थी। बहरोड़ को और जिस तरह से एम. पी. साहब को जोड़ा है यह तोड़-मरोड़ कर जो बातें कहीं हैं यह आपके लिये अशोभनीय है। मैं तो यह सोचता था कि माननीय सदस्य बहुत अच्छी तरह से बात कहेंगे किन्तु आपने वेदना का विषय रख दिया, यह आपके मुंह से नहीं कहनी चाहिये थी....

श्री समरथलाल : सभापति महोदय, मैंने तो यह निवेदन किया है कि जो एरिया छोड़ा गया है वह बहुत बैकवर्ड एरिया है। उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग 40 प्रतिशत और 52 प्रतिशत की जनसंख्या में रहते हैं।

श्री सभापति : समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : माननीय सभापति महोदय, इस संकल्प के बारे में माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार यहां प्रस्तुत किये उसके लिये

111

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

में उनका आभारी हूं । विचारों के साथ साथ कई प्रकार की शंकायें भी यहां व्यक्त की गईं और ऐसा जताने की कोशिश की गई जैसे कि कोई राजस्थान के किसी भाग को हम केन्द्रीय सरकार को सरेण्डर करने जा रहे हैं। नम्बर दो, कहा गया कि दूसरे हिस्से का क्या होगा, सब पैसा वहीं खर्च कर देंगे। तीसरा सुझाव यह आया कि इसके अन्दर राजस्थान के भरतपुर जिले की कुछ तहसीलें, अलवर जिले की कुछ तहसीलें और धौलपुर जिले को भी इसमें सम्मिलित किया जाय। यह श्री यदुनाथसिंह जी, जो माननीय सदस्य नदबई से आते हैं, का सुझाव था।

श्री सुजानसिंह यादव : यह तो नदबई को चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : शान्त रहें, माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें।

श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची) : धौलपुर को काट कर नदबई कर दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस एक्ट के अन्दर इस प्रकार के कितने ही प्रोविजन्स हैं जो इसका प्रिएम्बल है। The National Capital Region का Planning Board. इसमें दिया हुआ है। अगर इसको गौर से पढ़ें, गौर से इसको अगर देखें तो कहीं भी स्टेट की आॅटोनामी या कहीं भी स्टेट की किसी चीज को सरेण्डर करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

"To provide for the setting up of a statutory co-ordinating Board for the National Capital Region"

यहीं से प्रारंभ होता है, श्रीमन्। एक को आॅर्डिनेटिंग बोर्ड होगा जिसको स्टेट्युटरी रिकाग्निशन दिया जायगा इस बिल के जरिये, जब एक्ट बन जायगा। यह इसके मूल में भावना है। अब इसके ऊपर दुनियां भर की शंकायें व्यक्त कर दी गईं कि आप तो सरेण्डर करने जा रहे हैं। यह बात सही है कि जब अजमेर पूर्व से आने वाले माननीय सदस्य ट्रेजरी बैंचेज पर पड़ा करते थे, माफ कीजियेगा, बैठा करते थे उस समय इनकी सरकार ने इस मामले को शैल्व कर दिया क्योंकि विकास के काम में इनकी कोई रुचि नहीं थी। सिर्फ इसलिये....

श्री सुजानसिंह यादव : अब भी नहीं है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : विकास के कामों में इनकी रुचि नहीं थी वरना यह काम उसी वक्त हो गया होता।

श्री कैलाश मेघवाल : जनता सरकार ने तो साहब आगे बढ़ाया है। आपने तो इसको दबा रखा थी पहले।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो अब विरोध किसलिये कर रहे हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, एक बात और स्पष्ट कहना चाहता हूं। मैंने आलोचनात्मक दृष्टि से कुछ कमियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है उसमें मेरी भावना के साथ राज्य मंत्रीजी को अपनी भावना इसलिये मिलानी चाहिये, मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को दबायें कि राजधानी का अगर विकास करना है तो केन्द्रीय सरकार सबसे अधिक पैसा दे और अपने पैसे से विकास इस हिस्से का करे। यही मेरी भावना थी और इसी को मैंने व्यक्त किया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं अभी आ रहा हूं आपके मुद्दों पर खास तौर से।

सभापति महोदय, यह बात सही है कि राजधानी के अन्दर सन् 2000 के अन्दर क्या स्थिति बनेगी, इसके साथ-साथ जो आबादी बढ़ेगी, लेकिन जो नेबरिंग इलाका है, राजधानी से लगा हुआ इलाका है, वहां एजोइडनिंग स्टेट का इलाका है वहां पर भी इम्पेक्ट पढ़े बिना नहीं रहेगा उस बढ़ती हुई आबादी का। जैसे आज कलकत्ता महानगर है आज चारों तरफ वहां वैसे ही घनी आबादी है लेकिन जो उसका एडजोइनिंग एरिया है, एडजोइनिंग जिले हैं, आज कलकत्ता में 100-100 मील से, 125-125 मील से काम करने के लिये लोग आते हैं, इसी प्रकार से दिल्ली की आबादी बढ़ेगी तो लोग दिल्ली के बाहर नहीं निकलेंगे, उद्योग दिल्ली के बाहर निकलेंगे, दिल्ली के बाहर दफ्तर निकलेंगे तो उस भविष्य के लिये अगर उस इलाके का प्लान्ड-वे के अन्दर डवलपमेन्ट नहीं किया गया तो क्या स्थिति बनेगी भविष्य के अन्दर, यह कल्पना करने की बात है, सोचने की बात है और चिन्ता की बात है।

अब जहां तक यह कहा गया, इस बात की शका व्यक्त की गई कि किसी प्रकार से अपनी आटोनामी स्टेट की है उसके ऊपर आंच नहीं आती है। इस बात का एक्ट के अन्दर वेरीअस सैक्शन्स को अगर पढ़ेंगे, सभापति महोदय, इसलिये 2-3 मुद्दों के ऊपर मैं स्वयं मान कर चला था कि ये मुद्दे यहां पर उठेंगे, तो मैंने उनका पूर्व के अन्दर ही अध्ययन करके, अधिकारियों से विचार-विमर्श करके इस बात का पूरा ध्यान रखा है। इसका जब माडल बिल बना था तो स्टेट गवर्नमेन्ट्स को सर्कुलेट किया गया था कि आप भी देख लें और इसके अन्दर कुछ जोड़ने है, ऐड करने हैं या निकालने हैं तो अपने सुझाव दें। उनसे परामर्श करने के बाद ही उनके विचार जानने के बाद ही यह मॉडल बिल की रूपरेखा सामने आई है। अब आप देखेंगे, सैक्शन है—

"The Board does not have the power to carry out the projects implementation by itself."

बोर्ड इटसेल्फ सबकी राय से इम्प्लीमेंट करेगा।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

"Projcet implementation is the responsibility of the State Government."

सब्स्टेन्स दिया हुआ है। आज अगर इसकी पूरी विवेचना करना चाहूं तो मुझे काफी समय लग सकता है। इसी प्रकार यहां पर इन्होंने एक बात कही है कि रीजनल प्लान कौन फार्मूलेट करेगा। यह जो रीजनल प्लान बनेंगे यह भी कमेटी बनेगी, रूल्स के तहत कमेटी का निर्माण होगा। वह तो आपने देख लिया। अच्छा बोर्ड का चेंज है। इन्होंने कहा, बोर्ड का चेंज कोई कैसे करेगा। The Board can be changed only with the State consent. बोर्ड के कम्पोजिशन में कोई बदलाव आयेगा नहीं जब तक स्टेट गवर्नमेन्ट अपनी कन्सेन्ट नहीं दे देगी। जो मेम्बर हैं स्टेट्स इसके अन्दर, सभापति महोदय, सबसे इम्पार्टेन्ट बात है, वह है रूल्स जो फ्रेम होंगे इस एक्ट के तहत भविष्य में जो रूल्स बनेंगे, वह सबसे ज्यादा इम्पार्टेन्ट होंगे उसका भी इसके अन्दर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। The rules cannot be framed except in consultation with the States. इस प्रकार बोर्ड के क्या अधिकार होंगे, वह सेक्शन 28 (2) के अन्दर दिया हुआ है। The powers of the Board are to be decided in consultation with the States. यह सब है। सभापति महोदय, यह भी आया फण्डस कितने रेज करने हैं, यह भी स्टेट्स की राय से फण्ड्स रेज किये जायेंगे 32 (2) के अन्दर। आपने एक बात कही है इस पाइन्ट के अन्दर, फण्ड्स के बारे में, वह मैं बाद में लूंगा। फण्ड्स के इस्तेमाल के बारे में है the use of funds Section 31 (2). the Board cannot be dissolved without consulting the States. This is section 33. आपने जो कहा, कब डिफिकल्टी आयेगी। बोर्ड का डिजोल्यूशन तो बिना स्टेट गवर्नमेन्ट की सलाह मशविरा के हो ही नहीं सकता। यह सेक्शन 33 के अन्दर साफ दिया हुआ है। आप सेक्शन 33 निकालकर देख लें कृपया।

श्री कैलाश मेघवाल : केन्द्रीय सरकार ले लेगी, यह कहा है इन्होंने। डिजोल्यूशन तो होगा, यह कहा है इन्होंने।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे कह रहा हूं, डिजोल्यूशन की नौबत कब आयेगी जब तक कि स्टेट गवर्नमेन्टस अपनी कन्सेन्ट नहीं दे देगी।

श्री कैलाश मेघवाल : वह तो ठीक है। पैसा कहां से आयेगा, यह देखिये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अरे, जब स्टेट को अपने हितों का ध्यान नहीं रहेगा, चार-चार स्टेट्स इसके अन्दर हैं, अगर वह स्वयं तैयार हो जाती हैं इसको डिजोल्व करना है तो बोर्ड में कोई रिजोल्यूशन लेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, यह राज्य मन्त्रीजी क्या यह

(श्री कैलाश मेघवाल)

चाहते है कि जिन्दा मक्खी निगलें। बोर्ड का डिजोल्यूशन होगा उसके बाद फण्ड्स कहां जायेंगे ? जो साफ प्रावधान लिखे हुए हैं वह आप पढ़कर बताइये....

(व्यवधान)

इसमें जब प्रावधान किये गये हैं तो उन प्रावधान को साफ पढ़िये। सारे फण्ड्स सैण्ट्रल गवर्नमेन्ट ले लेगी।

श्री परसराम मदेरणा : कौनसे फण्ड्स ?

श्री कैलाश मेघवाल : बोर्ड के फण्ड्स।

श्री परसराम मदेरणा : डिजोल्यूशन की हालत आयेगी बोर्ड की, फण्ड्स नहीं होंगे तभी तो आयेगी।

श्री कैलाश मेघवाल : यह फण्ड्स नहीं होंगे इसलिए नहीं आयेगी।

श्री परसराम मदेरणा : फिर तो बोर्ड काहे के लिए होगा। जब इन्सोल्वेन्सी आयेगी तभी ऐसी हालत होती है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सिचाई मन्त्रीजी, इसको पढ़िये, यह नहीं लिखा है।

श्री परसराम मदेरणा : वहां कोई फिक्स्ड डिपाजिट है, वह फिक्स्ड डिपाजिट किधर जायेगा।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, यह बात को जिस तरह से गुमराह करने की कोशिश सिचाई मन्त्रीजी कर रहे है वह ठीक नहीं है। आप उस प्रोविजन को पढिये उसमें दो बातें लिखी हैं या तो उद्देश्य पूरा हो जायगा, और जब उद्देश्य पूरा होगा तब तक असेट्स बनेंगे, जो राजस्थान का फण्ड् भी होगा, केन्द्रीय सरकार का फण्ड्स भी होगा, और या असफल रहने पर बोर्ड का डिजोल्यूशन होगा। ऐसी स्थिति में जो फण्ड्स हैं, जो असेट्स बने हैं चाहे पांच रुपये हों मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, इन्सोल्वेन्ट हैं लेकिन सारा केन्द्रीय सरकार अपने कब्जे में ले ले, यह नहीं होना चाहिये। इसलिए मैं चाहता हूं, आप इसको अमेण्ड करके सुधार दीजिये।

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सभापति महोदय : 33(1), Where the Central Government is satisfied after consulting the participating States and the Union Territory that the purposes for which the Board was established under this Act have been substantially achieved or the Board has failed in its objectives, so as to render the continued existence of the Board, in the opinion of the Central Government unnecessary, that the Government may by notification in the official

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

gazette, declare that the Board shall be dissolved with effect from such date as may be specified in the notification and the Board shall be deemed to be dissolved accordingly.

अब, सभापति महोदय, सब पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स, यूनियन टेरीटरी जो इसके मैम्बर हैं, जब डिजोल्यूशन का रिजोल्यूशन लेंगे तभी तय करेंगे कि डिजोल्व करना है, क्या हालत है, उस वक्त स्टेट अपने इन्ट्रेस्ट का ध्यान नहीं रखेंगी। यह तो खाली हाइपोथिटिकल मामला है कि तब क्या होगा। इसलिए जो इनकी शंका है....

श्री कैलाश मेघवाल : ऊपर सब-सेक्शन (2) पढ़ लीजिये ना, इसमें लिखा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो इनकी शंका है, वह निर्मूल है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल : आप सब-सेक्शन (2) और पढ़ लीजिये, तो मालूम पड़ जायगा स्पष्ट।

श्री प्रद्युम्न सिंह : I have gone through it. I do not find any substance in logic and argument.

सभापति महोदय, अब मैं जहां तक....

श्री कैलाश मेघवाल : बूट मेजोरिटी के आधार पर हाथ खड़े करवाओगे, वह तो हम भी करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि बूट मेजोरिटी का प्रश्न नहीं है। जो आपकी शंकायें थीं उनका मैंने काफी विस्तार से आपके सामने कहा और अभी तरह-तरह की शंकायें धन इत्यादि के बारे में, आज की स्थिति बताता हूं, सभापति महोदय। नेशनल केपिटल रीजन के ऊपर इस वक्त जो काम चल रहा है, इसको अमली जामा, कानूनी रूप नहीं दिया गया है लेकिन इस पर कार्य आरम्भ हो चुका है। इस वक्त 50:50 के आधार पर कार्य हो रहा है। हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने मीटिंग में सुझाव दिया कि 75 पर्सेन्ट सैण्ट्रल गवर्नमेन्ट की इसके अन्दर हमको ऐड होनी चाहिये, 25 पर्सेन्ट हमारा कण्ट्रीब्यूशन होगा। यह हमारा, हरियाणा के मुख्य मन्त्रीजी ने और राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी ने सुझाव दिया है तो मैं आपके सामने आपकी मार्फत, सभापति महोदय, सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि एक पर्टीक्यूलर....

श्री राजबहादुर : मैं एक बात....

श्री सभापति : मन्त्री महोदय को अपनी बात कहने दें कृपया।

श्री राजबहादुर : मैं तो सप्लीमेन्ट कर रहा हूं, मन्त्री महोदय ने यह कहा....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं एक बात निवेदन करूं। फिर आप बात कीजिये, पूछ लीजिये मुझसे....

श्री राजबहादुर : मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है regarding addition of areas, नये एरिया को जोइन करने की बात है। अभी मीटिंग के अन्दर मुख्य मन्त्रीजी ने, जो मुख्य मन्त्रियों की इस मामले में मीटिंग हुई थी, राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिलों को जोड़ने के लिये वहां पर प्रस्ताव आलरेडी रख दिया है। मैं आपसे और निवेदन करना चाहूंगा, अभी एक मीटिंग के अन्दर मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्रीजी ने भी सुझाव दिया, वह ग्वालियर को जुड़वाना चाहते हैं इसके अन्दर। वह ग्वालियर बाई ट्रेन 180 मील है, वह इस राजधानी क्षेत्र में जुड़वाना चाहते हैं। इसका महत्व इतना है लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन इसका कानून में प्रोविजन है। इसलिए मैं आपका अमेण्डमेंट स्वीकार करने की स्थिति में इसलिये नहीं हूं, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य का सैक्शन 126 हमारा, इसके तहत बोर्ड को यह अधिकार होगा कि बोर्ड नये इलाकों को इसके अन्दर ऐड कर सके, इस परिधि के अन्दर ले सके। बोर्ड सक्षम होगा इसलिए अभी अमेण्डमेन्ट की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस अमेण्डमेन्ट को स्वीकार करने की स्थिति में मैं अभी नहीं हूं क्योंकि हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस मामले को आलरेडी हाथ में ले लिया है। जहां तक भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य का प्रश्न है, श्रीमान्, उन्होंने सुझाव दिया है इस संकल्प के बारे में, उसमें स्वत: ही एक शब्द के स्थान पर दो तीन शब्दों को मैं बदलना चाहूंगा, श्रीमन्, जिससे कि स्थिति साफ हो जाय, "समाविष्ट" की जगह तीसरी लाइन के अन्दर "समन्वित विकास" इसको जोड़ा जाना चाहिये। इसी प्रकार "कानूनी" जो वर्ड लिखा हुआ है, "कानूनी बोर्ड" के स्थान पर "विधिक एवं समन्वयिक" की स्थापना की जानी चाहिये।

(व्यवधान)

इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरे इस संकल्प के अन्दर संशोधन प्रस्तुत करता हूं। जो मैंने अभी पढ़ा था, उसके अन्दर इस स्थान पर इनको जोड़ा जाना चाहिये। इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि संकल्प को पारित करें।

श्री राजबहादुर : एक बात का स्पष्टीकरण करें मन्त्री जी। सदन यह पास करके जाय, मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा, संशोधन मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि आप भरतपुर और धौलपुर ज़िला दोनों रखें लेकिन सारे सदन की राय, मुख्य मन्त्री जी की तजवीज, जो मुख्य मन्त्री जी ने प्रस्ताव रखा है कमेटी की मीटिंग में, उसके साथ जुड़ जाती है, तो मुख्य मन्त्री जी की आवाज और प्रभाव और बढ़ जाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि यहां पर रिजेक्ट न करें प्रस्ताव आ गया है कि आप जोड़िये। मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। न सिर्फ तीन तहसीलें बल्कि भरतपुर का

(श्री राजबहादुर)

जिला और धौलपुर जिला दोनों रखिये। लेकिन सदन की आवाज साथ ले जाइये, यह मेरी आपसे विनती है। इस प्रस्ताव को आप स्वयं कह दीजिये, मुझे अपने संशोधन को मनवाने की बात नहीं है, लेकिन जो मुख्य मन्त्री जी ने वहां कहा है, उसके पीछे सदन की आवाज है, सदन की मांग है, एक मत मांग है, यह अगर होता है तो बहुत अच्छा है। मैं एक अपने मित्र मेघवाल जी से कहना चाहता हूं कि उसमें सैक्शन 33, 32 तो पढ़ लिया है, सैक्शन 33, 1 और 2 पढ़ लिया है, लेकिन सैक्शन 32 ए पढ़ा है, बी नहीं पढ़ा है, उसमें अलावा इसके कि 75:25 का रेश्यो होना एक्सपेंडिचर में और इन्वेस्टमेंट में बिटविन सैन्टर एण्ड स्टेट। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह लाइबिलिटी के बारे में, इसमें ऐसा है कि (b) all liabilities which are enforceable against the Board, shall be the responsibility of the Central Government. तो आप इसमें असैट्स तो याद कर लेते हैं पर लाइबिलिटी को याद नहीं करते हैं। वह तो याद रखिये। इसलिये आपका जो एतराज है....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री राजबहादुर : मैं फिर कहता हूं, प्रद्युम्न सिंह, आप सारे सदन की राय लीजिये। समर्थन है इसलिये ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, बाबूजी, मैं असमर्थ हूं।

श्री राजबहादुर : बोर्ड में जब यह पारित हो जायेगा, डलवाने की चेष्टा करेंगे फिर तो खत्ते में डालने की चीज है। वह वहीं का वहीं रखा रह जायेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसमें तो मेरा भी तो हित है, मेरा भी तो जिला है।

श्री राजबहादुर : भई, हम दोनों के ही जिले हैं।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हो गयी।

प्रश्न यह है कि माननीय स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री महोदय ने संकल्प में जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि संशोधित संकल्प स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संकल्प पारित किया गया।

विधायी कार्य

विधेयक पर विचार

राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1984

विधायी कार्य, राजस्थान भू-दान यज्ञ (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1984। प्रभारी मन्त्री जी विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव

(श्री हीरालाल देवपुरा)

करता हूं कि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जिन जिन महानुभावों का मैं नाम क्रम से पुकारूंगा वही माननीय सदस्य बोलें।

श्री हरीश शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : और कोई नहीं है क्या।

मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1984 को चार माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भूदान बोर्ड के सम्बन्ध में वर्तमान एक्ट में अभी संशोधन किया जा रहा है, जिसका कि गठन आचार्य विनोबा के द्वारा किया गया। आचार्य विनोबा भावे के बाद में भारत सर्व सेवा संघ इसमें काम कर रहा था। तो मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार इसमें जो संशोधन लाने जा रही है इसकी क्या आवश्यकता थी। राज्य सरकार को क्या आवश्यकता महसूस हुई जब कि महात्मा गांधी यह चाहते थे कि इस तरह से इसका कार्य सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से होना चाहिये। सभापति महोदय, आचार्य विनोबा भावे को महात्मा गांधी ने ही प्रेरित किया था इस काम को हाथ में लेने के लिये और कहा था कि वह इस काम को करें। इसके लिये स्वयं विनोबा भावे यहां आये थे। उन्होंने राजस्थान में भूदान यज्ञ की नींव डाली थी। फिर आज इतने दिनों के बाद में सरकार को क्या आवश्यकता ऐसी आन पड़ी कि सर्व सेवा संघ के हाथ में से इसका काम लेकर सरकार अपने हाथ में इसे लेने जा रही है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। मैं पूछना चाहती हूं, सभापति महोदय, मन्त्री महोदय से मेरा प्रश्न है, मन्त्री महोदय जब उत्तर दें तो मेरे प्रश्न का उत्तर दें, इसमें किसलिये संशोधन लाया जा रहा है? इसमें कहां पर गुंजाइश पैदा हुई जिसके कारण कि इसमें संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ी? क्या भारत सर्व सेवा संघ को राज्य सरकार या मन्त्री महोदय ने राजनैतिक दल से सम्बन्धित माना या स्वयं मन्त्री जी को इसे राजनैतिक संस्था मानते हुए इसमें संशोधन लाने की आवश्यकता हुई और इसलिये यह संशोधन लाया जा रहा है? क्या भारत सर्व सेवा संघ पर से सरकार का विश्वास उठ गया है? अगर विश्वास उठ गया है तो इसके कारण क्या थे? इसकी जांच करवायी जानी चाहिये थी। उसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये। क्या

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बैकडोर एन्ट्री करने की सरकार की भावना है जिससे यह संशोधन लाया जा रहा है।

(3.25 म. प.)

(श्री हरिसिंह, सभापति, पदासीन)

भूदान यज्ञ बोर्ड का गठन किया गया था वह इसलिये किया गया था कि इससे जनहित हो। यह गरीब लोगों के लिये काम कर, उन्हें सहयोग दे इसलिये इस बोर्ड का गठन किया गया था पर अब वह भी बदलने की बात है, तो इसमें सरकार की मंशा क्या है ? मैं मन्त्री महोदय से इसका उत्तर चाहूंगी, क्या भारत सर्व सेवा संघ समर्पित भावना से काम नहीं कर रहा था ? मेरा यह प्रश्न है, इसके अलावा क्या बात थी जिससे सरकार को इसमें अविश्वास पैदा हो गया ? यह मन्त्री महोदय मुझे बतायें। अब जो आप नया संशोधन ला रहे हैं इसका क्या आधार है ? क्या आज की सरकार या आने वाले कल की सरकार यह कार्य निर्दलीय दृष्टिकोण से कर सकेगी ? मेरा यह प्रश्न है, यह स्पष्ट रूप से बतावें, निर्दलीय दृष्टिकोण से गांधीजी की विचारधारा से इस संगठन को बनाया गया था। इसके गठन के बाद में क्या गांधीवादी विचारधारा के लोग इसमें नहीं हैं या क्या बात है ? मैं समझती हूं कि इसमें क्या खामियां रह गयीं, यह भी मन्त्री महोदय मुझे बतावें। मेरी समझ में नहीं आता, इस बोर्ड का गठन जब गांधीवादी विचारधारा के लोगों के लिये था और इसके लिये सर्वसम्मति थी फिर ऐसा क्या कारण आ गया कि इसमें संशोधन लाना पड़ रहा है ? इसका मन्त्री महोदय मुझे स्पष्टीकरण दें। ऐसी क्या आवश्यकता आ गयी कि अब इसमें स्वयं मन्त्रीजी संशोधन ला रहे हैं ? या फिर कोई अलग बात है ? मैं इसको अच्छा नहीं समझती हूं, क्योंकि यह बोर्ड मिशन भावना से काम कर रहा था। अब सरकार अपनी नीतियों को इसमें डालना चाहती है। मैं यह पूछना चाहूंगी मन्त्री महोदय से कि अब इसको बदलने की क्या आवश्यकता है। इसमें क्या तुक है, मन्त्री महोदय बतावें।

श्री सभापति : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1984 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

सभापति महोदय, यह भूदान यज्ञ विधेयक में जो संशोधन सरकार लाने जा रही है मेरा ऐसा ख्याल है कि जिस भावना से, सेवा की भावना से इस बोर्ड का गठन किया गया था शायद हमेशा के लिये उस भावना को सरकार समाप्त करना चाहती है। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि आज से पहले लोगों को क्या यह पता था कि आचार्य विनोबा भावे ने महात्मा गांधी की प्रेरणा से जो काम किया, उन्होंने सेवा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भावना से लोगों से भीख मांग कर जमीन ली और वह जमीन गरीब लोगों में और भूमिहीन को बांटी। इस विश्वास के साथ इसका गठन किया गया था। सभापति महोदय, उन लोगों का एक करेक्टर था, उनकी वास्तव में सेवा करने वाली भावना था। यह संघ बनाया गया उसमें उन लोगों ने अपनी समर्पित भावना से काम किया, पर जब कि आचार्य विनोबा भावे की मृत्यु हो गयी तो सरकार के सामने ऐसी कौन सी विपदायें पैदा हो गयीं, ऐसी कौन सी आपदायें आकर खड़ी हो गयीं या ऐसे कौन से रोड़े सामने आ गये जिसके कारण कि इस वालियन्टरी एजेन्सी को समाप्त करने की, इसको खतम करने का प्रावधान किया है। हमारी समझ में नहीं आता, सभापति महोदय, ऐसी इस बोर्ड के सदस्यों ने क्या अनियमिततायें कीं या वास्तव में क्या कारण थे, क्या उन लोगों ने गरीब लोगों को संरक्षण देना बन्द कर दिया जिसके कारण कि गरीब लोगों को तकलीफ आ रही थी, जिसके कारण यह संशोधन करने सरकार जा रही है या क्या वहां पर कुछ अधिकारी लोगों ने या पदाधिकारियों ने कोई लूट मचा दी या उनके परिवार के लोगों ने लूट करनी शुरू कर दी जिसको आप समाप्त करने जा रहे हैं या फिर ऐसी कौन सी मजबूरी आपके सामने आ गयी जिसके कारण कि वैलफेअर स्टेट को किसी बात का नुकसान हो रहा था, आपने क्या अनुभव किया? अगर वैलफेअर स्टेट का नुकसान होता तो हमें अफसोस नहीं होता पर अफसोस तो इसलिये होता है, सभापति महोदय, जो अच्छा काम चलता था उसका सरकारीकरण करने की क्या आवश्यकता पैदा हो गयी? क्या आप हिन्दुस्तान में गुलामों की फौज पैदा करने में लगे हुए हैं। आप इस तरह से संशोधन लाकर सर्व सेवा संघ में जो लोग काम कर रहे हैं उनको बेइज्जत करना चाहते हैं। उनको आप नौकरी का प्रमाण पत्र देना चाहते हैं। आप यह संशोधन लाये हैं, इसके माध्यम से जो चार सैक्शनों में संशोधन कर रहे हैं इसमें पहला तो है सैक्शन 4 में, जिसके द्वारा आप बोर्ड के गठन में संशोधन करना चाहते हैं। दूसरा है, सैक्शन 50 में बोर्ड के विघटन के बारे में संशोधन ला रहे हैं। तीसरा आप संशोधन ला रहे हैं, सैक्शन 24 में, जो भूमि के पट्टे दिये गये थे उनको समाप्त करना चाहते हैं। और चौथा जो संशोधन आप सैक्शन 25 में लाने जा रहे हैं इसमें जो शर्तें उसकी भंग करता है उसको आप निरस्त करने जा रहे हैं। इन सैक्शन में संशोधन करने जा रहे हैं।

मैं आपसे, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पूर्व जो प्रोविजन थे उनको आप देखिये और जो अब आप नये प्रोविजन डालना चाहते हैं, उसमें अन्तर क्या है। यह पहला सैक्शन 4 जो है इसमें जो प्रोविजन ए है उसमें यह लिखा है :

(a) The Chairman and the Secretary to be nominated by Acharya Vinoba Bhave, and

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(b) Six or more but not exceeding ten members to be nominated by Acharya Vinoba Bhave.

Provided that if Acharya Vinoba Bhave is unable to nominate the Chairman and the Secretary and a Member, the nomination shall be made by Akhil Bhartiya Serva Sewa Sangh."

विनोवा भावे किसी कारण से इस वोर्ड को नामिनेट नहीं कर सकें, ऐसी स्थिति में यह अधिकार दिया गया था कि अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ बोर्ड का गठन करे। लेकिन हम संशोधन लाकर जो कुछ करने जा रहे हैं उसमें आपने पहले दिया है, (i) in clause (a), for the words "Shri Acharya Vinoba Bhave" the words 'The State Government' shall be substituted."

इसी तरह से अब दूसरे में भी यह करने जा रहे हैं, जहां विनोबा भावे का नाम लिखा गया, उनकी जगह राज्य सरकार को बोर्ड बनाने का अधिकार देना चाहते हैं। विनोवा भावे ने यह व्यवस्था पहले से ही कर रखी थी, उनको पता था कि इस स्थिति में आगे क्या रूप बनने वाला है। आप इस अधिकार को उनसे लेने जा रहे हैं और राज्य सरकार की एजेंसी बनाना चाहते हैं। जिस ढंग से कुछ अपने देश का चरित्र बन गया है, राज्य सरकार जिस काम में हाथ डालती है उसमें भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट करने के अलावा कोई काम नहीं होता। अगर राज्य सरकार इस काम में दखलंदाजी करती, आप कल्पना कीजिए कि कोई आदमी 10 हजार एकड़ जमीन भूदान यज्ञ में नहीं देता। लाखों एकड़ जमीन इस कारण से दी है कि शायद हमारी जमीन का कोई सदुपयोग होगा। इसमें संशोधन लाकर राज्य सरकार के आधार पर बोर्ड का गठन करने जा रहे हैं। इसी तरह बोर्ड के विघटन की अवधि थी, 1976 में में उसका नामिनेशन हुआ था और चार साल की अवधि, 21 जून, 1980 समाप्त हो जाती है। तब से लेकर आज की तारीख तक बोर्ड का गठन नहीं हुआ, वही बोर्ड बना है। आपने भी माना है, आप भी क्लाज 6 में यही करने जा रहे हैं, आज तक उसने जो काम किया है उसको वेलिड मान रहे हैं। आज तक बोर्ड का गठन नहीं हुआ। बोर्ड का गठन न होने से यह स्थिति पैदा हो गई जिसके कारण आपने बोर्ड के गठन को समाप्त कर दिया, बोर्ड का गठन करने वाली एजेंसी को चेंज कर दिया। जो कुछ पट्टों की पहले शर्तें थीं वह साफ सुथरी और स्पष्ट थीं। हमें खुद पता नहीं है कि किस ईर्ष्या या द्वेष से आप अच्छी चीज को समाप्त कर रहे हैं। जो पट्टे थे वह बहुत स्पष्ट थे, उपबन्धों के अध्यधीन, भूमि का धारक राज्य सरकार से सीधा धारक समझा जायेगा; धारक की मृत्यु होने पर, उसके अधिकार उसके वारिस को संक्रात होगा, धारक भूमि में किसी हित का अन्तरण नहीं करेगा, धारक, बोर्ड की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पूर्व मंजूरी के बिना भूमि को उप-पट्टे पर नहीं देगा, धारक, भूमि को दो वर्ष से अधिक कालावधि के लिए पड़त नहीं रहने देगा; इस सारे प्रोविजंस के आधार पर जिनको पट्टे दिये अगर उनका पालन नहीं हुआ, उनकी जो शर्तें थीं, वह हम समाप्त कर सकते थे। लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर अब कौन से कारण बन गये जिनके कारण यह काम करने जा रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह आपने पुराना पढ़ा है, सैक्शन 24 में प्रोविजन मैंने डिलीट कराया है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह तो ओरिजिनल है, यही पढ़ा है। हम सैक्शन 24 में परिवर्तन करना चाहते हैं....

श्री हीरालाल देवपुरा : सैक्शन 24 में एक क्लाज जोड़ा है उसके आधार पर इन लोगों को बैंक से ऋण देने का प्रावधान किया है। अब तक इस एक्ट में जमीन को प्लेज नहीं कर सकते थे, लोन नहीं ले सकते थे। इसका प्रावधान किया है, आप उसको पढ़ रहे हो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप कहने दो।

श्री सभापति : मंत्रीजी ने जो बात रखी है, उस पर तो विचार कर लीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सैक्शन 24 में परिवर्तन करना चाहते हैं। मूल अधिनियम की धारा 24 को उसकी उप धारा (1) किया जायेगा। इसमें लिखा है कि सहकारी समिति, अनुसूचित बैंक या किसी और ग्रामीण बैंक जरूरत के लिए जमीन बन्धन रख सकेगा। यह संशोधन इसमें लाना चाह रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : उस जमीन के आधार पर उनको वहां से ऋण मिल सके, यह मैं प्रावधान कर रहा हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मेरे समझने में कमी रह गई है। मेरा अभिप्राय यह था कि इस पट्टे को या जमीन को निकालकर....

श्री हीरालाल देवपुरा : यह बिल्कुल नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अगर यह बात है तो मेरे समझने में कमी रह गई है।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इस स्थिति में मुझे जो कारण लगता....

श्री सभापति : काफी बोल लिये हैं आप। अब समाप्त कीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि छतरगढ़ में 86,000 हैक्टेयर जमीन भूदान यज्ञ के द्वारा प्राप्त है उस पर सरकार की निगाह है।

श्री हीरालाल देवपुरा : इसमें यह कहां है, कौन-सा प्रोविजन है ? आप मेहरबानी करके पढ़ें, अगर एक्ट में प्रोविजन किया हो उस जमीन का तो मुझे बतायें। आप यह शंका मन से निकाल दें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप डायरेक्ट नहीं लेने जा रहे हैं। इनडायरेक्ट सरकारी एजेंसी बैठा करके अपने लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए, इस जमीन को हड़प करने के लिए, केवल आपकी निगाह वहां लगी हुई है।

श्री हीरालाल देवपुरा : Section 27 is already there in the Act. आज भी प्रोविजन है, मैंने सैक्शन 27 में कोई संशोधन नहीं किया है।

एक माननीय सदस्य : सरकार की नीयत खराब है।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जो भी सम्पत्ति आपके पास है, उसका गरीब के लिए उपयोग करना चाहते हैं, जरूरतमंद आदमी को वह देना चाहते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी प्रॉपर्टी एक ही स्थान पर एकत्र होने के कारण और राजस्थान कैनाल का पानी छत्तरगढ़ में पहुँचने से आपकी निगाहें उस पर जमी हैं। आप अपने × × × लोगों को बैठाकर चाहते हैं कि किस तरह से उसका उपयोग किया जाय, किस तरह से सरकारीकरण के माध्यम के आधार पर इसको बेचकर पैसा प्राप्त किया जाय। राजस्थान कैनाल के बाकी क्षेत्र में इस प्रकार की भूमि बेच कर राज्य सरकार पैसा कमाने की इच्छा से चल रही है। जागीरदार ने जिस जमीन को समर्पित किया था भूदान आन्दोलन में, उसको किस तरह से लेकर उसको समाप्त किया जाय, उसका लाभ उठाया जाय....

श्री हीरालाल देवपुरा : यह नहीं है। इसमें ऐसा कोई संशोधन नहीं है। हम जो संशोधन कर रहे हैं उसमें जमीन वापस लेने का प्रोविजन नहीं किया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : आप वापस नहीं लेना चाहते, अपने × × × को बैठाना चाहते हो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वास्तव में भारत सर्व सेवा संघ के लोगों का बोर्ड रहता, लोगों के हाथ में बोर्ड को नामिनेट करने का अधिकार रहता तो हमें शंका नहीं रहती। भूदान यज्ञ के द्वारा प्राप्त की गई किसी भी भूमि के वितरण पर राजस्थान के किसी भी व्यक्ति ने कभी अंगुली नहीं उठाई। लेकिन उनसे छीनकर राज्य सरकार बोर्ड नामिनेट करे और वह ही सारी सम्पत्ति का बंटवारा करे, इसका मेन पर्पज यह है, इस कारण ही आप लेना चाहते हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि कम

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(124)

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से कम जो थोड़े लोग बचे हैं, जो सर्व सेवा संघ के माध्यम से कुछ करना चाहते हैं उनको ब्लैक मेल करने की, लांछित करने की कोशिश नहीं करें। उनके अच्छे काम का बीच में रास्ता रोककर बाकी लोगों के मन में यह कल्पना मत पैदा करें कि इस प्रकार का संशोधन करने के बाद सरकार उसकी मालिक बनकर, उसका राजनीतिकरण करके उसका दुरुपयोग करेगी। इस कारण से आप यह लाये हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि सदन में इस पर गम्भीरता से सोचकर राज्य सरकार के हाथ में पावर नहीं दें और राज्य सरकार इसको जनमत जानने हेतु परिचालित करे।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, आपका नाम कहां है?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह जो संशोधन आप लाये है....

श्री हीरालाल देवपुरा : इसमें नाम तो नही है। प्रस्ताव में तो आपका नाम नही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : You are not to challange it. सभापति महोदय ने मुझे अधिकार दिया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं सभापति महोदय से ही निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : आपका नाम तो नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा : इस संशोधन प्रस्ताव पर तो वही सदस्य बोलेंगे जिनका इस प्रस्ताव के ऊपर नाम है। कायदा तो यही है, माननीय सभापति महोदय। सारा हाउस तो बोलेगा नहीं इस पर।

श्री भंवरलाल शर्मा : सारा हाउस तो है ही नहीं, बोलेगा कहां से?

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, यह स्पष्ट है कि कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव दिया है...

श्री भंवरलाल शर्मा : एक्सेप्ट कर रहे हैं वह तो पोजीशन।

श्री हीरालाल देवपुरा : उसमें श्री हरीश शर्मा, डाक्टर उजला अरोड़ा, गुलाब चन्द कटारिया, दाऊदयाल जोशी, बालचन्द आर्यवीर, बंशीलाल पटवा, अनंग कुमार जैन, हीरालाल आर्य, गोपाल पचेरवाल और यदुनाथ सिंह का नाम है। यह भवरलाल शर्मा का प्रस्ताव नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि जिन्होंने प्रस्ताव मूव किया है वही बोलने के अधिकारी हैं और उन्हीं को बोलने दीजिए।

श्री सभापति : इस वक्त नहीं बोलकर आप बाद में बोल लें। इतने नाम दे रखे हैं पार्टी की तरफ से।

श्री हीरालाल देवपुरा : इसमें पार्टी का प्रश्न नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बोलने के लिए नाम पुकारा गया है। सभापति महोदय, यह हाउस की परम्परा रही है....

श्री हीरालाल देवपुरा : जब यह संशोधन विधेयक पारित कराने का प्रस्ताव आये उस समय भंवरलाल जी शर्मा को बोलने का अधिकार है। मैं कब कहता हूं नहीं होगा। लेकिन जनमत जानने का जो संशोधन प्रस्ताव है इस पर बोलने के संबंध में मैं आपत्ति कर रहा हूं। जब मैं कहूंगा कि इस बिल को पारित किया जाये उस समय सदन के कोई भी माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार है। बोलेंगे आप, मैं कब ना करता हूं लेकिन अभी यह संशोधन प्रस्ताव है इसके जो प्रस्तावक हैं वही प्रस्ताव मूव कर सकते हैं। आप प्रस्तावक नहीं हैं। मेरा कहना यही है कि अभी तो संशोधन प्रस्ताव मूव किया जा रहा है, जनमत जानने के लिए यह संशोधन प्रस्ताव किया है, जनमत जानने के लिए इसे परिचालित किया जाये। उस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि आपको बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आप बोल सकते हैं जब मैं विचारार्थ लेने का प्रस्ताव करूं उस समय बोल सकते हैं। मैं उसको पारित कराने का प्रस्ताव करूं उस समय आप बोल सकते हैं।

श्री सभापति : कृपया विराजिये। मैं आपको अवसर बाद में दे दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा :I have already started मैं बोल चुका हूं एक सेन्टेन्स। फिर क्या होगा, आप बीच में क्यों आते हैं I have already started बाद में अवसर देंगे इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है ?

श्री सभापति : चलिये, जल्दी से अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मंत्री, संसदीय कार्य) : सभापति महोदय, यह गलत परम्परा डल रही है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह परम्परा होगी, यों तो आसन को अधिकार है कोई भी निर्णय ले सकता है लेकिन परम्परा गलत हो जायेगी। माननीय सदस्यों को बोलने का अधिकार है वह जिस स्टेज पर आयेगा हम उसमें कभी आपत्ति नहीं करेंगे। माननीय सदस्यों को अधिकार है। अधिकार से बोलें। आपने कोई प्रस्ताव मूव नहीं किया। आप प्रस्तावक किस के बन रहे हैं ? अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उन्होंने अपना संशोधन प्रस्ताव दिया है कि इसे जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय। इस को आप वोट करा लेंगे। जो प्रस्तावक हैं वह केवल प्रस्ताव मूव करें, सभापति महोदय, और उस के साथ वह अपनी बात कहें कि क्यों इसे जनमत जानने के लिए भेजना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री भंवरलाल शर्मा —

श्री भंवरलाल शर्मा : हवामहल से।

श्री हीरालाल देवपुरा : का जनमत जानने के लिए परिचालित करने का कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं है इसलिए किस आधार पर बोलना चाहेंगे आप ?

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी का जो आब्जेक्शन है वह सही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप निर्णय करें उससे पहले मैं अपनी बात कह देता हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह तो वेलिड पाइन्ट है। मैं समझता हूं कि इसमें कहीं किसी की आपत्ति का प्रश्न नहीं है। यह परम्परा इस सदन की परम्परा नहीं है। बल्कि रूल्स में भी प्रोविजन है क्योंकि यह प्रस्ताव रखा जा रहा है ..

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी आप बोलने देंगे या नहीं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आप बोलिये ना। समय आयेगा तब बोलें।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने बहुत सारी बातें कह दीं हमें भी कह लेने दीजिए।

माननीय सभापति महोदय, इस सदन की यह परम्परा रही है कि जब भी हम यहां संशोधन देते हैं या बोलने वालों के नाम देते हैं तो दल की ओर से अगर 50 नाम हैं या 20 नाम हैं या 10 नाम हैं तो हम आपको सूचित करते हैं कि चाहे नाम कितने भी अधिक हों हमारे सदस्यों में से केवल हमारी तरफ से 4 व्यक्ति ही बोलेंगे। कटमोशन के ऊपर करते हैं। सब के ऊपर करते हैं....

श्री हीरालाल देवपुरा : cut motion is all right यह तो गलत तरीका है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो कोई तरीका नहीं है। आप इतने सीनियर मैम्बर हैं तो आप ही बोलते रहिये ना अकेले ही। फिर हमको क्यों बोलने देते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप बोलिये ना।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो आप कहां बोलने दे रहे हैं। हम आपसे इस प्रकार के बर्ताव की आशा नहीं करते। आप इतने सीजन्ड हैं....

श्री हीरालाल देवपुरा : आप गलत बात कहेंगे यह मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं यह निवेदन कर रहा हूं....

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं बिल्कुल गलत नहीं कहूंगा और सही कहूंगा। सुनें तो सही आप।

श्री हीरालाल देवपुरा : सुन लिया।

श्री भंवरलाल शर्मा : सही कह रहा हूं वह आप सुनें, गलत नहीं कहूंगा। आपका असेसमेंट बिल्कुल सही है मैं गलत नहीं कहूंगा। इसलिए, सभापति महोदय, आपसे यह निवेदन है कि....

श्री सभापति : आप किस आधार पर बोल रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने कहा बोलने के लिए। इससे बड़ा अधिकार किसी को नहीं हो सकता हाउस में।

श्री सभापति : तो आप समाप्त कीजिए अपनी बात को। आपको अधिकार नहीं है। लेकिन आप अपनी बात कहें।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने अधिकार दे दिया तो मिल गया। माननीय सभापति महोदय, मेरे बोलने पर आपत्ति क्यों हो रही है यह मैं जानता हूं क्योंकि इस एक्ट के बारे में जो भी माननीय गुलाब चन्दजी ने कहा उससे कुछ तीखी बातें मैं कहूंगा आपको। वह यह है कि यह बिल, यह एक्ट आप लाये थे, 1954 में पहली बार यह आया और उसके तहत आपने यह व्यवस्था की स्वर्गीय आचार्य विनोबा भावे प्रातः स्मरणीय इस बोर्ड का गठन करेंगे। अगर वह नहीं करें तो अखिल भारत सर्व सेवा संघ बोर्ड का गठन करेगा। हिन्दुस्तान में कोई ऐसा कानून हो सकता है या हुआ है क्या, आप बता देना कि किसी एक व्यक्ति को व्यक्ति के नाम से किसी भी संस्था का गठन करने का अधिकार दिया गया है ? जब आप उत्तर दें तो मुझे समझा देना यह बात। पद को तो यह अधिकार मिल सकता है कि प्रेसीडेन्ट करेगा, चेयरमैन करेगा, चीफ मिनिस्टर करेगा, गवर्नर करेगा। यह सब तो होता है। लेकिन अमुक व्यक्ति, जो व्यक्ति कभी भी शाश्वत हो नहीं सकता, कभी उसका अंत आयेगा ही, को किसी कानून में कभी ऐसा अधिकार दिया है, यह आप समझा देना। लेकिन यह क्यों दिया गया ? यह इसलिए दिया गया कि विनोबा भावे के लिए सारे देश में प्रतिष्ठा थी, सम्मान था। जिस काम को वे करना चाहते थे, जो जमीन राज्य अपने कानून से नहीं ले सके सब प्रकार के भय दिखाकर, आप लोगों से जमीन नहीं ले सके और आज भी जिनके पास कानून के विपरीत है वह आप नहीं ले सकेंगे उसके लिए वह व्यक्ति खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं देश में ऐसा परिवर्तन लाऊंगा, जिससे जिसके पास अधिक जमीन है वह कम होगी और जो लैण्डलैस बेचारे गरीब हैं उनको मैं जमीन दिलवाऊंगा। यह उस व्यक्ति ने घोषणा की, एक निश्चय किया, एक प्रतिज्ञा की। तो यह प्रतिज्ञा उसकी जब पूरी हो सकती थी जब उनके पीछे सारा जीवन था उनका। आप आज खड़े होकर, देवपुरा साहब, भूदान करवायेंगे तो आप एक भी बीघा जमीन तो ले आओ तो देखें....

श्री सभापति : संक्षेप में आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो, सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो स्वर्गीय विनोबा भावे का जीवन था उस जीवन में उनके आचरण के ऊपर आधारित यह कार्यक्रम चलाया गया था इसलिए उनको आपने अधिकार दिया। अगर यह अधिकार किसी और को दे देते उस वक्त भी तो उसको कोई जमीन देने वाला नहीं था। यह योजना यहीं फेल हो जाती, चल ही नहीं सकती थी। तो उनके जीवन की तपस्या का आपने लाभ उठाया इसलिए आपने उनका नाम रख दिया। यह भूल आपने वहीं कर दी। उनकी इच्छा नहीं थी कि इस बोर्ड का गठन उनके द्वारा कराया जाये। वह तो संत आदमी थे। उनकी कहीं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

इच्छा होने वाली थी, संत थे हृदय ना उपजे कामा। वह तो ऐसे आदमी थे लेकिन आप उनका उपयोग करना चाहते थे, उनके प्रति अपनी श्रद्धा दिखाना चाहते थे इसलिए दुनिया को यह कहने के लिए, केवल स्तुति करने के लिए, देखो, विनोबा जी को हमने कितना बड़ा अधिकार दे दिया है, आपने उनको अधिकार दिया। उस महापुरुष की यह कभी इच्छा नहीं थी। वह तो खुद ही यह चाहते थे कि इस धरती पर जो विषमतायें हैं जमीन के बारे में वह मैं दूर कर सकूं। उन्होंने क्या किया, सन् 56 से लेकर अब तक केवल राजस्थान में, जहां तक मुझे जानकारी है, करीब 5 लाख एकड़ जमीन मिली। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि 56 से लेकर 80 तक बांटी ही नहीं क्या ?...

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : या तो फिर मुझे दुबारा चान्स दे दीजिए...

श्री सभापति : कई स्टेजेज आयेंगी उस समय विचार कर लेंगे। समाप्त कीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो I will not speak at that occasion उस वक्त नहीं बोलूंगा, क्या फर्क पड़ रहा है।

श्री सभापति : इस समय समाप्त कीजिये। अभी काफी माननीय सदस्य बोलेंगे इसके ऊपर।

श्री भंवरलाल शर्मा : कैसे समाप्त करूं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : कैसे समाप्त करूं ? आप तो खुद ही एडवोकेट हैं।

श्री सभापति : संक्षेप में खतम कर लीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं तो खुद ही संक्षेप में बोलता हूं लेकिन बड़े अभ्यास की की बात है, संक्षिप्त नहीं कर सकता मैं।

श्री सभापति : समय की तो सीमा है ही।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन यह है कि अब इस भूदान का जो बोर्ड है इसके पास कोई ऐसी जमीन नहीं है कि जो गरीबों को आप बांटेंगे। जो जमीन है, माननीय सदस्य मुझसे पूर्व बोले, यह जमीन केवल बची है। जब आप जवाब दें तो बतायें कि सन् 60 से लेकर, यह 54 में आपने एक्ट बनाया है तब से लेकर राजस्थान में कितनी भूमि भूदान के जरिये प्राप्त की, उसका वितरण कैसे किया आपने ? आज आपके पास कितनी भूमि बची हुई है ? उसके लिए आप इतने चिन्तित हैं। यह सवाल नहीं है। अब सवाल यह है कि यह जो बोर्ड है इसमें आपके × × × लोग

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जाकर बैठ जायें क्योंकि आप उसको शायद 2 लाख अनुदान देते हैं उसको बढ़ाकर 10 लाख भी कर देंगे आप। अब कौन बैठेगा? कोई भी आदमी बैठ जायेगा क्योंकि आपने कोई क्वालिफिकेशन दी नहीं इसमें कि किस व्यक्ति को आप चेयरमैन बनायेंगे, उसकी क्या योग्यता होगी, किस आदमी को आप सैक्रेटरी बनायेंगे, उसकी क्या योग्यता होगी, किस आदमी को आप मैम्बर बनायेंगे उसकी क्या योग्यता होगी। उसकी योग्यता यही होगी कि वह चवन्नी का मैम्बर हो और सफेद टोपी कांग्रेस की लगाता हो....

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : सफेद टोपी तो बाबू जी की भी है, इसका मतलब बाबू जी भी इसमें आ गये क्या?

श्री भंवर लाल शर्मा : मैंने कांग्रेस कहा है। भाई, मैंने कांग्रेस कहा है। चवन्नी का मैम्बर कहा है, कांग्रेस कहा है।

श्री हीरालाल देवपुरा : बाबू जी भी आ सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो मेरा यह निवेदन है कि ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? जमीन तो होगी नहीं। केवल एक एजेन्सी बनी हुई है, एक संस्था बनी हुई है उस पर कब्जा करके अपने लोग बैठायेंगे। मर्जी क्या है? आप इनको पैसा देते हैं उसका कोई अकाउंट पेश होता है क्या? कोई सरकार के प्रति दायित्व नहीं इनका। अब तक तो ऐसे लोगों के हाथों में था जो विनोबा जी के द्वारा नियुक्त थे उन पर कोई सन्देह नहीं था, कोई शिकायत आज तक नहीं थी, कहीं से नहीं आई परन्तु आज जो आप करना चाहते हैं उसमें कोई क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं की कि अमुक प्रकार के व्यक्ति को बोर्ड में लेंगे। उस वक्त आप उन लोगों का नाम मेन्शन करेंगे जो आपकी पार्टी का समर्थन करेंगे। चुनाव नजदीक आ रहे हैं न इसलिये। अगर आपको चिन्ता थी, यह कब खतम हुआ, 80 में खतम हो गया था, 22 जून 80 को खतम हो गया था, 20 जून, 80 के बाद आप कई बार इस सदन के सामने आये हैं, क्यों नहीं आप इसको लाये? सभापति महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, अगर कोई सरकार इस प्रकार की लापरवाही करके अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करती तो, कोई प्रक्रिया आप निर्धारित करते? आप वर्धा कमेटी को अधिकार नहीं देना चाहते क्योंकि उन्होंने चार साल तो नामिनेशन नहीं किया इसलिये वे अयोग्य हो गये। तो श्रीमान्, चार साल तक आपने नहीं किया तो आप कौन से अयोग्य हो गये? अगर आप इस वजह से उनके अधिकार छीनते हैं तो आपको यहां बैठने का अधिकार किस ने दिया है? आप इसका जवाब दीजिये। चार साल तक आप यह क्यों नहीं कर सके? यह आपका दायित्व है। आपके अधिकारी क्या कर रहे थे जिन्होंने चार साल तक कुछ नहीं किया? क्या आपने कभी वर्धा कमेटी को सूचित किया था कि विनोबा भावे ने नामिनेशन नहीं किया है? उसके अभाव में नामिनेशन करना है।

130

(श्री भंवरलाल शर्मा)

उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया हो, तो आप समझायें। आप नहीं समझा सकें और चार साल की गलती के कारण आपने यह सारा अधिकार ले लिया। उन्होंने चार साल तक नामिनेशन नहीं किया, केवल इसी आधार पर उनका यह अधिकार छीनना चाहते हैं तो आपकी मंशा साफ है कि निश्चित रूप से इस संस्था का उपयोग आप अपनी पार्टी के लिये करेंगे, अपने चहेते लोगों के लिये करेंगे। इसकी कभी भी अनुमति नहीं दी जा सकती। सभापति महोदय, आप कह रहे हैं, आप इस बात को साबित करिये कि कितनी जमीन आपको मिली थी, आज आपके पास कितनी जमीन है जिसके लिये कमेटी बनाना जरूरी है। चार साल तक आपने इसको डिफंक्ट क्यों रहने दिया? आपके अधिकारी कहां गये थे, आपके मन्त्री कहाँ गये थे? उसके बाद चार साल हो गये, आप लाये क्यों नहीं? आखिर में यह तो नहीं है कि कभी भी आ गये और अपनी छः साल की गलतियों को उठाकर हाउस में रख दिया और हाथ जोड़ कर कह दें, जो हो गया सो हो गया, इसको करिये। आपको समझाना होगा। इसके लिये कौन जिम्मेदार है, कौन अधिकारी जिम्मेदार है, कौन मन्त्री जिम्मेदार है। चार साल तक आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, आज क्यों लाये? फिर आप इसमें कह रहे हैं कि इसको हमने अधिकृत नहीं किया था, खतम तो हो गया 80 में, 80 के बाद जो बोर्ड रहा है वह अनधिकृत था। आपने कहा, कोई ऐसे काम किये हों, कोई आर्डर पास किया हो, कोई ट्रांसफर किया हो, कोई भूमि ली हो, दी हो, वे सब नियमित कर दिये जायें, ऐसा नहीं है। पहले आप यह समझाइये, कौन से कामों को नियमित कराना चाहते हैं, हाउस को यह समझाइये कौन से काम को नियमित करना है। बोर्ड ने कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया जो निश्चित रूप से हमारी आंखों में आपत्तिजनक हो और आप हम से स्वीकृति ले लें। किन कामों को नियमित कराना चाहते हैं, उनकी एक सूची दीजिये, उनकी जानकारी दीजिये, किस प्रकार के कामों को नियमित कराना चाहते हैं। अपने पापों को, अपने कर्मों को छिपाना चाहते हैं, यहां से स्वीकृत कराना चाहते हैं, चार साल का पट्टा दिलाना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा तो यही कहना है, वैसे अगर मुझ से पूछा जाये, तो बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चलाने वाले लोग ही नहीं है उस प्रकार के और जिस प्रकार के लोग हैं, आगे आयेंगे नहीं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये इसमें यह संशोधन लाते, अब भूदान बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। अगर है भी तो हमारे पास ऐसे आदमी नहीं हैं इसलिये खतम कर दिया जाये, यह कह सकते थे।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप तो चाहते यही हैं, भूदान यज्ञ बोर्ड को बीदड़ा कर लें, आपकी मन्शा तो यही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैरी मन्शा क्या है, मैं तो आपकी मन्शा बता रहा हूं....

श्री हीरालाल देवपुरा : आपकी मन्शा साफ है। कोई काम नहीं रहा इसलिये खतम ही कर दो।

श्री भंवरलाल शर्मा : बिल्कुल। अगर कोई काम नहीं रहा तो बिल्कुल वेलिड बात है।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपकी भावना सामने आ गई।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर कोई काम नहीं है तो आप क्या करना चाहते हैं? आप क्यों अधिकार लेना चाहते हैं? अगर आपकी नीयत साफ है तो कमेटी के पास अधिकार रहने दीजिये। वर्षा कमेटी से आपको क्या आपत्ति हो रही है जो यह समझते हैं, कौन आदमी इस काम को कर सकता है, उनके पास लोग अवेलेबल हैं। आप अधिकार क्यों लेना चाहते हैं उनसे? अगर आप की नीयत में ईमानदारी है तो, आप दीजिये जवाब इस बात का।

श्री सभापति : श्री दाऊ दयाल जोशी।

श्री बाल चन्द आर्यवीर।

श्री बंसीलाल पटवा।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, अभी तो कह रहे थे हमारी पार्टी से कोई नहीं बोल रहे हैं। अपनी जुबान पर तो पाबन्दी रखो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने नाम लिया था कि दाऊ जी नहीं बोलेंगे, हरिश जी नहीं बोलेंगे, बालचन्द आर्यवीर नहीं बोलेंगे....

श्री हीरालाल देवपुरा : नियमों का सवाल है। आपने यह कहा था, नियमों की बात है, भंवरलाल जी को इस स्टेज पर नहीं बोलना चाहिये था। महावीर प्रसाद जी, आपने कहा था हमारी तरफ से कोई नहीं बोल रहा है....

(व्यवधान)

बिल्कुल यह तो रिकार्ड पर है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप प्रोसीडिंग्स देख लीजिये।

एक माननीय सदस्य : आपको जल्दी क्या है?

श्री हीरालाल देवपुरा : मुझे कोई जल्दी नहीं है।

श्री सभापति : कृपया विराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने यह कभी नहीं कहा। प्रोसीडिंग्स देख लीजिये।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है, माननीय देवपुरा साहब ने जो यह कहा, उनको बोलने का अधिकार नहीं था, मैं बड़े अदब के साथ कहता हूं, प्रस्ताव हुआ, प्रस्तावक महोदय बोले। प्रस्तावक महोदय के अलावा कोई और सदस्य भी बोल सकते हैं। अगर

(श्री राजबहादुर)

मैं चाहूं तो मैं भी बोल सकता हूं। प्रस्ताव आया है। प्रस्तावक के हिसाब से नहीं बोले हैं। भवरलाल जी के बारे में कहा था। प्रस्ताव के समर्थन में बोलें या विरोध में, उसमें क्या आपत्ति हो सकती है, रूल्स के खिलाफ नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह ज्यादा कानून जानते हैं।

श्री सभापति : कृपया विराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं निवेदन यह कर रहा था कि समय के अभाव की वजह से....

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : लेकिन हम तो बोलेंगे, साहब।

श्री सभापति : तो आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री बंसीलाल पटवा : दो मिनट में कैसे बोलें।

श्री सभापति : समय सीमा तो निर्धारित हो सकती है।

श्री बंसीलाल पटवा : हम तो संक्षेप में ही कहना चाहते हैं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1984 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने कुछ बातें इस बिल के बारे में कीं। मेरा तो इस बारे में सीधा निवेदन यह है, जिस तरह से पहले सर्व सेवा संघ और आचार्य विनोबा भावे को यह अधिकार था कि वे बोर्ड का गठन करें और बोर्ड के मैम्बरों का नामिनेशन करें। अब बोर्ड के गठन का अधिकार सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है। पिछले 33 साल का हमारा कड़वा अनुभव है, गांधी जी ने जो कल्पनायें की थीं और विनोबा जी महापुरुष ने जैसी कल्पना की थी कि हमारा यह गांवों का देश है, किस तरह से हम इसका विकास कर सकते हैं, किस तरह से गरीबी की रेखा से नीचे जो व्यक्ति हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, भूदान में जमीन लेकर उस जमीन को हम निर्धन लोगों को किस तरह दे सकते हैं, उसके पीछे यह मन्शा बहुत साफ और सुन्दर थी, रचनात्मक दृष्टिकोण था। विनोबा भावे आज इस धरती पर नहीं हैं, उनका स्वर्गवास हो चुका है, इस दृष्टि से अब यह बिल लाया गया है और सरकार बोर्ड का गठन करना चाहती है। मेरा निवेदन यह है, मन्त्री महोदय से मैं यह पूछूं, सरकारी मशीनरी के बारे में उनका क्या अनुभव है? बड़ा कटु अनुभव है, जो हमारे लोकल फण्ड में इकाइयां हैं उन संस्थाओं को हम ठीक नहीं कर पाते। आज स्थिति यह है सरकारी मशीनरी की जलालत की नीति का उनको शिकार होना पड़ता है। अब बोर्ड का गठन नामिनेशन

(श्री बंसीलाल पटवा)

करेंगे, उसमें यह होना किसी एक्स व्यक्ति के नाम को सजेस्ट करेंगे तो नहीं करेंगे। "वाई" के लिये करेंगे तो नामिनेट करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे। इस तरह राजनैतिक दबाव पैदा किया जा रहा है। जो काम करने की फ्रीडम थी, इस बिल से वह फ्रीडम बिल्कुल ही समाप्त हो जायेगी क्योंकि सरकारी मशीनरी के अन्तर्गत नामिनेशन किया जायेगा। मैं सोचता हूं विनोवा जी की जो मन्शा थी, जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था और जिस ढंग से वे काम करना चाहते थे, हो सकता है, जो कुछ सामाजिक कुरीतियां थी, यह मान लो कि उन लोगों के सामने कुछ कठिनाइयां थीं इसलिये उसमें सफल नहीं हो सके वरना दृष्टिकोण, भावना और उद्देश्य विल्कुल ठीक था। इस विल के जरिये जो संशोधन किया गया है, मैं समझता हूं यह विल्कुल मीसा की तरह है, मीसा में जैसे लोगों को बन्द किया गया, इसी प्रकार मर्जी के मुताविक नामिनेशन किया जायेगा,

(4.00 म. प.)

उनका कोई स्तर नहीं होगा। इसमें कोई मेन्शन नहीं किया गया है कि किस स्तर के आदमी होंगे, किस तरह के आदमी होंगे। राजनैतिक आदमी इसमें लाये जायेंगे। मैं सोचता हूं, प्रतिभाशाली लोग होंगे या नहीं होंगे। जो इनकी मर्जी के आदमी होंगे वे ही लाये जायेंगे क्योंकि उन पर इनका अंकुश रहेगा। अतः मेरा निवेदन है कि यह जो बिल लाया गया है मेरी तो मोटे तौर पर यह आपत्ति है।

इसके साथ-साथ अब और तो धरती बची है नहीं, बन्दर बाट हो चुका है, देश में धरती है ही नहीं, राजस्व विभाग के पास भी धरती नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता है कि गरीबों को कौन ही जमीन आप देना चाहते हैं। सीलिंग के अन्दर जो लैण्ड था उसका आज तक कब्जा नहीं दिया गया। जो चमार है और हरिजन है, मैं आपको बताऊं, उनको जमीन नहीं मिलेगी। केवल सरकार की निगाह छत्तरगढ़ में 86 हजार हैक्टेअर भूमि पर है। जो आज राजस्थान केनाल है, वहां आई है। हमारा तो आरोप है कि उस जमीन का आने वाले चुनावों में किस प्रकार उपयोग कर सकें और राजनैतिक दबाव पर नोमिनेट करके, लोगों को बोर्ड में नियुक्त करके इस धरती का किस तरह बन्दर बाट किया जा सके। इसके पीछे मंशा यह है। यदि यह 86 हजार हैक्टेअर जमीन नहीं होती तो मेरे ख्याल से यह बिल भी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरा निवेदन है यह जो बिल लाया गया है, इसमें नोमिनेट करने का जो अधिकार दिया है वह सर्व सेवा संघ, वर्धा को मिलना चाहिये। नोमिनेट करने का जो अधिकार है वह बिलकुल सरकार को नहीं होना चाहिये। सरकार अगर इस प्रकार नोमिनेट करेगी तो मैं सोचता हूं एक जलालत की नीति होगी। आज देवपुरा जी हैं, कल देवपुरा जी बदल सकते हैं, सवाल यह है कि हम ऐसी नीतियां तय करें, ऐसा कानून बनायें जिसका भविष्य में दुरुपयोग नहीं हो, कोई भी व्यक्ति आये और कोई भी सरकार आये उस कानून का मिसयूज नहीं कर सके और विनोवा भावे ने जिस

134

(श्री बंसीलाल पटवा)

उद्देश्य से यह किया था, उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। इस तरह का बिल बनाना चाहिये था किन्तु ऐसा न करके जो चेष्टा की गई है उससे मैं इस बिल का विरोध करता हूं। मेरा निवेदन है, इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय और जल्दी बाजी में पास न किया जाय। मंत्री महोदय से हमारा यही निवेदन है।

श्री सभापति : श्री अंनगकुमार जैन।

(अनुपस्थित)

श्री हीरालाल।

श्री गुलाबचंन्द कटारिया : सभापति महोदय, कोरम है ही नहीं।

(विराम)

श्री सभापति : आपके आने से हो गया, अध्यक्ष को शुमार करते हुए। प्रारम्भ करिये।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1984 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

सभापति महोदय, देश में कुछ महान लोग पैदा होते है जो सार्वजनिक हित में गरीबों के लिये काम करते है। महान पुरुषों की इस शृंखला में विनोवा भावे का नाम एक है। विनोवा भावे ने हृदय परिवर्तन का वह आन्दोलन चलाया था जिसको भू-दान यज्ञ के नाम से जाना गया, जिन लोगों के पास अधिक जमीन है, उन लोगों से....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कोरम की घंटी बजाइये, साहब, अब तो।

(गणपूरक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

ये राजस्थान के साढ़े तीन करोड़ लोग देख रहे होंगे कि हमारे प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। इतना बड़ा बिल पास करवा रहे हैं, फिर भी कोरम नहीं है। जैसे वे हवा में उड़ गये हों।

श्री सभापति : प्रारम्भ करिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (राज्य मंत्री, पर्यटन) : रेश्यो में तो हम ज्यादा बैठे हैं।

श्री हीरालाल आर्य : जीवन में ऐसे महापुरुषों का उद्देश्य सार्वजनिक रूप में काम करने का होता है। इस शृंखला में विनोवा भावे का नाम भी है उन्होंने हृदय परिवर्तन करके जिन लोगों के पास अधिक जमीन थी उनसे स्वेच्छा से, बन्धुत्व और समानता के आधार पर उस जमीन का त्याग कराया और वह छोटे लोगों के नाम पर उसका आवंटन करने की दृष्टि से इस भू-दान यज्ञ को लाये थे। भू-दान यज्ञ में जो जमीन प्राप्त हुई उस जमीन को किस तरह से गरीबों में वितरित किया जाय

(श्री हीरालाल आर्य)

इसके लिये बोर्ड का गठन किया गया। उस बोर्ड के गठन में अध्यक्ष, सचिव और कुछ सदस्य होते थे उन के नामिनेशन का अधिकार विनोवा भावे के पास था। उनके अभाव में यह अधिकार अखिल भारत सर्व सेवा संघ, वर्धा को दिया गया। अब विनोवा भावे इस देश में नहीं रहे. यह दुःख की बात है। पहले से ही अधिनियम में प्रावधान है कि उनके बाद किसके पास अधिकार रहेगा। सर्व सेवा संघ को इस तरह का अधिकार दिया हुआ है। सर्व सेवा संघ में ऐसे लोग हैं जिन्होंने विनोवा जी के साथ रह कर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपनी जिन्दगी खपाई है। आखिर अच्छे लोगों के पास अधिकार होते हुए उनसे छीन कर सरकार अपने पास लेना चाहती है, इससे सरकार की स्पष्ट मंशा झलकती है कि सरकार अपने तौर तरीके से इस बोर्ड में व्यक्तियों को नोमिनेट करेगी। सरकार राजनैतिक फायदा उठाने के लिये उन व्यक्तियों के माध्यम से जो प्राप्त जमीन है, उसका वितरण करेगी, जो जमीन प्राप्त थी वह दे दी जायगी किन्तु जमीन भू दान यज्ञ बोर्ड के पास अभी है नहीं, कोई जमीन नहीं है। अभी जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि छत्तरगढ़ में जो जमीन 86 हजार हेक्टेयर है, उस पर सरकार की निगाह है। उसको हड़पने की दृष्टि से सरकार की नीयत खराब है, उसका दिग्दर्शन इस सरकार को अधिकार देने से स्पष्ट रूप से होता है।

सभापति महोदय, एक अजीब बात है, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिये जिन लोगों ने काम किया, उनके पास से अधिकार छीन कर सरकार अपने पास लेना चाहती है। इससे सरकार की नीति स्पष्ट है। आखिर विनोवा भावे, जिन्होंने इस देश में इतना बड़ा काम किया, दुर्भाग्य से हमारे बीच में नहीं रहे हैं। लेकिन वे आज हमारे बीच में क्यों नहीं हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। मैं आपके माध्यम से इस सदन, राजस्थान की जनता और देश की जनता के सामने यह प्रकट करना चाहता हूं कि विनोवा भावे हमारे बीच में क्यों नहीं है। पिछले दिनों देश में एशियाड खेल हुए थे, एशियाड के खिलाड़ियों को भोजन के वक्त गो मांस परोसा गया था। विनोवा भावे इस बात से बड़े नाराज थे क्यों कि हमारे देश की परम्परा में यह नहीं है कि हम खिलाड़ियों को गो मांस परोसें। उन्होंने अपना सन्देश प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा के पास भेजा कि यह देश की परम्परा के खिलाफ बात रहेगी, ऐसा मत करें जिससे देश की परम्परा टूटे। लेकिन प्रधान मंत्री ने उस सन्त की इच्छा को ठुकरा दिया। इसके फलस्वरूप नाराज होकर विनोवा भावे ने यह तय किया कि यदि इस तरह की बात मेरी चलती नहीं है तो मैं इस देश में अन्न-जल ग्रहण नहीं करूंगा। यही कारण था, सभापति महोदय, विनोवा भावे ने अपने अन्तिम क्षणों में अन्न और जल ग्रहण करना बन्द कर दिया था, जिसके फलस्वरूप उन को अपना शरीर त्यागना पड़ा। क्या यह एक सरकार के लिये कलंक की बात नहीं है? इतने बड़े सन्त, जिन्होंने गरीबों के लिये इतना बड़ा काम किया और उनकी सेवा में अपना सारा जीवन खपाया, की इच्छा नहीं मानने के फलस्वरूप अपना

(श्री हीरालाल आर्य)

शरीर त्यागें। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसमें पहले से ही प्रावधान है उसके पश्चात् यह और रखा जाय वरना सरकार इसमें कोई मनमानी करेगी। अतः इस बिल को पास करने से पहले इसे जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री गोपाल पचेरवाल।

(अनुपस्थित)

श्री यदुनाथ सिंह।

(अनुपस्थित)

प्रभारी मन्त्री जी।

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मन्त्री) : सभापति महोदय, राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1984 को माननीय सदस्यों ने जनमत जानने के लिए परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उस पर अपने विचार व्यक्त किये। जिन माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये, उसमें जनमत जानने वाली बात तो शायद क दो सदस्यों ने बतायी बाकी जिस तरह पारित करने के समय बहस होती है उसी प्रकार से अपने सारे विचार रखे, इस बिल की सब धाराओं पर विचार व्यक्त किये। सभापति महोदय, इस बिल को सदन में प्रस्तुत करने की मंशा बिल्कुल साफ है। बोर्ड का गठन ओरिजिनल एक्ट में आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था। ऐसी स्थिति में कि वे उसका गठन नहीं कर सकें, उनका वर्धा में जो अखिल भारत सर्व सेवा संघ बना हुआ था उस को अधिकार दिया गया था। सन् 1975 में इस बोर्ड का गठन किया गया। 21 जून सन् 1980 को इस बोर्ड की मियाद समाप्त हुई। आचार्य विनोबा भावे ऐसी स्थिति में नहीं थे, उन दिनों वे बीमार थे इसलिये इस बोर्ड का गठन नहीं कर सके। उनके सामने इस बोर्ड के गठन के लिए तत्कालीन राजस्व मन्त्री जी और उस बोर्ड के अध्यक्ष भी गये किन्तु उस बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। उस वक्त जो अखिल भारत सर्व सेवा संघ बना हुआ था उसने भी इस बोर्ड का गठन नहीं किया। तत्पश्चात् दुर्भाग्य से आचार्य विनोबा भावे हमारे बीच से चल बसे। हमने कोशिश की कि इस बोर्ड का गठन हो जाय लेकिन बोर्ड का समय काफी निकल चुका था। राजस्थान में भूदान में जो जमीन मिली थी इसमें से लोगों को बांटी गई, जो और जमीन बाकी है, जो जमीन देनी थी उसका सारा एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रकार से इस बोर्ड में निहित रहता है, वही उसकी देखभाल करता है। भूदान यज्ञ एक्ट के अन्तर्गत सारा कामकाज उसका चल रहा है लेकिन बोर्ड का गठन होना जरूरी था। एक्ट के अन्दर बोर्ड जो चल रहा था उसको कोई विधिवत् मान्यता नहीं कही जा सकती। इस स्थिति में सरकार के लिए यह जरूरी हो गया कि इस बोर्ड का गठन इस प्रकार किया जाय। आचार्य विनोबा के स्वर्गवास के बाद भी हमारा प्रयत्न यह रहा कि इस बोर्ड का

(श्री हीरालाल देवपुरा)

गठन हो जाय लेकिन मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहूंगा कि अखिल भारत सर्व सेवा संघ की ओर से बोर्ड का गठन क्यों नहीं हो पाया है। यह उनका अपना अन्दरूनी मामला है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन स्थिति ऐसी आयी कि जो राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड है उसका गठन नहीं हो पाया तो सरकार को सोचना पड़ा कि इसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, इसके लिए कोई रास्ता निकालना होगा। उसी दृष्टि से हमने भूदान यज्ञ एक्ट के उद्देश्यों में, उसके प्रिएम्बल में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया, जो उस एक्ट के अन्तर्गत आज भी बोर्ड बनेगा वह उस एक्ट की भावना के अनुकूल, उस एक्ट के अन्तर्गत दी गई भावनाओं के अनुसार काम करेगा। इसमें आशंका करना उचित नहीं है। इसके अलावा कोई आल्टरनेटिव नहीं था कि राज्य सरकार इस बोर्ड के गठन के लिए सक्षम हो जाय। विनोबा भावे के असमर्थ रहने और उनकी एबसेंस में अखिल भारत सर्व सेवा संघ, वर्धा को बोर्ड के गठन अधिकार दिया गया था, उसके स्थान पर राज्य सरकार को हमने इसमें अधिकार दिया केवल इसलिए कि समय पर इस बोर्ड का गठन हो सके और यह बोर्ड अपने एक्ट के अन्दर दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए सही रूप में बराबर काम करता हुआ चले ताकि राजस्थान के उन लोगों, जिनको भूदान यज्ञ एक्ट के अन्तर्गत जमीनें आवंटित की गयी हैं, का काम सुचारु रूप से और रेगुलर वे में चलता रह सके। उसके अन्दर इस तरह की कोई बाधा उपस्थित न हो और वह काम अच्छी तरह से चल सके इस दृष्टि से हमने यह अधिकार लेने के लिए यह किया। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा आल्टरनेटिव नहीं था। इस बिल के द्वारा हमने यह भी प्रोविजन किया, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य शायद गलत समझ गये, उन्होंने यह समझा कि धारा 24 में जो अधिकार दिये हुए हैं. कन्डीशन्स दी दी हुई हैं उनकी पालना करते हुए....

(व्यवधान)

मान गये न। मुझे कहने दीजिए तो उसमें क्या दिक्कत है।

श्री सभापति : व्यवधान न डालें।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, उन धाराओं के साथ-साथ हमने एक चीज छोड़ी। जिनको जो जमीन भूदान यज्ञ के अन्दर दान में दे दी गयी, जिसके अधिकार सरकार के पास नहीं रहे, वह जमीन जिन लोगों को अलाट हुई उनके ऊपर टिनेन्सी एक्ट, दूसरे एक्ट लागू नहीं हो सकते। उनके सामने दिक्कत यह आ गयी कि वे अपनी जमीन बैंक के पास मोर्टगेज करके भी लोन वगैरह नहीं ले सकते, न कोई सरकार से जमीन के आधार पर मिलने वाली सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। एक तरह से केवल जमीन के मालिक तो वे बन गये लेकिन उस जमीन को डेवलप करने के लिए साधन-सुविधा प्राप्त नहीं कर सकते। वे भूदान यज्ञ में नहीं जाते सरकार के डाइरेक्ट टिनेन्ट के रूप में रहते तो

(श्री हीरालाल देवपुरा)

सुविधायें उनको मिलती रहतीं। किन्तु अब वह सुविधायें उनको नहीं मिल सकतीं। तो वह प्रावधान इस के अन्दर आया है न कि उनको सुविधा मिल सके, उस जमीन का उपयोग कर सकें, उस जमीन को रहन कर सकें, बैंकों में रख सकें, सरकार में रख सकें। जिस तरह से फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स से लैण्ड डवलपमेंट के आधार पर पैसा मिलता है उसका वह उपयोग कर सकें। यह प्रावधान हमने इसमें किया है।

दूसरी बात, हमने एक बात और की है। 21 जून, 1980 को इस बोर्ड की मियाद खतम हुई, समाप्त हुई और अब 4 वर्ष निकल गये तो इन 4 वर्षों में आखिर बोर्ड ने काम किया है, जो भी बोर्ड था उसने अपना काम किया है, अध्यक्ष थे उन्होंने अपने अधिकारों का उपयोग किया है और काम किया है। अगर वह वैलिडेट नहीं करते हैं तो इन चार वर्षों में जितनी भी जमीनें अलाट हुई हैं वह सब अवैधानिक हो जायेंगी और सबको वापस उलटना पड़ेगा क्योंकि उनकी मान्यता नहीं रहेगी, तो जिन किसानों के ऊपर असर पड़ने वाला है, वह उन सब गरीब किसानों, जिन्हें जमीन अलाट हुई हैं, पर पड़ने वाला होगा। इसलिए हमने प्रावधान किया वैलिडेशन का ताकि उनको वैलिडेट कर सकें। जहां वैलिडेशन का, उस पीरियड को वैलिडेट करने का प्रावधान किया वहां इसमें यह भी प्रावधान किया कि इस एक्ट के निकलने के बाद 60 दिन में हमको बोर्ड बनाना होगा। इसके पहले बना दिया जाय किन्तु पीरियड होगा 60 दिन का, 60 दिन हो जायेंगे तो बोर्ड खतम हो जायेगा। बोर्ड बनाना पड़ेगा, बोर्ड पहले बन जायेगा तो उस मियाद का 60 दिन का प्रश्न नहीं रहेगा, यह प्रावधान हमने किया है। यह प्रावधान लेकर, यह अमेण्डमेंट करके सदन के सामने मैं आया हूं। कहीं पर कोई भी हमारी मैलाफाइड इन्टेन्शन नहीं है, सरकार की कहीं पर भी यह इन्टेन्शन नहीं है कि सरकार इस बोर्ड पर अपना आधिपत्य करे या जमीन को अपने हाथ में ले। जैसे अपने राजस्थान में दूसरे कानून लागू होते हैं उस तरह से लगाना चाहते हैं। सरकार की कहीं पर भी यह इन्टेन्शन नहीं है कि जो जमीन पड़ी हुई हैं उन को हम कैसे लें। सभापति महोदय, इन्टेन्शन तो माननीय सदस्य के भाषण से स्पष्ट हो गयी। माननीय सदस्य तो यहां तक कह गये कि जरूरत क्या है इस एक्ट की, जरूरत क्या है इन जमीनों की, जरूरत क्या है इन सारे प्रावधानों की, जमीनें बची नहीं और कुछ करना ही नहीं, सब बांट ही चुके। यह भावना उनकी थी। विनोबा भावे की....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल देवपुरा : भावना तो यह थी, आप चाहते नहीं कि भूदान यज्ञ जैसी कोई चीज चले, आप चाहते नहीं कि ग्रामदान यज्ञ जैसी कोई चीज चले। सभापति महोदय, यह गलत नहीं है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें डिफिकल्टी महसूस भी करते हैं, मैं इसको भी स्वीकार करता हूं और माननीय सदस्य भी स्वीकार करेंगे। जब जनता पार्टी की सरकार थी तब ग्रामदान अधिनियम के अन्दर आप अमेण्डमेन्ट लेकर

(श्री हीरालाल देवपुरा)

आये थे किन्तु आप अमेण्डमेन्ट पास नहीं करा सके। वह फाइल मेरे पास आज भी मौजूद है। उसमें आपने खुद ने कहा है कि अधिकार दिया जाना चाहिए ग्रामदानी गांव के लोगों को कि अगर वह चाहें तो प्रस्ताव पास करके गांवों को वापस विथड्रा कर लें। आप तो चाहते हैं कि सब विथड्रा हो जायें, वापस निकल जायें। आचार्य विनोबा भावे की दुहाई देकर के, आप नाम लेकर के कुछ कहना चाहते हैं लेकिन मन की भावना क्या है वह तो उसके जो उद्देश्य थे उसी से स्पष्ट होता है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : व्यवधान नहीं डालें।

श्री हीरालाल देवपुरा : तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार हो यहां पर, इधर बैठने वाली कोई भी सरकार हो, सरकार को हमेशा यह सोचना होगा कि कौन सी चीज प्रेक्टिकेबल है और कौन सी चीज आज प्रेक्टिकेबल नहीं है। उस आधार पर उन कानूनों में संशोधन करके आगे का काम चलाना होगा। प्रेक्टिकल व्यू लेकर अगर हम इसको नहीं करेंगे तो सारी चीजें अस्तव्यस्त हो जायेंगी। भूदान का काम है, भूदान की नीति है, आचार्य विनोबा भावे का और महात्मा गांधी का रेफरेन्स दिया गया, उनका एक दृष्टिकोण था गांवों के अन्दर अपना स्वयं का शासन स्वयं कर सकें, स्वयं की व्यवस्था को स्वयं कर सकें। एक विचार या, एक विचारधारा थी जिसको आगे लाना चाहते थे। उसके आधार पर उन्होंने उस काम को करने की कोशिश की। उसी तरह से लोगों को इतना सक्षम बनाया जाय कि अपने काम को स्वयं लेकर उस काम को कर सकें। इसमें कहीं पर भी किसी तरह से कोई दो राय नहीं हो सकतीं और न हमने इस दृष्टि से कोई उद्देश्यों के ऊपर बात की है। केवल इसका काम को ठीक ढंग से चल सके और लोगों को पूरी सुविधा और साधन मिल सके इस दृष्टि से मैं यह अमेण्डमेन्ट लाया हूं।

छतरगढ़ की जमीन के बारे में शंका व्यक्त की गई अभी, तो भूदान यज्ञ में वह जमीन दी गई थी अभी भी उस पर विवाद चल रहा है। जमीनें सारी अलाट की जा चुकी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुल जमीन के राजस्थान के अन्दर के दान पत्र हुए हैं वह 6,05,232 बीघा जमीन के हुए हैं उसमें से 2,83,049 बीघा तो खारिज कर दी गई थी। 321483 बीघा जमीन बोर्ड में निहित हुई। उसमें से 157196 बीघा आवंटित हुई, 164284 बीघा जमीन आवंटित अभी करनी शेष है। उसमें से 114185 बीघा जमीन छतरगढ़ की जमीन है। यों दूसरी राजस्थान में 50102 बीघा जमीन अभी आवंटित करना शेष है। उसमें बहुत सी जमीन ऐसी भी हो सकती हैं कि जो खेती के काबिल नहीं हों, जो हम किसी को देने की स्थिति में नहीं हैं। क्योंकि दान में दी हुई चीज है जिन्होंने दी उन्होंने अपनी हल्की फुल्की जमीनें दे दीं, लोगों ने समझा कि दान में दे दीं। वह जमीनें वापस आ गईं। उस जमीन पर

(श्री हीरालाल देवपुरा)

किसान को बैठाने में कोई फायदा नहीं है। लेकिन इस छतरगढ़ वाली जमीन के बारे में मैं नहीं कह सकता, मुझे इसका पूरा आइडिया नहीं है कि इसमें क्या विवाद है लेकिन यह भूदान बोर्ड और भूदान के जो अध्यक्ष, राजस्थान भूदान यज्ञ के जो यहां उपाध्याय जी हैं, उनका यह कहना है कि यह जमीन उनके नाम पर अभी अंकित ही नहीं हुई, अभी विवादास्पद चल रही है। वह अलाट भी नहीं कर पाए। उस जमीन पर क्या स्थिति है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आज जो अमैण्डमेंट लाया हूं उस अमैण्डमेन्ट से उस जमीन का आज की तारीख में कोई सम्बन्ध नहीं है। केवल जिन केसेज की वजह से काम रुका हुआ है, उसके काम को पुनः चालू करना है और विधिवत् चालू करना है, उसको वैधानिक रूप देना है। अभी तक थोड़े से, बीच के पीरियड में वैधानिक रूप में बोर्ड नहीं था और उसका काम चल रहा था उसको वैधानिक रूप देना है। इसी मंशा से यह विधेयक मैंने सदन में पेश किया है। इसमें जनमत जानने के लिए परिचालित करने का कोई प्रश्न रहता नहीं, जो उसका प्रिंसिपल है वैधानिक कोई एम्स और उद्देश्य थे एक्ट के, उसके अन्दर मैंने ऐसी कोई तब्दीली पेश नहीं की है कि उन पर जनमत जाना जाय। पहले से ही काफी समय हो चुका है। चार साल से यह बोर्ड वैधानिक रूप से काम नहीं कर रहा है, अगर इसको जनमत जानने के लिए भेज दिया जाय, फिर और टाइम निकल जायगा। जब तक असैम्बली नहीं आए तब तक इसको पास नहीं करें तो यह स्थिति हो जाएगी कि और अवैधानिक काम चलता रहेगा। उन लोगों के भविष्य की बात सोचिये, उन लोगों के फेट की बात सोचिये। जो लोग आज इतने लोग हैं, जिन को यह जमीन अलाट की गई, वह करीब 14112 व्यक्ति हैं, इन लोगों का फेट क्या होगा। इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह प्रस्ताव रखा है जनमत जानने के लिए, इसे अस्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुई।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1984 को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जावे ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : आवाज तो हमारी ज्यादा थी, हम जोर से बोले थे, सभापति महोदय। कागजों में अगर ना पक्ष जीता ना पक्ष जीता, लिखा हो तो बात अलग है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन और विधि-

(श्री सभापति)

मान्यकरण) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1984 विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : पहले इसको खण्डशः पास करा दीजिए।

श्री सभापति : इसमें कोई संशोधन नहीं है।

विधेयक का पारण

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1984 को पारित किया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय का भाषण सुनने के बाद....

श्री प्रद्युम्न सिंह : फिर वही बात दोहरायेंगी।

श्री सभापति : इस भावना को माननीय सदस्य समझ गई होंगी, मैं समझता हूं, जो आपने कही।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने यहां जो भाषण दिया है और जो उसके उद्देश्य लिखित में हैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करा रही हूं। उन्होंने यहां पर जो लिखित में दिया है, उद्देश्य और कारणों का रेफरेंस दिया है....

श्री राजबहादुर : पोइन्ट आफ आर्डर। आज का दिन फाइडे का दिन है। शुक्रवार का समय गैर सरकारी होता है। मैं आपसे विनती करूंगा कि इस चर्चा को यहीं समाप्त किया जावे और गैर सरकारी सदस्य कार्य लिया जाय।

श्री सभापति : इस को पारित तो कर लें।

श्री राजबहादुर : पारित करने में ही समय निकल जाएगा।

श्री सभापति : आपने क्लोजर मूव कर दिया है क्या ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आपकी मंशा यही है कि इसको क्लोज करें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपने क्लोजर मूव कर दिया हो तो ऐसा करें।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपकी मंशा यही है।

श्री राजबहादुर : क्लोजर तो मूव नहीं किया है मगर मैं विनती करूंगा। गैर

(श्री राजबहादुर)

सरकारी बिल का नम्बर आता ही नहीं है।

श्री सभापति : बहुत संक्षेप में। अभी बहुत जल्दी समाप्त किए देते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं उद्देश्यों और कारणों के विवरण का एक पैराग्राफ सुनाना चाहूंगी। मंत्री महोदय, उद्देश्य और कारण जो बताये हैं उसमें लिखा है, "आचार्य विनोबाजी का स्वर्गवास हो गया और यह महसूस हुआ कि अखिल भारत सर्व सेवा संघ वर्धा के हाथों में बोर्ड गठित करने का अधिकार छोड़ना उचित नहीं।" मान्यवर सभापति महोदय, मैंने पहले भी यह पूछा था कि क्यों उचित नहीं है। किन्तु आपने बताया नहीं कि क्यों उचित नहीं है। आप किस आधार पर इसको अनुचित मानते हैं, इसका उत्तर दें। आगे लिखा है कि...

श्रीमती कमला : कर नहीं पा रहे थे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अब यह विनिश्चय किया गया है, "भूदान बोर्ड के अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित हो।" मैं कहना चाहती हूं कि जो जीवन भर समर्पित रहे उन पर से आपका विश्वास अचानक कैसे उठ गया? आपने उन में क्या धोखा देखा, बेइमानी देखी? आपने क्या देखा उन में? आपने यहां पर एक लाइन लिख दी कि उनके हाथों में छोड़ना उचित नहीं। ये शब्द आशंका प्रकट करते हैं किसी और बात की। आप कह रहे हैं कोई बात और लिखित में कुछ और बात है। और बात बोलते हैं वह कुछ और।

श्री यदुनाथ सिंह : कोरम नहीं है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथसिंह : कोरम नहीं है।

श्री सभापति : कोरम है।

(व्यवधान)

कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वर्तमान में जो संघ है, जो विनोबा भावेजी के द्वारा ही निर्मित संघ है वह इस सारे को देख सकता है। वह यह भी जानता है कि कौन लोग क्षमता रखते है इस कार्य को सम्भालने की लेकिन उन सब को नेग्लेक्ट करके यह विचार बना है कि सरकार इसका उत्तरदायित्व वहन करेगी। अरबन सीलिंग की जमीन आप ले नहीं सके, दूसरी जमीनों पर आपने नियंत्रण ठीक रखा नहीं, आज तक जो जमीन आपके कब्जे में हैं उसको आपने सम्भाला नहीं। अन्य जो काम आपने सरकारी क्षेत्र में किये हैं मुझे एक भी काम में आपकी सफलता दिखाई नहीं दी। फिर भी इस तरह का जो संघ है, जो सेवा का

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

काम करता आ रहा है, समर्पित संघ है, उस पर अनावश्यक रूप से आक्षेप लगा कर आप उसके अधिकार को समाप्त करके खुद लेना चाहते हैं। मान्यवर, यह बिल्कुल गलत तरीका है। इसको पास नहीं किया जावे। मंत्री महोदय को मैं सुझाव देना चाहूंगी, आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, सार्वजनिक क्षेत्र से आप आए हुए हैं, देखा हुआ भी है आपका सब कुछ। आपको इस तरह का काम शोभा नहीं देता कि आप इसको चलायें। आपके मन में भी यह नहीं है कि आप इसको करें। आपके मन में दर्द है। जो बात आपकी वाणी से निकली है उसको मैं सत्य मानती हूं लेकिन यह असत्य बात आप लेकर आए हैं इसको आप अलग कीजिए। बोर्ड को गठित करने का कार्य अध्यक्ष को दीजिए, यही मेरा आपसे आग्रह है। मैं समझती हूं कि आप हठधर्मी नहीं हैं। आप अपने इस विचार को छोड़ दीजिए। जो आज आप लाये हैं इस पर सोचिये, समझिये। कुछ कार्य करने की इच्छा हो तो आप करिये। अगर आप अपने तर्कों को समझा देंगे तो हम मान लेंगे। आपने गलती पकड़ी हो तो बता दें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, मैंने इस रेफरेंस में यह कहा था कि चार सालों में बोर्ड का गठन नहीं हुआ। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपने विभाग को टटोल लीजिए। विनोबा भावे जब जिन्दा थे उनके सैक्रेटरी ने आपको दो बार पत्र लिखा या नहीं कि बोर्ड का गठन किया जावे? आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जानबूझ कर आप उसको टालते गए। आप इस बात की इन्तजारी में थे कि कब विनोबा भावे समाप्त हों और हम इस पर कब्जा करें।

श्री हीरालाल देवपुरा : ऐसी दुर्भावना नहीं थी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अन्यथा मेरी यह जानकारी है कि उन्होंने आपको बार-बार पत्र लिखा, यहां पर व्यक्ति को भेजा। राज्य सरकार से मिल कर वह बोर्ड का गठन करना चाहते थे। वह कई बार यहां आ कर के लोगों से मिले हैं, प्रयत्न किया है, आपके मंत्री वहां पर गए हैं। यह सब कुछ कार्यवाही होने के बाद भी अगर आप यह कहते हैं कि बोर्ड का गठन नहीं किया, यह उचित नहीं है। यह तो केवल आप की मंशा है, कोई न कोई साजिश है कि किस तरह से इसका राजनीतिकरण किया जावे। यही आप कर रहे हैं। कृपया आप इस बात को स्वीकार करें कि क्या पत्र व्यवहार इस बारे में हुआ या नहीं कि बोर्ड का गठन किया जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री सभापति : आप तो बोल चुके हैं। आपको पूरा अवसर मिला है। वैसे आपकी इच्छा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा यह निवेदन है कि आप जो अमैण्डमेन्ट ला रहे हैं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

उसके लिये लिखा है कि आचार्य भावे नामिनेशन कर सकते थे। अब तो वह संभव ही नहीं किन्तु अखिल भारत सर्व सेवा संघ वर्धा कर सकता है तो यह अधिकार उससे क्यों लेना चाहते हैं, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसलिये हम संतुष्ट नहीं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि यह अधिकार उससे क्यों लेना चाहते हैं। कुछ तो कहिये। अगर केवल यही कहना है कि चार साल तक उन्होंने बोर्ड का गठन नहीं किया, तो मैंने जैसा निवेदन किया, उनसे ज्यादा दायित्व आपका भी है। 1980 से आप क्या करते रहे 1984 तक? आप नहीं कर सके, उसके लिये आप खेद प्रकट करने तो आये लेकिन अधिकार छोड़ने के लिये तैयार नहीं। उनको किस ग्राउण्ड पर डिसक्वालिफाई कर रहे हैं और उसका अधिकार छीन रहे हैं? कुछ तो स्पष्ट करिये।

श्री सभापति : प्रभारी मन्त्री जी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : साथ ही मेरा निवेदन भी सुन लें।

सम्माननीय सभापति महोदय, भूदान यज्ञ राष्ट्र में एक अहिंसक रूप में चलाया जाने वाला क्रांतिकारी कदम था। यह कार्य परम श्रद्धेय स्वर्गीय आचार्य विनोबा भावे ने चलाया। देश को उनके प्रति अटूट विश्वास है, वह इसलिये कि आचार्य विनोबा भावे दरिद्र नारायण के प्रति सेवा के लिये समर्पित थे। जिन लोगों के पास जमीन ज्यादा थी उन्होंने स्वेच्छा से उनकी ईमानदारी, उनकी विश्वसनीयता के कारण इस यज्ञ में अपना योगदान किया। वह जमीन दरिद्र नारायण को मिले, ऐसी व्यवस्था इस एक्ट में की गई। इस सारे एक्ट के अन्तर्गत बोर्ड के गठन का जो कार्य था वह आचार्य विनोबा भावे के निर्देशन में हो, यह उनका अधिकार था कि वह जैसा चाहें वैसा करें। उनकी अनुपस्थिति में यह सारा अधिकार वर्धा के संघ के जिम्मे था। इस विधेयक को जब मैंने पढ़ा तो मेरे मन में यह आया कि देश में जो निश्छल और विश्वास भावना से काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा चलाया गया जो कार्य है उसके प्रति लोगों की भविष्य में क्या भावना रहेगी, यह एक संदेहात्मक प्रश्न है। मैं स्वयं भी चाहता था कि विनोबा भावे की अनुपस्थिति में इस बोर्ड के गठन का अधिकार वर्धा के अखिल भारत सर्व सेवा संघ के पास ही रहने दिया जाय। लेकिन अब माननीय श्री देवपुरा जी ने स्पष्टीकरण किया उससे मेरे मन का भ्रम दूर हुआ। पर उन्होंने एक बात नहीं बताई कि आचार्य भावे की अनुपस्थिति में जो वर्धा के अखिल भारत सर्व सेवा संघ को अधिकार था—

(4.35 म. प.)

(श्री सूर्य कुमार, सभापति, पदासीन)

तो वर्धा अखिल भारत सर्व सेवा संघ ने चार वर्ष तक इस बोर्ड का गठन क्यों नहीं किया, हो सकता है कुछ ऐसे कारण हों जिनको माननीय प्रभारी मन्त्री जी यहां

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

प्रकट करना उचित नहीं समझते हों लेकिन इस बोर्ड के गठन का कार्य वर्धा का अखिल भारत सर्व सेवा संघ कर नहीं सका। आचार्य विनोबा भावे रहे नहीं तो बोर्ड का गठन कौन करे, यह आज सदन के सामने प्रश्न-वाचक चिन्ह है। एसी स्थिति में बोर्ड का गठन जो सरकार है वही करने के लिये सक्षम है।

इसके साथ ही मैं माननीय प्रभारी मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह आन्दोलन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया गया है जिसका जीवन बहुत साफ था, ईमानदारी और दरिद्र नारायण के प्रति समर्पित भावना से भूदान यज्ञ प्रारम्भ किया गया था। अब भी इस बोर्ड का गठन करें तो इसमें पवित्र आत्माओं को ही आप सम्मिलित करें, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री हीरालाल आर्य (पांपल्दा) : सभापति महोदय, केवल एक प्रश्न, माननीय मन्त्री महोदय, आपने अपने कथन में फर्माया कि भूदान यज्ञ के अन्तर्गत जो अपनी स्वतः प्रेरणा से प्रेरित होकर जमीन देते हैं वह जमींन गरीब लोगों को वितरित की जाती है। वह स्वतः ही यह काम स्व-प्रेरणा से, अपनी इच्छा से करते हैं। जब भूदान वाले अपना सारा काम स्वयं ही करते हैं तो फिर सरकार इस कार्य को अपने हाथ में लेकर उनके काम में हस्तक्षेप क्यों करना चाहती है? लोगों को यदि यह पता चलेगा कि सरकार ने यह अधिकार अपने हाथ में ले लिया है तो जो भूदान यज्ञ में जमीन दे रहे हैं वे देना ही बन्द कर देंगे क्योंकि सरकार की इमेज ठीक नहीं है। इस वजह से जो लोग बड़े उत्साहित होकर देते हैं जमीन, इसमें जो काम कर रहे हैं उन लोगों का आचरण और उनका जीवन और उनके व्यवहार को देखकर वह देते हैं, उनका आदर्शवादी जीवन देख कर देते हैं लेकिन जब उनको पता चलेगा कि यह सब अधिकार सरकार अपने हाथ में ले रही है तो यह सारा मूवमेंट ही समाप्त हो जायेगा। इसलिये यह आवश्यक है कि....

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को अखिल भारत सर्व सेवा संघ, वर्धा के प्रति अविश्वास हो, अविश्वास की भावना हो, ऐसी कोई बात नहीं। आपने बताया कि अविश्वास के कारण है। मुझे इसके प्रति कतई अविश्वास नहीं है। अखिल भारत सर्व सेवा संघ पर मुझे पूरा विश्वास है लेकिन मैंने एक बात कही कि वह अपने काम को पूरा नहीं कर सका, बावजूद कोशिश के पूरा नहीं कर सका। मैंने हिन्ट दिया था कि उनके बीच में कोई मामला है जिसकी वजह से वह नहीं कर पा रहा है। इस वजह से हमें यह अमेंडमेट बिल लाना पड़ा। सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने इतनी बातें कह दीं और सब कुछ कह दिया लेकिन यह चीज केवल कांग्रेस सरकार के आने के बाद ही सोची गई हो, ऐसी बात नहीं है। 1978 में जब जनता सरकार थी तब भी एक बिल बना था।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

तत्कालीन रेवेन्यू मिनिस्टर पुरुषोत्तम मंत्री के हस्ताक्षर हैं उस पर। उस बिल में सेक्शन 4 का अमेण्डमेंट है—

"Amendment of Section 4—In section 4 of the Rajasthan Bhodaan Yagna Act, hereinafter referred to as the Principal Act, in clause (a) of sub-section (1), the expression 'Acharya Vinoba Bhave' shall be substituted by the expression "the State Government."

आचार्य विनोबा भावे की जिन्दगी में ही जनता पार्टी की सरकार यह अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती थी और अविश्वास हम पर करते हैं। आचार्य विनोबा भावे की जिन्दगी में आचार्य विनोबा भावे जैसी पवित्र आत्मा पर इन्होंने ही अविश्वास किया, हमने नहीं किया। हमने तो मजबूरी में, जब विनोबा भावे नहीं रहे, हमारे बीच से उठ गये, स्वर्गीय हो गये, अखिल भारत सर्व सेवा संघ वर्धा इस काम को करने में असफल रहा, कर नहीं पाया तो हमने यह प्रावधान किया कि हमें इस काम को करना है, आगे बढ़ाना है। कहीं पर भी यह सवाल नहीं है कि हम इसका कोई सरकारीकरण करना चाहते हैं। सरकार का कोई नियंत्रण इस पर नहीं है। सारे अधिकार बोर्ड को हैं। सरकार का कोई ऐसा भाव नहीं है, एक्ट में सब प्रावधान दिये है। तो यह सोचना सही नहीं है कि सरकार इसको अपने हाथ में ले रही है। केवल बोर्ड का नामिनेशन करना है। जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिये हैं मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस एक्ट की भावना के अनुकूल जो व्यक्ति आये हैं वर्धा से, उनको इस बोर्ड में रखा जायेगा। मैं बताना चाहता हूं कि अध्यक्ष जो बोर्ड के हैं, जो लोग इस काम में हैं उनसे सलाह मशविरा किया जायगा। कहीं पर भी यह नहीं है कि राजनीतिकरण कर दिया जाय या सरकारीकरण कर दिया जाय। यह सारी शंका निर्मूल है, इसको मन से निकाल दीजिये। मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को मैंने यहां प्रस्तुत किया है राजस्थान भूदान यज्ञ (अमेण्डमेंट एवं वेलिडेशन) बिल, 1984 को स्वीकार किया जाय, इसको पारित किया जाय।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1984 को पारित किया जाये ?

(ध्वनिमतदान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर ध्वनि की बात है तो, सभापति महोदय....

श्री सभापति : आप बिराजिये। मैं दुबारा पूछ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1984 को पारित किया जाय ?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्रीमती उज्वला अरोड़ा : ना पक्ष जीता।

श्री सभापति : विधेयक पारित किया गया।

असरकारी कार्य। माननीय श्री राज बहादुर।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विधान सभा सदस्य निरर्हता–निराकरण (संशोधन) विधेयक, 1982

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : श्रीमन्, मैं राजस्थान विधान सभा सदस्य निरर्हता निराकरण (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा सदस्य निरर्हता निराकरण (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री राजबहादुर : श्रीमन्, मैं राजस्थान विधान सभा सदस्य निरर्हता निराकरण (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापति करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिसिंह।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदय, नियम 64 के तहत विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है उसकी मंशा, उद्देश्य के बारे में स्पष्टीकरण करायें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कोरम नहीं है। 14 सदस्य बैठे हैं।

(गणपूरक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री मेघराज तावड़ : वैसे तो, सभापति महोदय, वह पहले वाला बिल भी कोरम के अभाव में पास हुआ है।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिसिंह।

राजस्थान उपचर्या गृह रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 1983

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान उपचर्या गृह रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान उपचर्या गृह रजिस्ट्रीकरण

(श्री सभापति)

विधेयक, 1983 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी ।

श्री हरिसिंह : सभापति महोदय मैं राजस्थान उपचर्या गृह रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 1983 को पुर: स्थापित करता हूं ।

श्री सभापति : संकल्पों पर विचार ।

अशासकीय संकल्प

राजस्थानी भाषा का भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलन

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा 27 फरवरी, 1981 को प्रस्तुत किये गये निम्नांकित संकल्प पर अग्रेतर विचार होगा :—

"सदन का यह अभिमत है कि राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कराने हेतु राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को पुरजोर सिफारिश करे ।"

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सदस्या हाउस में नहीं हैं । उन्होंने विथड्रा कर लिया है ।

श्री सभापति : संकल्प तो माननीय सदस्या प्रस्तुत कर चुकी हैं और उस पर माननीय सदस्यगण ने अपने विचार भी प्रस्तुत किये हैं । जो अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं उनकी सूची आसन के पास है ।

माननीय श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी ।

(अनुपस्थित)

यह 1981 में प्रस्तुत हो चुका है, माननीय सदस्य ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, इसमें मैंने संशोधन दिया है । मेरा अधिकार है बोलने का । संशोधन मेरा है इसमें....

श्री सभापति : माननीय श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री बुलाकीदास कल्ला ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री जगतार सिंह ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, आज से काफी दिनों पहले सदन में यह विषय आया था। राजस्थानी भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने हेतु केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार पुरजोर सिफारिश करे। मैंने इसमें संशोधन पेश किया है शब्द "शीघ्र" अभिव्यक्ति "राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को पुरजोर सिफारिश करे" के पहले जोड़ा जाय। राजस्थान सरकार शायद अपनी मर्यादा नहीं जानती है। राजस्थान की अपनी भाषा, एक मान्यता प्राप्त भाषा हो, अनुसूची में जुड़ी हुई भाषा हो इसके लिये राज्य सरकार को इस संकल्प और इस संशोधन के लाने के पहले ही कोशिश करनी चाहिये थी और केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करनी चाहिये थी। इसलिये मैंने संशोधन रखा है शीघ्र करे। आखिर राजस्थानी भाषा अनुसूची में क्यों नहीं रखी जाये। मैं जहां कहीं भी जाती हूं, अभी मैं गुजरात में गई, सारे गुजरात में मैंने देखा हिन्दी, अंग्रेजी भाषा नहीं है, सभी संस्थानों पर भी नाम गुजराती में लिखे हुए हैं। वहां का वेशभूषा गुजराती है, वहां की भाषा गुजराती है, वहां की बोली गुजराती है और लिपि भी गुजराती है। हर किसी संस्थान पर नाम गुजराती में लिखा हुआ है। वे कैसे लोग हैं जिन्हें अपनी भाषा पर स्वाभिमान है और इसका व्यवहार करते हैं। आप पंजाब में चले जाइये। वहां पर गुरुमुखी भाषा का प्रयोग आप देखेंगे। राजस्थान का दुर्भाग्य है कि यहां की सरकार राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं देती। यहां तक कि यहां पर जो संशोधन या बिल लाये जाते हैं वे पहले अंग्रेजी में लाये जाते हैं उसके बाद हिन्दी में अनूदित होते हैं। जो पुराने एक्ट हैं उनकी बात मैं नहीं करती। लेकिन जो नयी विधि प्रक्रिया है उस तक में भी हिन्दी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। हमारा दुर्भाग्य है, जितना राजकीय कार्य है उसमें अंग्रेजी चलती है। रहते हैं हम हिन्दी भाषी प्रान्त में और राजस्थानी प्रान्त में किन्तु दुःख की बात है कि सरकार राजस्थानी भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कराने के लिये शीघ्रता नहीं करती। जो अकादमी बनायी गयी है वह भी पंगु बना कर रख दी गयी है। मैं कहना चाहूंगी कि यह बात गलत है। राजस्थान सरकार को राजस्थानी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिये विभिन्न कार्यक्रम हाथ में लेने चाहिये और केन्द्रीय सरकार को लिखना चाहिये कि शीघ्र ही इसको आठवी अनुसूची में जोड़ा जाये। अन्यथा हमारा राजस्थानी भाषा के प्रति गर्व कहां तक रह पायेगा। यह बात ठीक है कि आज भी सर्व साधारण में राजस्थानी भाषा बोली जाती है लेकिन सरकार से प्रोत्साहन न मिलने के कारण यह उतनी मान्यता प्राप्त नहीं कर पायी है। मेरा आप से आग्रह है कि केन्द्रीय सरकार को लिखा जावे कि वे अविलम्ब, शीघ्र ही इसको अनुसूची में जोड़ें।

श्री राम प्रसाद (रूपवास) : सभापति महोदय, एक मिनट....

श्री सभापति : क्या इसी विषय पर ?

श्री राम प्रसाद : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थानी भाषा के सम्बन्ध में जो संकल्प आया है उससे मेरा कोई विरोध नहीं है लेकिन इसके साथ साथ मेरा निवदेन है हमारे भरतपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर में ब्रज भाषा बोली जाती है, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना है कि इस संकल्प में हमारा जो एरिया है,उसकी ब्रज भाषा को जोड़ा जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : विरोध कर रहे हैं क्या ?

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, कृपया शान्त रहें।

एक माननीय सदस्य : ब्रज भाषा में बोलिये आप।

श्री रामप्रसाद : बृज भाषा में ही बोल रहो हूं, सभापति महोदय ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, कृपया शान्त रहें।

श्री रामप्रसाद : और भरतपुर की भाषा जो है—

(व्यवधान)

भरतपुर की भाषा में ही तो बोल रहो हूं, साहब ...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में बोल रहे हो।

श्री रामप्रसाद : हिन्दी है और का है ? हिन्दी में ही....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री रामप्रसाद : ऐसी ही साहब, हमारी भाषा है। यही निवेदन करूंगो इतना कि ब्रज भाषा को भी इसमें जोड़ा जाय।

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई) : सभापति महोदय, बिना ब्रज भाषा के कोई कल्पना ना करी जा सकै कि कोई भक्ति संगीत और शास्त्रीय संगीय सम्भव हो सके। वह बिना ब्रज भाषा के सम्भव नाय है। वाको जो पद्य गद्य अंश है वाको तो मुकाबलो ही नाय। जितनो भी ब्रज भाषा को साहित्य है वाको कोई मुकाबलो नाय। ब्रज भाषा जो है वो हिन्दी सेऊ पुरानी भाषा है। सबसे पुरानी, प्राचीन भाषा, संस्कृत के बाद ब्रज भाषा है। यानि ब्रज भाषा सब लोग समझऊ सकें, हिन्दी से बहुत मिलती जुलती है। ब्रज भाषा भी याके संग राष्ट्रीय भाषा

(श्री यदुनाथ सिंह)

के रूप में, यहां की भाषा के रूप में मानी जानी चहिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो वाउ के लिए तुम संकल्प क्यों नहीं लाए ? वाके लिये आप संकल्प लाते।

श्री यदुनाथ सिंह : सारो झगड़ो येई है रहो है। जब कभी क्षेत्रीय भाषा के बारे में चर्चा चले तभी अलग अलग भाषाओं के बारे में आपस में लड़ाई कर दई जाय···

श्रीमती उजला अरोड़ा : तुम समझो नाय।

श्री यदुनाथ सिंह : हमारो कोई विरोध नाय, राजस्थानी भाषा कू प्रोत्साहन मिलनो चहिए, लेकिन साथ ही साथ और जो क्षेत्रीय भाषा हैं उनकू भी प्रोत्साहन मिलनो चहिए। हिन्दी के विरोध में समझ के या दूसरी भाषा के विरोध में समझ के उस बहस को ले जात हैं, लें जाय। या ते हमारो कोई विरोध नाय। जितनी भी क्षेत्रीय भाषा हैं सबको विकास होय। वाके संग में बृज भाषा है, वाऊ को विकास होय। हमारो कोई विरोध नाय। हमारी राजस्थानी भाषा बहुत भारी अच्छी भाषा है, और बाको गर्व है हमें। लेकिन वाके साथ ही साथ और भाषान, देश की जितनी भी भाषा हैं, उन सब को गर्व है, सब को प्रोत्साहन मिलनो चहिए। कोई आपकी बात से मेरो विरोध नाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जे बात तो ठीक कही।

श्रीमती कमला (शिक्षा मन्त्री) : राजस्थानी भाषा में ब्रज भाषा को रख दिया जाय, यह कह कर ब्रज भाषा की जो तौहीन की है, इस से कोई बुरी बात नहीं हो सकती। ब्रज भाषा खुद इतनी समृद्ध है, इतनी सरस है, उसका इतना बढ़िया साहित्य है कि राजस्थान में उसकी अलग से अकादमी भी हमने बनाई है। उसको राजस्थानी भाषा के साथ साथ जोड़ कर न तो उसका अपना स्वरूप रहने देंगे, और न राजस्थानी का अपना स्वरूप रहने देंगे। इसलिए अलग से प्रस्ताव लाना चाहिए। राजस्थान में भी और उत्तर प्रदेश वगैरह, जहां इसका खास गढ़ है, में भी ब्रज भाषा को अलग से भाषा का दर्जा दिया जाय, तब तो माननीय सदस्य की कोई बात उचित भी होगी। अगर आप राजस्थानी भाषा के प्रस्ताव में ब्रज भाषा भी जोड़ दें तो यह कोई तुक की बात नहीं है, इसलिए यह मानने योग्य बात नहीं है।

(4.54 म. प.)

(श्री हरिसिंह, सभापति, पदासीन)

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : सभापति महोदय, अबार आपके सामने श्रीमती उजला अरोड़ा जी बोला हिन्दी में बोला हा, राजस्थानी की तारीफ कर रहा हा, सिफारिश भी कर रहा हा, मैं बांको, बहुत

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

बहुत धन्यवाद करनो चाहूं। सभापति महोदय, बानै राजस्थानी बोलनी तो आवै कोनी, लेकिन....

श्रीमती उजला अरोड़ा : पढ़नी भी आवै है, ईं वास्ते मैं बोलूं।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : तो बोलनी चाहिजे। राजस्थानी री सिफारिश करो राजस्थानी नहीं बोलो, जण मैं कईयां विश्वास करूं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो लिखूं भी।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : लिखूं भी जद पाछे राजस्थानी भाषा में आप भाषण देओ, म्हानै ठाह पड़ै कि थानै बोलनी आवै कोनी आवै। सिफारिश तो करो दुनिया भरकी, आवे कांई कोनी। यूं ही बिना मतलब ही यूं हुड़दंग मचवाऊं कांई होवे ?

श्रीमती कमला : जोधपुरी भाषा ही नहीं है, जयपुरी भाषा भी शामिल है हाड़ौती भी शामिल है। उजला जी को जयपुरी अच्छी तरह से आती है, मुझे भी आती है। मैं जयपुरी में भाषण दे सकती हूं। इसलिए आप कोरा जोधपुरी को राजस्थानी बना रहे हो, यह बात सही नहीं है।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : नहीं, मैं जोधपुरी ने नहीं बणावा चाहां। म्हे तो आ कहवां हां कि अगला के हेल मेल मैं राखो, भेलो ही, लेकिन जका आदमी हिन्दी बोले है और राजस्थानी री वे तारीफ करै तो बांका हमदर्द कम होगा। म्हे तो हमदर्दी रे वास्ते धन्यवाद तो देणो चावै नी। लेकिन वे खुद मारवाड़ी कोनी बोले, राजस्थानी कोनी बोले, जका वास्ते मैं तो आपणें कहूं। आप अबार एक लम्बो चोड़ो भाषण दे दियो। माननीय मंत्री महोदय, कमला जी अबार भाषण दियो और कह्यो कि ब्रज भाषा बहोत जबरदस्त भाषा है। है तो है, लेकिन वे खुद भी तो अबार हिन्दी मैं बोला है, वे किशा राजस्थानी कै मायने बोला हा। म्हानै तो आज....

श्रीमती कमला : जद बोलो तो म्हे कह सकां हां हाउस के मायनै, और ये म्हां की तारीफ नै करनो चाहो तो भी म्हे हाउस मैं तारीफ करां सकां छां। अर यह सारो हाउस म्हांकी तारीफ करैलो। एक तो जयपुरी बोल दी, और दूसरी कहो तो शेखावाटी भी बोल देवां।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : नहीं, हरियाणा की।

श्रीमती कमला : हरियाणा की बोल देऊं ?

श्री राम रघुनाथ चौधरी : हां।

श्रीमती कमला : तम्हीं के करणो चाहो सो बताओ। हरियाणा की बोल दी। और झुंझुनूं की बोल देवां अगर आप कहो। तो ये सारी बातां पहले आप तय करो कि आखिर राजस्थानी है क्या।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : ग्रं सब बातां ग्रापके मुखार बंद हूं सुणर म्हानै ग्रा उम्मीद होवे हैं।

श्रीमती कमला : के करोगा, कद ग्राया थे, पावणा हो, बैठो, थानै जिमावांगा। सब भाषा ग्रावै म्हानै। बोलो, किसी बोलां। म्हे जोधपुरी बोल देवां। हैंग गयोड़ा है जोधपुर जो मिलणने वो हदाया पुताया में गयोड़ा है सा। या जोधपुरी बोल दी सा....

श्री राम रघुनाथ चौधरी : हदाया पुताया ने कुण कोड़े गयोड़ा है म्हाने तो ठा कोनी। थाने कोई न्यूतो ग्रायो जीमण को, हदाया पुताया को तो वात दूजी है।

म्हे तो सिर्फ इत्ती सी बात कहवणी चाहूं कि ग्रापने राजस्थान की हगली भाषा में ग्रापके मुखार्विद सूं हगडी बात सुनी। हरियाणा री हुणी, चूरू की भी सुनी, झुंझुनू की भी सुनी, ग्रापरे जयपुर री भी सुनी छूं छा भी सुनी, राजस्थान की भी सुनी मारवाड़ की भी सुणी। म्हारो केवण रो मतलब तो इत्तो सो हो, कि ग्रापणा राजस्थान की भाषा रे बास्ते सिफारिश करां। राजस्थान री भाषा को मामलो है तो जकां ग्रादमी, जकां मिनख, जकां माननीय सदस्य इण बात ने ग्रठे सदन के मायनै रखे वाणे तो ये चाहिजे कि ग्रठे राजस्थानी भाषा रे मायनै बोलर ग्रापणी भाषा में वात रखे। ग्रवार माननीय सदस्य भरतपुर सू ग्राण वाला ब्रज भाषा की बात करा हा। ग्रर ग्राप या कहती कि हिन्दुस्तान कै मायनै, ग्राप खुद भी कह रह्या ग्रौर ग्राप भी या कह रह्या, हिन्दुस्तान के मायनै खुद ही ग्रपने ग्रापमें बहुता भाषा महत्वपूर्ण है। ग्रा बात सही है। तो बाने ग्रा कैणी चाहिये थी कि म्हाराली भाषा तो महत्वपूर्ण है, ई वास्ते हिन्दुस्तान में इने मान्यता है। ग्रबार ग्रादरणीय बतावता हा, मंत्री महोदय, ब्रज भाषा को राजस्थान के मायनै महत्व देवण बास्ते ग्रलग ग्रकादमी भी खोली है। वो इण वास्ते थाणे तो ग्रा सिफारिश करणी चाहिये थी कि माननीय सदस्य भरतपुर सूं ग्राण वाल....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, सभापति महोदय, इस संकल्प पर तो मैंने ग्रागे चला दिया। मैं मेरा दूसरा सकल्प पेश कर रही हूं। पांच बजने में दो मिनट हैं, इस का समय बढ़ाया जाय। ग्राज का यह जो प्राइवेट बिजनेस है....

श्री राम रघुनाथ चौधरी : ग्रब हेर फेर क्यूं करो? बात न बात हेर फेर करो। मिनख रा....

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, ग्राप मुझे प्रस्तुत करने की ग्रनुमति दीजिये। सभापति महोदय, ग्राप मुझे संकल्प प्रस्तुत करने की ग्रनुमति दीजिये।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : हां सुनिये, भले ही की कहो मैं थने हांथरा मिनट वताऊं। सुणनो पड़े, म्हारी बात कोनी हुणे बीच में ही बात न बात रगडो घपलो करे....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है उसको प्रस्तुत करने की अनुमति दीजिये। मेरा संकल्प ....

श्री राम रघुनाथ चौधरी : थांका घपला हूं की कोनी होवे । पहली बैठो म्हारी बात सुणो....

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं मेरा संकल्प प्रस्तुत करूं, मुझे अनुमति दीजिये।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, बड़ी अजीब बात है। राजस्थानी रो मामलो चाले हिन्दी में बात में करे, हिन्दी में भाषण देवे....

श्रीमती उजला अरोड़ा : इनका नाम भी नहीं है और बोल रहे हैं, जो मैं बोल चुकी हूं उसको बोल रहे हैं। फलतू में दलील दे रहें हैं, उसमें—

श्री राम रघुनाथ चौधरी : आपकी बात नहीं हुणी सके, पहली म्हारी बात खत्म हो पछे आपरी बात हुँणे ली। पहली म्हारी बात नहीं हुणी। म्हारी बात खतम नहीं हुई—

(व्यवधान)

श्री सभापति : बीच में व्यवधान नहीं डालें, माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। उसके ऊपर व्यवस्था दीजिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : म्हारी बात खत्म कोनी हुई ऊके पहली ही। म्हारी बात खतम नी हुवे जिते माननीय सदस्या....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मेरा संकल्प प्रस्तुत करती हूं—

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अतरा समझदार हैं....

श्री सभापति : कृपया विराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मै मेरा संकल्प प्रस्तुत करती हूं, आपको अनुमति देनी होगी।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इतना समझदार, स्याणा, आछा आदमी है और इत्ती....

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह तो पांच बजाकर भाग जायेंगे। इनकी तो नशे करने की आदत पड़ गयी—

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अरे पांच बज रह्या है तो कांई, म्हे तो थांकी तारीफ कर रह्यों हूं। कित्ता सलीका का आदमी हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मुझे संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दीजिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बोल रहे हैं। बोलने दीजिये। बीच में कैसे अनुमति दूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ××× कर रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अरे इत्तो जोर लगावणो हाथरा कोनी, महिला के वास्ते....

श्री सभापति : माननीय सदस्य बीच में भाषण दे रहे हैं। बीच में कैसे आपको परमीशन दी जायेगी ?

श्री रामरघुनाथ चौधरी : तो, माननीय सभापति महोदय। म्हे आ केवतो हो। अबार आप देखो, शरू में जोर लगावे हिन्दी बोल बोलर। राजस्थानी भाषा ने महत्व देवण रो मामलो है। अब हिन्दी के मायने जोरजोर से बोलण रो कांई महत्व निकले। म्हे आ कहण चावतो कि राजस्थानी भाषा वास्तव में राजस्थान के वास्ते महत्व राखे है और राजस्थान वास्ते महत्व इण वास्ते राखे कि जयां अबार ऊजला जी कहणता कि हिन्दी भाषाण के मायने जठे जावां, कठे ही गुजराती कठे हा पंजाबी के मायने, कठे मराठी में, बंगला में, मतलब हर तरह में आवां जावां स्टेट के मायने वांकी न्यारी न्यारी भाषा है। वाने वीं को घमंड भी होवे—

श्री मती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मै प्रस्ताव करती हूं कि सदन की कार्य वाही....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, बिराजें आप।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : आप मेरे को सुरक्षा दो, सभापति महोदय, वह हिन्दी बोल बोल के मेरे को दबा रही हैं। मैं राजस्थानी बोलण वालो आदमी हूं

श्री सभापति : आप निर्विघ्न बोलिये।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : अब म्हा यूं दबावै तो ठीक बात नाहीं, समझाओ—

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, और तो संशोधन कीं मत मानो पण, एकतो कराओ। ए रेडियो पर एक हो एक संभाग की भाषा बोली जावै, जोधपुर संभाग की है बीएं राजस्थानी बना राखी है।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही 3 अप्रैल, 1984 तक के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 5.00 बजे, मंगलवार दिनांक 3 अप्रेल, 1984 के म.पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

156

311) परिशिष्ट–30 मार्च, 1984–परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 266 का ब्यौरा

उर्स मेला 1984 के लिये नगर परिषद्, अजमेर द्वारा हर वर्ष की भांति निम्नलिखित व्यवस्था करवायेगी ।

(1) सम्पूर्ण उर्स मेला क्षेत्र एवं उर्स विश्राम स्थली के बाहर, आनासागर के सार्वजनिक स्नान घाटों पर विद्युत व्यवस्था करेगी ।

(2) उर्स मेला क्षेत्र में विशेष सफाई व्यवस्था पाक जायरीनों के निवास स्थानपर अस्थाई शौचालयों, मूत्रालयों एवं सफाई की व्यवस्था, दरगाह मेला क्षेत्र में अस्थाई शौचालयों की व्यवस्था करेगी ।

(3) यात्रियों की सुविधा हेतु दरगाह बाजार में बेरीगेटिंग की व्यवस्था ।

(4) बड़ी नमाज के दिन दरगाह के सम्पूर्ण गलियों के मुहानों पर बेरीगेटिंग की व्यवस्था ।

(5) दरगाह शरीफ क्षेत्र में नालियों एवं सड़कों की मरम्मत ।

(6) दरगाह शरीफ के आसपास व पूर्ण मेला क्षेत्र के कुए बावड़ियों की सफाई व कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव ।

(7) नालियों में कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव एवं समस्त मेला क्षेत्र में नालियों के किनारे डी. डी. टी. पाउडर का छिड़काव ।

(8) मेला क्षेत्र में नगर परिषद्, अजमेर का कैम्प लगाया जाना जिसमें 24 घन्टे यात्रियों एवं जनता की सुविधा हेतु शिकायतों का निराकरण कराया जाता है सफाई कर्मचारियों एवं विद्युत कर्मचारियों की भी 24 घन्टे सेवायें उपलब्ध कराई जाती है ।

(9) मेले में आने वाले यात्रियों के लिये मेला क्षेत्र इन्दर कोट ढाई दिन के झोंपड़े के पास रहने हेतु टैन्ट व शामियाने लगाये जाते हैं ।

(10) परिषद् द्वारा उर्स मेला क्षेत्र में अस्थाई शौचालय व उन पर विद्युत व्यवस्था ।

(11) उर्स मेला क्षेत्र में आवश्यक स्थानों पर अतिरिक्त विद्युत व्यवस्था की जाती है ।

(12) मेले में आने वाले जायरीन के मनोरंजन हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन ।

(13) पाक जायरीनों का स्वागत एवं अभिनन्दन समारोह का आयोजन ।

आयुक्त,

नगर परिषद्, अजमेर ।

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 267 की सूची

उदयपुर, पाली एवं सिरोही जिलों के जो जंगल गेम सेन्चुरी क्षेत्रों में सम्मिलित किये गये है उनकी सूची

जिला उदयपुर :

(अ) वन्य जीव अभयारण्य कुम्भनगढ़ में निम्न वन खण्ड सम्मिलित हैं :—

(1) दिवेर	(2) बस्सी	(3) सेवन्त्री
(4) घोलिया	(5) अमरवास	(6) रूपनगर
(7) धाटडा	(8) झोलवाडा	(9) पासर
(10) ढाणा	(11) कोटडा	(12) भानपुरा
(13) आरेठ	(14) मालगढ़	(15) मगा
(16) माजवडा	(17) नावा देख की खुल	(18) सेमड
(19) उमरना पदरडा	(20) खीसमा	(21) करेव

(आ) वन्य जीव अभयारण्य जयसमन्द में सम्मिलित वन खण्ड :—

(1) मनिजोल	(2) ब्लोक धुणीवाला मय चाट पुरिया

(इ) वन्य जीव अभयारण्य सीतामाता क्षेत्र में सम्मिलित वन खण्ड :—

(1) चारणी	(2) खेढली	(3) नागलिया
(4) आम्झा	(5) पांचागुडा	(6) आन्यारेटी

(ई) वन्य जीव अभयारण्य फुलवाड़ी में सम्मिलित वन खण्ड :—

(1) उडमारिया	(2) हरवा	(3) देवली
(4) उमरिया	(5) फुलवाडी	(6) धारवन
(7) मामेर	(8) माडाहल्दु	(9) मसवारा
(10) मम्बाला	(11) डेया	

जिला पाली :

(अ) वन्य जीव अभयारण्य कुम्भलगढ़ के निम्न वन खण्ड :—

(1) नीज़ापुर	(2) सेवाड़ी	(3) लाटाडा
(4) सादडी	(5) घाणेराव	(6) देसूरी
(7) वागोल	(8) कोट	

जिला सिरोही :

(अ) वन्य जीव अभयारण्य आबू पर्वत में सम्मिति वन खण्ड :—

(1) आबू संख्या 1 कं. नं. 1 से 55

(2) आबू संख्या 2 कं. नं. 28 से 44 तक 46, 48, 49 एवं 53 से 69 तक।

(3) आबू संख्या 3 कं. नं. 1 से 60 तक

(4) देलवाडा कं. नं. 1 से 13

(5) लीज क्षेत्र कं. नं. 1 से 6

(6) आरना कं. नं. 1 से 8

(7) चन्देला कं. नं. 1 से 3

(8) जेलपुर सकोडा कं. नं. 1 से 2 तक

———

159

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 268 का विवरण

वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में 31 जनवरी, 1984 तक वितरित की गयी औषधियों का जिलेवार विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	वितरित की गयी औषधियों की राशि (रुपयों में)	
		1982-83	1983-84 (31 जनवरी, 1984 तक)
1	2	3	4
1.	अजमेर	389432.86	202476.70
2.	अलवर	228691.20	84749.01
3.	बांसवाड़ा	155000.00	106404.17
4.	बाड़मेर	115359.05	61865.32
5.	भरतपुर	393573.75	220031.21
6.	भीलवाड़ा	319720.55	193184.70
7.	बीकानेर	240834.40	101485.82
8.	बून्दी	136315.45	94144.48
9.	चित्तौड़गढ़	187256.60	184711.68
10.	चूरू	206337.50	74151.43
11.	डूंगरपुर	222567.65	115636.37
12.	श्रीगंगानगर	160822.55	115732.10
13.	जयपुर	589412.35	266015.54
14.	जैसलमेर	39913.10	15357.27
15.	जालौर	105706.75	20168.33
16.	झालावाड़	264319.90	98212.15
17.	झुन्झनू	126334.80	41010.16

1	2	3	4
18.	जोधपुर	217968.60	94872.96
19.	कोटा	109840.10	158438.75
20.	नागौर	165073.70	113782.69
21.	पाली	171640.95	51114.15
22.	सवाई माधोपुर	281989.95	138213.43
23.	सीकर	159739.80	91998.69
24.	सिरोही	115482.25	40268.05
25.	टोंक	156069.75	141423.68
26.	उदयपुर	500409.80	310543.02
27.	(विशेष शिविरों हेतु)	211249.00	80307.00
	योग :	5971062.36	3215598.86

———

161

परिशिष्ट 4

तारांकितप्रश्न संख्या 274 की सूची मोहल्लेवार

निर्वाचन क्षेत्र नागौर के विभिन्न ग्रामों में अनुसूचित जाति एवं जन जाति में दी गई पेयजल सुविधा का विवरण

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	1971 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जन सं.	पेयजल से लाभान्वित अनुसूचित जाति/जनजाति के मोहल्लों के नाम	लाभान्वित हैण्ड पम्प द्वारा	सार्वजनिक नल द्वारा	योजना किस प्रकार की है।	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	खुन्डाला	68	81	1. मेघवालों की ढाणी	1	—	हैण्ड पम्प योजना	—
2.	खेडवा	146	226	1. घेरियों का बास	1	—	,,	
				2. नायकों का बास	1	—	,,	
3.	धारनावास	151	72	1. मेघवालों का बास	1	—	,,	
4.	नागड़ी	68	323	1. मेघवालों की ढाणी	1	—	,,	
				2. मेघवालों की ढाणी	1	—	,,	
				3. हरिजनों का बास	1	—	,,	
				4. नायकों की ढाणी	1	—	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	बैराथल कलां	58	133	1. भंवीयों का बास	1	—	हैण्ड पम्प योजना	
6.	बैराथल खुर्द	59	140	1. मेघवालों की ढाणी	1	—	"	
				2. भावीयों का ढाणी 1	1	—	"	
7.	बैरावास	149	40	1. मेघवालों का बास	1	—	"	
8.	लालावैास	70	119	1. भांभी बस्ती (सर्वो की ढाणी)	1	—	"	
9.	भवन्डा	154	364	1. हरिजनों का वास	1	—	"	
				2. भांवीयों का वास	1	—	"	
10.	आकाला हमीराना	73	321	1. नायकों श्री ढाणी	1	—	"	
				2. मेघवालों की बस्ती	1	—	"	
11.	टाडास	150	77	1. नायकों की बस्ती	1	—	"	
				2. मेघवालों की बस्ती	1	—	"	
12.	गुडला	91	95	1. भांबी बास	1	—	"	
13.	गुडिया	72	96	1. भांवी वास	1	—	"	
14.	जोरावरपुरा	147	28	1. बावरियों का बास	1	—	"	
				2. भांभी बास	1	—	"	
15.	अहमदपुरा	144	206	1. नायकों की बस्ती	1	—	"	
16.	टंकाला	74	140	1. बावरियों की ढाणी	1	—	"	
				2. भांभी बास	1	—	"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	प्रलाय	24	769	1. हरिजन बस्ती	—	1	पी एण्ड टी. योजना प्रलाय	
				2. नायकों का मोहल्ला	—	1		
				3. मेघवालों का मोहल्ला	—	1		
				4. पिपलिया बास	—	2		
				5. बस्ती मोहल्ला	—	1		
18.	पांचोड़ी	7	458	1. हरिजन बस्ती	—	1	,,	,, पांचोंड़ी
				2. भांभी मोहल्ला	—	1	,,	,, ,,
19.	श्रीबाबाजी	27	793	1. हरिजन बस्ती	—	1	,,	,, श्रीबालाजी
20.	चावण्डिया	56	179	1. मेघवाल बस्ती	—	1	,,	,, चावण्डिया
21.	गुढाभगवानदास	20	461	1. नायकों का मोहल्ला	—	1	,,	,, गुढाभगवानदास
				2. भांभीयों का मोहल्ला	—	1	,,	,, ,,
22.	बिरलोका	11	607	1. भांभीयों का मोहल्ला	—	1	,,	,, विरलोका
				2. हरिजनों का मोहल्ला	—	1	,,	,, बिरलोका
				3. ढोलियों का मोहल्ला	—	1	,,	,, बिरलोका
23.	कुरची	66	374	1. बावरियों का मोहल्ला	—	2	,,	,, कुरची
				2. भांभीयों का मोहल्ला	—	1	,,	,, कुरची
24.	माडपुरा	15	475	1. हरिजनों का मोहल्ला	—	1	,,	,, माडपुरा
				2. भांभी का मोहल्ला	—	1	,,	,, माडपुरा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	खींवसर	71	934	1. हरिजन मोहल्ला	--	1 पी एण्ड टी योजना खींवसर		
				2. नायकों का मोहल्ला	—	1 ,, खींवसर		
26.	पाँचला सिद्धा	13	355	—	—	— पी एण्ड टी योजना पांचलासिद्धा/ योजना में वितरण शाखा में पाइप लाइन लगाने का प्रावधान नहीं है।		
27.	देऊ	5	442	—	—	— पी एण्ड टी योजना देऊ योजना निर्माणाधीन है।		
28.	इसरनाडा	12	90	—	—	— पी एण्ड टी योजना इसरनाडा योजना निर्माणाधीन है।		
29.	अखावास	64	—	—	—	— पी एण्ड टी योजना अखावास अनुसूचित जाति की जन संख्या शून्य है।		
30.	मैड	57	290	1. हरिजन बस्ती	—	1. पी एण्ड टी योजना मैड		
31.	कान्टिया	61	243	—	— —	,, ,, कांटिया योजना निर्माणाधीन है।		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	करनू	3	934	— —	—	पी एण्ड टी करनू	योजना के प्रावधानों के अनुसार दो स्थानों पर स्रोत बनाकर जी. एल. आर. द्वारा सभी ग्रामवासियों को लाभान्वित किया जा रहा है। योजना में मोहल्लों में वितरण पाइप लाइन लगाने का प्रावधान नहीं है।	
33.	बाशनी	48	135	— —	—	क्षेत्रीय जल योजना अलाय भदवासी	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं से जुड़े हुए प्रत्येक ग्राम में एक स्थान पर जी. एल. आर. बनाकर पेयजल की आपूर्ति की जाती है। अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों के लिये भी इसी होद से पानी भरने का प्रावधान होता है।	
34.	मकोडी	44	128	— —	,,	,,	,,	,,
35.	बालवा	46	466	— —	,,	,,	,,	,,

(165)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	गोगेलाव	47	250	—	—	क्षेत्रीय जल योजना प्रलाय भदवासी	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं से जुड़े हुए प्रत्येक ग्राम में एक स्थान पर जी. एल. आर. बना कर पेयजल की आपूर्ति की जाती है। अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों के लिये भी इसी होद से पानी भरने का प्रावधान होता है।	
37.	भदवासी	45	112	—	—	,, ,,	,,	,,
38.	सिगंड	49	327	—	—	,, ,,	,,	,,
39.	सथैरन	42	302	—	—	क्षेत्रीय जल योजना प्रलाव ऊंटवालिया	,,	,,
40.	ऊंटवालिया	43	572	—	—	,, ,,	,,	,,
41.	ढाकोरिया	96	226	—	—	,, ,,	,,	,,
42.	गटीलासर	98	368	—	—	,, ,,	,,	,,
43.	रोहीणी	39	642	—	—	,, ,,	,,	,,
44.	घोडारन	40	29	—	—	,, ,,	,,	,,
45.	मुण्डासर	41	116	हरिजन बस्ती	—	,, ,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.	जाखानिया	25	109	—	—	विस्तार योजना अलाय		क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं से जुड़े हुए प्रत्येक ग्राम में एक स्थान पर जी. एल. आर. बना कर पेयजल की आपूर्ति की जाती है। अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों के लिये भी इसी हौद से पानी भरने का प्रावधान होता है।
47.	भूण्डेल	17	172	—	—	विस्तार जल योजना अलाय		,, ,,
48.	निम्बोला	16	171	—	—	क्षे. जल योजना निम्बोला गलनी		,, ,,
49.	नैनाऊ	18	170	—	—	,,	,,	,, ,,
50.	गलनो	19	65	—	—	,,	,,	,, ,,
51.	रामधनु	52	104	—	—	क्षेत्रीय जल योजना रामधनु जोशियाद		,, ,,
52.	जोशियाद	80	108	—	—	,,	,,	,, ,,
53.	सुखबासी	50	59	—	—	,,	,,	,, ,,
54.	लूणदा	81	131	—	—	,,	,,	,, ,,
55.	भवाद	82	62	—	—	,,	,,	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56.	तांतवास	2	382	—	—	क्षे. जल योजना तांतवास-भेजास		क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं से जुड़े हुए प्रत्येक ग्राम में एक स्थान पर जी. एल. आर. बना कर पेयजल की आपूर्ति की जाती है। अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों के लिये भी इसी होद से पानी भरने का प्रावधान होता है।
57.	भेजास	1	258	—	—	,,	,,	,, ,,
58.	पोटलिया मांजरा	54	194	—	—	विस्तार जल योजना गुढ़ाभगवानदास		,, ,,
59.	खारीकरमसोता	51	96	—	—	,,	,,	,, ,,

नागौर शहर के अनुसूचित जाति/जन जाति के विभिन्न मोहल्लो में दी गयी पेयजल सुविधा का विवरण

क्र.सं.	शहर का नाम	अनुसूचित जाति/जन जाति की जन संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर	पेयजल से लाभान्वित अनुसूचित जाति/जन जाति के मोहल्लों के नाम	सार्वजनिक नलों की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	नागौर शहर				
	1. अनुसूचित जाति	3721	1. मोचियों का वास समस तालाब के पास	एक	नागौर शहर में कुल 110 सार्वजनिक नलों में से 22 सार्वजनिक नल अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों में लगाये गये हैं।
	2. अनुसूचित जन जाति	85	2. नायकों का वास	एक	
			3. ढोलियों की बस्ती कुम्हारी दरवाजा	एक	
			4. कोली शहरों का वास	एक	
			5. खटीकों का वास	एक	
			6. खेडा जैन छात्रावास के पास	एक	
			7. हरिजन बस्ती टिक्कूराम के मकान के पास	एक	
			8. हरिजन बस्ती वसीराम के मकान के पास	एक	

169

1	2	3	4	5	6
			9. हरिजन बस्ती रामप्रताप के मकान के पास	एक	
			10. हरिजन बस्ती न्यू कोलोनी	एक	
			11. हरिजन बस्ती जंवरी लाल के मकान के पास	एक	
			12. गडली रैगर बस्ती	एक	
			13. वडली राम द्वारा के सामने	एक	
			14. बेलदारों का मोहल्ला	एक	
			15. खोडा भैरूंलाल के पास	एक	
			16. भाँभीयों का वास खोडा	एक	
			17. भाभियों का बास	एक	
			18. मायकों की बस्ती दिल्ली दरवाजा	एक	
			19. मेघवालों की बस्ती दिल्ली दरवाजा	एक	
			20. रैगर बस्ती वडली	एक	
			21. नायक बस्ती कुम्हारी दरवाजा	दो	
				22	

परिशिष्ट 5

तारांकित प्रश्न संख्या 277 का विवरण

जिला सवाई माधोपुर के उन औषधालयों की सूची जिन्हें औषधालय भवनों के रख-रखाव व मरम्मत हेतु वर्ष 1983-84 में बजट आवंटित किया गया है :—

क्र. सं.	नाम औषधालय	आवंटित बजट प्रावधान
1.	मानटाऊन	5000-00
2.	गेरई	310-00
3.	वजीरपुर	300-00
4.	बहरावडा कलां	200-00
5.	छाप	150-00
6.	फलोदी	150-00
7.	मेईकलां	150-00
8.	सलावद	150-00
9.	बहरावडा खुर्द	150-00
10.	सूरवाल	150-00
11.	छोटी उदई	100-00
12.	चैनपुर	100-00
13.	महस्वा	50-00
	योग	6960-00

परिशिष्ट 6

तारांकित प्रश्न संख्या 278 की सूच

वर्ष 1964 से 1984 तक श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा की आय की सूची

वर्ष	कुल आय	विकास कार्यों पर व्यय
1964	1,16520-00	
1965	2,27721-98	
1966	1,82591-68	
1967	1,37631-30	
1968	2,19663-50	
1969	78106-65	
1970	24499-50	
1971	82772-30	
1972	1,05536-20	
1973	1,04235-27	
1974	1,62264-17	
1975	73039-11	
1976	1,24155-73	
1977	1,78660-19	20,000
1978	2,02351-64	
1979	1,97386-70	
1980	1,91928-85	
1981	1,99261-10	79,000
1982	1,75882-15	16,000
1983	1,58234-00	18,000
		4,000
	(1983–84 में प्रावधान)	

परिशिष्ट 7

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, निदेशालय जयपुर में रिक्त पद

279. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर में कितने पद कार्यालय अधीक्षक श्रेणी प्रथम के किस तिथि से रिक्त रखे जा रहे हैं ?

(2) कार्यालय अधीक्षक श्रेणी प्रथम के रिक्त पदों के विरुद्ध कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि कार्यालय अधीक्षक श्रेणी द्वितीय के पद रिक्त होते हुये भी श्रेणी द्वितीय को रिक्त पदों पर न लगाते हुए, निदेशालय में कार्यालय अधीक्षक श्रेणी प्रथम के विरुद्ध लगाया हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कार्यालय अधीक्षक श्रेणी प्रथम के दो पद जुलाई, 1979 से रिक्त हैं।

(2) दो रिक्त पदों के विरुद्ध दो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

(3) जी नहीं, पदों को नियमित रूप से भरने की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

(4) कार्यालय अधीक्षक, श्रेणी प्रथम के चयनित व्यक्ति उपलब्ध न होने के फलस्वरूप, कार्यालय अधीक्षक, श्रेणी–2 को कार्यालय अधीक्षक श्रेणी प्रथम के रिक्त पदों के विरुद्ध पदस्थापित किया हुआ है। ऐसी व्यवस्था कार्यालय के कार्य को चलाने हेतु की जाती रही है। इस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था निदेशालय एवं अन्य संस्थाओं में राजकीय कार्य को चलाने हेतु की जाती है।

कृषि उपज मण्डी समिति सीकर

280. श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्ड समिति, सीकर के सदस्यों का निर्वाचन कब हुआ था तथा कौन-कौन सदस्य निर्वाचित हुए थे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निर्वाचित सदस्यों के होते हुए भी बार बार अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं होने दिया गया है ? यदि

(श्री उम्मेदसिंह)

हां ? तो क्यों व किसके द्वारा ? क्या सरकार अध्यक्ष का चुनाव करवायेगी ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, सीकर के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक 25-2-74 को हुआ था। निर्वाचित सदस्यों की सूची सदन के पटल पर रखी गयी है।

(2) उच्च न्यायालय जोधपुर की निषेधाज्ञा दिनांक 23-2-74 के कारण अध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया जा सका। तत्पश्चात दिनांक 21-10-75 को राजस्थान कृषि उपज विपणन नियम, 1963 में संशोधन हो जाने के कारण अध्यक्ष पद के लिये चुनाव नहीं कराये जा सकते थे। अब पुन: मण्डी समिति के नियमों में संशोधन के अनुरूप मण्डी समिति के सदस्यों का निर्वाचन कराने के पश्चात ही अध्यक्ष का चुनाव कराया जा सकेगा।

कृषि उपज मण्डी समिति, सीकर के चुने गये सदस्यों की सूची

(क) कृषक निर्वाचन क्षेत्र

1. श्री गोरधन पुत्र मुकन निवासी कवरपुरा
2. ,, गोविन्द राम पुत्र केसाराम निवासी सांगलिया
3. ,, नारायण सिंह पुत्र मोना राम निवासी कावर का वास
4. ,, भंवरसिंह पुत्र लाला राम निवासी कूड़ली
5 ,, मुरारी लाल पुत्र त्रिलोक चन्द्र निवासी मंगलपा
6. ,, मूल सिंह पुत्र माना सिंह निवासी सैयद बडी
7. ,, रणमल सिंह पुत्र गणपत सिंह निवासी कटराथल

(ख) व्यापारिक निर्वाचन क्षेत्र

1. श्री भगनी राम मोदी फर्म मैसर्स रामदेव दुर्गावत, सीकर
2. ,, गणपत लाल फर्म मैसर्स महेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी, जाटिया बाजार, सीकर

(ग) सहकारी संस्था निर्वाचन क्षेत्र

1. श्री जवाहर सिंह पुत्र गोराम जाट निवासी दौलतपुरा प्रतिनिधि सीकर, क्रय विक्रय सहकारी लिमिटेड
2. रिक्त पद

(घ) स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र

1. रिक्त
2. रिक्त

(ङ) नाम निर्दिष्ट सदस्य

1. उप जिलाधीश, सीकर
2. जिला कृषि अधिकारी, सीकर

बीकानेर जिले में उद्योगपतियों को सुविधायें

281. श्री सुरजाराम टाक (नोखा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में अधिक उद्योग लगाने हेतु उद्योगपतियों को आकर्षिक करने के लिये गत दो वर्षों में क्या-क्या नई सुविधाएं प्रदान की गईं ?

(2) बीकानेर जिले में देश व प्रदेश के अन्य भागों से आकर उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिये सरकार अब आगे के वर्षों में और क्या-क्या सुविधायें प्रदान करने का विचार रखती है ?

(3) बीकानेर जिले की तहसील नोखा में कौनसा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया एवं वहां पर उद्योग लगाने हेतु सरकार क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करवाने जा रही है ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में गत दो वर्षों में दी गई सुविधाओं की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) बीकानेर जिले में देश व प्रदेश के अन्य भागों से आकर उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु 73 एकड़ भूमि प्राप्त की जा रही है तथा बीकानेर जिले में शीघ्र ही एक और औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

(3) बीकानेर जिले की नोखा तहसील के देशनोक कस्बे की 58 बीघा 9 बिस्वा एवं बीकानेर ग्राम की 113 बीघा 14 बिस्वा भूमि को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों का विकास रीको के माध्यम से नहीं किया जा रहा है अपितु ये नगर पालिका, देशनोक एवं औद्योगिक सहकारी समिति के माध्यम से विकसित किये जावेंगे। इन औद्योगिक क्षेत्रों के विकसित होने पर अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को मिलने वाली सुविधाओं के समान सुविधायें उपलब्ध होंगी।

सूची

1. बीकानेर नगर में बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। जहां, सड़क, पानी व बिजली की व्यवस्था कर दी गई है।
2. लूणकरनसर औद्योगिक क्षेत्र के प्रथम चरण में भी सड़क, पानी व बिजली की व्यवस्था कर दी गई है।
3. बीकानेर जिले में लघु उद्योगों को 15 प्रतिशत एवं बड़े व मध्यम उद्योगों को 10 प्रतिशत स्थाई पूंजी विनियोजन पर राज्य अनुदान की सुविधा प्रदान की गई है।

(उद्योग मंत्री)

4. लघु उद्योगों को जनरेटिंग सेट क्रय कर लगाने पर उसके मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान (ढाई लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक) देने की सुविधा प्रदान की गई है।

डूंगरपुर जिले में सोम कमला अम्बा डेम का निर्माण

282. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिचाई विभाग के डूंगरपुर जिले में सोम कमला अम्बा डेम की सेडल नं. 2 के निर्माण के दौरान ठेकेदार को कब-कब कितनी-कितनी राशि के रनिंग बिल चुकाये गये और ये रनिंग बिल चुकाने में लीड फार अर्थ वर्क का निर्धारण किस आधार पर किया जाता रहा? कृपया तत्सम्बन्धी एग्रीमेन्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) यह निर्माण कार्य कब समाप्त हुआ और इसका फाइनल पेमेन्ट कब कितने का चुकाया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि फाइनल पेमेन्ट एवं सिक्योरिटी की राशि वापिस ले लेने के बाद ठेकेदार ने लीड फार अर्थ वर्क के एक्स्ट्रा पेमेन्ट की मांग उठाई और उसको स्वीकार कर पेमेन्ट किया गया? यदि हां, तो यह मांग कब किस आधार पर कितनी राशि की उठाई और उसको स्वीकृत कर भुगतान करने का क्या औचित्य था?

उत्तर

(1) सोम कमला आम्बा डेम की सैडल नं 2 के निर्माण के दौरान ठेकेदारों को किये गये भुगतान का विवरण संलग्न प्रपत्र "अ" में वर्णित है। रनिंग बिल चुकाने में लीड फार अर्थ वर्क का भुगतान संविदा के साथ संलग्न "जी" शिड्यूल के आधार पर किया गया न कि कार्य सम्पादन में वास्तविक लीड के अनुसार। मूल संविदा जांच हेतु भ्रष्टाचार विभाग उदयपुर के पास है।

(2) वह निर्माण कार्य दिनांक 1/5/79 को पूर्ण हुआ व फाइनल बिल का भुगतान राशि रुपया 33,837 का दिनांक 17.7.80 को किया गया जिसे ठेकेदार ने अन्डर प्रोटेस्ट लिया।

(3) जी नहीं, यह मांग ठेकेदार ने सर्व प्रथम दिनांक 28.3.78 को उठाई थी एवं इसके बाद अपने पत्रों दिनांक 3.7.78, 27.12.78, 3.5.79, 28.8.79 द्वारा अधिक दूरी से लाई गई मिट्टी के वास्तविक लीड के भुगतान के लिये लिखा। इन पत्रों में राशि वर्णित नहीं की गई थी। वास्तविक लीड का भुगतान स्वीकृति के अभाव में अन्तिम बिल तक नहीं किया गया था और ठेकेदार ने अन्तिम बिल एतराज (अन्डर प्रोटेस्ट) के साथ लिया था। सिक्योरिटी की राशि ठेकेदार को दिनांक 16.1.81 को वापिस की गई। ठेकेदार को मिट्टी की वास्तविक लीड का भुगतान राशि रुपया 27660.00 दिनांक 5.10.81 को किया गया।

प्रपत्र "अ"

श्री सोभराजमल ठेकेदार को रनिंग बिलों पर भुगतान का ब्योरा

क्र. सं.	विवरण	वाउचर सं.व दिनांक	राशि
1.	पहला रनिंग बिल	228/28.2.78	1,32,348.00
2.	दूसरा रनिंग बिल	162/23.3.78	1,97,268,00
3.	तीसरा रनिंग बिल	256/31.3.78	48,468.00
4.	चौथा रनिंग बिल	52/30.4.78	1,68,297.00
5.	पांचवां रनिंग बिल	46/19.6.78	2,05,378.00
6.	छठा रनिंग बिल	101/30.11.78	87,917.00
7.	सातवां रनिंग बिल	97/30.12.78	2,67 695.00
8.	आठवां रनिंग बिल	79/31.1.79	2,17,001.00
9.	नवां रनिंग बिल	149/28 2.79	90,260.00
10.	दसवां रनिंग बिल	125/28 4.79	57.864 00
11.	ग्यारहवां रनिंग बिल	24/10.5.79	62,702.00
12.	बारहवां व अन्तिम बिल	46/17.7.80	33,837.00
13.	तेरहवां अन्तिम बिल सप्लीमेन्ट्री	9/5.10.81	35,930.00
		योग	16,05,065=00

कस्बा सांगानेर की बस्तियों से गन्दे पानी की निकासी

283. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कस्बा सांगानेर में पीली का खाना व रैगरों की मोरी बस्तियों में बाजारों का सारा गंदा पानी जमा होकर वर्ष भर इकट्ठा रहता है जिसके कारण उक्त बस्तियों के निवासियों ने आवागमन में घोर असुविधा की शिकायत नगरपालिका व राज्य सरकार को अनेकों बार की है ?

(2) क्या उक्त कीचड़ युक्त पानी के निकास के लिये नगरपालिका ने कुछ ठोस

(श्रीमती विद्या पाठक)

उपाय गत 3 वर्षों में किये हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ?

(3) क्या इस गंदे पानी के निकास के लिये नगरपालिका सांगानेर ने कुछ नाली निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1982-83, 1983-84 में की थी ? यदि हां, तो क्या वे नालियां बना दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त बस्तियों को नारकीय व दूषित वातावरण से छुटकारा दिलाने की योजना रखती है ? यदि हां, तो क्या और उसकी क्रियान्विति कब तक होगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। गन्दे पानी की समस्या के लिए तख्मीना बनाया गया है। परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(3) जी हां। परन्तु पूर्व निर्मित नालियों में पानी का बहाव न होने के कारण आगे निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया।

(4) इसके लिए नगरपालिका को लिखा जा रहा है कि वे पानी का बहाव सही ढंग से हो, इसके लिए तकनीकी जांच करा अपनी आर्थिक स्थिति अनुसार कार्य शीघ्र प्रारम्भ करें।

उड़न दस्ता वन्य जीव, बीकानेर

284. **श्री सुनील कुमार विश्नोई** (सूरतगढ़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नेशनल डेजर्ट पार्क, जैसलमेर व उड़न दस्ता, वन्य जीव, बीकानेर के वन अधिकारियों पर आज तक कितने हमले शिकारियों द्वारा किये गये व उनमें सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या सरकार ने उनकी रक्षा के लिए कोई कार्यवाही की ?

(2) उड़न दस्ता, वन्य जीव, बीकानेर के लिए सरकार सालाना कितना खर्च करती है और क्या यह पर्याप्त है ?

उत्तर

(1) डेजर्ट नेशनल पार्क तथा वन्य जीव उड़न दस्ता, बीकानेर के वन अधिकारियों पर एक एक हमले की रिपोर्ट दर्ज की गई है। दोनों प्रकरणों में पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

(2) विशेष परिस्थितियों में तथा आवश्यकता पड़ने पर पुलिस की सहायता ली जाती है।

(3) वन्य जीव उड़न दस्ता, बीकानेर पर सालाना लगभग 73,000/- रुपये व्यय किया जाता है जो पर्याप्त है।

होमियोपैथी डिप्लोमा में प्रवेश हेतु योग्यता

285. **श्री शिवदानसिंह राठौड़** (जैतारण) एवं **श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह** (गुढ़ा): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भारत सरकार ने होमियोपैथी डिप्लोमा में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर साइंस अथवा समकक्ष निर्धारित की है तथा इसे वर्ष 1983 से आरम्भ होने वाले सत्र के लिए लागू किया है? यदि हां, तो कृपया इस संबंध में जारी आदेश/निर्देश एवं गजट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राजस्थान होमियोपैथिक बोर्ड ने इसी शैक्षणिक वर्ष से इसी योग्यता को लागू कर दिया है? यदि हां, तो कृपया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि इंटर से कम योग्यता वाले छात्रों को प्रवेश दिया गया है? यदि हां, तो क्यों और किस-किस कालेज में कौन-कौन छात्र कम योग्यता के हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद ने होमियोपैथिक डिप्लोमा प्रवेश की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इन्टर साइन्स अथवा उसके समकक्ष योग्यता सत्र 1983-84 से निर्धारित की है। आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) उक्त योग्यता को सत्र 1983-84 से होमियोपैथिक बोर्ड द्वारा लागू नहीं किया गया।

(3) जी हां, राजस्थान में होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड (डी.एच.एम.एस.) रेगुलेशन, 1978 लागू है। पूर्व में निर्धारित योग्यता धारियों को ही होमियोपैथिक कालेजों में उक्त रेगुलेशंस के विनियम 3 (4) (1) के अन्तर्गत प्रवेश दिया गया है। अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY
10, Community Centre, Basant Lok,
Vasant Vihar, New Delhi—110057
15th May, 1983.

To,

1. The Registrars, All State Homoeopathy Councils/Boards.
2. The Principals, All Homoeopathic Medical Colleges.
3. All the State Governments.
4. Directors, Health/Homoeopathy Services in all theStates.

180

Subject :—Educational Regulations and Syllabi for Diploma, Graded and Direct degree courses-Implementation of.

Sir,

In continuation of this office letter of even number dated 3rd March, 1983, on the subject cited above, I am directed to forward herewith two copies each of the following regulations which have been notified vide Notification No. 7-1/83 CCH dated the 11th May, 1983 in the Gazette of India :—

1. The Homoeopathic (Diploma Course) Regulations, 1983
2. The Homoeopathic (Degree Course) Regulations, 1983
3. The Homoeopathic (Graded Degree Course) Regulations, 1982
4. The Homoeopathic (Minimum standard of education) Regulations, 1983

Since the Regulations have been sanctioned by the Central Government under the provisions of Homoeopathy Central Council Act, 1973 these have become mandatory. It is, therefore, requested that these regulations should be implemented in all the Homoeopathic Medical Colleges from the session starting.

A list of text books as recommended by the Central Council is also enclosed.

An intimation to this effect may kindly be sent to this Council at an early date.

The Hindi version of these regulations is being printed and copies of the same will be forwarded as soon as they are ready.

Yours faithfully,
Sd.
(Dr. P. L. Verma)
Secretary

पशु मेलों पर व्यय

286. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि करौली पशुपालन मेला राज्य सरकार द्वारा आयोजित पशु मेलों में से एक मेला है ? इससे राज्य को क्या आय होती है व कितने मवेशी आते हैं ?

(2) मेले आयोजनों पर पुष्कर, गोगामेड़ी, मेड़ता व करौली के मेलों में कितना-कितना रुपया व्यय होता है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस मेले से वर्ष 1983 में राज्य सरकार को पशु पालन विभाग से 57080 रुपयों की आय हुई एवं 27621 मवेशी आये हैं।

(2) पुष्कर, गोगा मेड़ी, मेड़ता एवं करौली के पशु मेलों के आयोजन पर वर्ष 82-83 में हुए व्यय का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

पशु मेला: पुष्कर, गोगामेड़ी, मेड़ता सिटी एवं करौली की व्यय तालिका

मेला	व्यय वर्ष		
	80-81	81-82	82-83
पुष्कर	104438	100892	114657
गोगामेड़ी	31960	32834	34260
मेड़तासिटी	42300	56100	46778
करौली	29178	29468	39000

पिगोरा रेलवे स्टेशन मार्ग पर पुलिया का निर्माण

287. श्री रामप्रसाद (रूपवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसील रूपवास कस्बा उच्चैन से पिगोरा रेलवे स्टेशन जाने वाली रोड पर बरसात के समय पानी भर जाने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो जाता है ? क्या उच्चैन से पिगोरा रेलवे स्टेशन से पिगोरा रेलवे से अघियारी नर्सरी, बहरा रेखपुरा आदि गांवों के लोगों को उच्चैन आने-जाने में बरसात के मौसम में स्कूल के बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पिगोरा रेलवे स्टेशन जाने वाली रोड पर पुलिया बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) उच्चैन-पिगोरा रेलवे स्टेशन सड़क पर 121 मीटर लम्बा एक कोजवे बना हुआ है। अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ की स्थिति में इस कोजवे पर यातायात में असुविधा होती है। इस स्थान पर पुलिया बनाने की कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है।

राज्य के हाट बाजार

288. श्री अमीन खां (शिव) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अमीन खां)

(1) राजस्थान में कितने हाट बाजार स्वीकृत किए गए हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बाड़मेर, जैसलमेर में कितने हाट बाजारों के प्रस्ताव आए हैं और उनमें कितने स्वीकृत किए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक और देरी के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान में अभी तक 184 हाट बाजार स्वीकृत किये गये हैं। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जिला बाड़मेर से 10 हाट बाजारों के तथा जिला जैसलमेर से 11 हाट बाजारों के प्रस्ताव अभी तक प्राप्त हुये हैं।

(2) जिला बाड़मेर के 5 हाट बाजारों के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं। शेष प्रस्ताव भूमि उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण नहीं भेजे जा सके हैं। जैसलमेर के हाट बाजारों के लिये भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। उस उपरान्त केन्द्रीय सरकार को निवेदन किया जावेगा।

राजस्थान में स्वीकृत ग्रामीण हाटों की जिलेवार सूची

जिला का नाम	मण्डी समिति का नाम	क्र. सं.	ग्रामीण हाट के स्थान का नाम
1	2	3	4
कोटा	इटावा	1.	पीपल्दा
,,	,,	2.	गैन्ता
,,	,,	3.	खातौली
,,	,,	4.	अयाना
,,	,,	5.	लुहावद
,,	,,	6.	करवाड़
,,	सुमेरगंज	7.	दीपरी
,,	,,	8.	इन्द्रगढ़
,,	अन्ता	9.	सीसवाली
,,	,,	10.	मांगरोल

1	2	3	4
कोटा	अन्ता	11.	सुल्तानपुर
,,	,,	12.	दिगोद
,,	,,	13.	बरोद
,,	,,	14.	बुद्धादीथ
,,	बारां	15.	रेलावन
,,	,,	16.	किशनगंज
,,	,,	17.	भंवरगढ़
,,	,,	18.	रामगढ़
,,	,,	19.	नाहरगढ़
,,	,,	20.	केलवाड़ा
,,	,,	21.	सिमरानिया
,,	,,	22.	देवरी
,,	,,	23.	कोयला
,,	,,	24.	मोठपुर
,,	,,	25.	भाटौन
,,	,,	26.	कुंजेड़
,,	,,	27.	बदौरा
,,	,,	28.	कटावर
,,	कोटा	29.	कैथून
,,	,,	30.	मंडाना
,,	रामगंज मण्डी	31.	मोरकस्टेशन
,,	,,	32.	खेराबड़ा
,,	,,	33.	चेचट
,,	,,	34.	खेराबाद
,,	,,	35.	कुम्भकोट
,,	,,	36.	सातलखेड़ी

(184)

1	2	3	4
कोटा	रामगंज मण्डी	37.	सुकेत
,,	सांगोद	38.	राजगढ़
,,	,,	39.	श्रांवा
,,	,,	40.	बयावरकलां
,,	,,	41.	देवली
,,	,,	42.	धुलेट
,,	,,	43.	कनवास
,,	,,	44.	दरा
,,	छबड़ा	45.	छीपाबड़ोद
,,	,,	46.	हरनाबदशाहजो
,,	,,	47.	बन्जारी
,,	,,	48.	सारथल
,,	,,	49.	जपला
,,	,,	50.	पाली
,,	,,	51.	मोतियापुर चौकी
बूंदी	बूंदी	52.	खटकड़
,,	,,	53.	नीमकाखेड़ा
,,	,,	54.	गुढ़ा
,,	,,	55.	नेनवां
,,	,,	56.	दई
,,	,,	57.	तलवास
,,	,,	58.	पीपल्या
,,	,,	59.	करवर
,,	,,	60.	हिण्डोली
,,	,,	61.	डबलाना
,,	,,	62.	श्रालोद

1	2	3	4
बूंदी	केशवराय पाटन	63.	कापरन
,,	,,	64.	घाट का बाराना
,,	,,	65.	मायजा
,,	,,	66.	नोताड़ा
,,	,,	67.	झालीजी का बाराना
,,	,,	68.	लाखेरी
,,	,,	69.	बड़ाखेरा
,,	,,	70.	लबान
,,	,,	71.	मण्डोली खुर्द
,,	,,	72.	केशवराय पाटन
झालावाड़ा	इकलेरा	73.	गेहूखेड़ी
,,	,,	74.	चुरेलिया
,,	,,	75.	मनोहरथाना
,,	भवानी मंडी	76.	रायपुर
,,	,,	77.	गादिया
,,	,,	78.	हैमड़ा
,,	,,	79.	गणेशपुर
,,	,,	80.	मंगेसपुर
,,	,,	81.	छोटी उनेल
,,	,,	82.	पीपल्या
,,	,,	83.	भीलवाड़ी
,,	,,	84.	श्रीछत्रपुर।
,,	चोमेला	85.	डग
,,	,,	86.	आवर
,,	खानपुर	87.	सारोला
,,	,,	88.	देईखेड़ा

1	2	3	4
झालावाड़	खानपुर	89.	लायफल
,,	,,	90.	पनवाड़
,,	,,	91.	हरीगढ़
,,	,,	92.	गाडरवाडामूरजी
,,	,,	93.	तारज
,,	झालावाड़	94.	रिछवा
,,	,,	95.	मण्डावर
,,	,,	96.	झालावाड़
,,	,,	97.	रतलाई
,,	,,	98.	असनावर
,,	,,	99.	सरड़ा
,,	झालरापाटन	100.	बकानी हाट
,,	,,	101.	झालटा
,,	,,	102.	घाटोली
भरतपुर	घोलपुर	103.	गनेहरी
,,	,,	104.	शेफु
,,	,,	105.	कोलारी
,,	,,	106.	लसीमों
,,	,,	107.	करीमपुर
,,	,,	108.	केथरी
,,	,,	109.	नवाबबसई
,,	,,	110.	दोनारी
,,	,,	111.	राजाखेड़ा
,,	,,	112.	मनिया
,,	बाड़ी	113.	बमेड़ी
,,	,,	114.	सरमथुरा

1	2	3	4
जयपुर	दौसा	115.	भाडारेज
,,	,,	116.	लवान
,,	,,	117.	कुण्डल
,,	,,	118.	पाड़दा
,,	चाकसू	119.	माधोराजपुर
,,	,,	120.	फागी
,,	नरेना	121.	बोराज
,,	,,	122.	मौजमाबाद
,,	लालसोट	123.	मन्डावरी
,,	बाँदीकुई	124.	सिकराय
चित्तौड़गढ़	कपासन	125.	राश्मी
,,	चित्तौड़गढ़	126.	बस्सी
बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	127.	गन्टोली
,,	,,	128.	दानपुर
,,	,,	129.	मोटागांव
,,	,,	130.	घाटोल
,,	,,	131.	मौखमपुरा
,,	,,	132.	छोटी सरवा
,,	,,	133.	कुशलगढ़
,,	,,	134.	बागीडोरा
,,	,,	135.	रामगढ़
टोंक	उनियारा	136.	पंचाला
,,	,,	137.	अलीगढ़
,,	,,	138.	चोरु
,,	,,	139.	सोप
,,	,,	140.	बनेठा

1	2	3	4
टोंक	देवली	141.	नगर
,,	,,	142.	धाड़
,,	,,	143.	भ्रांवा
,,	,,	144.	नासिरदा
,,	टोडारायसिंह	145.	उनियाराखुर्द
,,	निवाई	146.	चनानी
भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	147.	पोटला
,,	,,	148.	बड़लियावाल
,,	ग्रासीन्द	149.	बदनौर
,,	,,	150.	सरेरी
,,	,,	151.	दौलतगढ़
,,	माण्डलगढ़	152.	महुवा
,,	,,	153.	बसन्दनी
,,	,,	154.	सलावटिया
,,	शाहपुरा	155.	कन्नेछन कलां
ग्रजमेर	ग्रजमेर	156.	रामसर
उदयपुर	उदयपुर	157.	रिखबदेव
,,	,,	158.	पारसोला
,,	,,	159.	झाड़ोला
सवाईमाधोपुर	हिण्डौन	160.	सनेट
,,	,,	161.	महावीरजी
,,	,,	162.	सारसलपुर
,,	,,	163.	सुरोठ
,,	,,	164.	डिढोरा
,,	महुग्रा मण्डावर	165.	बालाहेड़ी
,,	,,	166.	गढ़खेड़ा

1	2	3	4
सवाईमाधोपुर	महुआ मण्डावर	167.	मोरड़ा
सवाईमाधोपुर	गंगापुर सिटी	168.	पिपलाई
,,	,,	169.	बोटोदा
,,	,,	170.	केमला
,,	,,	171.	सपोटरा
,,	,,	172.	बरनाला
,,	,,	173.	मण्डारायल
,,	,,	174.	गढ़मोरा
,,	,,	175.	हाडौती
,,	सवाईमाधोपुर	176.	कुण्डेरा
,,	,,	177.	मालासा–डूंगर
,,	,,	178.	बहरावन्डा खुर्द
,,	,,	179.	जस्टाना
,,	,,	180.	मालारनाचोड
श्रीगंगानगर	रायसिंहनगर	181.	ठन्डी
,,	,,	182.	विसनपुरा (31 पी. एस.)
,,	गंगानगर	183.	हिन्दूमलकोट
,,	हनुमानगढ़	184.	नोरंगदेसर

महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा के शिलालेख का प्रकरण

289. **श्री राज बहादुर (भरतपुर)** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर से प्रकाशित 16 जनवरी, 1984 के 'कामधेनु' पत्र में "मुख्य मन्त्री ने श्री व्यास नाम का शिलालेख हटवाया" शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसमें तथ्य है ?

(श्री राज बहादुर)

(2) क्या यह सही है कि लगभग 30 वर्ष पूर्व भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय के द्वार पर मुख्य मन्त्री स्व. जयनारायण व्यास के नाम उद्घाटन का कोई शिलालेख लगा हुआ था और अब उसको वहां से हटा दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। तथ्यों को तोड़मरोड़ कर प्रकाशित किया गया है।

(2) महात्मा गांधी आरोग्य सदन, भीलवाड़ा के प्रारम्भिक भवन के श्री जयनारायण व्यास, भू. पू. मुख्य मंत्री द्वारा 5 नवम्बर, 1953 को किये गये उद्घाटन विषयक शिलालेख, इस भवन के मध्य छोटे हाल के दोनों ओर के कमरों की दीवारों पर, बाहर के बरामदे में, हिन्दी व अंग्रेजी में लगे हुये थे।

महात्मा गांधी आरोग्यसदन, भीलवाड़ा की क्रमोन्नति प्रथम श्रेणी में होने पर आगे के बरामदे व हाल के दोनों ओर के कमरों को गिराकर उनकी जगह आधुनिकतम बड़ा हाल (केन्द्रीय कक्ष) व मुख्य प्रवेश द्वार बनाया गया, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर ने दिनांक 17 जून, 1983 को किया। इसका शिलालेख अलग से लगाया गया है। भू० पू० मुख्य मंत्री श्री जयनारायण व्यास द्वारा उद्घाटन के हिन्दी और अंग्रेजी के दोनों शिलालेखों को उतने ही महत्वपूर्ण स्थान पर लगा दिया गया है।

बांसवाड़ा जिले के प्रसूति गृह

299. **श्री बहादुर सिंह (दानपुर)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा में कुल कितने प्रसूति गृह वर्तमान में हैं? कितने और प्रसूति गृह वर्ष 1984–85 में खोलने की योजना है? कृपया पंचायत समितिवार अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिले में कुल कितनी प्रशिक्षित दाइयां हैं? कृपया पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिले में दूरस्थ आदिवासी इलाके हेतु क्या कोई दाइयों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है अथवा चलाया जायेगा?

(4) जिले में कुल कितनी आदिवासी और हरिजन महिलाएं दाई के लिए प्रशिक्षित की गईं? कृपया पंचायत समितिवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में वर्तमान में एक प्रसुति गृह पंचायत समिति बांसवाड़ा

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)

के अन्तर्गत बांसवाड़ा में कार्यरत है। वर्ष 1984-85 में राज्य में कोई नवीन प्रसूति-गृह खोलने का प्रावधान नहीं है।

(2) जिले में कुल 746 प्रशिक्षित दाइया है। पंचायत समितिवार ब्योरा निम्न प्रकार है :—

पंचायत समिति	प्रशिक्षित दाईया
1. बांसवाड़ा नगर	56
2. आनन्दपुरी	61
3. पीपलखूंट	79
4. बागी डोरा	97
5. सज्जनगढ़	56
6. कुशलगढ़	70
7. घाटोल	93
8. गढ़ी	126
9, बांसवाड़ा	108

(3) जी हां।

(4) पचायत समितिवार प्रशिक्षित दाइयों का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

प्रा० स्वा० केन्द्र	पंचायत समिति	आदिवासी व हरिजन
1	2	3
बासवाड़ा	शहरी क्षेत्र	49
आनन्दपुरी	आनन्दपुरी	55
छींच	बागीडोरा	88
छोटी सरवन	पीपलखूंट	72
छोटा डूंगरा	सज्जन गढ़	50
कुशलगढ़	कुशलगढ़	63
गनोडा	घाटोल	82
परतापुर	गढ़ी	114
तलवाड़ा	तलवाड़ा	98
	योग	671

पांचना बांध के निर्माण कार्यों की जांच

291. **श्री शिवराम शर्मा** (वनीपार्क) एवं **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्री माधोपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पांचना बांध से सम्बन्धित भ्रष्टाचार की कोई जांच चल रही है? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच के अब तक क्या तथ्य सामने आये हैं ?

(3) उक्त जांच किस स्तर पर चल रही है तथा कब तक जांच कार्य पूरा हो जायेगा ?

उत्तर

(1) पांचना बांध से संबंधित भ्रष्टाचार की शिकायतों पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जांच कार्य किया जा रहा है। शिकायतें निम्नलिखित अधिकारियों के विरुद्ध की गई है :—

1. श्री डी. एन. ढाण्डा, अधीक्षण अभि.
2. श्री आर. डी. विजय अधिशाषी अभि.
3. श्री एस. एस. भुप्पल अति. मुख्य अभि.

(2) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, द्वारा जांच कार्य जारी है जांच सम्पूर्ण होने पर ही यह बतलाया जा सकता है कि कौनसी शिकायत सही है।

(3) चूंकि जांच कार्य भ्रष्टाचार निरोधक विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा किया जा रहा है इस सम्बन्ध में सूचना सिंचाई विभाग देने में असमर्थ हैं।

उदयपुर के चुंगी नाकों पर नवीन रोड निर्माण

292 **श्री भैरूंलाल मीणा** (उदयपुर-ग्रामीण) : क्या नगरीय आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर के दो चुंगी नाकों से एरोड्रम को भी रास्ता जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह रास्ता अवरुद्ध होने से हवाई जहाज में जाने वालों को गोर्धन विलास और चित्तौड़ रोड होकर एरोड्रम जाना पड़ता है ?

(3) क्या इन चुंगी नाकों पर तीन रोड बनाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। उदयपुर शहर से एरोड्रम जाने के लिए चित्तौड़गढ़ जाने वाले मार्ग पर एक ही चुंगी नाका प्रतापनगर है।

(2) जी नहीं। उदयपुर शहर से एरोड्रम के लिए चित्तौड़गढ़ रोड ही सड़क का मार्ग है।

(3) जी नहीं।

कोटा जिले के आयुर्वेद औषधालय

294. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) एवं **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में कितने "अ" श्रेणी के आयुर्वेद औषधालय कहां-कहां पर कार्यरत हैं ? उन पर कौन-कौन व्यक्ति किस किस कार्य हेतु नियुक्त है ? नियुक्ति, कर्मचारियों के वेतन व भत्तों आदि पर गत 3

(श्री दाऊदयाल जोशी)

वर्षों में कितना-कितना व्यय हुआ ? कृपया वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन "अ" श्रेणी औषधालयों में रोगियों को क्या-क्या सुविधायें मुहैया करवाई जाती हैं ? क्या ये सभी "अ" श्रेणी के औषधालयों में उपलब्ध कराई जा रही हैं ? यदि हां, तो उस पर गत तीन वर्षों में क्या-क्या, किस-किस हेतु कहां-कहां व्यय हुआ ? कृपया विगत वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इन औषधालयों से गत तीन वर्षों में कितने अंतरंग रोगियों ने व कितने वहिरंग रोगियों ने (इनडोर व आउट डोर) चिकित्सा लाभ प्राप्त किया ?

(4) इन चिकित्सालयों को कब-कब कितने कितने मूल्य की औषधियां विभाग ने वितरित कीं ? रोगियों की संख्या एवं औषधियों के मूल्य का क्या अनुपात रहा ?

(5) प्रस्तुत आंकड़ों में से प्रति रोगी कितना व्यय प्रशासन पर व कितना मूल्य औषधियों पर आया ? कृपया विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले में 13 "अ" श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय/औषधालय कार्यरत हैं। इनमें कौन कौन व्यक्ति, किस किस पद पर कार्यरत है तथा वर्ष 1981-82, 1982-83 व 1983-84 में औषधालयवार वेतन व भत्तों पर हुए व्ययों की सूचना संलग्न परिशिष्ट-1 में सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के साथ साथ औषधियां भी उपलब्ध करायी जाती हैं। यह सुविधायें सभी औषधालयों में दी जा रही हैं। जिन चिकित्सालयों में रोगी शैयाएं स्वीकृत हैं वहां रोगी को भर्ती करने की भी सुविधा है। वर्ष 1981-81, 1982-83 व 1983-84 में औषधियों एवं पथ्य व्यवस्था पर हुए व्ययों की सूचना परिशिष्ट-1 में सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) इन औषधालयों से वर्ष 1981-82, 1982-83 व 1983-84 में चिकित्सा लाभ प्राप्त करने वाले रोगियों की सूचना परिशिष्ट-2 में संलग्न सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) इन औषधालयों को वर्ष 1981-82, 1982-83 व 1983-84 में वितरित की गयी औषधियों का विवरण तथा प्रति रोगी उपलब्ध करायी गयी औषध का अनुपात, परिशिष्ट-2 में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(5) इन औषधालयों में प्रति रोगी व्यय, प्रशासन एवं औषधि का, परिशिष्ट-2 में सदन के पटल पर रख दिया गया हैं।

परिशिष्ट 1

कोटा जिले में कार्यरत 'अ' श्रेणी चिकित्सालयों में कार्यरत कर्मचारी एवं औषधालय वार वर्ष 1981–82, 1982–83 एवं 1983–84 में वेतन व भत्ते, पथ्य तथा औषधि का वर्षवार व्यय विवरण की सूची

क्र. सं.	नाम औषधालय/ चिकित्सालय	नाम कार्यरत कर्मचारी	पद	वर्ष 1981-82 का व्यय			वर्ष 1982-83			वर्ष 1983-84		
				वेतन व भत्ते	पथ्य	औषध	वेतन व भत्ते	पथ्य	औषध	वेतन व भत्ते	पथ्य	औषध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अ-श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय-कोटा (10 रोगी शैयाएं स्वीकृत)	1. नरोत्तम कुमारी सहगल	चिकित्सक	150808	2875	23577	179597	3317	18587	169324	1778	9296
		2. बृजमोहन गुप्ता	,,									
		3. मुरलीधर शर्मा	,,									
		4. देव कुमार जैन	कम्पाउण्डर									
		5. गंगाधर व्यास	,,									
		6. राजेन्द्रकुमार पारीक	,,									
		7. रमेशचन्द्र धनोतिया	,,									
		8. छीतरलाल प्रजापत	,,									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		9. सन्तोष देवी शर्मा	नर्स									
		10. स्नेहलता पारीक	,,									
		11. इन्दु ओझा	,,									
		12. बाबूलाल बाबर	कम्पाउण्डर									
		13. देवी सिंह	परिचारक									
		14. नन्द किशोर	,,									
		15. ललितादेवी	,,									
		16. कल्याणी बाई	,,									
		17. कैलाशचन्द मीणा	क.लिपिक									
2.	आयुर्वेद औषधालय छावनी, कोटा	1. हिमांशुदत्त	चिकित्सक	27000	—	1887	30000	—	2287	33000	—	1324
		2. अनुप कुमारी	नर्स									
		3. शंकर सिंह	परिचारक									
3.	छबड़ा-कोटा	1. सुकुमार जैन	चिकित्सक	24000	—	4548	27000	—	1117	30000	—	1224
		2. जहीर अहमद	कम्पाउण्डर									
		3. कन्हैयालाल	परिचारक									
4.	छीपा बड़ोद	1. बाबूलाल	चिकित्सक	28000	—	9187	31000	—	2533	34000	—	1347
		2. रमेश चन्द्र	कम्पाउण्डर									
		3. मोहनलाल	परिचारक									

195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	कैथून-कोटा	1. मंजुल कुमार	चिकित्सक	28000	—	6654	31000	—	8583	34000	—	2900
		2. इन्द्रलाल	कम्पाउण्डर									
		3. पन्नालाल	परिचारक									
6.	पलायथा-कोटा	1. उमाशंकर	चिकित्सक	27000	—	6546	30000	—	1146	33000	—	1344
		2. प्रभुलाल	कम्पाउण्डर									
		3. रामकरण	परिचारक									
7.	बडवा-कोटा	1. जगपालसिंह	चिकित्सक	28000	—	1956	31000	—	1186	34000	—	1328
		2. छैलबिहारी	कम्पाउण्डर									
		3. मोतीलाल	परिचारक									
8.	कवाई-कोटा	1. ओमप्रकाश	चिकित्सक	27000	—	2075	30000	—	403	33000	—	2985
		2. रामेश्वर प्रसाद	कम्पाउण्डर									
		3. भगवानदास	परिचारक									
9.	मिर्जापुर-कोटा	1. मूलचन्द	चिकित्सक	26000	—	1040	29000	—	2008	32000	—	1390
		2. ओम प्रकाश	कम्पाउण्डर									
		3. मोहनलाल	परिचारक									
10.	ऊदपुरा-कोटा	1. मदनगोपाल	चिकित्सक	28000	—	7547	31000	—	1548	34000	—	4800
		2. गोवर्धनलाल	कम्पाउण्डर									
		3. मोहनलाल	परिचारक									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11. मोड़क-कोटा	1. प्रभुलाल 2. बालमुकन्द	चिकित्सक परिचारक	20000	—	2713	23000	—	3656	26000	—	1500
12. हरनावदा शाहजी, कोटा	1. श्रीकृष्ण शर्मा 2. बनवारीलाल 3. किशनलाल	चिकित्सक कम्पाउण्डर परिचारक	28000	—	5174	31000	—	3975	34000	—	1493
13. गेंता-कोटा	1. रामसिंह 2. श्रीनिवास 3. मदनलाल	चिकित्सक कम्पाउण्डर परिचारक	24000	—	1199	27000	—	1131	30000	—	1254

परिशिष्ट 2

कोटा जिले में संचालित अ–श्रेणी औषधालयों एवं चिकित्सालयों की वर्ष 1981–82, 1982–83, 1983–84 (फरवरी, 1984 तक) की वार्षिक रोगी संख्या, औषध वितरण, प्रतिरोगी औषध व्यय व प्रशासनिक व्यय की सूचना का विवरण

क्र. सं.	नाम औषधालय/ चिकित्सालय	वर्ष	रोगी संख्या अन्तरंग	रोगी संख्या बहिरंग	औषध वितरण	प्रशासनिक व्यय	प्रतिरोगी औषध व्यय (प्रतिरोगी उपलब्ध कराई गई औषध का अनुपात)	प्रति रोगी प्रशासनिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अ-श्रेणी चिकित्सालय	1981-82	819	92690	23577	165794	0.25	1.77
	कोटा	1982-83	536	77480	18587	190627	0.24	2.44
		1983-84	458	100947	9296	181674	0.09	1.79
2.	छावनी, कोटा	1981-82	—	10043	1887	27702	0.18	2.75
		1982-83	—	10915	2287	30498	0.20	2.79
		1983-84	—	9205	1324	33576	0.14	3.64
3.	छबड़ा	1981-82	—	14849	4548	24687	0.30	1.66
		1982-83	—	15520	1118	27492	0.07	1.77
		1983-84	—	13117	1224	30588	0.09	2.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	छीपाबड़ौद	1981-82	—	40375	9187	28697	0.23	0.71
		1982-83	—	38474	2533	31489	0.07	0.8
		1983-84	—	33471	1347	34564	0.04	1.03
5.	कंथून	1981-82	—	64215	6654	28712	0.10	0.45
		1982-83	—	65821	8583	31489	0.13	0.48
		1983-84	—	51717	2900	34584	0.06	0.67
6.	पलायता	1981-82	—	23632	6546	27712	0.28	1.72
		1982-83	—	27809	1146	30509	0.04	1.10
		1983-84	—	23811	1344	33574	0.06	1.41
7.	बड़वा	1981-82	—	12993	1956	28702	0.15	2.21
		1982-83	—	11215	1186	31509	0.11	2.80
		1983-84	—	9207	1328	34574	0.14	3 76
8.	कवाई	1981-82	—	20526	2075	27717	0.10	1.35
		1982-83	—	21023	403	30489	0.01	1.45
		1983-84	—	19739	2985	33569	0.15	1.70
9.	मिर्जापुर	1981-82	—	10521	1040	26692	0.10	2.54
		1982-83	—	11422	2008	29494	0.18	2.58
		1983-84	—	21325	1390	32594	0.07	1.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	कदपुरा	1981-82	—	64463	7547	28727	0.12	0.45
		1982-83	—	27533	1548	31484	0.06	1.14
		1983-84	—	24112	4800	34584	0.20	1.43
11.	मोडक	1981-82	—	10215	2713	20687	0.27	2.02
		1982-83	—	9332	3656	23509	0.39	2.52
		1983-84	—	7516	1500	26569	0.20	3.53
12.	हरनावदा शाहजी	1981-82	—	11265	5174	28712	0.46	2.55
		1982-83	—	12325	3975	31504	0.32	2.56
		1983-84	—	10108	1493	34579	0.15	3.42
13.	गेन्ता	1981-82	—	11969	1199	24702	0.10	2.06
		1982-83	—	12132	1131	27489	0.09	2.27
		1983-84	—	10315	1254	30569	0.12	2.96

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक संघ, जयपुर

295. **श्री तेजपाल यादव (चौमू)** : क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक संघ, जयपुर में अलग-अलग दुग्ध समितियों से प्रतिदिन कितना दुग्ध एकत्रित होता है व इसका उपयोग व वितरण किस-किस रूप में होता है ?

(2) प्रतिदिन इकट्ठा होने वाले दुग्ध का उपयोग जयपुर में ही करने व बचे हुए दुग्ध का पाउडर व अन्य वस्तुयें बनाने हेतु संघ ने क्या कार्यक्रम बनाया है ?

(3) दुग्ध उत्पादकों से समितियों के माध्यम से खरीद किये जाने वाले दुग्ध की कीमत कौन तय करता है तथा दुग्ध की कीमत तय करने का क्या माप दण्ड है ?

उत्तर

(1) जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० जयपुर द्वारा 214 दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति व 93 दूध संकलन केन्द्रों से लगभग 40 हजार लीटर दूध प्रतिदिन संकलित किया जा रहा है। सकलित दूध राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन के डेयरी संयत्र जयपुर को दिया जाता है।

(2) जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० द्वारा प्रतिदिन संकलित दूध, राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन के डेयरी संयत्र जयपुर को दिया जाता है। दूध का वितरण एवं दुग्ध पदार्थ बनाने का कार्य डेयरी संयत्र द्वारा किया जाता है।

अतः दूध वितरण एवं दुग्ध पदार्थ बनाने हेतु संघ द्वारा कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है।

(3) दुग्ध उत्पादकों से समितियों के माध्यम से खरीद किये जाने वाले दुग्ध की कीमत राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन के द्वारा प्रचलित बाजार भाव व दिल्ली स्थित डेयरियों से प्राप्त मूल्य को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है।

केसरीसिंहपुर क्षेत्र में सड़क निर्माण

296. **श्री मनफूल राम (केसरीसिंहपुर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र केशरीसिंहपुर के गांव कोठा से खरवां, कैरी से राणका, एक एच से भदेरा, कोनी से दोलतपुरा, दोलतपुरा से 8 क्यू, 10 क्यू, 11 क्यू से 9 क्यू लिंक रोड 12 क्यू से 14 क्यू तथा 9 जी से चुनावड़ तक पक्की सड़क प्राथमिकता के आधार पर बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

प्रश्न में वर्णित कुछ गांव पूर्व में ही सड़कों से जुड़े है। प्रश्न में प्रस्तावित सम्पूर्ण सड़क की योजना पर गुणावगुण के आधार पर धन की उपलब्धता के अनुसार विचार किया जावेगा।

बांसवाड़ा जिले में खरीफ फसल हेतु वितरित बीज

297. **श्री फते सिंह** (कुशलगढ़) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में गत खरीफ फसल के लिये कितना बीज किस किस किस्म का बांटा गया ?

(2) क्या यह सही है कि संकर मक्का व ज्वार का बीज बांटा गया था ? यदि हां, तो कुशलगढ़ क्षेत्र में कितने काश्तकारों को कितना बीज बांटा गया ?

(3) क्या विभाग ने घटिया बीज बांटा जिससे किसानों को हानि हुई ? क्या सरकार घटिया बीज बांटने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी और जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा देगी ?

(4) क्या विभाग द्वारा बीज वितरण व्यवस्था में भ्रष्टाचार हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में वर्ष 1983 को खरीफ में संकर मक्का का 452.78 क्विंटल, सकर ज्वारा का 12,80 क्वि, धान का 24.21 क्वि., उड़द का 4.90 क्वि., अरहर का 2.10 क्वि., सोयाबीन का 56.35 क्वि. तिल का 0.75 क्वि. एवं कपास का 877.95 क्विटल बीज वितरित किया गया।

(2) जी हां। कुशलगढ़ क्षेत्र में 325 कृषकों को संकर मक्का का 21.08 क्वि. तथा 200 कृषकों को संकर ज्वार का 650 क्विंटल बीज वितरित किया गया।

(3) जी नहीं। अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी नहीं। बीज वितरण की व्यवस्था में भ्रष्टाचार की कोई सूचना एवं शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में दर्ज मामलों पर कार्यवाही

298. **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) पिछले तीन वर्षों में सोर्स रिपोर्ट, ट्रैप एवं विभागों द्वारा प्रेषित कितने मामले भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में दर्ज हुए ?

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

(2) उक्त मामलों में कितने मामलों में जांच पूरी हो चुकी है तथा कितने मामले विचाराधीन हैं ?

(3) उक्त मामलों में कितने मामलों में एफ.आर. दी जा चुकी है और कितने मामलों में चालान किया जा चुका है ? कितने मामले अभी कार्मिक विभाग के पास स्वीकृति हेतु कितनी अवधि से पड़े हैं ?

(4) उक्त अवधि में ट्रेप के कितने मामलों में कार्मिक विभाग ने चालान की स्वीकृति नहीं दी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) कार्मिक विभाग द्वारा स्वीकृति नहीं दिए गए मामलों में कितनी राशि अन्तर्विष्ट है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में तीन वर्ष (1981 82,83) में 561 सूत्र सूचनायें दर्ज हुई, 111 ट्रेप पंजीबद्ध किये गये एवं अन्य विभागों द्वारा प्राप्त 23 शिकायतों पर प्राथमिक जांच एवं 41 सोर्स रिपोर्ट दर्ज की गई । 16 प्रकरण सोर्स रिपोर्ट पर, 77 प्रकरण प्राथमिक जांच पर व 36 प्रकरण सीधे व विभागों की रिपोर्ट पर दर्ज किये गये । इस प्रकार वर्ष (1981, 82,83) में कुल 240 प्रकरण, 561 सोर्स रिपोर्ट एवं 23 प्राथमिक जांच विभागों द्वारा प्राप्त शिकायतों पर दर्ज की गई ।

(2) उक्त मामलों में 404 सूत्र सूचनाओं का दिनांक 3-12-83 तक निस्तारण किया जा चुका है एवं 157 सूत्र सूचनायें विचाराधीन है । 240 प्रकरणों में से 126 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है शेष 114 प्रकरण अन्वेषणाधीन रहे हैं । इसी प्रकार 23 प्राथमिक जांचों में 14 का निस्तारण किया जा चुका है व 9 प्राथमिक जांच विचाराधीन है ।

(3) वर्ष (81,82,83) में दर्ज शुदा 240 प्रकरणों में से 19 में अन्तिम प्रतिवेदन दिया जा चुका है । 46 प्रकरणों का न्यायालय में चालान किया जा चुका है । 13 प्रकरण कार्मिक विभाग में विचाराधीन हैं । जिसकी सूची परिशिष्ट "क" में अंकित है ।

(4) (वर्ष 1981,82,83) में कार्मिक विभाग में दो ट्रेप के प्रकरण संख्या 1/80 एवं 109/79 प्राप्त हुए । कार्मिक विभाग ने इन दो मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं करने का निर्णय लिया ।

(5) उक्त दोनों प्रकरणों में प्रकरण संख्या 1/80 में 100/–रुपये उत्कोच की राशि है । प्रकरण सं. 109/79 में भी 100/–रुपये उत्कोच की राशि है ।

(गृह मन्त्री)

परिशिष्ट–क

क्रमांक	अपराध संख्या	अभियोजन स्वीकृति भेजने का दिनांक
1.	22/82	6-12-83
2.	23/82	7-12-83
3.	33/82	17-12-83
4.	57/81	17-12-83
5.	58/81	30-12-83
6.	59/81	17-1-83
7.	64/80	15-6-83
8.	62/82	1-11-83
9.	89/82	18-8-83
10.	1/79	29-9-83
11.	1/83	23-11-83
12.	11/81	23-12-83
13.	58-82	8-8-83

कठूमर निर्वाचन क्षेत्र की चिकित्सा इकाइयों में रिक्त पद

299. **श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर) एवं **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) निर्वाचन क्षेत्र कठूमर जिला अलवर में चिकित्सालय की विभिन्न इकाइयों में कितने कितने पद किन किन ग्रामों में स्वीकृत हैं ?

(2) क्या उक्त जगह स्वीकृत स्टाफ की पूर्ति हो चुकी है ? यदि नहीं, तो कहां-कहां पर कौन कौन से पद रिक्त हैं ?

(3) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) कठूमर जिला अलवर के 19 ग्रामों में स्थित चिकित्सा की विभिन्न इकाइयों में 89 विभिन्न पद स्वीकृत हैं । सूची सदन के पटल पर रखदी गई है ।

(2) जी हां । अधिकांश पद भरे हुये हैं । 89 स्वीकृत पदों में से 75 पद भरे हुये हैं । रिक्त पदों की सूची प्रश्न के भाग एक की सूची में सम्मिलित है ।

(3) कुल 14 रिक्त पद हैं । प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होने पर रिक्त पदों की पूर्ति करना सम्भव हो सकेगा ।

क्र. सं. 1	नाम संस्था 2	पद का नाम 3	स्वीकृत पद 4	रिक्त पद 5
1.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कठूमर	सी.ए.एस.	3	—
		मेलनर्स	2	—
		स्वास्थ्य निरीक्षक	1	—
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	2	—
		प्रसाविका	2	1
		बी.ई.ई.	1	—
		वरिष्ठ लिपिक	1	—
		संगणक	1	—
		सेक्टर सुपरवाइजर	1	—
		वाहन चालक	1	—
		मलेरिया निरीक्षक	1	—
		मलेरिया तकनीशियन	1	—
		बहुउद्देशीय कार्यकर्ता	1	—
		वरिष्ठ कार्यकर्ता	1	—
		मलेरिया निगरानी कार्यकर्ता	1	—
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4	—
2.	उप केन्द्र बडोदधान	प्रसाविका	1	—
		एम.पी.डब्लू.	1	—
	,, रोनीजाथान	प्रसाविका	1	1
		एम.पी.डब्लू.	1	1
	,, साखरी	प्रसाविका	1	—
		एम.पी.डब्लू.	1	—
	,, ससई	प्रसाविका	1	--
		एम.पी.डब्लू	1	—
	,, टिटपुरी	एम.पी.डब्लू	1	—

1	2	3	4	5
	सोखरी	एम.पी. डब्लू	1	—
	खेलार	प्रसाविका	1	1
		एम.पी.डब्लू	1	—
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (पार्टटाइम)	1	1
	,, मथेना	प्रसाविका	1	1
		एम.पी.डब्लू	1	—
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	1
	,, मेनकर	एम.पी.डब्लू	1	1
		बहुउद्देशीय कार्यकर्ता	1	—
	,, नागसरवा	प्रसाविका	1	—
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	—
	,, मथुरासेडा	प्रसाविका	1	—
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (पार्टटाइम)	1	1
	,, जटवाड़ा	प्रसाविका	1	1
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (पार्टटाइम)	1	1
	,, छोरोली	प्रसाविका	1	—
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	1
		(पार्टटाइम)	1	1
3.	उपकेन्द्र, मसारी	प्रसाविका	1	1
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	1
4.	राजकीय चिकित्सालय बहतेकला	सी.ए.एस.	1	—
		मेलनर्स	2	—
		नर्सदाई	1	—
		सेक्टर सुपरवाइजर	1	—
		एम.पी.डब्लू.	1	—
		बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (स्वास्थ्य)	1	—
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	—

1	2	3	4	5
5.	राजकीय चिकित्सालय मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, खेडली	सी.ए.एस.	2	—
		मेलनर्स	2	—
		प्रसाविका	1	—
		सेक्टर सुपरवाइजर	1	—
		एम.पी.डब्लू.	1	—
		बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (स्वास्थ्य)	1	—
		नर्सदाई	1	—
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4	—
6.	राजकीय चिकित्सालय कालवाड़ी	सी.ए.एस.	1	—
		मेलनर्स–11	2	—
		सेक्टर सुपरवाइजर	1	—
		प्रसाविका	1	—
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4	—
7.	एडपोस्ट गाह	सेक्टर सुपरवाइजर	1	—
		प्रसाविका	1	—
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	—
		मेलनर्स	1	—

लूनी नदी से बाढ़ का रोकने के उपाय

300. श्री अमराराम (पचपदरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि स्पर्श पूरे अगर नहीं बनाए गये तो लूनी नदी में बाढ़ आने पर कई काश्तकारों के खेत और समदड़ी ग्राम की आबादी भी नष्ट हो सकती है ?

उत्तर

निर्माणाधीन स्पर्श अगर पूरे नहीं बनाये जायें तो लूनी नदी में बाढ़ आने पर किनारे के खेतों को नुकसान हो सकता है। समदड़ी की आबादी को इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि समदड़ी के बाद बचाव के लिये समदड़ी तट बन्धन का निर्माण किया जा चुका है।

परिशिष्ट 8

तारांकित प्रश्न संख्या 272 की तालिका

बड़ी माल संचार इकाई बाबत सूचना

क्रमांक	नाम इकाई	स्थापना वर्ष	उत्पादन क्षमता		क्षमता का उपयोग		विवरण
			प्रारम्भ में	वर्ष 82–83	प्रारम्भ में	वर्ष 82–83	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राजस्थान कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि., गुलाबपुरा	1965	12960 तकुओं से कार्य आरम्भ हुआ।	30728 तकुओं द्वारा उत्पादन किया जा रहा है।	उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।	30728 तकुओं से 2404 टन सूत उत्पादन हुआ।	
2.	श्री केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लि., केशोरायपाटन	1969	1250 टन गन्ना पिराई प्रतिदिन	1250 टन गन्ना पिराई प्रतिदिन	10282 क्वि. चीनी	73919 क्वि. चीनी	
3.	श्री गंगानगर कोआपरेटिव आयल सीड प्रोसे. मिल्स लि., गजसिंहपुर	1976	100 टन बिनौला पिराई प्रतिदिन	100 टन	1501.60 बिनौला की पिराई की गई	उत्पादन वर्ष 82–83 म प्रारम्भ हुआ।	

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि., हनुमानगढ़	1974	25000 तकुए लगाकर कार्य प्रारम्भ होगा			परीक्षण उत्पादन इस वर्ष में प्रारम्भ होगा।	
5.	गंगापुर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि., गंगापुर	1981-82	25000 तकुए लगाकर कार्य प्रारम्भ होगा	—	—	निर्माण कार्य जारी है।	
	लघु माल संवार इकाई बाबत सूचना						
1.	**काटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग यूनिट**						
1.	श्री गंगानगर	1975	12000 गांठें	12000 गांठें	2267 गांठें	9460 गांठें	
2.	श्री करणपुर	1974	18000 गांठें	18000 गांठें	2352 गांठें	10848 गांठें	
3.	पदमपुर	1976	15000 गांठें	15000 गांठें	249 गांठें	5495 गांठें	
4.	रायसिंह नगर	1976	12000 गांठें	12000 गांठें	2902 गांठें	17783 गांठें	
5.	सादुलशहर	1975	12000 गांठें	12000 गांठें	8953 गांठें	7974 गांठें	
6.	पीलीबंगा	1982	10000 गांठें	10000 गांठें	3241 गांठें	5239 गांठें	
7.	गजसिंहपुर	1971	13000 गांठें	13000 गांठें	1550 गांठें	9628 गांठें	
8.	बिलाड़ा	1960	13000 गांठें	—	केवल जिनिंग का कार्य करती थी	भयंकर बाढ़ के आने से मशीनरी खराब हो गई थी, उत्पादन बन्द है।	

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	**चावल मिल**						
	1. कोटा	1975	1 टन प्र. घ.	1 टन प्र. घ.	144 क्विन्टल	126 क्विन्टल	
	2. बारां	1970	2 ,,	2 ,,	12724 बेग्स	लेवी वसूली की समस्या के कारण उत्पादन बन्द है।	
	3. बून्दी	1971	2 ,,	2 ,,	1729 क्विंटल	100 क्विन्टल	
	4. हनुमानगढ़	1974	2 ,,	2 ,,	250 टन	लीज पर दी गई।	
	5. बांसवाड़ा	1971	1 ,,	1 ,,	772 क्विंटल	लेवी वसूली के कारण उत्पादन बन्द है।	
	6. उदयपुर	1972	1 ,,	1 ,,	855.35 क्वि.	लेवी वसूली के कारण उत्पादन बन्द है।	
	7. केशोरायपाटन	1978	1 ,,	1 ,,	8918.90 क्वि.	1000 क्विन्टल	
3.	**दाल मिल**						
	1. जयपुर	1966	2 टन प्र. घ.	2 टन प्र. घ.	2235 क्विन्टल	4500 क्विंटल	
	2. केकड़ी	1965	1 ,,	1 ,,	2228 ,,	3720 क्विंटल	
	3. सूरतगढ़	1981	1 ,,	1 ,,	877.20 ,,	6000 ,,	
	4. अन्ता	1979	1 ,,	1 ,,	2942 ,,	7310 ,,	
	5. कोटा	1979	1 ,,	1 ,,	6180.50 ,,	11080 ,,	

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	आयल मिल कम सोलवेन्ट प्लांट						
1.	(राजफैड) फतेहनगर	1974	60 टन(आयलमिल) 50 टन (सोलवेंट प्लांट)	60 टन(आयलमिल) 50 टन (सोलवेंट प्लांट प्रतिदिन)	1635.874 मै. टन	6700 मै. टन	
2.	गंगापुर	—	1 टन प्र. घ.	1 टन प्र. घ.	—	बन्द है।	
3.	चाकसू	—	3.5 टन प्र. घ.	3.5 टन प्र. घ.	468.72 क्विंटल	384 मै. टन	
5.	फल सब्जी						
1.	जयपुर (अचार)	1982-83	180 टन वार्षिक	180 टन वार्षिक	—	25 मै. टन	
6.	कोल्ड स्टोरेज						
1.	राजफैड, जयपुर	1969	20000 बैग्स	20000 बैग्स	3506 बैग्स	बाढ़ग्रस्त होने के कारण बन्द रहा।	
2.	राजफैड, अलवर	—	20000 बैग्स	20000 बैग्स	—	बन्द है।	
3.	कोटा	—	25000 बैग्स	25000 बैग्स	21826 बैग्स	23718 बैग्स	
7.	आइस प्लांट						
1.	कोटा	1981-82	15 टन प्रति घंटा	15 टन प्रति घंटा	वर्ष 82-83 में उत्पादन प्रारम्भ किया	225 मै. टन	
2.	राजफैड	1981-82	15 टन प्रति घंटा	15 टन प्रति घंटा	—	कार्य प्रारम्भ नहीं किया।	

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 323 की सूची

वर्ष 1981–82 सूची 'क'

राजकीय विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों की सूची

क्रम सं०	समाचार पत्र का नाम व स्थान	मान्यता की तिथि	समूल्य प्रसार संख्या (प्रतियां)	वितरण के प्रमुख शहर
1	2	3	4	5
1.	राजस्थान पत्रिका, दै., जोधपुर	8-4-81	11569	जोधपुर जिला
2.	पाटन एक्सप्रेस, दै., झालावाड़	15-4-81	1475	झालावाड़, व कोटा जिला
3.	जयपुर रिपोर्टर, दै., जयपुर	9-6-81	1700	जयपुर
4.	उड़ता तीर, सा., श्रीगंगानगर	15-4-81	1450	श्रीगंगानगर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर
5.	भ्रष्टाचार के स्तम्भ, सा., जयपुर	25-4-81	1500	जयपुर, कोटा, बीकानेर, दिल्ली
6.	युग की आवाज, सा. (उर्दू) जयपुर	25-9-81	7499	जयपुर, जोधपुर, अजमेर कोटा, उदयपुर, बम्बई, लखनऊ
7.	आंधी, सा., झालावाड़	1-5-81	1250	झालावाड़, कोटा
8.	सन्तकंवर राम सिंधी; सा., अजमेर	27-5-81	1829	अजमेर जिला
9.	अभयदीप, सा., जोधपुर	4-6-81	1500	जोधपुर, जालोर, पाली, नागौर
10.	राजन्यूज पा., जयपुर	1-4-81	700	जयपुर, अजमेर, भरतपुर
11.	समता मंच, पा., चूरू	15-4-81	650	चूरू जिला

1	2	3	4	5
12.	मानव और न्याय, पा., श्री गंगानगर	15-4-81	800	श्रीगंगानगर जिला
13.	सुल्तान-उल-हिन्द, मा., अजमेर	1-5-81	5211	अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, टोंक, उदयपुर, कलकत्ता, दिल्ली, गुलबर्ग आदि
14.	जग रोटी के अंचल से, पा., हिण्डोन	12-5-81	900	जयपुर, भरतपुर, कोटा, सवाई माधोपुर
15.	मन डे एक्सप्रेस, पा., जयपुर	4-6-81	4030	जयपुर, अजमेर, जोधपुर कोटा, बीकानेर
16.	लेक एण्ड पा., उदयपुर	12-6-81	790	जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, दिल्ली
17.	गीयरवाणी, त्रै. मा. जयपुर	12-6-81	500	जयपुर
18.	वरुण प्रवाह, पा., जयपुर	12-6-81	1800	जयपुर, अजमेर, उदयपुर बीकानेर
19.	सम्प्रेषण, त्रै. मा., जयपुर	30-6-81	900	जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर
20.	आजाद इन्सार, सा., अजमेर	6-6-81	800	जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, टोंक
21.	संजय बुलेटिन, सा., अजमेर	12-6-81	800	जयपुर, अजमेर, दिल्ली;
22.	मरु अमृत, सा., श्रीगंगानगर	12-6-81	1700	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, जयपुर, अजमेर, चंडीगढ़, दिल्ली, सवाई-माधोपुर
23.	विद्युतवेग, सा., सवाई माधोपुर	12-6-81	3065	जयपुर, कोटा, टोंक, ग्वालियर, श्योपुर, मैनपुरी, गुड़गांव, सवाई माधोपुर।

214

1	2	3	4	5
24.	देखरेख, सा., जयपुर	12-6-81	900	जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा
25.	खुली आवाज, सा., जयपुर	12-6-81	600	जयपुर
26.	हवामहल एक्सप्रेस, सा., जयपुर	24-6-81	1508	जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, महाराष्ट्र
27.	अमर आजादी, दै., बांसवाड़ा	12-6-81	1400	बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर
28.	प्रभावित, दै., भीलवाड़ा	30-6-81	2155	चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा
29.	झालावाड़ टाइम्स, सा., झालावाड़	2-7-81	2074	झालावाड़, बूंदी, कोटा
30.	जोशीला वतन, सा., जयपुर	1-7-81	1350	जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर
31.	ताज दर्पण, सा., धौलपुर	1-7-81	9750	भरतपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर कोटा, बीकानेर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश
32.	फरमाने राजस्थान, सा., जयपुर	13-7-81	1800	जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर
33.	नमामी, सा., जयपुर	17-8-81	600	जयपुर
34.	सीधा रास्ता, सा., जयपुर	27-8-81	2628	जयपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, अजमेर
35.	प्रकाश, सा., उदयपुर	11-9-81	1100	उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर
36.	कालबोध, त्रै. मा., बीकानेर	2-7-81	600	बीकानेर, उदयपुर, जयपुर,
37.	मुक्ति संदर्भ, पा., रेनवाल	1-7-81	1800	जयपुर, सीकर, नागौर, बम्बई, पश्चिम बंगाल

1	2	3	4	5
38.	नई गुदगुदी, मा., जयपुर	1-7-81	1000	जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर
39.	प्रेस जगत. पा., जयपुर	10-7-81	1850	जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा
40.	हाड़ौती की धरती, पा., कोटा	10-7-81	650	कोटा जिला
41.	न्यूज व्यूज, पा., (अंग्रेजी)	15-7-81	10000	जयपुर, अजमेर, जोधपुर,
42.	राजस्थान स्टेटमेन्ट, सा., जयपुर	13-10-81	3000	जयपुर, अलवर जिला
43.	अरुण प्रभा दै., अलवर	25-1-82	1565	अलवर जिला
44.	दलित पुकार, दै., अजमेर	25-1-82	1216	अजमेर जिला
45.	आजाद राजस्थान, दै., जयपुर	11-3-82	5100	जयपुर, चूरू, झुंझुनू, टौंक
46.	लोक प्रभात, पा., अलवर	11-3-82	550	अलवर, जयपुर
47.	मनदर्शी, पा., फालना (जोधपुर)	11-3-82	850	जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर
48.	शहीदों की याद, सा., डीग (भरतपुर)	11-3-82	650	डीग, भरतपुर
49.	कृषक जीवन, पा., भरतपुर	11-3-82	900	भरतपुर, जिला
50.	बालोतरा टाइम्स, बालोतरा (बाड़मेर)	11-3-82	900	जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर
51.	आगाज, त्रिद्विसीय, चित्तोड़गढ़	11-3-82	850	चित्तोड़गढ़ जिला
52.	प्रतिज्ञा सन्देश, पा., जयपुर	11-3-82	608	जयपुर जिला
53.	समन्वयवाणी, पा., जयपुर	11-3-82	857	जयपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा
54.	तेजकेसरी, सा., हनुमानगढ़ (श्रीगंगानगर)	11-3-82	600	श्रीगंगानगर जिला
55.	असली न्याय, सा., श्रीगंगानगर	11-3-82	650	श्रीगंगानगर,
56.	देवली टाइम्स, पा., देवली (टौंक)	11-3-82	872	टौंक जिला
57.	जय राजस्थान, दै., बांसवाड़ा	30-10-81	2044	बांसवाड़ा जिला

216

वर्ष 1982–83 सूची "अ"

राजकीय विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों की सूची

क्र. सं.	समाचार पत्र का नाम व स्थान	मान्यता की तिथि	समूल्य प्रसार संख्या (प्रतियां)	वितरण के प्रमुख शहर
1	2	3	4	5
1.	सीमा किरण, दै., श्रीगंगानगर	26-4-82	2600	जिला–श्रीगंगानगर
2.	राजस्थान पत्रिका, दै., उदयपुर	3-5-82	13692	जिला–उदयपुर, अहमदाबाद, चित्तौड़, भीलवाड़ा
3.	राजस्थान प्रभात, दै., जयपुर	3-5-82	2700	जयपुर
4.	प्रज्ञान भारती, पा., जयपुर	12-4-82	898	जयपुर, अलवर, कोटा
5.	पुनर्गठन, पा., चूरू	29-4-82	550	जिला–चूरू
6.	नेहरू के सपने पा., भरतपुर	24-5-82	610	भरतपुर
7.	जन नायक, दै., चित्तौड़गढ़	1-7-82	5300	चित्तौड़ जिला, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा
8.	लाल निशान, दै., भरतपुर	13-8-82	1900	भरतपुर जिला
9.	फल वृद्धिका, सा., फलोदी (जोधपुर)	3-6-82	938	जोधपुर जिला
10.	संजय स्मृति, सा., डीग (भरतपुर)	3-6-82	610	डीग, भरतपुर
11.	प्रभूराष्ट्र, सा., बीकानेर	3-6-82	830	बीकानेर जिला, कलकत्ता, महाराष्ट्र, मद्रास
12.	अलवर क्राउन, सा., अलवर	3-6-82	1200	अलवर जिला
13.	सच्चा दूत, सा., भरतपुर	28-6-82	610	अलवर, भरतपुर

1	2	3	4	
14.	डूंगरपुर एक्सप्रेस, सा., डूंगरपुर	28-6-82	665	डूंगरपुर
15.	असली राजस्थान, सा, सादुलशहर (श्रीगंगानगर)	1-7-82	700	श्रीगंगानगर जिला
16.	आकाशदीप, सा., जयपुर	9-7-82	650	जयपुर
17.	युवानिर्देश, सा., कोटा	25-8-82	830	जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर
18.	मंडी चेतना, पा., जयपुर	31-5-82	520	जयपुर
19.	मरुजीवन, पा., राजलदेसर	3.6.82	814	चूरू जिला
20.	रोटी और आजादी, पा., नदबई (भरतपुर)	31-5-82	551	भरतपुर
21.	समाजवाद प्रहरी, पा., जयपुर	9-7-82	530	जयपुर, गंगानगर
22.	बल की आवाज, पा., अलवर	12-7-82	600	अलवर जिला
23.	वल्लभ सन्देश, मा., जयपुर	6-8-82	1500	जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा
24.	राजस्थान लीडर, दै.,(उर्दू),जयपुर	6-9-82	2600	जयपुर
25.	सीमावर्ती, दै., श्रीगंगानगर	6-9-82	1285	श्रीगंगानगर जिला
26.	देश की धरती, दै., झालावाड़	6-9-82	3050	झालावाड़ जिला
27.	नवज्योति, दै., कोटा	18-11-82	20130	कोटा, बून्दी, टोंक, झालावाड़, सवाई-माधोपुर जिला
28.	रोशनकिरदार (उर्दू), दै., जयपुर	30-12-82	2506	जयपुर
29.	शालीमार, दै. (अंग्रेजी), जयपुर	30-1-83	1200	जयपुर
30.	मनु टाइम्स, दै., उदयपुर	15-2-82	2576	उदयपुर जिला
31.	भारत दिनेश, सा., भरतपुर	6-9-82	1000	भरतपुर
32.	अणुवीक्षक, सा., बीकानेर	16-9-82	638	बीकानेर

1	2	3	4	5
33.	ग्राजाद संदेश, सा., जयपुर	11-10-82	15501	राज्य के सभी जिले व चंडीगढ़, लखनऊ, हिसार
34.	ग्रामवाणी, सा., हिण्डोन सिटी	30-12-82	700	सवाई माधोपुर जिला
35.	गंगानगर केसरी, सा., श्रीगंगानगर	30-12-82	1075	श्रीगंगानगर जिला
36.	मातृछाया, सा., जयपुर	15-2-83	1435	जयपुर, ग्रजमेर, नागौर, जालौर
37.	समयकोण, पा., जयपुर	6-9-82	1232	जयपुर, जोधपुर
38.	श्रमिक सन्देश, पा., बीकानेर	6-9-82	650	बीकानेर जिला
39.	प्रामाणिक, पा., ग्रलवर	6-9-82	600	ग्रलवर
40.	मण्डी एक्सप्रेस, पा., जयपुर	20-11-82	685	जयपुर
41.	युगचलन, पा., जयपुर	20-11-82	700	जयपुर, दिल्ली
42.	राजादेश, पा., ग्रजमेर	20-11-82	1000	ग्रजमेर जिला
43.	राजस्थान मित्र, पा., जयपुर	6-1-83	529	जयपुर
44.	रतनगढ़ केसरी, पा., रतनगढ़	15-2-83	900	चूरू जिला
45.	योग्य, पा., कोटा	15-2-83	1550	कोटा
46.	ग्रागाज, दै., चित्तौड़गढ़	21-3-83	1250	चित्तौड़गढ़ जिला
47.	वीर राजस्थान, सा., ब्यावर	10-3-83	693	ग्रजमेर जिला
48.	युवकों का स्तम्भ, सा., जयपुर	21-3-83	680	जयपूर
49.	जयन्ती जनता, पा. ग्रजमेर	2-3-83	535	ग्रजमेर
50.	विकलांग चेतना, पा., जयपुर	9-3-83	1306	जयपुर
51.	शिक्षा जगत की ग्रावाज पा., ग्रलवर	10-3-83	850	ग्रलवर जिला
52.	राजलीडर, पा., पाली	22-3-83	560	पाली जिला
53.	पिलानी की जनता, पा., पिलानी	31-3-83	1100	झुंझुनू, सीकर, चूरू, महाराष्ट्र.

सूची (क)

राजकीय विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों की सूची

वर्ष 1983-84

क्रम संख्या	समाचार पत्र का नाम व स्थान	मान्यता की तिथि	समूल्य प्रसार संख्या (प्रतियां)	वितरण के प्रमुख शहर
1	2	3	4	5
1.	युगपक्ष, दै., नागौर	12-4-83	1815	नागौर जिला
2.	अरानाद, दै., जयपुर	12-4-83	1460	जयपुर
3.	प्रातः काल, बांसवाड़ा	12-4-83	2500	बांसवाड़ा जिला
4.	भोर, दै. श्रीगंगानगर	31-5-83	3770	श्रीगंगानगर जिला
5.	विकास टू डे, सा., जयपुर	31-5-83	820	जयपुर, हिण्डोन, गंगापुर
6.	लाडनू ललकार, सा., लाड़नू	1-6-83	1350	नागौर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर
7.	बृज सुषमा, मा., भरतपुर	20-5-83	679	भरतपुर, मथुरा
8.	न्याय, दै., जयपुर	24-6-83	3500	जयपुर, सीकर, टोंक
9.	ताज भारती, सा., टोंक	8-6-83	1225	टोंक जिला
10.	नूतन दुनिया, सा., भीलवाड़ा	8-6-83	675	भीलवाड़
11.	आंधी, सा., झालावाड़	8-6-83	1250	झालावाड़, कोटा
12.	राजस्थान संवाद, दै., बीकानेर	6-10-83	1470	बीकानेर जिला
13.	राजस्थान स्टेटमेन्ट, दै., जयपुर	6-10-83	1350	जयपुर जिला
14.	जलती आग, सा., खेरली	6-10-83	754	अलवर जिला
15.	अजमेर केसरी, सा., अजमेर	6-10-83	770	अजमेर जिला
16.	चम्बल सेतु, सा., कोटा	6-10-83	1000	कोटा, बून्दी, सवाई-माधोपुर, झालावाड़

1	2	3	4	5
17.	राज इण्डिया, सा., जयपुर	6-10-83	725	जयपुर
18.	राजस्थान सम्राट, पा., जयपुर	6-10-83	920	जयपुर
19.	जैसलवाणी, पा., जैसलमेर	6-10-83	1285	जैसलमेर जिला
20.	लोक सम्मत, दै., श्रीगंगानगर	12-12-83	3183	श्रीगंगानगर जिला
21.	पसीना, दै., झालावाड़	12-12-83	1846	झालावाड़ जिला
22.	युवा निर्देश, दै., कोटा	12-12-83	1200	कोटा
23.	यंग पावर, दै., उदयपुर	27-12-83	1950	उदयपुर जिला
24.	रोजमेल, दै., अजमेर	11-1-84	6355	अजमेर जिला, सिरोही पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़
25.	अरानाद, दै., भरतपुर	14-2-84	1480	भरतपुर
26.	मातृछाया, दै., जयपुर	14-2-84	3050	जयपुर
27.	तेज केसरी, दै., हनुमानगढ़	18-2-84	1048	श्रीगंगानगर जिला
28.	टाइम्स आफ अरावली, सा., पाली	12-12-83	4477	पाली, जोधपुर, अजमेर, मद्रास, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, सिरोही, बंगलोर, बम्बई
29.	सोशलिस्ट समाचार, सा., कोटा	12-12-83	1320	कोटा, बून्दी, झालावाड़
30.	निरूपण, सा., प्रतापगढ़	9-1-84	835	चित्तौड़ जिला
31.	विवेकभव, पा., अजमेर	12-12-83	1185	अजमेर जिला, उयदपुर, कोटा
32.	उजाला, पा., अजमेर	12-12-83	650	अजमेर
33.	जन्मदाता, पा., बाड़मेर	12-12-83	700	बाड़मेर, गंगानगर
34.	आज का भारत, पा., बीकानेर	12-12-83	950	बीकानेर जिला

सूची (ख)

समाचार पत्रों की सूची जिन्हे मान्यता नहीं दी गई 1981-82

क्र.सं.	समाचार पत्र का नाम	मान्यता नहीं दिये जाने का कारण
1	2	3
1.	सैनी दोड़, पा., जयपुर	प्रसार संख्या की जांच के लिये उपस्थित नहीं होना।
2.	भारत में राजनैतिक पार्टियों को बिखराव, सा.. जयपुर।	न्यूनतम पृष्ठों में प्रकाशन न होना।
3.	खेरथल, प्रहरी, सा., अलवर	प्रेस रजिस्ट्रार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करना।
4.	धाक, सा., कोटा	अनियमित प्रकाशन।
5.	राजाखेड़ा गजट, सा., राजाखेड़ा भरतपुर	प्रेस रजिस्ट्रार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना।
6.	प्रजा पालक, पा., सीकर	प्रसार संख्या की जांच के लिये उपस्थित न होना।
7.	राजस्थान रिफौरम, सा., जयपुर	,, ,,
8.	मारवाड़ी लोकहित, सा., फतेहपुर (सीकर)	,, ,,
9.	अभयघोष, सा., अजमेर	विज्ञापनों के लिए उचित माध्यम न मानना।
10.	आज की खोज, सा., भरतपुर	आगरा तथा भरतपुर संस्करण समान होना।
11.	तूफानी कलम, मा., जयपुर	प्रसार संख्या की जांच के लिए उपस्थित न होना।
12.	कल्पतरू, सा., ब्यावर	न्यूनतम प्रसार संख्या न होना।
13.	मरू विकास, सा., जोधपुर	प्रेस रजिस्ट्रार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुन न करना।
14.	नदीम इण्डिया, मा. (उर्दू) टोंक	प्रसार संख्या की जांच के लिए उपस्थित न होना।
15.	मानव परिवार, पा., फतेहपुर	पेज आल्ट्रेशन कर अंको का प्रकाशन।
16.	एक्शन पा., बीकानेर	प्रसार संख्या की जांच के लिए उपस्थित न होना।

1	2	3
17.	खण्डेलवाल महासभा पत्रिका, मा., जयपुर।	प्रेस रजिस्ट्रार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना।
18.	तरलाग्नि, पा., उदयपुर	,, ,,
19.	लोक शासन, सा., जयपुर	संस्थागत पत्र होना।
20.	ज्वाला संदेश, पा., गजसिंहपुर	प्रसार संख्या की जांच के लिए उपस्थित न होना।
21.	भीलवाड़ा, सम्राट, सा., भीलवाड़ा	प्रेस रजिस्ट्रार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना।
22.	स्वतन्त्र युग की पुकार, पा., कोटपुतली।	प्रसार संख्या की जांच के लिए उपस्थित न होना।
23.	किंग, पा., भरतपुर	अनियमित ढंग से अंकों का प्रकाशन।
24.	शिमला केसरी, सा., श्रीगंगानगर	पेज आल्टरेशन कर अंकों का प्रकाशन।
25.	ज्ञान पियासु, पा., केकड़ी	प्रसार संख्या की जांच के लिए उपस्थित न होना।
26.	बृज गरिमा, सा., भरतपुर	अनियमित प्रकाशन।

सूची (ख)

समाचार पत्रों की सूची जिन्हें मान्यता नहीं दी गई 1982-83

क्र.सं.	समाचार पत्र का नाम	मान्यता नहीं दिये जाने का कारण
1	2	3
1.	रोजगार भारती, सा., भरतपुर	विज्ञापनों के लिए उचित माध्यम न होना।
2.	विजय केसरी, सा., विजयनगर (श्रीगंगानगर)	प्रेस रजिस्ट्रार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना।
3.	शिक्षक दूत, मा., जयपुर	न्यूनतम पृष्ठों में प्रकाशन न होना।

1	2	3
4.	राजस्थान ग्रामीण दर्पण, मा., जयपुर	प्रसार संख्या की जांच के लिए उपस्थित न होना।
5.	चूरू चेतना, पा., चूरू	प्रसार संख्या की जांच के लिए उपस्थित न होना।
6.	श्राय ख्याल, सा., जयपुर	पेज आल्टे्रशन कर अंकों का प्रकाशन।
7.	जागृति एक्सप्रेस, सा., पीलीबंगा (श्रीगंगानगर)	न्यूनतम समूल्य प्रसार संख्या न होना।
8.	देहात दिग्दर्शन, सा., जयपुर	अनियमित प्रकाशन।
9.	बैंकों वायस, पा., जयपुर	वर्गीकरण सलाहकार समिति द्वारा उचित माध्यम न मानना।
10.	मारवाड़ी आवाज, सा., जोधपुर	प्रेस रजिस्ट्रार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना।
11.	सम्बोधन, त्रै. मा., कांकरोली	प्रसार संख्या की जांच के लिए उपस्थित न होना।
12.	परिणय सन्देश, मा., श्रीगंगानगर	प्रसार संख्या की जांच के लिए उपस्थित न होना।
13.	प्रताप भूमि, सा., भीलवाड़ा	सम्पादक द्वारा बताये एजेन्ट्स के पतों की पुष्टि न होना।
14.	दत्त बन्धु, पा., भरतपुर	प्रसार संख्या की जांच के लिए उपस्थित न होना।
15.	जनता की आंख, सा., टोंक	अनियमित प्रकाशन।
16.	जागो एक बार, दै., बांसवाड़ा	प्रेस रजिस्ट्रार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना।
17.	जवाब तलब, सा., अजमेर	प्रसार संख्या की जांच के लिए उपस्थित न होना।
18.	रतनगढ़ समाचार, सा., रतनगढ़	प्रसार संख्या की जांच के लिए उपस्थित न होना।

1	2	3
19.	समाज रक्षक, सा., श्रीगंगानगर	प्रसार संख्या की जांच के लिए उपस्थित न होना।
20.	पुलिस एक्सप्रेस, सा., टोंक	प्रसार संख्या की जांच के लिए उपस्थित न होना।
21.	अजमेर विकास, सा., अजमेर	प्रसार संख्या की जांच के लिए उपस्थित न होना।
22.	कौमीधारा, सा., कोटा	अनियमित प्रकाशन।
23.	बिगुल सन्देश, पा., बीकानेर	प्रसार संख्या की जांच के लिए उपस्थित न होना।
24.	हैडेक, पा., हिन्डौन	प्रसार संख्या की जांच के लिए उपस्थित न होना।
25.	देवली एक्सप्रेस, सा., देवली	प्रसार संख्या की जांच के लिए उपस्थित न होना।
26.	लोक बिगुल, पा., बीकानेर	प्रेस रजिस्ट्रार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना।
27.	ग्रामीण दूत, पा., जयपुर	प्रसार संख्या की जांच के लिए उपस्थित न होना।

सूची (ख)

समाचार पत्रों की सूची, जिन्हें मान्यता नहीं दी गई 1983-84

क्र.सं.	समाचार पत्र का नाम	मान्यता नहीं दिये जाने का कारण
1	2	3
1.	लेखा ज्ञान, मा., जयपुर	वर्गीकरण सलाहकार समिति द्वारा उचित माध्यम न मानना।
2.	सिने स्क्रीन, पा., ब्यावर	प्रेस रजिस्ट्रार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना।

1	2	3
3.	युगयुद्ध, सा., बीकानेर	पेज आल्ट्रेशन कर अंकों का प्रकाशन करना।
4.	कोमी एकता, सा., झालावाड़	प्रेस रजिस्ट्रार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना।
5.	राज्यादेश, सा., अजमेर	अनियमित प्रकाशन।
6.	न्याय और अदालत, सा., गंगानगर	अनियमित प्रकाशन।
7.	जय कांठल, मा., प्रतापगढ़	प्रसार संख्या की जांच के लिये उपस्थित न होना।
8.	दरबार, सा., अजमेर	वांछित रेकार्ड नहीं दिखाना।
9.	करंट राजस्थान, सा., गंगानगर	प्रसार संख्या की जाँच के लिये उपस्थित न होना।
10.	औद्योगिक कृषि, पा., कोटा	प्रसार संख्या की जाँच के लिये उपस्थित न होना।
11.	ऋद्धि-सिद्धि, सा., उदयपुर	न्यूनतम पृष्ठों में प्रकाशन न होना।
12.	मेवाड़ जन, सा., उदयपुर	प्रसार संख्या की जाँच के लिये उपस्थित न होना।
13.	शेखावाटी उद्गार, सा., खेतड़ी	प्रेस रजिस्ट्रार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना।
14.	परोपकारी, सा., अजमेर	वर्गीकरण सलाहकार समिति द्वारा उचित माध्यम नहीं मानना।
15.	सरदार शहर प्रभात, सा., सरदार शहर	न्यूनतम प्रसार संख्या न होना।
16.	चमत्कार संदेश, सा., सवाईमाधोपुर	प्रेस रजिस्ट्रार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना।
17.	आधुनिक अजमेर, सा., अजमेर	प्रेस रजिस्ट्रार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना।
18.	भरतपुर रिपोर्टर, सा., भरतपुर	न्यूनतम प्रसार संख्या न होना।
19.	शुचि, मा., बीकानेर	प्रसार संख्या की जांच के लिये उपस्थित न होना।

1	2	3
20.	सपोटरा संदेश, पा., सपोटरा	प्रेस रजिस्ट्रार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना।
21.	किसान रक्षक, पा., नोहर	प्रसार संख्या की जांच के लिये उपस्थित न होना।
22.	नीति परायण, सा., जयपुर	वांछित रेकार्ड न दिखाना।
23.	हमारा हिन्दुस्तान, सा., उदयपुर	प्रसार संख्या की जांच के लिये उपस्थित न होना।
24.	26 जनवरी, पा., देवगढ़ (उदयपुर)	प्रेस रजिस्ट्रार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना।
25.	सच्चा भारत, पा., पाली	प्रसार संख्या की जांच के लिये उपस्थित न होना।
26.	आजाद राजस्थान, दै., अलवर	प्रेस रजिस्ट्रार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना।
27.	भ्रष्टाचार के स्तम्भ, सा., जयपुर	प्रसार संख्या की जांच न करवाना।
28.	सिंचाई श्रमिक पत्रिका, पा., जयपुर	अनियमित प्रकाशन।
29.	दावानल, पा., कोटा	प्रसार संख्या की जांच के लिये उपस्थित न होना।
30.	जनपतवार, पा., बीकानेर	,, ,,
31.	प्रागवाट. पा., भीलवाड़ा	,, ,,
32.	हिण्डौन दिग्दर्शन, पा., हिण्डौन	,, ,,
33.	मरूवेदना, सा., झुंझुनू	,, ,,
34.	राजस्थनी, त्रै. मा., श्री डूंगरगढ़	,, ,,
35.	तूफानमेल, सा., पाली	,, ,,
36.	हाड़ोती मानव, सा., कोटा	,, ,,
37.	विवेक विकास, सा., जयपुर	,, ,,
38.	नेता, सा., उदयपुर	,, ,,

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 327 की सूचना

वार्षिक योजना 1983—84 जिलेवार आवंटन

(लाख रु०)

क्र. सं.	जिला	मूल आवंटन 1983—84
1	2	3
1.	अजमेर	437.46
2.	अलवर	452.75
3.	बांसवाड़ा	940.46
4.	बाड़मेर	241.48
5.	भरतपुर	669.79
6.	भीलवाड़ा	547.78
7.	बीकानेर	1413.64
8.	बूंदी	150.95
9.	चित्तौड़गढ़	432.85
10.	चूरू	320.97
11.	धौलपुर	150.18
12.	डूंगरपुर	567.21
13.	गंगानगर	2014.78
14.	जयपुर	1381.17
15.	जैसलमेर	179.67
16	जालौर	192.72
17.	झालावाड़	494.83
18.	झुन्झुनू	288.32
19.	जोधपुर	475.51

1	2	3
20.	कोटा	1055.86
21.	नागौर	387.58
22.	पाली	420.88
23.	सवाई माधोपुर	753.61
24.	सीकर	329.22
25.	सिरोही	174.68
26.	टोंक	220.40
27.	उदयपुर	197.72
अप्रावंटित (unallocated)		24908.33
योग		41600.00

* जिले विशेष को आवंटित नहीं की जा सकने वाली योजनाओं की राशि।

सैक्टोरल आवंटन क्रियान्वयन करने वाले विभागों को किया हुआ है। किस जिले में व्यय किया जायेगा यह सूचना वर्तमान में आयोजना विभाग में उपलब्ध नहीं है।

229

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 328 का विवरण

जून 80 से दिसम्बर 83 तक पं. सं. मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी में कराये गये कार्यों का विवरण

क्र.सं.	नाम कार्य	पं. स. क्षेत्र	लागत	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
	डी. डी. पी./डी. पी. एपी कार्यों की सूची			
	भू-संरक्षण कार्य			
1.	वरकाना विगंरला	देसूरी	3.744	पूर्ण
2.	नाडोल I	,,	4.571	पूर्ण
3.	नाडोल II	,,		
4.	नारलाई		3.258	पूर्ण
5.	केसूली	,,	0.460	पूर्ण
6.	वडोद	,,	0.811	पूर्ण
	वन विकास कार्य			
(अ)	सिल्वी पेस्टरोल कार्य (1)			
1.	जवाली (100 हैक्टर)	देसूरी	0.35	पूर्ण
(ब)	सड़क वृक्षावली (2)	देसूरी	0.93	
1.	रानी-वरकाना (10 रोकीमी)	,,		पूर्ण
2.	देसूरी-सादडी (24 रोकमी)	,,		पूर्ण
(स)	परिभ्रांत वनों का पुनरुस्थापन (1)		1.02	
1.	खोबों का गुडा (100)	देसूरी		पूर्ण
(द)	गांवाई ईंधन एवं चारागाह विकास (22)		8.27	
1.	देवली (10 है)	मा. जं.		पूर्ण
2.	देवली (10 है)	,,		पूर्ण

230

1	2	3	4	5
3.	पनोता (10 है)	मा. जं.		पूर्ण
4.	मलसावाबडी (10 है)	,,		पूर्ण
5.	अखावास (10 है)	,,		पूर्ण
6.	देवली (10 है)	,,		पूर्ण
7.	जोजावर (15 है)	,,		पूर्ण
8.	जोजावर (25 है)	,,		पूर्ण
9.	खिवाडा (10 है)	देसूरी		पूर्ण
10.	बूसी (10 है)	,,		पूर्ण
11.	रानी खुर्द (9 है)	,,		पूर्ण
12.	रिबाडी (16 है)	,,		पूर्ण
13.	नाडोल (10 है)	,,		पूर्ण
14.	नीपल (10 है)	,,		पूर्ण
15.	जीवंद कलां (10 है)	,,		पूर्ण
16.	गुडा रूपसिंह (10 है)	,,		पूर्ण
17.	जवाली 10 है)	,,		पूर्ण
18.	गजनीपुरा (10 है)	,,		पूर्ण
19.	लांपी (20 है)	,,		पूर्ण
20.	बडौद (10 है)	,,		पूर्ण
21.	बांरा सोलंकियान (10 है)	,,		पूर्ण
22.	रानी कलां (10 है)	,,		पूर्ण
	दुग्ध मार्ग			
1.	नागा की बेरी-मारवाड जंक्शन	मा. जं.	16.74 लाख	अपूर्ण कार्य पर प्रगति
	पशु स्वास्थ्य			
	पशु स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित			
1.	नारलाई	देसूरी	—	केन्द्र स्थापित
2.	राणावास	मा. जं.	—	,, ,,

1	2	3	4	5
सिंचाई				
1.	दादीया	देसूरी	35.84 लाख	पूर्ण
2.	बाजरवाला	,,	6.61 लाख	पूर्ण
3.	छोडावाला	,,	12.86 ,,	पूर्ण
4.	डेडवान	,,	11.52 ,,	पूर्ण
5.	चिरपटिया	मा. जं.	33.26 ,,	बाढ़ क्षतिग्रस्त अपूर्ण मरम्मत हेतु कार्य होना है।

माडा कार्यक्रम

1.	शून्य	देसूरी	इस क्षेत्र में माडा कार्यक्रम
2.	शून्य	रानी	लागू नहीं किया है।
3.	शून्य	मा. जं.	,, ,,

बायोगैस

सूची संलग्न है

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

सूची संलग्न है

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

शून्य सूचना

बायोगैस कार्य जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक

क्रम संख्या	नाम कृषक मय पिता का नाम	गांव	संयंत्र का नाप	राशि अनुदान दी गई
1	2	3	4	5
	पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन :			
1.	सरदारसिंह/सालमसिंह	चेलावास	3 घ.मी.	1,000
2.	सुरेन्द्रसिंह/नाहरसिंह	आऊवा	3 ,,	1,000
3.	पुखराम/केसाजी	जाणुन्दा	3 ,,	1,000
4.	श्रीमती सादी बाई	सुगालिया	3 ,,	1,000
5.	भंवरलाल/रामलाल	मिमालिया	3 ,,	1,000
6.	शंकरलाल/मंशाराम	,,	4 ,,	1,000
7.	खीवाराम/भीकाजी	बिठ्ड़ाखुर्द	3 ,,	1,000
8.	वनाराम/सवाजी	चिरपाटिया	3 ,,	1,000
9.	देवीलाल/पुखराज	खारची	3 ,,	1,000
10.	खीवाराम/भानाराम	,,	3 ,,	1,300
11.	पुनाराम/हेमाजी	गोपावास	3 ,,	1,000
12.	सावलसिंह/किशोरसिंह	हिंगोलियाखुर्द	3 ,,	1,000
13.	चेलाराम/भूराराम	दूदोड	6 ,,	1,940
14.	गोरखाराम/देवाजी	,,	6 ,,	1,940
15.	शेषाराम/लखाराम	ईसाली	3 ,,	1,300
16.	भीमसिंह/हनुवन्तसिंह	सिणला	3 ,,	1,300
17	श्रीमती सायरीदेवी/लक्ष्मणराम	माण्डा	3 ,,	1,300
18.	भूरसिंह/जोरावरसिंह	आकावास	3 ,,	1,300
19.	वीरेन्द्रसिंह/मोहनलाल	दूदोड	6 ,,	1,940
20.	केसाराम/खीमाराम	जाणुन्दा	6 ,,	1,940

233

1	2	3	4	5
पंचायत समिति रानी :				
1.	विजयसिंह/भीमसिंह	ऐलानी	6 घ.मी.	1,000
2.	मगनसिंह/हरीराम	सेण्टावा	6 ,,	1,000
3.	रतनसिंह/सुलतानसिंह	,,	6 ,,	1.000
4	जोरासिंह/सावलसिंह	,,	6 ,,	1,000
5.	जोराराम/बलाजी	,,	4 ,,	1,000
6.	मगनसिंह/शंकरलाल	इन्द्रवाडा	6 ,,	1,000
7.	हलधरसिंह/सांवलसिंह	,,	6 ,,	1,000
8.	भारतेन्द्र/हरीशचन्द्र	,,	6 ,,	1,000
9.	लच्छाराम/मोतीजी	,,	4 ,,	1,000
10.	मोहनलाल/माधोलाल	सोमेसर	6 ,,	1,000
11.	रमजानखां/गुलाबखां	,,	4 ,,	1,000
12.	सुखीदेवी/प्यारेलाल	गुडाजेतसिंह	6 ,,	1,500
13.	श्रीमती मुन्नी देवी/सलेगाराम	,,	6 ,,	1,500
14.	लीलावती/अचलचन्द	रानी	6 ,,	1,500
15.	शान्तिदेवी/जसवन्तसिंह	,,	4 ,,	1,500
16.	जबरसिंह/मुकनसिंह	खारड़ा	6 ,,	1,500
17.	जसवन्तसिंह/भीमसिंह	बुसी	6 ,,	1,000
18.	पवनदेवी/बरदाराम	दुठारिया	6 ,,	1,000
19.	विजयसिंह/प्रतापसिंह	आडवाडिया	6 ,,	1,500
20.	मेहराजसिंह/मालमसिंह	माण्डल	10 घ.मी.	4,760
21.	शंकरनाथ/सन्तोष नाथ	,,	6 ,,	1,940
पंचायत समिति देसूरी :				
1.	पेमराम/भीमसिंह	कोटडी	6 घ.मी.	1,500
2.	वनाराम/नेराजी	,,	6 ,,	1,500

(234)

1	2	3	4	5
3.	शिवलाल/चिमनाजी	नाडोल	4 व.मी.	1,200
4.	ललीतकुमार/सरूपजी	सादड़ी	4 "	1,550
5.	पुखराज/सूपाजी	"	4 "	2,320
6.	मोडाराम/मबूतजी	"	4 "	2,320
7.	श्रीमती दुर्गा/गणपतसिंह	"	4 "	1,550
8.	सुखरामजी/नैनाजी	"	4 "	1,550
9.	तुलसीराम/चमनाजी	"	4 "	1,550
10.	याकूबखां/सुजेमानखां	"	2 "	1,550
11.	मुस्ताकखां/गनीखां	"	4 "	1,550
12.	लादुराम/पुनमारामजी	"	4 "	2,320
13.	श्रीमती दुर्गाबाई/मोतीसिंह	मादा	4 "	2,320
14.	अशोककुमार/जीवराजजी	सादड़ी	4 "	2,320
15.	नारायणराज/ठीकमाजी	"	4 "	2,320
16.	करमा/राजाजी	"	4 "	2,320
17.	कपूराराम/मगाजी	मेणाकावास	4 "	2,320
18.	उगम/मदजी	सादड़ी	4 "	1,550
19.	भंवरसिंह/बखतजी	"	4 "	1,550
20.	आइदाना/भालाजी बावरी	"	4 "	2,320
21.	भेराराम/हंसाराम जाट	"	4 "	1,550
22.	घनराम/भी मारामजी बोहरा	"	4 "	2,320

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन

क्रम संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	नया कूप निर्माण बिछुड़ा कला	18-2-81	10000
2.	नया कूप लबिन	,,	8000
3.	नया कूप खाली ग्राम	,,	10000
4.	पीचका गुडा गुर्गा	,,	9000
5.	पीचका मेलाप	,,	9000
6.	पीचका हमीरवास	,,	15370
7.	पीचका मेवठा	,,	6000
8.	स्कूल निर्माण जोडकिया	,,	7000
9.	स्कूल निर्माण बोरनडी	,,	4500
10.	स्कूल निर्माण भगवानपुरा	,,	5000
11.	स्कूल निर्माण बिठ्ठा खुर्द	,,	3000
12.	प्रा. वि. बाली ग्राम	16-3-81	21000
13.	प्रा. वि. लीलावास	,,	34000
14.	भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र खरवी	,,	17000
15.	पावेटिया तालाब	,,	40000
16.	जेतपुरा पानी पीने का कुआ	,,	18000
17.	पंचायत भवन गुठा रामसिंह	28-4-81	12500
18.	पंचायत भवन देवली	,,	8000
19.	प्रा. शा. गुड़ा अजबा	,,	15000
20.	पंचायत भवन कराडी	,,	6500
21.	औषधालय भवन निमालिया	,,	15000

1	2	3	4
22.	पंचायत भवन हिंगोला खुर्द	28-4-81	15000
23.	पंचायत भवन सेहवाज	,,	10000
24.	शाला भवन शिवसागर	,,	9000
25.	शाला भवन गुडा सुरसिंह	,,	15000
26.	पंचायत भवन गुडा सुरसिंह	,,	15000
27.	पंचायत भवन सबराउ	,,	15000
28.	पंचायत भवन निग लो माडा	,,	10000
29.	पंचायत भवन बीरोमाडा	,,	20000
30.	पंचायत भवन चिरपटिया	,,	5000
31.	शाला भवन हेमलियावास कलां	,,	12200
32.	दमानशाला 2 कमरे निर्माण	,,	8000
33.	प्रा. वि. राजोला खुर्द	1-5-81	5000
34.	शाला भवन चौधरी भान आउवा	,,	14000
35.	शाला भवन आसन	,,	8500
36.	शाला भवन धनला	,,	20000
37.	शाला भवन बांता	,,	20000
38.	शाला भवन फसाद	,,	8000
39.	शाला भवन डिगोर	1-5-81	5000
40.	रा. उ. प्रा. वि. निमलोमाडा	,,	25000
41.	शाला भवन बीरोमादा	,,	20000
42.	प्रा. वि. जोजावर	,,	20000
43.	प्रा. वि. बारसा	,,	20000
44.	देवली पिचका होजन नि.	,,	10000
45.	ठाकुरवास में अपूर्ण प्रा. शा. को पूर्ण कराना	23-5-81	5000
46.	अपूर्ण पाठशाला करमाल की मरम्मत	25-5-81	5000
47.	अपूर्ण पाठशाला बोगला की मरम्मत	,,	5000

1	2	3	4
48.	पंचायत भवन धमलो की मरम्मत की चार दीवारी	23-5-81	8000
49.	प्रा. शा. नि. रिसानियां	"	15000
50.	आचार्य निभु मा. वि. कटारियां	"	212000
			831570
1.	प्रा. शा. बोरोमादा	1982	2900
2.	पंचायत बोरोमादा	"	5560
3.	पंचायत कर सेहवाज	"	7300
4.	प्रा. शा. बमाण	"	
5.	प्रा. शा. धनला	"	11040
6.	प्रा. शा. सोलावास	"	22620
7.	प्रा. शा. बाडसा	"	44830
8.	पंचायत वर सतराड	"	7730
9.	प्रा. शा. रिसानियां	"	20000
10.	प्रा. शा. बालो	"	12560
11.	पंचायत धर निमणी माडा	"	12130
12.	उ. प्रा. शा. निमणी माडा	"	25490
13.	प्रा. शा. गुडा सुरसिह	"	10000
14.	प्रा. शा. शिवसागर	"	7000
15.	पंचायत धर गुडा सुरसिह	"	7000
16.	पिचका बोरनाली	"	6000
17.	नया कुआ राजकियावास कलां	"	6000
18.	प्रा. शा. छड़ी में एक कमरा	"	5000
19.	प्रा. शा. वासनी में एक कमरा	"	5000

1	2	3	4
20.	प्रा. शा. नयागांव में एक कमरा	1982	7000
21.	प्रा. शा. जोडकिया	”	7000
22.	लाडपाड़ा घर वासली	”	5000
23.	पंचायत घर हिमोला खुर्द	”	5000
जनसहयोग वाले कार्य :—			
24.	पंचायत घर ईसाली	”	11000
25.	स्टेशन के पास बाजार में नाली निर्माण मलसा बावड़ी	”	13750
26.	प्रा. शा. वार्ता अपूर्ण	”	16500
27.	प्रा. शा. में एक नया कमरा निर्माण और नाली	”	11000
28.	सार्वजनिक कुआ गहरा मरम्मत गुडा सुरसिंह	”	2750
29.	प्रा. शा. का नया कमरा चौकडया	”	5500
30.	प्रा. शा. बोगला	”	5500

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

पंचायत समिति : देसूरी

क्रम संख्या 1	नाम कार्य 2	स्वीकृति दिनांक 3	स्वीकृत राशि 4
1.	नया कुआ निर्माण नयागुडा	18-3-81	10000
2.	नया कुआ निर्माण गिराली	”	10000
3.	स्कूल मरम्मत सारारिया	”	5500

1	2	3	4
4.	स्कूल मरम्मत गिराली	18-3-81	10000
5.	स्कूल मरम्मत गुडाजैतावतान	"	4500
6.	स्कूल मरम्मत छोडा	"	10000
7.	अध्यापक आवासगृह छोडा	"	2500
8.	प्रा० वि० डायलामा	"	4400
9.	आयुर्वेदिक अस्पताल भवन मारलाई	"	5000
10.	आयुर्वेदिक अस्पताल आना	"	10000
11.	आयुर्वेदिक अस्पताल सिन्दरली	"	10000
12.	भेड व ऊन प्रसार केन्द्र देसूरी	16-3-81	17000
13.	उ० प्रा० विद्यालय गुडा पृथ्वीराज अधूरे कार्य पूर्ण कराना	2-4-81	10000
14.	विरमपुरापीचका	28-4-81	3000
15.	होज व स्वीइल्म कोलर	"	20000
16.	होज व स्वीइल्म बागोल	"	22000
17.	होज व स्वीइल्म मोरखा	"	13000
18.	होज व स्वीइल्म दादाई	"	16000
19.	होज व स्वीइल्म विरमपुरा	"	17000
20.	होज व स्वीइल्म कोरडी	"	20000
21.	प्रा० वि० साभरिया चार दिवारी नि	"	7000
22.	पंचायत घर सुमेर	"	10000
23.	पंचायत घर पनोता	"	25000
24.	पंचायत घर कोटडी	"	10000
25.	पंचायत घर बडोस	"	5000
26.	प्रा० वि० नाडोल के पास नाला निर्माण	"	15000
27.	होज स्वीच कम ग्रामा	"	10000
28.	होज़ स्वीच मगरतालाब	1-5-81	20000

1	2	3	4
29.	होज स्वीच वाडका	11-5-81	16000
30.	होज स्वीच सीनना	,,	15000
31.	होज स्वीच कुमसारंगवास	1-5-81	13000
32.	शाला भवन देसूरी	,,	10000
33.	स्कूल कमरानि गुडा देवडान मेडितया	,,	10000
34.	स्कूल कमरानि लाकी	,,	10000
35.	पुलिया निर्माण सारंगबास	,,	6000
36.	शोभावास अध्यापक आवासगृह	,,	6000
37.	पंचायत भवन मरम्मत फाटक घर विस्तार देसूरी	,,	9000
38.	खंरजा कार्य पूर्ण कराना देसूरी	25-5-81	75000
			551900

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

पंचायत समिति रानी

क्रम संख्या 1	कार्य का नाम 2	स्वीकृति दिनांक 3	स्वीकृति राशि 4
1.	कूप निर्माण चावोडी	18-2-81	10000
2.	कूप निर्माण सेदरिया	,,	10000
3.	कूप निर्माण बर्रो	,,	10000
4.	पशु चिकित्सालय भवन नि० रानी स्टेशन	,,	10000
5.	प्रा० शा० बर्रो	,,	5500
6.	प्रा० शा० लेपटावा	,,	4500

1	2	3	4
7.	रानी स्टे० स्कूल भवन नि०	11-6-61	100000
8.	सेकन्डरी स्कूल भवन खोड के अधूरे कार्य को पूर्ण कराना	2-4-81	50000
9.	होज पंप घर नि० वणदार	28-4-81	18000
10.	होज पंप खूनी का गुडा	"	18000
11.	होज पंप भगवानपुरा	"	15000
12.	पीचका एलानी	"	10000
13.	पंचायत भवन गजनीपुरा	"	8000
14.	पंचायत भवन सीवाल	"	14000
15.	पंचायत भवन केरली	"	18000
16.	पंचायत भवन इन्द्रवाडा	23-11-81	27000
17.	पंचायत भवन सावलता	"	17000
18.	चावोडी स्कूल भवन	28-4-81	20000
19.	माडल स्कूल 2 कमरे नि०	"	18500
20.	नाली निर्माण खोड	"	30000
21.	इटन्दरान स्कूल विस्तार	4-5-81	20000
22.	प्रतापगढ़ स्कूल निर्माण	"	20000
23.	स्कूल 2 कमरा निर्माण पुनाडिया	"	20000
24.	प्रा० वि० कल्याणपुरा	"	20000
25.	हरिजन बस्ती स्कूल रानी खुर्द	"	20000
26.	प्रा. स्कूल निर्माण लालरिया	"	20000
27.	स्कूल ओडवाडियां	"	20000
28.	स्कूल गुडा माताजी	"	20000
29.	स्कूल भीमपुरा ढाणी	"	35710
30.	स्कूल भवन दूदवड	1-5-81	35710
31.	किशनपुरा तालाब में पानी लाने की नहर	23-5-81	29000

1	2	3	4
32.	होज व पंप घर निर्माण जोवनकालां	23-5-81	23000
33.	होज व पंप घर की ढाणी	"	23000
34.	अनु० जाति के पीचके पर पचायत भवन नि. पोलांवेनो	"	35000
35.	रा. माध्य. वि. बूसी में नया कुआ नि.	25-5-81	15000
			769920
1.	होज निर्माण जीवन कला	1982	1500
2.	होज निर्माण जीवन कलां ढाणी	"	1500
3.	पंचायत भवन पोलावणी	"	3500
4.	प्रा.शा. गुडा माताजी	"	20700
5.	कूप निर्माण चीचोड़ी	"	11800
6.	कूप निर्माण मा.शा.कूसी	"	6200
7.	प्रा.शा सेपटावा	1982	12300
8.	प्रा.शा. तालरियां	"	6600
9.	होज निर्माण कल्याणपुरा	"	16700
10.	उ.प्रा.शा. इटन्दडा मेडितियान	"	23000
11.	पंचायत भवन सिवास	"	18700
12.	पंचायत समिति आवास गृह रानी	"	10600
13.	मा. विद्यालय खोड	"	10000
14.	सांड पाडा घरकर काना	"	5000
15.	प्रा.शा. बूसी को ढाणी	"	8000
16.	साण्ड पाडा घर देवली	"	5000
17.	होज निर्माण सोमेसर	"	5000

1	2	3	4
	जन सहयोग वाले कार्य		
18.	साड पाडा घर बालराई	1982	6300
19.	पंचायत भवन मरम्मत सावलता	"	6300
20.	होज निर्माण करली	"	6300
21.	पंचायत भवन सोमेसर	"	4950
22.	पंचायत भवन ओडवालियां	"	3150
23.	होज निर्माण मरमत घेनडी	"	2250
24.	होज निर्माण चारदीवारी देवली पाबू जी	"	5850
25.	होज निर्माण (अपूर्ण) इन्दरवाडा	"	7200
26.	मेला कार्यालय जवाश्मेर महादेव जवाली	"	6750
27.	उ.प्रा.शा. निम्बाड़ा	"	13500
28.	मा.शा. विस्तार चाचोडी	"	9000
29.	प्रा.शा. निर्माण वरी	"	3150
30.	होज निर्माण पनाडियां	"	5400
31.	होज निर्माण चारदीवारी गुडा मेहराम	"	5850
32.	होज निर्माण आकरवास	"	5850
33.	साण्ड पाडा घर निर्माण कोरवा	"	6300
34.	प्राथमिक शा. बूसरो को ढाणी भीमपुरा	7-12-83	16700
35.	माध्यम विद्यालय खोड	"	30000
36.	पंचायत समिति आवास गृहों को पूर्ण कराना, अनु. जाति व जनजाति को प्रत्यक्ष लाभ योजना कार्य	"	14550
37.	भांडियों के कुये पर होज निर्माण चाचोडी	"	5000
38.	पनाड़िया होज निर्माण	"	5000
			335450

1	2	3	4
1.	भाम्मियां की पीचका गिराली	1982	5500
2.	होज निर्माण कार्य खाडला	,,	5400
3.	होज निर्माण कार्य खाडका	,,	7270
4.	होज निर्माण बागोल	,,	5040
5.	होज निर्माण कोलर	,,	12600
6.	होज निर्माण मोरखा	,,	3190
7.	होज निर्माण बिरमपुरा	,,	6600
8.	भेड़ ऊन प्रसार केन्द्र, देसूरी	,,	20000
9.	होज निर्माण कोटली	,,	10470
10.	उ.प्रा.शा. गुडा पृथ्वीराज	,,	18000
11.	प्रा.शा. छोडा	,,	17000
12.	पंचायत घर समेर	,,	3000
13.	होज निर्माण मगरतालाब	,,	6000
14.	पंचायत भवन चारदीवारी सिदंरली	,,	5000
15.	नाल निर्माण नाडोल	,,	5000
16.	होज निर्माण डायलाना कलां	,,	5000
17.	होज निर्माण नया कार्य सारंगवास	,,	4000
18.	कुला व होज हनमाण राजुपीरजी की धूणी	,,	16000
	जन सहयोग वाले कार्य		
19.	प्रा शा. निराली	1982	7700
20.	खंरजा कार्य नालोस	,,	22000
12.	चार दिवारी आयुर्वेदिक औषधालय सिदंरली	,,	7150
22.	प्रा.शा. मेघी खुर्द	,,	7150
23.	होज निर्माण केजूली	,,	12100

1	2	3	4
24.	होज निर्माण नयागूडा	1982	22000
25.	पंचायत भवन माडा	"	19800
26.	खंरजा कार्य तहसील से कहासुधार देसूरी	"	56350
27.	उ.मा.वि. देसूरी	"	54400
28.	खंरजा कार्य देसूरी	"	22000
29.	पंचायत घर सुमेर	7-12-83	3000
30.	होज निर्माण मगर तालब	"	8700
31.	उ.प्रा वि. गुडा पृथ्वीराज	"	10400
32.	प्रा.शा. छोडा	"	10000
			417820

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 329 का विवरण

विभिन्न जिलों में पंजीयन हेतु पैण्डिंग गृह निर्माण सहकारी समितियों के मामलों का ब्यौरा

क्रमांक	जिला	समिति का नाम	पंजीयक पत्रादि प्राप्ति का दिनांक	पैण्डिंग रहने का कारण
1	2	3	4	5
1.	चूरू	1. सैनिक कल्याण गृह निर्माण सहकारी समिति	1-1-84	पंजीयन पत्रादि के आक्षेपों की पूर्ति करवाई जा रही है।
		2. रतन नगर गृह निर्माण सहकारी समिति	16-2-84	पंजीयन हेतु विचाराधीन हैं।
2.	पाली	1. महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति, फालना	28-11-83	समिति के पदाधिकारी आक्षेपों की पूर्ति हेतु उपलब्ध नहीं हो रहे।
3.	जयपुर	1. हसनपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति	28-1-84	पंजीयन पत्रादि विचाराधीन हैं।

1	2	3	4	5
		2. रेलवे मैन्स हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी लि०	7-1-84	पंजीयन पत्रादि विचाराधीन हैं ।
		3. स्वास्तिक ग्रुप गृह निर्माण सहकारी समिति	29-12-83	पंजीयन पत्रादि जयपुर विकास प्राधिकरण को उनकी सहमति हेतु भेजे गये ।
4.	कोटा	1. मैलडीमाता गृह निर्माण सहकारी समिति	24-12-83	दिनांक 16-1-84, 31-1-83 को आवासीय भूमि का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया ।
		2. रेलवे वर्कशाप सुपरवाइजर गृह निर्माण सहकारी समिति	16-1-84	4-2-84 को आवासीय भूमि का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया ।

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 330 की सूची

अजमेर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि., अजमेर

1-7-82 से 30-6-83 तक समितियों को दिए गए अल्पकालीन ऋण वितरण, वसूली एवं अवधिपार की सूचना शाखा वाइज

क.सं.	नाम समिति जिसे 1-7-82 से 30-6-83 तक अल्पकालीन ऋण वितरण किया गया	अल्पकालीन ऋण वितरण 1-7-82 से 30-6-83 तक	कालम (3) के ऋण में से अल्पकालीन ऋण वसूली दिनांक 1-7-82 से तारीख (16-3-84)			उक्त समिति के विरुद्ध बकाया अल्पकालीन ऋण अवधिपार दिनांक 16-3-84
			दण्डनीय ब्याज दर से	नार्मल ब्याज दर से	योग	
1	2	3	4क	4ख	4ग	5
(1)	जयपुर रोड शाखा, अजमेर :					
1.	परबतपुरा ग्राम् से. स. स.	42,890	16,475	—	16,475	26,415
2.	भूडोल "	2,48,390	1,06,866	37,594	1,43,460	13,000
3.	कायड "	12,801	—	—	—	12,801
4.	कुंटड़ा "	1,22,259	1,595	24,985	26,580	12,134

1	2	3	4क	4ख	4ग	5
5. हाथी खेड़ा	से. स. स.	28,825	—	2,430	2,430	26,395
6. गढ़ीमालियान	"	5,800	2,550	—	2,550	3,250
7. गैंगल	"	1,54,355	11,215	10,120	21,355	8,070
8. नारेली	"	27,050	—	1,250	1,250	25,800
9. बबाइचा	"	1,69,870	17,884	74,411	92,295	—
10. रामनेर ढाणी	"	1,80,421	6,372	99,189	1,05,561	—
11. तबीजी	"	45,346	23,472	394	23,866	21,480
12. सीहो	"	1,38,460	2,726	2,774	5,500	30,205
योग		11,77,467	1,88,155	2,53,147	4,41,302	1,79,550
(2) ब्यावर शाखा :						
1. बलाड ग्राम से. स. स. लि.		1,000 76,425	—	6,500	6,500	1,000 69,925
2. ब्यावर गांव व.ऋ.दा.स.स.		2,76,000	—	1,14,750	1,14,750	1,63,250
3. दुर्गावास प्रा.से.स.स.लि.		17,550	—	—	—	17,550

249

1	2	3	4क	4ख	4ग	5
4. नया नगर	प्रा.से.स.स.लि.	1,52,300	62,773	—	62,773	89,527
5. जवाजा	,,	1,11,560	2,650	25,825	28,475	83,085
6. किशनपुरा	,,	30,225	—	—	—	30,225
7. सुहावा	,,	1,92,650	—	1,23,900	1,23,900	68,750
8. नबर्द खेड़ा	,,	1,32,062	—	51,560	51,560	80,502
9. बड़ा खेड़ा	,,	31,440	—	—	—	31,440
10. बराखन	,,	27,750	—	—	—	27,750
योग		10,48,962	65,423	3,22,535	3,87,958	6,61,004

(3) भिनाय शाखा

1. एकलसिंहा	ग्राम से.स.स.लि.	104400.00	—	—	—	58475.00
2. केवानिया	,,	65670.00	6488.00	—	6488.00	2312.00
3. टाटोटी	,,	17015.00	12890.00	—	12890.00	4125.00
4. सराना	,,	25470.00	25470.00	—	25470.00	—
5. जोताया	,,	84935.00	6350.00	—	6350.00	9735.00

1	2	3	4क	4ख	4ग	5
6.	पाडलिया ग्राम से.स.म.लि.	6230.00	—	—	—	6230.00
7.	भिनाय ,,	23500.00	—	—	—	—
	योग	327220.00	51198.00	—	51198.00	80877.00
(4)	केकड़ी शाखा					
1.	सदारा ग्राम से. स. स. लि.	183270.00	12509.00	20840.00	33349.00	141327.00
2.	घीसला ,,	104445.00	—	48115.00	48115.00	—
3.	काचरिया ,,	106670.00	16500.00	55512.00	55512.00 16500.00	—
4.	मोटियाला ,,	96000.00	—	—	—	96000.00
5.	कालेड़ा-कृष्णगोपाल ,,	55820.00	—	55820.00	55820.00	—
6.	कल्याण ,, पिपलाज	78835.00	2103.00	—	2103.00	76732.00
7.	शंकर ,, जूनिया	195772.00	—	195772.00	195772.00	—
8.	पाड़लिया ,,	140689.00	10313.00	3414.00	13727.00	126962.00
9.	मोलकिया ,,	322710.09	5758.00	—	5758.00	326952.00

1	2	3	4क	4ख	4ग	5
10.	कादेड़ा ग्राम से. स. स. लि.	1999.00	—	—	—	19990.00
11.	बसन्त ,, बघेरा	38820.00	—	18410.00	18410.00	—
12.	कन्नौज ,,	34805.00	—	26098.00	26098.00	—
13.	मेवदाकला ,,	93650.00	—	2399.00	2399.00	—
14.	लक्ष्मीनाथ ,, देवगांव	133750.00	—	22182.00	22182.00	—
15.	घम्बरी ,,	43095.00	12100.00	—	12100.00	30995.00
16.	फारकींया ,,	59490.00	—	—	—	59490.00
17.	आदर्श ,, मेहरूकलां	47355.00	2395.00	—	2395.00	44960.00
18.	पारा ,,	57770.00	12950.00	4400.00	17350.00	40420.00
19.	विजय वृ. कृ. दा. स. स लि. केकड़ी	176400.00	20469.00	—	20469.00	162586.00
	योग	1999336.00	95097.00	452962.00	548059.00	1106414.00

1	2	3	4क	4ख	4ग	5
(5)	विजयनगर					
1.	जालिया ग्रा. से. स. स. लि.	181102.00	—	—	—	181102.00
2.	लौडियाना ,,	32805.00	—	—	—	32805.00
3.	सिखरानी ,,	9216.00	—	—	—	9216.00
4.	सयाना ,,	32600.00	—	—	—	32600.00
5.	देवांस ,,	56826.00	—	—	—	56826.00
6.	भाक ,,	153555.00	—	—	—	153555.00
7.	चापानेरी ,,	18881.00	—	—	—	18881.00
8.	पड़ांगा ,,	34930.00	—	—	—	34930.00
9.	सिघावल ,,	2960.00	—	—	—	2960.00
	योग	522875.00	—	—	—	522875.00

253

1	2	3	4क	4ख	4ग	5
(6)	पुष्कर शाखा					
1.	भगवानपुरा ग्राम से. स. स. लि.	92410.00	—	33440.00	33440.00	—
2.	मिचौलिया ,,	125140.00	1240.00	31364.00	32604.00	32879.00
3.	नान्द ,,	60675.00	5000.00	900.00	5900.00	28000.00
4.	गोविन्दगढ़ ,,	176320.00	—	—	—	101060.00
	योग	454545.00	6240.00	65704.00	71944.00	161939.00
(7)	शाखा किशनगढ़					
1.	नरा ग्राम सेवा सहकारी स.	192395.00	—	48025.00	48025.00	—
2.	डीडवाड़ा ,,	117450.00	—	900.00	900.00	—
3.	बांदरसिंदरी ,,	84150.00	—	—	—	—
4.	बरना ,,	216660.00	—	25200.00	25200.00	—
5.	रूपनगढ़ ,,	203015.00	2200.00	—	2200.00	84212.00
6.	हरमाड़ा ,,	48745.00	6445.00	—	6445.00	41940.00
7.	पनेर ,,	196960.00	—	—	—	53450.00

1	2	3	4क	4ख	4ग	5
8.	तिलोनिया ग्राम सेवा सहकारी स.	13085.00	750.00	—	750.00	9675.00
9.	पाटन ,,	2800.00	2800.00	—	2800.00	—
10.	करकेड़ी ,,	48385.00	2735.00	—	2735.00	45650.00
11.	कुचील ,,	32165.00	—	—	—	32165.00
12.	पीगंलोद ,,	5610.00	—	—	—	5610.00
13.	थल ,,	4000.00	—	—	—	—
14.	टिकावड़ा ,,	18775.00	—	250.00	250.00	18525.00
	योग	1184195.00	14930.00	74375.00	89305.00	291227.00
(8)	शाखा अराँई					
1.	अराँई ग्राम सेवा सहू. समिति	107325.00	20460.00	9990.00	30450.00	—
2.	भामोलाव ग्राम सेवा सहू. समिति	93175.00	—	—	—	—
3.	देवपुरी ग्राम सेवा सहू. समिति	89225.00	750.00	—	750.00	—
4.	ढसक ग्राम सेवा सहू. समिति	111850.00	—	—	—	15003.00

255

1	2	3	4क	4ख	4ग	5
5.	काशीर ग्राम सेवा सह. समिति	99275.00	—	—	—	—
6.	मंडावरियां ,,	41200.00	—	—	—	—
7.	सांवोलाव ग्राम सेवा सह. समिति	201000.00	—	—	—	—
	योग	743050.00	21210.00	9990.00	31200.00	15003.00
(9)	पीहां.न शाखा					
1.	दांतड़ा ग्राम सेवा सह. समिति	137750 00	—	137750.00	137750.00	—
2.	मांगलियावास सेवा सह. समिति	93340.00	—	93340.00	93340.00	—
3.	नागेलाव ग्राम सेवा सह. समिति	86000.00	—	--	—	—
4.	पगारा ग्राम सेवा सह. समिति	87750.00	—	4715.00	4715.00	27833.00
5.	रामपुरा डाब्ला ग्राम सेवा सह. समिति	183505 00	—	183505 00	183505.00	—
6.	कृष्ण पीसागंन ग्राम सेवा सह. समिति	28300.00	—	10564.00	10564.00	17736.00
7.	लक्ष्मीनाथ ग्राम सेवा सह. समिति	307658.00	—	307658.00	—	—
	योग	919303.00	—	732532 00	732532.00	45569.00

1	2	3	4क	4ख	4ग	5
(10)	नसीराबाद शाखा					
1.	बाघसुरी ग्रा सं. स. सृ. लि.	79565.00	1750.00	—	1750.00	10900.00
2.	भगवतंपुरा ग्रा. से. स. स. लि	207015.00	146000.00	—	146000.00	30025.00
3.	भटियानी ,,	276875.00	87792.00	—	87792.00	189083.00
4.	वूबानिया ,,	181930.00	42967.00	2670.00	45637.00	136293.00
5.	डबरेला ,,	24205.00	—	—	—	24205.00
6.	दांताछीतरसिंह ,,	172520.00	99843.00	—	99843.00	72677.00
7.	दिलवाड़ा ,,	78950.00	—	400.00	400.00	78550.00
8.	गोयला ,,	133855.00	10565.00	—	10565.00	—
9.	झडवासा ,,	35800.00	34700.00	—	34700.00	1100.00
10.	कानुपुरा ,,	72570.00	3459.00	—	3459.00	38066.00
11.	लोहरवाड़ा ,,	180435.00	141200.00	—	141200.00	27835.00
12.	मावसिया ,,	145220.00	—	—	—	114710.00
13.	तिलाना ,,	154150.00	53995.00	—	53995.00	73705.00
	योग	1743090.00	622271.00	5070.00	625341.00	797149.00

257

1	2	3	4क	4ख	4ग	5
(11)	**मसूदा शाखा**					
1.	बेगलियावास ग्रा. से. स. स. लि.	311595.00	83975.00	—	83975.00	49350.00
2.	देवमाली ,,	109500.00	3550.00	—	3550.00	1500.00
3.	मसूदा ,,	61990.00	—	—	—	43950.00
4.	किराप ,,	89035.00	1200.00	—	1200.00	9560.00
5.	मोयाणा ,,	58485.00	—	—	—	32910.00
6.	जामोला ,,	148870.00	—	—	—	63850.00
7.	मोयला ,,	171610.00	11371.00	—	11371.00	39849.00
8.	लखा ,,	139405.00	—	—	—	—
	योग	1090490.00	100096.00	—	100096.00	240969.00
(12)	**सरवाड़ शाखा**					
1.	अजगरी ग्रा. से. स. लि.	88300.00	5343.00	—	5343.00	82957.00
2.	अजगरा ,,	130300.00	-3300.00	—	3300.00	127000.00

1	2	3	4क	4ख	4ग	5
3.	फतेहगढ़ ग्रा. से. स. लि.	161900.00	893.00	—	893.00	161007.00
4.	मनोहरपुरा ,,	43650.00	—	—	—	43650.00
5.	सांपला ,,	182450.00	32896.00	4000.00	36896.00	149554.00
6.	स्यार ,,	149450.00	25621.00	8969.00	24590.00	123829.00
7.	छापरी ,,	88050.00	14583.00	—	14583.00	73467.00
	योग	844100.00	82636.00	12969.00	95605.00	761464.00

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 332 का विवरण

कोटा सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि., कोटा

क्रमांक	नाम कर्मचारी	वसूली योग्य राशि	वर्ष	शार्टेज	गबन	आर्थिक अनियमितता	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री प्रेमचन्द जैन	2015.12	70-71	2015.12	—	—	धारा 74 (2) के अन्तर्गत निर्णय होकर 2015.12 की डिग्री जारी होकर वारन्ट कुर्की जारी हो चुका है। 300 रुपये की वसूली हो चुकी है शेष वसूली की कार्यवाही जारी है।
2.	श्री द्वारकालाल गुप्ता	5000.00	70-71	5000.00	—	—	धारा 74 (2) के अन्तर्गत निर्णय होकर 5000.00 रुपये की डिग्री जारी होकर वारन्ट कुर्की जारी हो चुकी है। लेकिन निर्णय के बाद राज्य सरकार में अपील चल

1	2	3	4	5	6	7	8
							रही है। तथा स्थगन आदेश मिला हुआ है। वसूली 480/– रु. की हुई है।
3.	श्री ओमप्रकाश गोस्वामी	11835.30	70-71	11835.30	—	—	धारा 74 (2) के अन्तर्गत निर्णय होकर 11835.30 पैसे की डिग्री जारी होकर वारन्ट कुर्की जारी हो चुका है। तथा 646/70 पैसे की वसूली हो चुकी है।
4.	श्री भगवान दास	7828.47	71-72	—	—	—	धारा 74 (2) के अन्तर्गत निर्णय होकर डिग्री 7828.47 पैसे की जारी हो चुकी है। वसूली कार्यवाही जारी है।
5.	श्री बालकृष्ण नन्दवा	1097.12	71-72	—	1097.12	—	धारा 74 (2) के अन्तर्गत निर्णय होकर डिग्री 7828.47 पैसे की जारी हो चुकी है। वसूली कार्यवाही जारी है।

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	श्री बनवारी लाल	6110.35	70-71	6110.35	—	—	धारा 74 (2) के अन्तर्गत निर्णय होकर डिग्री 6112.35 की जारी हो चुकी है। वसूली 250/– रुपये की हो चुकी है।
7.	श्री सोहनलाल केरबाल	1620.80	70-71	1628.80	—	—	धारा 74 (2) के अन्तर्गत निर्णय होकर डिग्री 1628.80 पैसे की जारी हो चुकी है। वसूली 250/- रुपये की हो चुकी है।
8.	श्री धर्मचन्द जैन	2323.85	71-72	2323.85	—	—	धारा 74 (2) के अन्तर्गत निर्णय होकर डिग्री 2323.85 की जारी हो चुकी है। वसूली 252.80 पैसे की हो चुकी है। शेष वसूली की कार्यवाही जारी है।
9.	श्री ईश्वर लाल	15010.12	71-72	15010.12	—	—	धारा 74 (2) के अन्तर्गत निर्णय होकर डिग्री 15010.12 पैसे की जारी हो चुकी है। वसूली 1343.02 पैसे की हो चुकी है। शेष वसूली की कार्यवाही जारी है।

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	श्री सम्पत कुमार	3929.00	71-72	—	—	—	एम.एम. कोर्ट कोटा में मामला विचाराधीन है । पूर्ण राशि बरामद की जाकर कोर्ट में जमा है ।
11.	श्री रतनलाल सैनी	4217.00	79-80	—	—	4217.00	धारा 74 (2) के अन्तर्गत निर्णय होकर डिग्री 4217.00 की जारी हो चुकी है । केस अपील में पुनर्विचार करने हेतु आर. ए. ओ. आफिस कोटा में विचाराधीन है ।
12.	श्री ओम शंकर गर्ग	7082.02	79-80	—	7082.02	—	सम्पूर्ण राशि अन्डर प्रोटेस्ट भंडार में जमा हो चुकी है । तथा मामला सेशन कोर्ट में विचाराधीन है ।
13.	श्री मोतीलाल सिन्धी	18958.79	79-80	18958.79	—	—	रीजनल आडिट आफिस कोटा में धारा 74 की कार्यवाही चल रही है ।
14.	श्री छीतरलाल कुमावत	18000.00	81-82	—	18000.00	—	रीजनल आडिट आफिस कोटा में धारा 74 की कार्यवाही चल रही है ।

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	श्री कृष्णबिहारी शर्मा	28652.84	81-82	16593.49	—	—	रीजनल ग्राडिट ग्राफिस कोटा में धारा 74 की कार्यवाही विचाराधीन है। वसूली 1328.10 पैसे की हो चुकी है। तथा 19-7-83 से निलम्बित है।
16.	श्री तुलसीराम	16593.49	81-82	16593.49	—	—	रीजनल ग्राडिट ग्राफिस कोटा में धारा 74 की कार्यवाही विचाराधीन है। वसूली 3522.80 पैसे की हो चुकी है। तथा 18-2-83 से निलम्बित है।
17.	श्री कजोड़ मल प्रजापति	34450.66	81-82	34450.66	—	—	रीजनल ग्राडिट ग्राफिस कोटा में धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है। वसूली 712.45 पैसे की हो चुकी है। तथा 1 जनवरी ,83 से निलम्बित है।
18.	श्री कृष्ण गोपाल पंचोरी	1865.50	82-83	1865.50	—	—	वसूली 1094.85 पैसे की जाकर शेष वेतन में से कटौती जारी है।

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	श्री शिवप्रसाद तोदी	17554.16	82-83	17554.16	—	—	वसूली 14098.03 पैसे की जाकर शेष राशि के लिये जून, 84 से पूर्व जमा कराने हेतु लिखित में इकरार किया गया है।
20.	श्री बाबूलाल राव	7247.19	82-83	7247.19	—	—	वसूली 6112.60 पैसे की जाकर शेष राशि वेतन में से काटी जा रही है।
21.	श्री अशोककुमार वर्मा	7830.66	82-83	7830.66	—	—	आर. ए. ओ. आफिस कोटा में केस धारा 74 में विचाराधीन है।
	योग :	219230.44		177076.83	37936.61	4217.00	

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 335 की सूची

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि०, जयपुर की गाडियों के उपयोग व व्यय का विवरण

वाहन	वाहन संख्या	दिनांक 1-4-81 से दिनांक 31-1-84 तक कितने कि.मी. चली	पैट्रोल एवं मरम्मत पर व्यय	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
कार	आरएमबी-5091	66457	84,685-26	इसका उपयोग संघ के अध्यक्ष, महा-प्रबन्धक एवं अन्य अधिकारियों द्वारा किया जाता है।
कार	आरआरबी-7909	78236	70,751-99	इसका उपयोग अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जाता है।
एफ. सी.	आरएसबी-5984	सूचना देना संभव नहीं है क्योंकि लोग बुक कोर्ट में है।	28,673-93	इसका उपयोग 'उपहार' द्वारा माल लाने ले जाने में किया जाता है।
एफ. सी.	आरएसबी-6840	16220	23,767-21	इसका उपयोग 'उपहार' द्वारा माल लाने ले जाने में किया जाता है।

1	2	3	4	5
एफ. सी.	आरएसवी–8058	15507	19,591-59	इसका उपयोग संघ द्वारा माल लाने व ले जाने में किया जाता है।
डिलीवरी वाहन	आरआरवी–9766	41688	39,727-27	इसका उपयोग संघ द्वारा माल लाने व ले जाने में किया जाता है।
मेटाडोर	आरएसवी–1916	34949 (27-7-81 से 31-1-84) इससे पूर्व की लाग बुक बाढ़ग्रस्त हो गई।	56,258-02	इसका उपयोग मेडिकल ब्रांच द्वारा किया जाता है।
थ्री–व्हीलर	आरएसजी–2366	4766	2,322-49	इसका उपयोग उपहार द्वारा दिनांक 1-4-81 से 1-2-83 तक किया गया तथा 2-2-83 से आयुर्वेद ब्रांच द्वारा किया जा रहा है।
थ्री–व्हीलर	आरएसवी–7253	1-4-81 के पूर्व से ही खराब होने के कारण बन्द पड़ी है।		बन्द पड़ी है। अतएव उपयोग का प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 336 की सूची

वर्ष जनवरी, 83 से दिसम्बर, 83 तक सीकर जिले में हुई घटनाओं की तालिका (अ) मय निस्तारण

क्र. सं.	शीर्षक	दर्ज अभियोगों की संख्या	अदम वकु	अदम पता	अदम सबूत	जेर तपतिश	चालान	1983 के अनुपात: 1979 से अनुपात कमी	1979 से अनुपात बेशी	1980 से अनुपात कमी	1980 से अनुपात बेशी	1981 से अनुपात कमी	1981 से अनुपात बेशी	1982 से अनुपात कमी	1982 से अनुपात बेशी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	डकेती	3	—	—	—	—	—	समान	समान	—	+100%	—	+33.33%	-66.67%	—
2.	कत्ल	21	1	1	—	1	18	समान	समान	-20.57%	—	-19%	—	-66.67%	—
3.	चोरी	260	74	122	1	6	57	-21.92%	—	-1.54%	—	-13%	—	-28%	—
4.	बलात्कार	7	3	—	—	—	4	—	+28.57%	—	समान	-42.86%	—	-14 28%	—
5.	मारपीट	303	56	19	3	7	218	—	+19.80%	—	+2.31%	-3.96%	—	-2.97%	—

वर्ष जनवरी, 1983 से दिसम्बर, 1983 तक

सीकर जिले में हरिजनों पर अत्याचार के मामलों की तालिका "ब" (अनुसूचित जाति)

क्र.	शीर्षक	पंजीबद्ध अभियोग	अदम वकु	अदम पता	अदम सबूत	जेर तफ्तिश	चालान	वर्ष 1983 के अनुपात में 1979	अनुपात में 1980	अनुपात में 1981	अनुपात में 1982 से 1983
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	कत्ल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	बलात्कार	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	गम्भीर चोट	3	—	—	—	—	—	+66.67%	+33.33%	+33.33%	+33.33%
4.	गम्भीर क्षति	3	3	—	—	—	—	+33.33%	—	+66.67%	—
5.	नागरिक सुरक्षा संरक्षण अधिनियम	7	5	—	—	—	2	+85.71%	+28.57%	+28.57%	+ 14.29%

वर्ष जनवरी, 1983 से दिसम्बर, 1983 तक सीकर जिले में हरिजनों पर अत्याचार के मामलों की तालिका "स" (अनुसूचित जनजाति)

क्रमांक	शीर्षक	पंजीबद्ध अभियोग	अदम वकु	अदम पता	अदम सबूत	जेर तफ्तीश	चालान	वर्ष 1983 के अनुपात में 1979	अनुपात में 1980	अनुपात में 1981	अनुपात में 1982 से 1983
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	कत्ल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	बलात्कार	1	1	—	—	—	—	+100.00 प्रतिशत	+100 प्रतिशत	+100 प्रतिशत	+100 प्रतिशत
3.	गम्भीर चोट	2	—	—	—	—	2	+50 प्रतिशत	—50 प्रतिशत	+50 प्रतिशत	—
4.	गम्भीर क्षति (आगजनी)	1	—	—	—	—	1	+100 प्रतिशत	—30 प्रतिशत	—100 प्रतिशत	+100 प्रतिशत
5.	नागरिक सुरक्षा संरक्षण अधिनियम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट 18

अतारांकित प्रश्न संख्या 337 का विवरण

क्र.सं.	अभियोग संख्या व थाना	नाम व जाति मृतक	हत्या का उद्देश्य	अभियुक्त जो पकड़े गये
1	2	3	4	5
1.	अ. सं. 6 दिनांक 18-1-84, धारा 302, ता. हि. थाना गंगधार, जिला–झालावाड़ ।	श्री मोतीलाल पुत्र अनारसिंह राजपूत, नि. पीपल्दा, थाना गंगधार ।	मृतक की बकरी को मारने के मामले को लेकर कहासुनी होने के कारण अभियुक्त ने मृतक के साथ मारपीट की ।	श्री मुरली पुत्र ओंकार दास बैरागी, निवासी, पीपल्दा ।
2.	अ. सं. 13/84 दि. 12-1-84 धारा 302, 307, 147, 149 ता. हि., थाना-भवानी मण्डी, जिला–झालावाड़ ।	श्री किशनलाल मेहर पुत्र श्री रामलाल मेहर, निवासी मेहरपुरा, थाना–भवानी मण्डी ।	अभियुक्तगण ने कुऐ से पानी की मोटर चोरी होने के मामले को लेकर उसकी बरामदगी हेतु मृतक किशनलाल व भैरूलाल के साथ मारपीट की, जिससे किशनलाल की मृत्यु हो गई व भैरूलाल गम्भीर रूप से घायल हो गया ।	1–श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, जाति-सिख । 2–श्री फोजसिंह पुत्र श्री रायसिंह, जाति-सिख ।

271

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न संख्या 338 की सूची

वर्ष	चोरी होने का स्थान	चोरी होने का दिनांक	चोरी गई सम्पति	बरमादगी	नतीजा चालान	अन्तिम रिपोर्ट	कैफियत
1980	खेत में बनी रहवासी ढाणी में	29,30.4.80 की रात	14,400	—	—	अदमपता	
1983	रहवासी झूंपा में	27,28.12.82 की रात्रि में	3000	3000	23.7.83	—	मामला विचाराधीन न्यायालय है।
1994	निजी मकान में	1.1.84	39,000	—	—	—	तपतीश जारी है।

परिशिष्ट 20

अतारांकित प्रश्न संख्या 339 की सूची

कस्बा बस्सी में पिछले तीन वर्षों (1981–1982–1983) में चोरी की तुलनात्मक सूचना

वर्ष	कुल चोरी	उनवान मुकदमा	चोरी किसके हुई	माल मशरूका	गिरफ्तार शुदा मुलजिमान	गिरफ्तारी की तारीख	किसके कितना माल बरामद हुआ	कुल बजाया-फता	नतीजा	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1981	3	30/81	महेश प्रसाद पुत्र बाबुलाल सक्सेना	200	—	—	—	—	अदमपता	—
		107/81	श्री रामानन्द बडीया पुत्र घीसाराम स. स्टेशन मास्टर	150	—	—	—	—	अदमपता	—
		140/81	श्री रामकिशोर कटारिया बस्सी	480	—	—	—	—	अदमपता	—
			कुल	1180						
1982	1	27/82	बाबूलाल पुत्र सुन्दरमल बस्सी	400	—	—	—	—	अदमपता	—
1983	2	82/83	श्री इन्द्रमोहन पुत्र ज्ञानवर नि. बस्सी	500	—	—	—	—	अदमपता	—
		201/83	श्री सत्यनारायण	300	—	—	—	—	अदमपता	—

273

कस्बा बस्सी में पिछले (वर्षों 1981–1982–1983) में नकबजनी की तुलनात्मक सूचना

वर्ष	उनवान मुकदमा	नकबजनी किसके हुई	माल मशरूका	गिरफ्तार शुदा मुलजिमान	गिरफ्तारी की तारीख	किससे कितना माल बरामद किया	कुल बजायाफ्ता	नतीजा	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1981	1. 77/81	वृद्धिचन्द पुत्र महादेव जाति हरियाणा ब्राह्मण	8000	1. नाथू पुत्र बालू मीना नि. बालुपुरा 2. प्रभु पुत्र नारायण मीना नि. साहीवाड़	6-5-81 25-8-81	8000	8000	चालान	—
	2. 173/81	माधोलाल पुत्र गोपीलाल ब्राह्मण नि. बस्सी	1000	—	—	—	—	—	एफ आर अदमपता 31-10-81
1982	1. 230/82	राधेश्याम पुत्र खेड़ाराम माली नि. बस्सी के मन्दिर	6000	1. हरिसिंह पकड़िया 2. मथरेश 3. किशनिया नि. खवा शरीक मुलजिमान 1. कन्हैया पुत्र धन्ना 2. कन्चया पुत्र मोतिया 3. नन्दा पुत्र कोलीया सांसियान	27-11-82	4500	4500	चालान	20-3-83 उक्त मुलजिमान को थाना दौसा द्वारा गिरफ्तार किया जाकर माल बरामद किया गया, 6 छत्र चांदी की बरामदगी शेष है।
	2. 247/82	सत्यनारायण पुत्र राधेश्याम	800	—	—	—	—	—	—
1983	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट 21

अतारांकित प्रश्न संख्या 344 की सूची

वर्ष 1982–83 में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के लक्ष्य एवं उपलब्धियों का ज़िलेवार विवरण।

(बीस सूत्री कार्यक्रम सूत्र संख्या–1)

(हैक्टेयर)

क्र. संख्या	जिले का नाम	वर्ष 1982-83 के लिए लक्ष्य	वर्ष 1982-83 में उपलब्धि
1	2	3	4
1.	अजमेर	940	1140
2.	अलवर	1880	240
3.	बांसवाड़ा	360	263
4.	बाड़मेर	110	111
5.	भरतपुर	6780	6845
6.	भीलवाड़ा	1210	877
7.	बीकानेर	—	—
8.	चित्तौड़गढ़	1960	2102
9.	बूंदी	1500	1548
10.	चूरू	—	5
11.	डूंगरपुर	240	186
12.	गंगानगर	—	—
13.	जयपुर	1660	320
14.	जैसलमेर	—	96
15.	जालोर	—	20
16.	झालावाड़	2670	2890
17.	झुंझुनू	—	127

1	2	3	4
18.	जोधपुर	—	92
19.	कोटा	3700	3848
20.	नागौर	1300	1235
21.	पाली	660	2138
22.	सवाई माधोपुर	2110	2260
23.	सीकर	710	710
24.	सिरोही	500	724
25.	उदयपुर	800	1047
26.	टौंक	630	1001
27.	धौलपुर	240	250
	योग :	29960	29970

Statement showing projectwise targets and achievement of potential during 1982-83

('000 Hect.)

S. No.	Classification and Name of Project	District.	Target of Potential	Achievement
1	2	3	4	5
	(A) Multipurpose :			
1.	**Lift Scheme.**	Kota	0.600	0.600
	(B) Major :			
1.	**Gurgaon Canal**	Bharatpur	6.650	6.650
	(C) Medium :		5.660	5.800
1.	**Harish Chandra Sagar**	Jhalawar	*3.000	3.000
2.	**Bhim Sagar**	"	1.000	1.000

1	2	3	4	5
3.	Panchana	S. Madhopur	0.400	0.400
4.	Wagon Diversion.	Chittorgarh	1.000	1.140
5.	Lasaria (Completed)	Ajmer	0.260	0.260
	(D) Modernisation :		4.550	4.440
1.	Meja Feeder	Bhilwara	0.100	0.100
2.	Gambhiri	Chittorgarh	0.100	0.100
3.	Rajsamand	Udaipur	0.150	0.150
4.	Jaisamand	Udaipur	0.150	0.150
5.	Almia *	Kota	0.400	0.400
6.	Gudha	Bundi	0.500	0.500
7.	Parwan	Jhalawar	**0.500	0.500
8.	Parwati	Dholpur	0.240	0.090
9.	Mashi	Tonk	0.150	0.150
10.	Jawai	Pali	0.040	0.040
11.	Parwati	Kota	0.360	0.500
12.	Morel	S. Madhopur	0.810	0.810
13.	Kalakh Sagar	Jaipur	0.050	0.050
14.	Chhaparwara	Jaipur	0.400	0.100
15.	Jaggar	S. Madhopur	0.600	0.800
		Total : (A to D)	17.460	17.490
	(E) Minor :		12.500	12.480
1.	State Plan		8.660	7.356
2.	TAD (State Plan)		0.260	0.688
3.	D.P.A.P.		2.270	2.893
4.	D.D.P.		1.310	1.543
		Total : (A to E)	29.960	29.970

* 1500 in Kota & 1500 in Jhalawar.

** Potential created in Kota District.

Schemewise targets and achievement of creation of additional irrigation potential under minor irrigation schemes during, 1982-83

('000 Hect)

S. No.	Name of Project	District	Targets	Achievements
1	2	3	4	5
		Minor (State Plan)		
	Kota Zone :			
1.	Sirsipura	Kota	—	0 040
2.	Choma	,,	0.060	0.029
3.	Dhara	,,	0.020	—
4.	Panchkui	,,	0.040	0.040
5.	Daulatpura	,,	0.060	0.059
6.	Bagdev	,,	0.020	0.016
7.	Khatka	,,	0.100	0.060
8.	Khandela Anicut	,,	0.040	0.040
9.	Khatia Kheri	,,	—	0.640
10.	Dugari Canal	Bundi	0.330	0.300
11.	Bankia Khal Talab	,,	0.130	0.127
12.	Dabi	,,	0.030	0.028
13.	Shambhu Sagar	,,	—	0.018
14.	Abhayapura	,,	0.540	0.540
15.	Kodi	,,	—	0.035
16.	Sarola	Jhalawar	0.100	0.050
17.	Saran Kheri	,,	0.060	0.120
18.	Rajpura	,,	—	0.020
19.	Saman Khera	,,	—	0.200
		Total (Kota Zone)	1.510	1.786

1 — 2	3	4	5
Jaipur Zone :			
1. Soonthra	Tonk	0.180	0.180
2. Sirohi	,,	0.050	0.050
3. Kaseer	,,	0.050	—
4. Kookpur Rataki Khal	Dholpur.	—	0.160
5. Mandar Nala-I	Sirohi	0.400	0.530
6. Sangerli Kheda	,,	0.100	0.031
7. Basundani	Ajmer	0.400	0.700
8. Untra	,,	0.050	0.100
9. Ranjeet Sagar	,,	0.080	0.080
10. Dehsagar (Badli)	,,	0.150	—
11. Rediya.	Jaipur	0.590	—
12. Dubli	,,	0.250	—
13. Pando.	,,	0.050	0.050
14. Khejri	,,	0.300	0.100
D.P.A.P. :			
1. Dhanasaria Ka Naka	Nagaur	0.090	0.090
2. Kanolao Ka Bala.	,,	0.070	0.073
3. Malion Ka Dhora	,,	0.080	0.086
4. Bhoiyon Ka Naka	Dungarpur	0.070	—
5. Ghotad.	,,	0.110	0.108
6. Raising of Hariyala	,,	0.060	0.078
7. Saran Patel Ka Naka.	Banswara	0.070	—
8. Khanapada.	,,	0.070	—
9. Gorcha	,,	0.110	0.107
10. Barigama.	,,	0.110	—
11. Goya Ka Prasad	,,	—	0.082
12. Nagda	,,	—	0.011
13. Ruparall	Udaipur	0.020	0.020

280

1	2	3	4	5
14.	Kundli Stage II	Udaipur	0 120	0.120
15.	Bhudar	,,	0.100	0.101
16.	Deedwan	Pali	0.070	0.081
17.	Bajarwala	,,	0.040	0.040
18.	Madra Ki Nal.	,,	0.050	0.067
19.	Amliawala	,,	—	0.248
20.	Chhodawala	,,	—	0.120
21.	Naneri Vegumada.	Barmer	0.070	0.111
		Total : (DpAp)	1.310	1.543
D.D.P. :				
1.	Rajlota	Nagaur	0.160	0.165
2.	Bhuni Bund	,,	0.250	0.247
3.	Mokal Ghata	,,	0.080	0.012
4.	Bhadwa	,,	0.410	0.408
5.	Mokala	,,	0.160	0.154
6.	Sonwa Bund	Pali	0.120	0.118
7.	Mukund Sagar	,,	0.340	0.308
8.	Bamanin	,,	—	0.084
9.	Babra	,,	—	0.352
10.	Devawala Khadeen	Barmer	0 040	—
11.	Ranasar	Sikar	0.570	0.570
12.	Jealo	,,	0.060	0.060
13.	Dokan	,,	0.080	0.080
14.	Sankra Khadeen-II	Jaisalmer	—	0.055
15.	Peeplin	Jodhpur	—	0.092
16.	Dogar Ka Nala	Jhunjhunu	—	0.076
17.	Dada Fatehpura	,,	—	0.051
18.	Raj Mathai	Jaisalmer	—	0.041
19.	Raising of Silwason	Jalore	—	0.020
		Totol : (D.D.P.)	2.270	2.839

परिशिष्ट 22

अतारांकित प्रश्न 345 की संक्षिप्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट व संक्षिप्त प्रारूप

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

RAJ. WATER SUPPLY AND SEWERAGE MANAGEMENT BOARD, JAIPUR

No. F. 1 (224) Secy/RWSSMB/80 Jaipur, Dt. 28-3-81.

The Chief Engineer,
P.H.E.D., Rajasthan,
Jaipur.

Sub : Administrative and Financial sanction for Sewerage Scheme, Udaipur.

Ref : Letter No. 3416 dt. 19-12-80 from T.M.

Sir,

As per item No. 5 of the summery record of decisions of the 2nd meeting of Policy Planning Committee, I am directed to convey financial sanction of the Chairman under the emergency procedure (subject to rectification by the Board) to the execution of Sewerage Scheme for Udaipur at an estimated cost of Rs. 2.27 (Rs. Two Crores and twenty seven lacs only) subject to the condition that physical contingencies may be allowed at the rate of 4½% (3% for works contingancies, 1½% for worked charged estt.) Price escalation as included in the project report for 1980-81 may be allowed at constant rate upto 1984-85 without taking into account price escalation in 1981-82 and onwards. Engineering cost & T&P charges may be allowed @ 13.25% and 0.75% respectively.

The expenditure is chargable to Head '482-Capital Outlay on Public Health Sanitation and Water Supply (Ka) Sewerage Scheme (i) General Sewerage Scheme (ii) Sewarage Scheme, Udaipur (1) Major Works (Plan Exp.).

282

This issues with the concurrence of F.A. vide his No. 959 dated 11-3-81.

Yours faithfully,

Sd/—

Secretary,

Raj. Water Supply & Sewerage Management Board, Jaipur.

954/27-4-81.

Copy forwarded to :

1. Accountant General, Raj. Jaipur.
2. Planning Deptt.
3. Finance Deptt. (Exp. III)
4. Technical Member, RWSSMB, Jaipur.
5. Superintending Engineer, W.B. Project Jaipur, Udaipur.
6. Guard file.

Sd/—

Section Officer,

No. 253 Dt. 24-4-81

Copy to the following for favour of information and n/a :

1. Addl. Chief Engineer Region, Ajmer PHED, Ajmer.
2. Superintending Engineer, PHED, Circle, Udaipur.

Sd/—

Executive Engineer

World Bank Dn. I (U),

PHED, Jaipur

UDAIPUR SEWERAGE PROJECT

SUMMARY :

The city of Udaipur called "City of Lakes" at present Udaipur is a district headquarter. The city is connected by road and rail and air with all the principal town of the country and is renowned tourist centre known as "City of Lakes". It attracts every year thousand of tourists from all over the country and abroad. Originally planned city is within the city walls and when the city wall could not cortain the growth, new colonies come into existance gradually outside the city walls. The existing sewerage facilities cover the area around the "Pichola Lake" to prevent the pollution into the lake and disposed into the existing Hathipole Pakka covered Nallah. At present the sewage facilities are being maintained by the Municipal Council, Udaipur which is not recovering any specific charges from the public, as the house connections are not being made into the existing sewerage system. At present 0.07 million population is served by conservancy system in the walled city as some area do not have sewer.

The proposed project aims at :

(i) Covering with sewer the entire density populated area within walled city;

(ii) Providing of proper sewerage facilities in the water logged area around Pichhola Lake;

(iii) Providing loteral sewers in outer colony Ashok Nagar, Sabri Colony, Bhopalpura, Nanakpura Colony etc.

This project provides for loan assistance to customers having a household income of less than Rs. 1,200/- per month to get maximum possible no. of sewer connections. In fact within the project zone, it has been assumed to connect 100% population served by connected water supply to sewerage system also by the end of project period. Present population of the area proposed to be covered under project zone is 1.30 Lacs. Area which have not been served under this project are those served predeminently (80% to 90%) by septic tanks.

Under the project zone 100% of population served by sewer connection, conservancy system, septic tank and by other means during the 1979-80 is nil %, 85%—10% and 5% respectively. After the project emplimentation percentage population served by connection and that by conservancy system will be 94%, 3% and 3% respectively.

Under this project it has also been proposed to lay out fall sewer in a length of 2.30 KM along sector No. 2, 3 & 4 towards Manwa Ka Khera & Kalaruas village. Moreover by laying outfall sewer it will be possible to connect some houses of Hiran Magri Scheme (Under const) to the sewage system. In this project it has been proposed to provide preliminary treatment by sdregning and grit removal unit and utilised raw sewage for irrigation purpose, in Ist stage of treatment.

Estimated cost of the project including various contingencies worked out to Rs. 2.88 Crores. Capital expenditure in the different year in the project period of (80-81 to 83-84) has been proposed considering the most economical phasing of various projects components and related construction periods.

It has been proposed to take over the aspects from L.I.C. Loan and State Shares. In the beginning of year 1981-82 by which time Rajasthan Water Supply & Sewerage Corporation shall have necessary infrastructure developed for maintenance of sewerage system. Revenue from sewerage system is proposed to be realised after the project period. Sewerage tarriff has been proposed @ 50% of water charges. The combined water & sewerage charges worked out within 5% of the normally household income of the lowest income group connected to the sewerage system. This is considered to be well within the paying capacity of the lowest income group consumers.

The report of this project describes the existing facilities and various components of the proposed project with cost estimates, drawings, designs.

Sd/—
Assistant Engineer, PHED,
S&D Sub-Dn., Udaipur.

INDIA

UDAIPUR SEWERAGE SCHEME

Table showing year wise No. of connections to which loan assistance provided

Year	80-81	81-82	82-83	83-84	
(A) No. of conservancy connections which loan assistance given					
(i) With interest	—	—	460	1390	1850
(ii) Without interest	—	—	370	1140	1510
	—	—	830	2530	3360
(B) No. of septic tank connection to which loan assistance given					
(i) With interest	—	—	180	65	245
(ii) Without interest	—	—	150	50	200
SUB TOTAL	—	—	1160	2645	3805

45% withou interest.
55% with interest.

Sd/-
Assistant Engineer, PHED;
S&D Sub-Dn., Udaipur.

286

UDAIPUR SEWERAGE SCHEME **COST ESTIMATE** **Annexure 5/2**

S.No.	Items	1980-81			1981-82			1982-83			1983-84			TOTAL		
		C.W.	M/E	Total	C.W.	M/E	Total	C.W.	M/E	Total	C.W.	M/E	Total	C.W.	M/E	Total
1.	Baterals	—	—	—	10.44	2.55	12.99	24.42	6.00	30 42	15.64	3.83	19.47	50.50	12 38	62.88
2.	Connections	—	—	—	—	—	—	6.78	3.44	10.22	15.83	8.02	23.85	22.61	11.46	34.07
3.	Main sewers.	10.94	7.44	18.38	7.29	4.96	12.25	—	—	—	—	—	—	18.23	12.40	30.63
4.	Outfall sewers	3.51	2.46	5.97	5.97	3.60	8.95	—	—	—	—	—	—	8.77	6.15	14.92
5.	Sewer bridge	0.94	—	0.94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.94	—	0.94
6.	Railway crossing	—	—	—	1.00	—	1.00	—	—	—	—	—	—	1.00	—	1.00
7.	Disposal works	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.77	0.50	3.27	2.77	0.50	3.27
8.	Land acquisation	—	—	—	—	—	—	3.77	—	13.77	3.55	—	3.55	17.32	—	17.32
9.	Ancillary	—	—	—	1.00	—	1.00	—	—	—	2.88	—	2.88	3.88	—	3.88
10.	**Total ;**	15.39	9.90	25.29	24.99	11.20	36.19	44.97	9.44	54.41	40.67	12.35	53.02	126.02	42.89	163.91
11.	Physical contigencies @ 45%	0.692	0.45	1.14	1.12	0.50	1.62	2.02	0.43	2.46	1.83	0.56	2.39	5.662	1.94	7.60
	Sub Total 'A'	16.08	10.35	26.11	11.70	37.81	46.99	46.99	9.87	56.86	42.50	12.91	15.41	131.68	44.83	176.51
	Price contingencies @ 13% on sub Total :	2.00	1.35	3.44	3.39	1.52	4.91	6.11	1.28	7.39	5.52	1.68	7.20	17.11	5.83	22.94
	Sub Total 'B'	18.17	11.70	29.87	29.50	13.22	42.72	53.10	11.15	64.25	48 02	14.59	62.61	148.79	50.66	199.45
	Engineering Contigencies & Design & 13.25% on sub total 'B'	2.41	1.55	3.96	3.91	1.75	5.66	7.04	1.48	8.52	6.36	1.93	8.29	19.72	6.71	26.43
	For T & P.& 0.75% on Total 'B'	0.14	0.08	0.22	0.22	0.10	0.32	0.40	0.08	0.48	0.36	0.11	0.47	1.12	0.37	1 49
	GRAND TOTAL :	20.72	13.33	34.05	33.63	15.07	48.70	60.54	12.71	73.25	54.74	16.63	71.37	169.63	57.74	227.37

Sd/–
Assistant Engineer, PHED,
S & D Sub–Division, Udaipur.

परिशिष्ट 23

(अतारांकित प्रश्न संख्या 348 की सूची)

क्र. सं.	जिला	कुल हैण्ड पम्पों की संख्या	ग्रामीण क्षेत्र में	नगरीय क्षेत्र में
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	2893	2134	759
2.	सवाईमाधोपुर	1811	1792	19
3.	बीकानेर	—	—	—
4.	पाली	1298	1269	29
5.	झालावाड़	1001	952	49
6.	उदयपुर	4887	4667	220
7.	बांसवाड़ा	3111	3019	82
8.	भीलवाड़ा	3520	3261	259
9.	जयपुर	3457	3425	32
10.	टोंक	967	967	—
11.	चूरू	234	234	—
12.	जोधपुर	1061	600	461
13.	सीकर	967	935	32
14.	डूंगरपुर	3399	3349	50
15.	कोटा	1799	1743	56
16.	चित्तौड़गढ़	2030	1958	80
17.	श्रीगंगानगर	1101	1097	4
18.	नागौर	564	554	10

1	2		4	5
19.	झुंझुनू	160	160	—
20.	सिरोही	908	844	64
21.	बून्दी	1114	1059	55
22.	धौलपुर	998	958	—
23.	जैसलमेर	37	37	—
24.	बाड़मेर	381	340	41
25.	अलवर	2076	2067	9
26.	भरतपुर	1614	1614	—
27.	जालौर	233	231	2
	योग :	41629	39306	2323

परिशिष्ट 24

अतारांकित प्रश्न संख्या 349 की सूचना

पंचायत समिति मूंडवा, जिला नागौर

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	स्वीकृत हैण्ड पम्पो की संख्या	लगाये गये हैण्ड पम्प स्थान	सफल/असफल	लागत रुपये में	कितनी बार मरम्मत की गई	मरम्मत की लागत रुपये में	पानी की जांच करवाई गई या नहीं	पानी पीने योग्य है या नहीं	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	नागडी	69	12	1. बस स्टेण्ड के पास	सफल	24820	—	252	—	नहीं	
				2. सरपंच की ढाणी के पास	असफल	24020	—	—	—	—	
				3. मेघवालों की ढाणी	सफल	25410	4	252	नहीं	—	
				4. सादो की ढाणी	सफल	20680	2	126	नहीं	—	
				5. लोगों की ढाणी	सफल	25420	3	189	नहीं	—	
				6. बेनीवालों की ढाणी	असफल	25270	—	—	—	—	
				7. मेघवालों की ढाणी	सफल	23850	4	252	नहीं	—	
				8. राजपूतों की ढाणी	असफल	26650	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9. स्कूल के पास	सफल	26390	5	315	नहीं	नहीं	
				10. रावला के पास	सफल	24370	4	252	नहीं	—	
				11. हरिजनों का वास	सफल	23870	5	315	नहीं	—	
				12. नवयुदकों की ढाणी	सफल	18970	—	—	—	—	
2.	खुण्डाला	68	6	1. सावों की ढाणी	सफल	19530	1	68.36	नहीं	—	
				2. गोदारों की ढाणी	सफल	1770	2	136.72	नहीं	—	
				3. धनजी की ढाणी	सफल	19050	4	272.44	नहीं	—	
				4. मेघवालों की ढाणी	सफल	25560	4	273.00	यहीं	—	
				5. सुथारों की ढाणी	सफल	24020	3	198	नहीं	—	
				6. नाडीवाला	सफल	25670	2	137	नहीं	—	
3.	धारनावास	151	6	1. स्कूल के पास	असफल	22620	—	—	—	—	
				2. ग्वाड में	असफल	23850	—	—	—	—	
				3. मेघवालों का बास	सफल	22210	5	235	नहीं	—	
				4. रावों का बास	असफल	20220	—	—	—	—	
				5. शीतलामाता का मंदिर	असफल	22200	—	—	—	—	
				6 नटियों की ढाणी	सफल	25410	2	950	नहीं	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	लालावास	70	6	1. सिहागों की ढाणी	असफल	22200	—	—	—	नहीं	
				2. रावों की ढाणी	सफल	22200	3	129	नहीं	—	
				3. सवों की ढाणी	सफल	22200	2	86	नहीं	—	
				4. गोदारों की ढाणी	सफल	22200	5	216	नहीं	—	
				5. सुथारों का वास	सफल	22200	3	129	नहीं	—	
				6. जाखडों की ढाणी	सफल	18860	3	86	नहीं	—	
5.	टाडास	150	5	1. नायकों की बस्ती	सफल	18190	2	119	नहीं	—	
				2. मेघवालों की बस्ती	सफल	19670	3	180	नहीं	—	
				3. ग्वाडो	सफल	22200	2	120	नहीं	—	
				4. तालाब के पास	सफल	19560	2	180	नहीं	—	
				5. स्कूल के पास	सफल	20700	3	180	नहीं	—	
6.	भावण्डा	154	9	1. स्कूल के पास	सफल	18960	2	134	नहीं	—	
				2. ग्वाड में	असफल	18720	—	—	—	—	
				3. लखारों का बास	सफल	18720	2	131	नहीं	—	
				4. हरिजनों का वास	सफल	19440	3	201	नहीं	—	
				5. पाटों का वास	सफल	19440	1	62	नहीं	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6. टाटियों का वास	सफल	18720	2	139	नहीं	नहीं	
				7. भांभीयों का वास	सफल	19460	3	261	नहीं	—	
				8. पिरोहितों का वास	सफल	19460	2	139	नहीं	—	
				9. चूने के भट्टे के पास	सफल	22950	1	62	नहीं	—	
7.	बेरावास	149	4	1. स्कूल के पास	असफल	19670	—	—	—	—	
				2. ग्वाड में	सफल	20310	3	473	नहीं	—	
				3. मेघवालों का वास	सफल	21620	3	473	नहीं	—	
				4. जाटों का वास	सफल	21720	3	473	नहीं	—	
8.	खोडधा	148	6	1. ग्वाड में	सफल	18160	3	1997	नहीं	—	
				2. स्कूल के पास	सफल	17850	2	1331	नहीं	—	
				3. जाटों का वास	सफल	18420	3	1990	नहीं	—	
				4. घोरियों का वास	सफल	18420	2	1330	नहीं	—	
				5. नायकों की ढाणी	असफल	15307	—	—	—	—	
				6. जाटों का वास II	सफल	16155	3	1007	नहीं	—	
9.	लालाप	155	7	1. रावों का वास	असफल	22740	—	—	—	—	
10.	डारू	146	8	1. ग्वाड में	सफल	18130	3	—	नहीं	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	डारू	146	8	2. मेघवालों का वास	सफल	16920	2	105	नहीं	नहीं	
				3. अस्पताल के पास	सफल	19390	3	158	नहीं	—	
				4. बडलावाला	सफल	19390	3	158	नहीं	—	
				5. लालाप मार्ग पर	सफल	22080	2	105	नहीं	—	
				6. जाटों का वास	सफल	19210	2	105	नहीं	—	
				7. हरिजनों वास	सफल	18970	—	—	नहीं	—	
				8. बावरियों का वास	सफल	20800	2	105	नहीं	—	
11.	जारावरपुरा	147	3	1 ग्वाड़ में	सफल	17280	3	190	नहीं	—	
				2. बावरियों का बास	सफल	19300	2	126.67	नहीं	—	
				3. भांभीयों का बास	सफल	18840	1	63.33	नहीं	—	
12.	कुडिया	72	3	1. भांभीयों का बास	सफल	16560	3	132.86	हां	हां	
				2. ग्वाडवाला	सफल	18630	2	88.57	नहीं	—	
				3. खातीयों का बास	सफल	16065	2	88.57	नहीं	—	
13.	मेडास	176	2	1. ग्वाडवाला	सफल	20310	4	810.00	नहीं	—	
				2. स्कूल के पास	सफल	19530	4	—	नहीं	—	
14.	गांबाकला	174	9	1. रावले के पास	सफल	18220	4	80.25	नहीं	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2. हरिजनों का वास	सफल	18295	3	60.20	नहीं	नहीं	
				3. रामदेवजी का मंदिर	सफल	17750	4	80.25	नहीं	—	
				4. धडावाला	सफल	19290	2	40.12	नहीं	—	
				5. नाडी के पास	सफल	23490	2	40.12	नहीं	—	
				6. बस स्टेण्ड के पास	असफल	22830	—	—	—	—	
				7. कुबारों की ढाणी	सफल	22660	5	100.31	नहीं	—	
				8. कुमारों की ढाणी II	असफल	21990	—	—	—	—	
				9. स्कूल के पास	सफल	23470	2	40.12	नहीं	—	
15.	भाकरोद	143	9	1. ग्वाड में	सफल	24970	3	215.60	हाँ	नहीं	
				2. राजपूतों का वास	सफल	22520	4	287.47	नहीं	—	
				3. बावरियों का बास	सफल	22510	—	—	नही	—	
				4. हरिजनों का वास	सफल	22510	3	215.60	नहीं	—	
				5. चौमला व भामीयों का वास	,,	22510	3	215.60	नहीं	—	
				6. स्कूल के पास	,,	21920	—	—	नहीं	—	
				7. भोला का वास	,,	21920	2	143.73	नही	—	
				8. परदों का वास	,,	23400	2	—	नहीं	—	
				9. बस स्टेण्ड	,,	15350	3	215.60	नहीं	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	पारसरा	160	3	1. स्कूल के पास	सफल	18420	2	421.50	नहीं	—	
				2. रावलों का वास	,,	20640	2	421.50	नहीं	—	
				3. चौधरियों का वास	असफल	18950	—	—	—	—	
17.	खरनास	158	5	1. हरिजनों का वास	सफल	20335	2	228.40	नहीं	—	
				2. तेजाजी के स्थान के पास	,,	21060	1	114.20	हां	हां	
				3. वायासा के स्थान के पास	,,	20993	—	—	नहीं	—	
				4. नाडी के पास	,,	21463	—	—	नहीं	—	
				5. बस स्टेण्ड	,,	21995	2	228.40	हां	नहीं	
18.	चिमरानों	138	2	1. ग्वाडवाला	,,	17805	2	164	हां	नहीं	
				2. साडधर के पास	,,	19470	1	82.33	हां	नहीं	
19.	बेरायस कलां	58	9	1. स्कूल के पास	असफल	20060	—	—	—	—	
				2. सरपंच की ढाणी के पास	सफल	18940	6	831.43	नहीं	—	
				3. ममरावाला	,,	18900	3	415.71	नहीं	—	
				4. घाटीयों की ढाणी	,,	18920	3	415.71	नहीं	—	
				5. गावतलिये के पास	,,	21750	3	415.71	नहीं	—	
				6. ग्राडवाला	,,	2220	2	277.14	नहीं	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7. भांभीयों का वास में	सफल	23430	3	415.71	नहीं	—	
				8. गोलाई के पास	सफल	25050	1	138.57	नहीं	—	
				9. सुथारों की ढाणी	असफल	18916	—	—	—	—	
20.	बेराथल खुर्द	59	4	1. गावतलिये के पास	सफल	23350	2	36.92	नहीं	—	
				2. मेघवालों की ढाणी	,,	23430	5	92.30	नहीं	—	
				3. भांभीयों की ढाणी	,,	20890	3	55.38	नहीं	—	
				4. सुथारों की ढाणी	,,	20920	3	55.38	नहीं	—	
21.	आवला हमीरान	73	9	1. स्कूल के पास(बस स्टेण्ड)	असफल	21230	—	—	—	—	
				2. खेवरजी के थान के पास	सफल	21620	3	330.37	नहीं	—	
				3. भगरा स्कूल के पास	,,	20170	2	220.25	नहीं	—	
				4. सियागों के बेरे के पास	,,	22080	2	220.25	नहीं	—	
				5. सुथारों की ढाणी	,,	17270	2	220.25	नहीं	—	
				6. चोराहे वाला	,,	18570	3	330.37	नहीं	—	
				7. हमीराना रावले के पास	,,	18570	3	330.37	नहीं	—	
				8. हमीराना रायको की ढाणी	,,	18570	3	330.37	नहीं	—	
				9. मगरावाला मेघो वालों का	,,	15118	2	220.25	नहीं	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	जोधराज	175	2	1. ग्वाड में	असफल	24490	—	—	—	—	
				2. रावले के पास	,,	12355	—	—	—	—	
23.	थरोद	179	7	1. शिवजी का चबूतरा	सफल	11918	3	247.06	हां	नहीं	
				2. कडलू रास्ते के पास	,,	11628	2	164.70	नहीं	—	
				3. भाटीयों का बास	,,	11657	3	247.06	हां	नहीं	
				4. पंचायत भवन के पास	,,	12111	4	329.41	हां	नहीं	
				5. भांभीयों का वास	,,	11108	2	164.70	नहीं	—	
				6. जाटों का वास	,,	9743	3	247.06	हां	नहीं	
				7. स्कूल के पास	असफल	10149	—	—	हां	नहीं	
24.	जूजड़ा	186	7	1. सड़क पर	सफल	18000	1	29.30	—	हां	
				2. भांभीयों का वास	,,	15786	2	58.60	हां	नहीं	
				3. खुमारों का बास	,,	14540	1	29.30	हां	नहीं	
				4. स्कूल के पास	,,	16090	2	58.60	हां	नहीं	
				5. बड़ के पास	,,	16890	2	58.60	हां	नहीं	
				6. अवड़का बास	,,	17724	—	—	हां	नहीं	
				7. जाटों का बास	,,	18400	2	58.60	हां	नहीं	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	पालड़ी पिचकिया	188	3	1. तालाब के पास	सफल	11967	2	126.50	हां	नहीं	
				2. भांभी वास	,,	11307	2	126.50	नहीं	—	
				3. राजपूतों का वास	असफल	15880	—	—	—	—	
26.	पालड़ी जोधा	192	9	1. ब्राह्मणों का बास	सफल	17452	3	558.17	हां	नहीं	
				2. खातीयों का बास	,,	18592	2	372.47	हां	नहीं	
				3. राधे का बास	,,	18142	3	558.17	हां	नहीं	
				4. भांभी का बास	,,	18172	3	558.17	हां	नहीं	
				5. छोडों का बास	,,	17700	2	372.47	हां	नहीं	
				6. कोट के पास	,,	12280	3	558.17	हां	नहीं	
				7. राजपूतों का बास	,,	11815	4	744.95	हां	हां	
				8. बावरियों का बास	,,	12280	4	744.95	हां	नहीं	
				9. रायों का बास	,,	12280	3	558.17	हां	नहीं	
27.	बुनरावता	196	7	1. सड़क पर	,,	12024	2	55.00	नहीं	—	
				2. तालाब के पास	,,	7441	2	55.00	नहीं	—	
				3. रायकों का बास	,,	11785	3	82.50	नहीं	—	
				4. कोट के पास	,,	12768	2	55.00	नहीं	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	बुमरावता	196	7	5. हरिजनों का बास	सफल	13185	3	82.50	नहीं	—	
				6. बावरियों का बास	,,	11654	2	55.00	नहीं	—	
				7. नायकों का बास	,,	11082	2	55.00	नहीं	—	
28.	भटनोखा	199	8	1. पुरोहितों का बास	,,	17452	2	207.10	हां	नहीं	
				2. वड़ के नीचे	,,	20190	2	207.10	हां	हां	
				3. बाहर की पोल के पास	,,	20407	3	310.65	हां	नहीं	
				4. ग्वाड में चबूतरे के पास	,,	20270	2	207.10	हां	नहीं	
				5. राजपूतों का बास	,,	20350	3	310.65	नहीं	—	
				6. स्कूल के पास	,,	20180	3	310.65	हां	हां	
				7. भाटों का बास	,,	21610	2	207.20	नहीं	—	
				8. सड़क पर (रूट)	,,	20510	3	310.65	हां	हां	
29.	मोदी	101	2	1. ग्वाड में	,,	21120	3	149.50	नहीं	—	
				2. स्कूल के पास	,,	21120	3	149.50	नहीं	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	चिताती	207	2	1. चबूतरे के पास	सफल	17280	2	119.87	हां	हां	
				2. ग्राथेड़ा बास	,	16920	3	110.87	हां	हां	
31.	खुर्द	184	3	1. ग्वाड़ में बड़ के नीचे	ग्रसफल	13050	2	116.33	नहीं	—	
				2. भामी बास	सफल	12050	2	116.33	हां	नहीं	
				3. स्कूल के पास	सफल	13050	2	116.33	हां	हां	
32.	खुडखुडाखुर्द	185	3	1. मालियों का बास	सफल	11027	5022	113.33	नहीं	—	
				2. सड़क पर (धूनावाला)	सफल	14216	2	113.33	हां	हां	
				3. उपरला बास	ग्रसफल	14910	2	113.33	हा	नहीं	
33.	ग्राछुताई	166	1	1. नाडी के पास	सफल	9169.60	5	640.50	नहीं	—	
			181		सफल - 152				जांच कराई गई=40		
					ग्रसफल - 29				पानी पीने योग्य = 10		
					181						

पंचायत समिति नागौर

1	2		3	4	5	6		7	8	9
1.	श्रमरपुरा	127	3	1. मालियों का मोहल्ला	सफल	15740	5	307.86	नहीं	नहीं
				2. स्कूल के पास	,,	21790	—	—	नहीं	—
				3. ग्वाड़ के बीच	,,	21750	2	123.14	नहीं	—
2.	लाडोबल	125	6	1. रावला बास	,,	23602	3	89.89	नहीं	—
				2. गावनाड़ी के पास	,,	25520	4	119.58	नहीं	—
				3. गावनाड़ी के पास	,,	23610	3	89.68	नहीं	—
				4. गावनाड़ी के पास	,,	23610	5	149.48	नहीं	—
				5. माताजी का मन्दिर	,,	22200	4	119.58	नहीं	—
				6. स्कूल के पास	असफल	21906	3	189.68	नहीं	—
3.	गगवाना	123	7	1. हरिजन की बस्ती	सफल	22400	3	59.03	—	—
				2. मेघवाल बस्ती	,,	22300	4	79.70	नहीं	—
				3. रायकों का मोहल्ला	,,	23180	3	79.03	नहीं	—
				4. ग्वाड के बीच	,,	23220	2	39.35	नहीं	—
				5. ब्राह्मणों का मोहल्ला	,,	21710	3	39.03	नहीं	—
				6. तुलसी की पोल के सामने	,,	21345	2	39-35	नहीं	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	गगवाना	123	7	7. पंचायत भवन	असफल	23450	—	—	—	नहीं	
4.	खोतेलाव	121	2	1. राजपूतों का मोहल्ला	सफल	14190	2	129.50	नहीं	—	
				2. नायकों का मोहल्ला	,,	15455	2	,,	नहीं	—	
5.	सूरजनिया बास	122	2	1. राजपूतों का मोहल्ला	,,	15681	5	118.13	नहीं	—	
				2. भवी मोहल्ला	,,	16350	3	130.87	नहीं	—	
6.	सरासनी	100	3	1. नाथों का मोहल्ला	,,	16110	2	68.00	नहीं	—	
				2. कोट के सामने	,,	16.080	5	170.00	नहीं	—	
				3. राजपूतों का मोहल्ला	,,	14806	3	102.00	नहीं	—	
7.	पिथासियो	119	2	1. गांव के बाहर	,,	17200	2	178.50	नहीं	—	
				2. ग्वाड के बीच में	,,	18220	2	178.50	नहीं	—	
8.	भदाना	116	8	1. रायकों का मोहल्ला	,,	17650	3	110.13	नहीं	—	
				2. जाटों के पास पोल के सामने	,,	16571	2	73.42	नहीं	—	
				3. ग्वाल में	,,	17700	2	,,	नहीं	—	
				4. खातीयों का बास	,,	16420	3	,,	नहीं	—	
				5. कुमारों का बास	,,	17890	3	110.13	नहीं	—	
				6. राजपूतों का बास	,,	18700	4	,,	नहीं	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	भदाना	116	8	7. पीरबाबा का मोहल्ला	असफल	18760	—	146.85	—	नहीं	
				8. भांभी मोहल्ला	,,	15500	—	—	—	—	
9.	सालवा	126	2	1. मालियों का बास	सफल	17845	2	138.80	नहीं	—	
				2. पीरबाबा का बास	,,	15025	3	208.20	नहीं	—	
10.	गुडला	91	3	1. गांव के बाहर	,,	11630	2	145.00	नहीं	—	
				2. भांभी का बास	असफल	11620	—	—	—	—	
				3. जाटों का मोहल्ला	सफल	11630	2	145.00	नहीं	—	
11.	सारणाबास	92	1	1. ढाणीयों के पास	,,	12515	2	640.50	नहीं	—	
12.	मानासर	86	2	1. पंचायत समिति के पास	,,	16090	3	189.86	नहीं	—	
				2. रामदेवजी के मन्दिर के पास	,,	16240	4	253.14	नहीं	--	
13.	टांकला	74	8	1. बस स्टेण्ड पर	,,	23250	2	182.95	नहीं	—	
				2. स्कूल के पास	,,	,,	3	274.43	नहीं	—	
				3. रावले के पास	,,	,,	3	,,	नहीं	—	
				4. भांभीयों के बास	,,	24570	3	,,	नहीं	—	
				5. बावरियों के बास में	,,	,,	2	182.95	नहीं	—	
				6. कासवों का बास	,,	18813	3	274.43	नहीं	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	टांकला	74	8	7. सियाणों की ढाणी	सफल	19815	2	182.95	नहीं	नहीं	
				8. आजरों की ढाणी	,,	14355	3	174.43	नहीं	—	
14.	अहमदपुरा	144	3	1. लोहारों का बास	,,	18682	3	97.20	नहीं	—	
				2. नाडीवाला	,,	18610	2	588.13	नहीं	—	
				3. नायकों का बास	असफल	18053	—	—	—	—	
15.	बरण गांव	141	4	1. मेघवालों की बस्ती	सफल	16890	1	647.00	नहीं	—	
				2. सरपंच का बास	,,	18210	1	161.75	नहीं	—	
				3. साटाबास ग्वाड	,,	18390	1	,,	नहीं	—	
				4. तालाब के पास	,,	,,	1	,,	नहीं	—	
16.	बापोड़	140	3	1. ग्वाडवाला	,,	18010	1	93.00	नहीं	—	
				2. पनघटवाला	,,	18960	1	93.00	नहीं	—	
				3. फललबास	,,	17920	1	93.00	नहीं	—	
17.	कादरपुरा	138	2	1. मस्जिद के पास	,,	16975	1	115.50	नहीं	—	
				2. जाट व राजपूतों की बस्ती	,,	17103	1	,,	नहीं	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	गोवाखुर्द	139	3	1. अगुडाबास	सफल	16685	1	77.67	नहीं	नहीं	
				2. मगराबास	,,	16638	1	,,	नहीं	—	
				3. ग्वाड में	,,	17561	1	,,	नहीं	—	
19.	अठियासन	131	4	1. मेघवाल बास	,,	19370	1	85.50	नहीं	—	
				2. गोगा मन्दिर के पास	,,	19600	2	171.00	नहीं	—	
				3. स्कूल के पास	,,	19550	1	85.50	—	—	
				4. कुआ के पास	असफल	21548	—	—	—	—	
			68		सफल = 61				0	0	
					असफल = 7						
					68						

परिशिष्ट 25

अतारांकित प्रश्न संख्या 350 की सूची

क्र० सं०	नाम योजना	अनुमानित लागत (लाख रु० में)	सिंचाई क्षमता (एकड़ में)
1–	मेघपुरा	9.00	106
2–	झालरा बावड़ी	11.00	215
3–	सरसिया चारन	11.00	125
4–	गणेशपुरा	11.00	172
5–	पचानपुरा	11.00	121.50
6–	शक्करगढ़	52.00	988

परिशिष्ट 26

अतारांकित प्रश्न संख्या 355 की सूची

तहसील प्रतापगढ़ में शेष 12 समस्यायुक्त गांवों की सूची जहां शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है:–

क्र० सं०	गांव का नाम	कोड नं०	वर्ष 1971 की जनगणनानुसार जनसंख्या	स्कीम का प्रकार	रिमार्क
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	लालपुरा	141	317	हैण्डपम्प योजना	–
2.	खोरीया	89	752	–	–
3.	देवगढ़	140	673	–	–
4.	बड़ी लाक	196	380	–	–
5.	बड़ी बम्बोरी	191	266	–	–
6.	सुहागपुरा	356	505	–	–
7.	फतेहगढ़	423	594	–	–
8.	बगडावद	322	119	–	–
9.	टीवाला	475	286	–	–
10.	कडीयावाद	150	256	–	–
11.	बावडी खेडा	80	418	–	–
12.	मथुरा तालाब	17	1505	पम्प एवं टेंक (पी. एण्ड टी.)	योजना की स्वीकृति विचाराधीन हैं।

परिशिष्ट 27

अतारांकित प्रश्न संख्या 357सूची

वित्तीय वर्ष 1983–84 में स्वीकृत डिस्पेन्सरियों की सूची

जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	नवीन डिस्पेन्सरी खोलने का स्थान
1. बाड़मेर	सिवाना	1. राखी
2. नागौर	जायल	2. रोल
3. भीलवाड़ा	माण्डलगढ़	3. श्यामपुरा
	शाहपुरा	4. सांगरिया
4. झुन्झुनू	नवलगढ़	5. गोठड़ा
	झुन्झुनू	6. काली पहाड़ी
5. जयपुर	जमवारामगढ़	7. रायसर
	जयपुर शहर	8. मालवीय नगर
6. जोधपुर	शेरगढ़	9. बिराई
	बिलाड़ा	10. बाला
7. बून्दी	तालेड़ा	11. माटून्दा
8. पाली	जैतारण	12. बेडकला
9. धौलपुर	राजाखेड़ा	13. हरवाई

परिशिष्ट 28

अतारांकित प्रश्न संख्या 362 का विवरण

"प्रशासन शहरों की ओर" में निर्माण कार्य की सूची:–

क्र०सं०	वार्ड नं०	सड़क नवीन	सड़क मरम्मत	नाली नवीन	नाली मरम्मत	प्रगति कार्य
1.	4	2000/–	6000/–	–	–	पूर्ण
2.	5	–	7500/–	–	–	"
3.	6	11400/	1500/–	5000/–	15000/–	"
4.	7	–	–	–	6000–	"
5.	14	–	–	1900/–	–	"
6.	15	5000/–	–	–	–	"
7.	16	–	–	–	1500/–	"
8.	17	500/–	–	–	4700/–	"
9.	18	1200/–	–	–	–	"
10.	19	800/–	–	–	–	"
11.	20	2400/–	–	–	2000/–	"
12.	21	4300/–	–	–	–	"
13.	22	–	–	–	1500/–	"
14.	23	100/–	–	–	4300/–	"
15.	24	300/–	–	–	8000/–	सड़क का
16.	25	7000/–	–	–	–	कार्य प्रगति पर
17.	26	200/–	–	–	200/–	है अति-
18.	27	2000/–	–	–	–	शीघ्र पूर्ण हो
19.	28	–	–	–	800/–	रहा है।
20.	29	19200/–	–	–	400/–	
21.	30	–	–	–	8000/–	

परिशिष्ट 29

अतारांकित प्रश्न संख्या 363 की सूची

नगरपालिका कानोड़ में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियों की सूची

क्र० सं०	नाम कर्मचारी सामान्य–प्रशासन –	पद [मंत्रालयिक]
1	2	3
1.	श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा	अधिशासी अधिकारी
2.	श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा	कनिष्ठ लिपिक
3.	श्री हरक चन्द डांगी	"
4.	श्री रतन दास बैरागी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
5.	श्री रूप लाल लसोड़	"
6.	श्री रूप सिह राजपूत	"
	कर वसूली – [अधीनस्थ]	
7.	श्री पार्श्व कुमार नागौरी	नाकेदार
8.	श्री सज्जन सिह राजपूत	सब नाकेदार
9.	श्री केशव लाल शर्मा	"
10	श्री सत्यनारायण जीनगर	"
11	श्री बंशी लाल खटीक	"
12.	श्री बरदी चन्द मीना	"
13.	श्री कालू लाल मीना	"
14.	श्री अहमद नूर खां	नाका गार्ड
15.	श्री घनश्याम लाल शर्मा	"
16.	श्री फूल चन्द मेघवाल	"

1	2	3
	जन स्वास्थ्य [अधिनस्थ]	
17.	श्री नारायण लाल कण्डारा	जमादार
18.	श्री गोरधन हरिजन	सफाई कर्मचारी
19.	श्रीमती मोहनी देवी ,,	,,
20.	श्री फतह लाल ,,	,,
21.	श्री बाबू लाल ,,	,,
22.	श्रीमती मुन्ना देवी ,,	,,
23.	श्रीमती सीया देवी ,,	,,
24.	श्री काना ,,	,,
25.	श्री बाबू लाल ,,	,,
26.	श्री राम लाल ,,	,,
27.	श्रीमती सीता देवी ,,	,,
28.	श्रीमती सुगना देवी ,,	,,
29.	श्री मदन लाल ,,	,,
30.	श्री रमेश लाल ,,	,,
31.	श्री रूप लाल ,,	,,
32.	श्रीमती कैलाश देवी ,,	,,

परिशिष्ट 30

अतारांकित प्रश्न संख्या 366 का ब्योरा

प्रशासन शहरों की ओर, अभियान के दौरान नगर पालिका, नागौर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए जो जो काम किये उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :—

1.	आवासीय योजना के भूखंड आवंटन किये	362
2.	बिखर हुए भूखंडों का प्रकरण निपटाये	327
3.	खांचा भूमि के प्रकरण निपटाये	230
4.	कच्ची बस्ती नियमन के मामलों में जांच	162
5.	नाजायज कब्जे के मामले विभिन्न क्षेत्रों के निपटाये	143
6.	स्टेट ग्रांट के अधीन पट्टे देने के मामलों मे जांच कर सिफारिश स्वीकृति हेतु की गई	293
7.	परमार्थिक व शैक्षणिक संस्थाओं को भूमि आवंटन के मामले निपटाये	3
8.	भवन निर्माण इजाजत के मामले निपटाये	369

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, नागौर ।

प्रशासन शहरों की ओर अभियान दिनांक 15-9-83 से 31-10-83 तक तत्पश्चात फरवरी, 1984 तक विकास कार्यों पर व्यय हुई धन राशि का मानचित्र

क्रम संख्या	अनुसूचित जाति व कच्ची बस्ती में कार्य	व्यय हुई राशि
1	2	3
1.	सांसी बस्ती जाजोलाई में सार्वजनिक स्टेण्ड पोस्ट निर्माण	3000
2.	भगवती प्रसाद की चक्की से मेघवाल बस्ती व हरिजन बस्ती तक कंकरीट रोड	10830
3.	सीताराम माली के मकान से हरिजन बस्ती होते हुए थानजी के मकान तक कंकरीट रोड	14000

1	2	3
4.	हरिजन बस्ती में नालियों का निर्माण	14000
5.	गंगाराम के मकान से समाज कल्याण छात्रावास हरिजन बस्ती होते हुए नया दरवाजा तक कंकरीट रोड निर्माण	14000
6.	विश्वकर्मा मन्दिर से नकास तक नालियां निर्माण	7000
7.	डाकोतों के बास से दुलाया नायक बस्ती होते हुए कुमारी गेट तक सड़क	42000
8.	डाकोतों के बास के पास दुलाया में सड़क के लिए पुलिया निर्माण	20,000
9.	ब्रह्मपुरी में नालियों का निर्माण	13700
10.	डाकोतों में पावर हाउस के पास नाला	6000
11.	ब्रह्मपुरी के पास रास्ते के लिए मिट्टी खुदाई	1300
12.	कुमारी दरवाजा बाहर नायक सांसी बस्ती में तीन सार्वजनिक स्टेण्ड पोस्ट निर्माण	2600
13.	जटिया कुम्हार, खटीक बस्ती स्टाफ कालोनी में नालियों का निर्माण	8091
14.	कुमारी दरवाजा के पास सिपाहियों में नाली निर्माण	7700
15.	कोली भगतों कुमारी दरवाजा व खत्रीपुरा में नाली	5200
16.	विश्वकर्मा मन्दिर के पास नाली निर्माण	4400
		1,73,821

सूची

1. सफाई व्यवस्था :—

   (अ) 2242 टन कचरा उठवाया

   (ब) 50515 मीटर नालियों की सफाई करवायी

   (स) 640 टन कचरा नालों में से उठाया

   (द) 16 सार्वजनिक शौचालय साफ करवाए

2. सूखे तहारतों को फ्लश के तहारत बनाने हेतु 250 व्यक्तियों को 300 रु. का अनुदान प्रति व्यक्ति दिया गया।

3. सार्वजनिक फ्लश शौचालय निर्मित किये गये 10 (दस).

4. सड़कें पक्की कराई गई 11000 फीट (डब्ल्यू. बी. एच.)
5. डामर की सड़कें बनाई गई—6000 फीट
6. नालियों की लम्बाई जिनको पक्की करवाई—1500 मीटर
7. सार्वजनिक नल लगवाए :—
   13 नल लगवाए, 4 की मरम्मत कराई
8. विद्युत व्यवस्था :—
   (अ) 230 टयूब लाइट लगवाई
   (ब) 24 खंभे लगवाए
   (स) 850 बल्ब लगाए
   (द) 94 मरकरी लाइट लगाई
9. गरीबी की रेखा से नीचे अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित हुए की संख्या—650 व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत करवाया (बैंक व खादी बोर्ड व उद्योग विभाग)

2. आवासीय व्यवस्था एवं अनधिकृत कच्ची बस्तियों में लाइट पानी व अन्य विकास कार्य की व्यवस्था की गई। उन बस्तियों के नाम निम्न प्रकार हैं :-

वार्ड नं. 4 कुमारी दरवाजा नायक बस्ती :— 3 सार्वजनिक पानी के स्टेण्ड पोस्ट लगाए

वार्ड नं. 4 कुमारी दरवाजा सांसी बस्ती :— 1 सार्वजनिक पानी के स्टेण्ड पोस्ट लगाए

वार्ड नं. 9 गाड़ाया लुहार बस्ती :— 1 सार्वजनिक पानी के स्टेण्ड पोस्ट लगाए

वार्ड नं. 3 बेजला कुआं बस्ती :— 1150 मीटर सड़क बनाई

वार्ड नं. 24 बड़ली रैंगर व भावी बस्ती में:— 16 खंभे बिजली के लगाए

वार्ड न. 24 मेघवाल बस्ती में पानी के नल लगाए

वार्ड नं. 4 कुमारी दरवाजा नायक कच्ची बस्ती में :— 210 मीटर में पेयजल हेतु नल लगाए

वार्ड नं. 22 समस तालाब क्षेत्रीय कच्ची बस्ती में पेयजल हेतु :—6000 फीट पानी की लाइन डाली गई

वार्ड नं. 5 कुमारी दरवाजा से अजमेरी गेट मोहल्ला :—500 मीटर नल पाइप की कार पुरा कच्ची व गंदी बस्ती में

315

सामान्य कार्य :—

1.	कृषि मंडी के सामने कामर्शियल कालोनी में कंकरीट रोड	26,800
2.	नकास गेट बागाणी प्याऊ तक सड़क के लिए मिट्टी भरती	14,000
3.	नकास गेट बागाणी प्याऊ तक दीवार निर्माण	36,200
4.	मुरली काका के मकान से गोपाल लाल पुरोहित के मकान तक कंकरीट रोड	8,000
5.	गांधीवाड़ी में कंकरीट रोड	10,300
6.	गुरुद्वारा रोड पर पुलिया निर्माण	10,400
7.	मोहम्मदपुरा में कर्कस गटा निर्माण	2,000
8.	लोहारपुरा के पूर्व में नाला निर्माण	50,000
9.	अजमेरी गेट से शिवाड़ी तक कंकरीट रोड निर्माण	22,000
10.	पठानों का बास व बलदेव मिर्धा धर्मशाला के पास नाली निर्माण	7,000
11.	मढ़ियों की गल्ला में डामर रोड का निर्माण	9,000
12.	बाजरवाड़ा अग्रवालों की गली में नालियां निर्माण	15,000
13.	बाजारवाड़ा अग्रवालों की गली में पेवींग रोड निर्माण	14,000
14.	किले की खाई में दिवार का निर्माण	61,700
15.	पीर बलख में नालियां निर्माण	7,000
16.	सोलंकी सिपाहियों में जनाना शोचालय निर्माण	10,000
17.	बड़ली में जनाना शोचालय निर्माण	9,850
18.	तेलीवाड़ा व कोट गली में नाली निर्माण	15,700
19.	मालानियों की गली में नाली निर्माण	5,400
20.	पार्क की दीवार निर्माण	8,000
21.	बाजरवाड़ा व जामा मस्जिद के पास पिनाणी दीवार मरम्मत	7,400
22.	लालसिंह की गली स्टेशन पर नालियां निर्माण व राजपूत छात्रावास के पास नालियां व पेचिंग	10,000

23.	पिलीवाड़ा मिश्राबाड़ी में पेविंग रोड व नाली निर्माण	22,000
24.	सुराणा की बड़ी पोल में नाली निर्माण	4,000
25.	ब्रह्मपुरी के बाहर व पावर हाऊस के पीछे दो सार्वजनिक पब्लिक स्टेण्ड	2,200
26.	समस तालाब फकीरों में कंकरीट रोड	10,000
27.	मिर्धा धर्मशाला के पीछे नाली निर्माण	4,000
28.	सभा के मंदिर की गली में पब्लिक पोस्ट स्टेण्ड व नाली	400
29.	कोट गली नया दरवाजा नाला निर्माण	2,800
30.	हाथी चौक में पब्लिक स्टेण्ड पोस्ट मरम्मत	200
31.	जामा मस्जिद के पास वृक्षों के गट्टे निर्माण	800
32.	दर्जियों की गली में पेविंग रोड व नाली निर्माण	18,000
33.	रोड क्रोस	9,000
34.	करणी कालोनी नाली निर्माण	8,000
35.	बालसमद जनाना शौचालय निर्माण	5,300
36.	नया दरवाजा रोड	18,000
37.	भूरा वाड़ी, हाथी चौक सार्वजनिक पब्लिक स्टेण्ड पोस्ट	500
38.	किल्ला के बुर्ज की रिपेयर	4,000
39.	पब्लिक स्टेण्ड पोस्ट, लोहियों का चौक, मच्छियों का चौक	600
40.	ब्रह्मपुरी में नाली	1,300
41.	पब्लिक स्टेण्ड पोस्ट गाडोलिया व बेलदार बस्ती	500
42.	बिचला वास में नाली निर्माण	5,400
43.	जनाना शौचालय मरम्मत सदर बाजार खाई में	3,800
44.	घासी नाड़ा जनाना शौचालय मिट्टी भरती	850
45.	कांगरवाड़ा में नाली निर्माण	5,200
46.	व्यापारियों के मौहल्ले में नाली निर्माण	9,600
47.	बडली में सार्वजनिक स्टेण्ड पोस्ट निर्माण	400
48.	मेड़तवाड़ी गांधीवाड़ी, तेलीवाड़ा, गुजरातियों की पोल खरादीवाड़ा में सार्वजनिक स्टेण्ड पोस्ट	3,000

49. भारत टाकीज से सूफी साहब की दरगाह तक डामर रोड	60,400
50. मुलतानी मस्जिद से गिनाणी झालरा तक डामर रोड	46,600
51. खीचीयों की पोल से देहली गेट तक डामर रोड	48,500
52. राजा स्टूडियो से भाईजी के तकीये तक डामर रोड	40,000
53. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से अजमेरी गेट तक कंकरीट रोड	12,500
54. दिल्ली दरवाजा मैन रोड़ से खत्रीपुरा तक कंकरीट रोड	14,800
55. बस स्टेण्ड से डेह रोड तक कंकरीट रोड	23,900
56. इस्माईल जोधपुर वाले के मकान से लोहारपुरा तक कंकरीट रोड	10,900
57. फ्रूट मार्केट में पेशाब घर निर्माण	7,300
58. पुलिस थाना से रेलवे डाक बंगला तक कंकरीट रोड	14,200
59. हनुमान बाग कालोनी में कंकरीट रोडों का निर्माण	68,600
60. सीयाराम बाबा की बगीची से राटोड़ी कुआ स्कूल तक कंकरीट रोड	29,200
61 वार्ड नं. 1 होस्पीटल के नाली निर्माण	12,000
62. लोहारपुरा नाली निर्माण	22,300
63. घासी नाडा नाला निर्माण	62,000
64. हेमसिंह चौधरी के मकान से सिपाहियों का बास रोड निर्माण	12,000
65. होस्पीटल रोड से चांपा तक नाला	50,000
66. बांगाणी प्याऊ से पार्क तक दिवार निर्माण	50,000
67. गिनाणी तालाब पर जामा मस्जिद के पास दीवार के पास मिट्टी भर्ती कार्य	1,900
68. गिनाणी तालाब के घाट की सीढ़ियों का निर्माण	7,600

परिशिष्ट 31

अतारांकितप्रश्न संख्या 367 की जानकारी

प्रत: विवादग्रस्त सराय नगर पालिका कानोड़ में बस स्टेण्ड पर बिला नाम आराजी नम्बर 969–975 किस्म रास्ता पर है ।

———

परिशिष्ट 32

अतारांकित प्रश्न संख्या 368 की सूची

दिनांक 1-4-82 से 31-1-84 तक फिनायल, बी. एच. सी. पाउडर व नुवान क्रय की सूची

क्र. सं.	सामान का नाम	मात्रा	कुल रकम	विशेष विवरण
1.	गेमेक्सीन पाउडर 50 कि. के.	15 बेग	1750.00	हड़ताल
2.	गेमेक्सीन पाउडर 50 कि. के.	30 बेग	2488.00	समय
3.	गेमेक्सीन राउडर 50 कि. के.	28 बेग	1892.50	क्रय
4.	गेमेक्सीन पाउडर 50 कि. के.	200 बेग	12750.00	किया
	कुल	273 बेग	18870.50	
5.	फिनायल (बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि.) (भारत सरकार का उपक्रम)	3000 लीटर	36605.20	
6.	नुवान 100 एम एल	300 शीशी (30 किलो)	5850.50	
	वर्ष 1983–84			
1.	बी एच सी पाउडर 50 किलो	250 बेग	15500.00	
2.	बी एच सी पाउडर 50 किलो	150 बेग	12480.00	
	कुल	400 बेग	27980.00	
1.	फिनायल, बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि.) (भारत सरकार का उपक्रम)	3000 लीटर	42744.45	
2.	नुवान 100 एम एल	250 शीशी (25 किलो)	4950.00	

परिशिष्ट 33

अतारांकित प्रश्न संख्या 371 का विवरण

(कार्यालय नगर सुधार न्यास, अजमेर)

वाहन नम्बर आर.जे.जेड 8416

क्र. सं.	दिनांक	स्थान	अधिकार	विशेष विवरण : राज्य सरकार से प्राप्त. स्वीकृति का नम्बर मय दिनांक
1	2	3	4	5
1.	10-4-81 से 11-4-81	जयपुर	अध्यक्ष	राज्य सरकार को स्वीकृति भिजवाने हेतु लिखा जा चुका है।
2.	23-4-81 से 25-4-81	,,	सचिव	,,
3.	2-5-81	,,	,,	,,
4.	8-6-81	,,	,,	,,
5.	7-8-81	,,	अध्यक्ष	क्रमांक एवं 6/33/70 दिनांक 30-11-81
6.	21-8-81 से 22-8-81	,,	,,	राज्य सरकार को स्वीकृति भिजवाने हेतु लिखा जा चुका है।

1	2	3	4	5
7.	18-9-81	जयपुर	अध्यक्ष	राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ 6/33/79 दिनांक 23-11-81 से दी गई ।
8.	24-9-81	,,	,,	राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ 6/33/79 दिनांक 23-11-81 से दी गई ।
9.	7-11-81	,,	,,	एस 6/33/टी.पी./70 दिनांक 4-12-81
10.	20-11-81	,,	,,	राज्य सरकार को स्वीकृति भिजवाने हेतु लिखा जा चुका है ।
11.	30-11-81	,,	,,	,,
12.	11-12-81	,,	,,	,,
13.	18-12-81	,,	,,	,,
14.	25-12-81	,,	,,	,,
15.	24-1-82 से 25-1-82	,,	,,	,,
16.	11-2-82	,,	,,	,,
17.	16-3-82 से 18-3-82	,,	,,	एफ 16/33/यू.डी.एच./70 दिनांक 26-5-82
18.	3-4-82 से 4-4-82	,,	,,	राज्य सरकार को स्वीकृति भिजवाने हेतु लिखा चुका है । जरिये पत्र 10723 दिनांक 14-2-83 से ।

321

1	2	3	4	5
19.	12-4-82	जयपुर	अध्यक्ष	राज्य सरकार को स्वीकृति भिजवाने हेतु लिखा जा चुका है। जरिये पत्र 10723 दिनांक 14-2-83 से।
20.	26-4-82 से 30-4-82	,,	,,	,,
21.	10-5-82	,,	,,	,,
22.	2-5-82	,,	,,	राज्य सरकार को स्वीकृति भिजवाने हेतु लिखा जा चुका है। जरिये पत्र नं० 10723 दिनांक 14-2-83 से।
23.	27-5-82 से 28-5-82	,,	,,	,,
24.	10-6-82 से 11-6-82	,,	,,	,,
25.	22-6-82	,,	,,	,,
26.	2-7-82 से 3-7-82	,,	,,	,,
27.	7-8-82	,,	,,	,,
28.	23-8-82 से 24-82	,,	,,	,,
29.	3-9-82	,,	,,	,,
30.	21-9-82 से 22-9-82	,,	,,	,,
31.	12-10-82	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
32.	4-11-82	जयपुर	अध्यक्ष	राज्य सरकार को स्वीकृति भिजवाने हेतु लिखा जा चुका है। जरिये पत्र नं० 10723 दिनांक 14-2-83 से।
33.	20-11-82	,,	,,	,,
34.	25-11-82 से 26-11-82	,,	,,	,,
35.	30-12-82 से 31-12-82	,,	,,	,,
36.	20-12-80 से 21-12-82	,,	,,	,,
37.	12-1-83	,,	,,	,,
38.	8-2-83	,,	,,	राज्य सरकार को स्वीकृति भिजवाने हेतु लिखा जा चुका है।
39.	10-2-83	,,	,,	,,
40.	9-3-83 से 10-3-83	,,	,,	,,
41.	20-3-83	,,	,,	,,
42.	27-3-83 से 28-3-83	,,	,,	,,
43.	10-4-83 से 11-4-83	,,	,,	,,
44.	22-4-83	,,	,,	,,
45.	27-4-83 से 28-4-83	,,	,,	,,

323

1	2	3	4	5
46.	10-5-83	जयपुर	अध्यक्ष	राज्य सरकार को स्वीकृति भिजवाने हेतु लिखा जा चुका है।
47.	1-6-82	,,	,,	,,
48.	15-6-83 से 17-6-83	जयपुर एवं नई दिल्ली	,,	,,
49.	28-6-83	जयपुर	,,	,,
50.	10-7-83	,,	,,	,,
51.	8-8-83	,,	,,	,,
52.	19-8-83	,,	,,	,,
53.	14-9-83	,,	,,	,,
54.	27-9-83	,,	,,	,,
55.	5-10-83 से 7-10-83	,,	,,	,,
56.	25-10-83	,,	,,	,,
57.	27-11-83	,,	,,	,,
58.	9-11-83	,,	,,	,,
59.	11-12-83 से 12-12-83	,,	,,	,,
60.	25-12-83 से 3-1-84	नई दिल्ली	,,	,,

1	2	3	4	5
61.	9-2-84 से 11-2-84	जयपुर	अध्यक्ष	राज्य सरकार को स्वीकृति भिजवाने हेतु लिखा जा चुका है।
62.	16-2-84 से 17-2-84	"	"	"
63.	22-2-84 से 23-2-84	"	"	"

एस. ए. एम. उर्ज
सचिव,
नगर सुधार न्यास, अजमेर

कार्यालय नगर सुधार न्यास, अजमेर

वाहन नम्बर आर.आर.जेड. 5869

क्र. सं.	दिनांक	स्थान	अधिकारी	विशेष विवरण : राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति का नं० मय दिनांक
1.	22-11-83 से 23-11-83	जयपुर	सचिव	राज्य सरकार को स्वीकृति भिजवाने हेतु लिखा जा चुका है।
2.	29-11-83	,,	,,	,,
3.	28-12-83	उदयपुर	हडको टीम	,,

एस. ए. एम. उर्ज
सचिव,
नगर सुधार न्यास, अजमेर

कार्यालय नगर सुधार न्यास, अजमेर

वाहन नम्बर 4669

क्र. सं.	दिनांक	स्थान	अधिकारी	विशेष विवरण : राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति का नं० मय दिनांक
1	2	3	4	5
1.	4-4-81	जयपुर	सचिव	राज्य सरकार को स्वीकृति भिजवाने हेतु लिखा जा चुका है।
2.	17-6-81 से 18-6-81	,,	,,	,,
3.	13-7-81 से 14-7-81	,,	,,	,,
4.	3-10-81 से 4-10-81	,,	अध्यक्ष	,,
5.	8-12-81 से 12-12-81	बान्दनवाड़ा	अधिशाषी अभियन्ता (चुनाव कार्य)	किराया राशि जिलाधीश कार्यालय से 390/- रसीद नं० 180/17999 दिनांक 27-1-83 से प्राप्त किया।
6.	23-4-82	जयपुर	अध्यक्ष	राज्य सरकार को स्वीकृति भिजवाने हेतु लिखा जा चुका है।
7.	15-5-82	,,	अधिशाषी अभियन्ता	,,
8.	16-5-82 से 20-5-82	उदयपुर	चुनाव कार्य (अधिशाषी अभियन्ता)	,,

1	2	3	4	5
9.	11-3-83	जयपुर	अधिशाषी अभियन्ता	न्यास पत्र क्रमांक 12380 दिनांक 28-11-83 द्वारा स्वीकृति भिजवाने हेतु निवेदन किया जा चुका है ।
10.	13-3-83 से 15-3-83	"	"	"
11.	19-3-83	"	सचिव	"
12.	3-5-83	"	"	"
13.	2-6-83 से 3-6-83	"	"	"
14.	28-6-83	"	"	"
15.	14-7-83	"	अध्यक्ष	"
16.	3-8-83 से 5-8-83	"	सचिव	"
17.	30-12-83	"	हडको टीम	"

एस. ए. एम. उर्ज
सचिव
नगर सुधार न्यास, अजमेर

परिशिष्ट 34

अतारांकित प्रश्न संख्या 378 की सूची

पशु इकाइयां की सूची (क)

क्र. सं.	जिला	कुल पशुधन	समकक्ष पशु इकाइयां	कुल पशु चिकित्सा संस्था	प्रति पशु चिकित्सा संस्था पशु इकाइयां
1.	बीकानेर	2056157	728080	31	23486
2.	चूरू	2043223	699044	29	24104
3.	जोधपुर	2667061	882882	39	22627
4.	जैसलमेर	1615789	463860	24	19327
5.	गंगानगर	2198579	1271224	51	24924
6.	जयपुर	3115051	1734704	62	27979

वर्ष 81-82 में खोले गये पशु चिकित्सा संस्थाओं की सूची (ख)

जिला	स्थान		तहसील पंचायत समिति
1. बीकानेर	1. जस्सुसर दरवाजा पशु स्वा. पं.		बीकानेर
	2. कुचौर आथुनी	,,	नोखा
	3. केला	,,	लूनकरणसर
2. चूरू	1. नांगलकलां	,,	रामगढ़
	2. थड़ीसर	,,	सरदार शहर
	3. पणिहारा	,,	रतनगढ़
3 जोधपुर	1. सुवाप	,,	फलौदी
	2. बापिनी	,,	ओसियां
	3. तिलवासमी	,,	बिलाड़ा
	4. डावरा	,,	ओसियां
4. जैसलमेर	1. झिझनियाली	,,	जैसलमेर
5. गंगानगर	1. डावरी	,,	भादरा
	2. रामगढ़	,,	नोहर
6. जयपुर	—	—	—

वर्ष 1983-1984 में खोले गये पशु चिकित्सा संस्था की सूची (ख)

जिला	स्थान	तहसील
1. बीकानेर	1. बेरासर (औषधालय)	नोखा
2. चूरू	1. लालगढ़ ,,	सुजानगढ़
	2. सहजूसर ,,	चूरू
	3. सालासर ,,	सुजानगढ़
3. जोधपुर	1. मिल्वमैन कालोनी (औषधालय)	•
	2. दून्दाड़ा ,,	जोधपुर
	3. मांगीलाई ,,	शेरगढ़
	4. बाड़ी ,,	फलोदी
	5. मांडलकलां ,,	फलोदी
4. जैसलमेर	— —	—
5. गंगानगर	1. मीरजाबली (चिकित्सालय)	
	2. बीकमपुर ,,	
	3. गथोली (औषधालय)	नोहर
	4. रोहिड़ावाली ,,	गंगानगर
	5. पल्लू ,,	नोहर
	6. लीलावाली ,,	हनुमानगढ़
	7. वीजनामला ,,	पदमपुर
	8. जोसावर ,, सिंहपुरा	करनपुर
6. जयपुर	1. झोटवाड़ा (चिकित्सालय)	—
	2. अम्बर ,,	
	3. सांभर ,,	
	4. कृषि उपज मंडी ,,	
	5. बीचून (औषधालय)	दूदू
	6. चीथवाड़ी ,,	चौमू
	7. होदामली ,,	लालसोट
	8. गोनेड़ा ,,	कोटपूतली
	9. बाधावास ,,	फुलेरा

जिलेवार पशुधन की सूची (ग)

क्र. संख्या	जिला	गाय	भैंस	ऊंट	बकरियां
1.	बीकानेर	455736	57110	58752	395687
2.	चूरू	285381	149954	107724	799917
3.	जोधपुर	527319	98993	49846	834351
4.	जैसलमेर	260230	1082	51749	305437
5.	गंगानगर	623083	417959	115944	413324
6.	जयपुर	872530	669028	25098	993202

परिशिष्ट 35

अतारांकित प्रश्न संख्या 381 की सूची (प्रपत्र "क")

(बीकानेर नगर में बाढ़ अनुदान राहत के तहत कार्यों का विवरण)

क्र. सं.	सड़क का नाम	वास्तविक व्यय 82-83	वास्तविक व्यय 83-84	व्यय किये गये मद का विवरण
1.	मरम्मत व दुबारा कार्य बीकानेर नोखा सड़क	56223	—	289 प्राकृतिक विपदाएं बाढ़ राहत नियंत्रण कार्य
2.	मरम्मत व दुबारा कार्य रेलवे स्टेशन से गोगागेट सड़क।	22864	—	”
3.	मरम्मत व दुबारा कार्य जस्सूरगेट से सितलागेट गेलाना प्याऊ एवं करमीसर तक सम्पर्क सड़क।	50749	—	”
4.	मरम्मत व दुबारा कार्य पब्लिक पार्क।	(–) 19026	—	”
5.	मरम्मत व दुबारा कार्य कोटगेट से लक्ष्मीनाथ जी मंदिर वाया प्रकाश चित्र।	432564	—	”
6.	मरम्मत व दुबारा कार्य अनंचा बाई अस्पताल से लक्ष्मीनाथ जी मंदिर।	93008	—	”
7.	मरम्मत व दुबारा कार्य जस्सूसर गेट से लक्ष्मीनाथ जी मंदिर।	316986	—	”
8.	मरम्मत व दुबारा कार्य रेल्वे स्टेशन से के. ई. एम. रोड।	34186	—	”
9.	बाई पास की सड़कें	157296	—	”

परिशिष्ट 36

अतारांकित प्रश्न संख्या 384 की सूची

तालिका (क)

जिला बाड़मेर में सन् 1980 से 1983 तक विभागीय कार्यों हेतु बनाये गए खडिनों का विवरण

क्र. सं.	नाम खडीन	गांव का नाम	कुल लागत (लाखों में)
1	2	3	4
तहसील शिव :			
1.	सुडाल-II	सुडाल	0-233
2.	घुसड-II	घुसड	0-445
3.	एडवेवा-I	एडवेवा	0-142
4.	कोटडा-I	कोटडा	0-305
5.	एडवंजा-II	एडवंजा	0-416
6.	सुडाल	सुडाल	0-190
7.	राजदल-I	राजदल	0-262
8.	अरियाडा-II	अरियाडा	0-730
9.	फुसडा-III	पुसड	0-272
10.	पुसड-I	पुसड	0-272
11.	पुसड	पुसड	0-760
12.	कोटडा-II	कोडा	1-257
13.	बलाई-I	बलाई	0-583
14.	सोनरी-II	सोनकी	0-254
15.	बरियाडा-III	बरियाडा	0-432
16.	कोटडा-III	कोटडा	0-354

1	2	3	4
17.	राजदल-II	राजदल	0-612
18.	बरियाडा-I	बरियाडा	0-293
तहसील पचपदरा :			
19.	सिमरखिया	सिमरखिया	0-430

तालिका (ख)

जिला बाड़मेर में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सन् 1980 से 1983 तक बनाये गये खडिनों का विवरण

क्र. सं.	नाम खडीन	गांव का नाम	कुल लागत (लाखों में)
1	2	3	4
तहसील बाड़मेर :			
1.	नान्द	नान्द	0-650
2.	बाड़मेर आगोर	बाड़मेर	1-225
3.	सोनरी-I	सोमरी	0-770
4.	बीसाला-I	बीसाला	1-050
5.	बीसाला-II	बीसाला	1-225
तहसील बायतू :			
1.	चान्दरा-I	चान्दरा	1-400
2.	चान्दरा-II	चान्दरा	1-575
3.	माडका	माडका	1-400
4.	झाक	झाक	1-575

1	2	3	4
तहसील शिव :			
1.	भियाडा	भियाडा	0-498
2.	घारवी कला	घारवी	0-350
3.	घारवी खुर्द	घारवी	0-330
4.	चितरोडी	चितराडी	1-000
5.	बरसीगा	बरसीगा	0-370
6.	उन्ड-I	उन्ड	0-510
7.	उन्ड-II	उन्ड	0-410
8.	उनरोड	उनरोड	0-350
9.	हरसोनी-I	हरसानी	1-750
10.	हरसाणी-II	हरसानी	1-750
11.	सुम्राला-I	सुम्राला	1-360
12.	सुम्राला-II	सुम्राला	0-850
13.	सुम्राला-II	सुम्राला	1-000
14.	जापली	जापली	1-000
15.	रानासर-I	रानासर	1-250
16.	रानासर-II	रानासर	0-750
17.	रेडाना	रेडाना	1-223
18.	तिमणीयार	तिमणीयार	1-225
19.	देसानी	देसानी	1-400
20.	बरियाडा	बरियाडा	1-225
21.	हरसानी-III	हरसाणी	1-225
तहसील गुडामालानी :			
1.	डन्डाली	यन्डाली	0-610
2.	डन्डाली-II	डन्डाली	1-390

(38)

1.	2	3	4
3.	खन्डाली-II	खन्डाली	1-390
4.	खन्डाली-III	खन्डाली	1-910
5.	खन्डाली-IV	खन्डाली	1-950
6.	खन्डाली-V	खन्डाली	4-730
7.	डन्डालीट	डन्डालीट	0-850
8.	सणपा	सणपा	0-875
9.	गिडली कितपाल	गिडली कितपाल	0-875
10.	भूका	भूका	1-050
11.	दाखा	दाखा	1-050

तहसील पचपदरा :

1.	कल्याणपुरा	कल्याणपुर	0-700
2.	डोली	डोली	1-230
3.	रोडवा	रोडवा	0-840
4.	गंगावास-I	रोडवा	0-980
5.	गंगावास-II	रोडवा	0-980
6.	मण्डली-I	रोडवा	0-770
7.	बागावास-II	बागावास	1-050
8.	बागावास-II	बागावास	0-750
9.	क्लेमकोट	क्लेमकोट	1-250
10.	थोब-I	थोब	0-960
11.	तिरसगड़ी-I	तिरसगड़ी	0-930
12.	तिरसगड़ी-II	तिरसगड़ी	0-960
13.	तिरसगड़ी-III	तिरसगड़ी	1-680
14.	चारलाई	चारलाई	2-290
15.	अराजा	अराजा	1-330

1	2	3	4
16.	सिमरखिया-II	सिमरलिदा	0-945
17.	सरवड़ी	सरवड़ी	1-225
18.	पचपदरा-I	पचपदरा	0-875
19.	पचपदरा-II	पचपदरा	1-225
20.	पाटोदी-I	पाटोदी	0-875
21.	पाटोदी-II	पाटोदी	1-850
22.	उमरलाई	उमरलाई	1-225
23.	मन्डीयावास	मन्डीयावास	1-050
24.	मन्डली-II	मन्डली	1-050
25.	थोब-II	थोब	0-850
26.	खारड़ी	खारड़ी	0-875
27.	पारलू	पारलू	1-225
28.	तिरसगोड़ी-III	तिरसगोड़ी	0-842
29.	कुड़ी	कुड़ी	1-050
30.	नेवड़ी	नेवड़ी	0-875
31.	साधुनी चारणान	साधुनी चारणान	1-200
तहसील सिवाना :			
1.	सुइली	सुइली	0-360
2.	भूती	भूती	0-650
3.	भूती-II	भूती	1-050
4.	देवड़ा	देवड़ा	1-150
5.	राखी-I	राखी	0-879
6.	राखी-II	राखी	1-720
7.	समदड़ी	समदली	2-410
8.	सारवड़ा	सावरड़ा	0-980

1	2	3	4
9.	राखे-II	राखी	2-410
10.	कोटड़ी	कोटड़ी	1-225
11.	करमावास	करमावास	0-945
12.	भीक्लसर	भीक्लसर	1-225
13.	सियाली	सियाली	1-050
14.	कियाली	कियाली	1-225
15.	राताड़ी	राताड़ी	1-400

तालिका (ग)

जिला जैसलमेर में सन् 1980 से 1983 तक विभागीय कार्यों हेतु बनाये गये खडीनों का विवरण

क्र. सं.	नाम खडीन	गांव का नाम	तहसील	कुल लागत (लाखों में)
1	2	3	4	5
डी.पी.ए.पी. :				
1.	उजला	उजला	पोकरण	0-673
2.	बेलाया-I	बेलावा	,,	0-962
3.	अगली पारणा	अगली	,,	0-429
4.	मोनीयाना	मोनीयाना	,,	0-320
5.	दामोदरा-I	दामोदरा	जैसलमेर	0-432
6.	फतेहगढ़	फतेहगढ़	,,	0-531
7.	कोडीयासर	कोडीयासर	,,	0-992

1	2	3	4	5
8.	सांडा-I	सांडा	जैसलमेर	0-303
9.	सांडा-II	सांडा	,,	0-316
10.	सेरावा	सेरावा	,,	0-570
11.	रामगढ़	रामगढ़	,,	0-337
12.	जांगा	जांगा	,,	0-490
13.	भीलानी	भीलानी	,,	0-505
14.	छांड	छांड	,,	0-561
15.	देवीकोट	देवीकोट	,,	0-418
16.	छतरेल	छतरेल	,,	0-476
17.	उण्डा-I	उण्डा	,,	0-516
18.	डागरी-I	डागरी	,,	0-702
19.	केलावा-II	केलावा	पोकरण	0-539
20.	उचपदरा	उचपदरा	,,	0-312
21.	रामघड़ा	रामघड़ा	जैसलमेर	0-260
22.	भीकोडाई	भीकोडाई	पोकरण	0-442
23.	भण्डाई-I	भण्डाई	जैसलमेर	0-345
24.	भण्डाई-II	भण्डाई	,,	0-284
25.	भण्डाई	भण्डाई	,,	0-707
26.	सांवला	सांवला	,,	0-548
27.	बडली-II	बडली	पोकरण	0-310
28.	मांडवा	मांडवा	,,	0-755